महानगर नई दिल्ली बुधवार 3 जून, 2026, रु. 6.00 (22+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

ALLEN Results Validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence

ALLEN

JEE ADVANCED 2026

RECORD-BREAKING RESULT

INDIA'S TOP THREE RANKS

SIX STUDENTS IN TOP 10

TWENTY FOUR STUDENTS IN TOP 50

AIR 11
Nikunj Agrawal
Classroom Course

AIR 12
Aryan Ragupathy
Classroom Course

AIR 14
Prince Choudhary
Classroom Course

AIR 16
Tanay Agarwal
Classroom Course

AIR 18
Riddhesh Bendale
Classroom Course

AIR 19
Shaswat Banerjee
Classroom Course

AIR 25
Madhav S. Notani
Classroom Course

AIR 27
Abhipraya Verma
Classroom Course

AIR 29
Bhavesh Patra
Classroom Course

AIR 30
Amrit Raj
Classroom Course

AIR 32
Mahroof Ahmed Khan
Classroom Course

AIR 33
Koustubh Deshpande
Classroom Course

AIR 41
Snehal Roy Choudhury
Classroom Course

AIR 43
Shaurya Khemka
Classroom Course

AIR 44
Yash Yadav
Classroom Course

AIR 46
Surya Kanti Ghosh
Classroom Course

AIR 48
Nathan Jais
Classroom Course

AIR 50
Keshav Mangal
Classroom Course

ONLINE CHAMPION

AIR 52
Yashwardhan
Online Classroom Course

ALLEN DELHI CHAMPIONS

In Just 3 Years, ALLEN Delhi has become a Benchmark for Results!

AIR 10
Darsh Sikka
Classroom Course

AIR 59
Sushant Kr. Agarwal
Classroom Course

AIR 72
Nishkarsh Singh
Classroom Course

AIR 109
Rishit Garg
Classroom Course

AIR 187
Arnav Girish Ghatti
Classroom Course

AIR 205
Divyansh Narang
Classroom Course

AIR 208
Atharva Panjabi
Classroom Course

AIR 212
Anay Jain
Classroom Course

AIR 284
Shashwat Jain
Classroom Course

AIR 346
Anant Padia
Classroom Course

AIR 362
Parnav Sharma
Classroom Course

AIR 379
Pranjal Roy
Classroom Course

AIR 403
Raghav Bansal
Classroom Course

AIR 419
Medhansh Shekhar
Classroom Course

AIR 471
Tarun Kumar
Classroom Course

3 Students in Top 100 AIR

15 Students in Top 500 AIR

As per result compiled till 02 June 2026 (03:00 PM)

ADMISSIONS OPEN

JEE | NEET | OLYMPIADS | CLASSES 8TH TO 12TH & 12TH PASS

Visit our website or nearest ALLEN centre for test and course start dates.

ALLEN DELHI
95136 85900
allen.ac.in/delhi

ALLEN KOTA
86906 60111
allen.in

ALLEN ONLINE
95137 36499
allen.in

Any record-related claim is based on last 10 years of JEE Advanced All India results data. As an 'Official Results Validator', EY validates the authenticity of the students' enrolment and engagement with Allen. All result-related claims are based on publicly available information.

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

केनरा बैंक Canara Bank

केनरा बैंक एआरएमबी – 1
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

ई–नीलामी बिक्री सूचना

बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को बंधक/दृष्टि बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिस पर केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **कब्जा** लिया गया है, को **"जहां है जैसी है", जो है कैसी है" और जैसी भी है"** के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की बिक्री आयोजित की जाएगी। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधिन बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया E-bkray (मैसर्स पीएसबी एलायंस (Baanknet.com), (सम्पर्क नं. **8291220220, ईमेल : support.BAANKNET@psballiance.com या केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में दिए गए लिंक "ई–नीलामी" को देखें।** आरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी राशि मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड (E-bkray) पोर्टल के ई–वॉलेट में सीधे जमा की जानी है या चालान बनाकर उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करना है।

नाम और पता उधारकर्ता/ गारंटर	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कुल देयताएं (रू) : आरक्षित मूल्य (रू) : ईएमडी (रू) : वेतन वृद्धि राशि (रू) :	नीलामी की तिथि एवं समय ईएमडी दिनांक विजिट की तारीख सम्पर्क कर्ता का नाम व नं.
मेसर्स इकोयुग बायोडीजल प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय पताः डब्ल्यूजेड 879 प्रथम तल, बडियाल मोहल्ला, पालम गाँव, दिल्ली – 110045 यहाँ भी देखें:– मेसर्स इकोयुग बायोडीजल प्रा. लिमिटेड फैक्टरी का पताः खेवट नंबर 122, खसरा नंबर 53/4, ग्राम जवाहर रोड, प्रधाना, जिला–पानीपत, हरियाणा 132107 श्री हितेन्द्र सोलंकी पुत्र एसएच. रमेश चंद सोलंकी पताः डब्ल्यूजेड 879 प्रथम तल, बडियाल मोहल्ला, पालम गांव, दिल्ली – 110045 श्री जोगिन्दर सोलंकी पुत्र श्री. रमेश चंद सोलंकी पताः WZ 879 प्रथम तल, बडियाल मोहल्ला, पालम गांव, दिल्ली – 110045	आवासीय संपत्ति संख्या WZ 879, खसरा संख्या 59/12/2 का भाग, प्रथम तल, बडियाल मोहल्ला, राजस्व संपदा ग्राम पालम, नई दिल्ली – 110045 में स्थित, श्री हितेंद्र सोलंकी पुत्र रमेश चंद के नाम पर। भौतिक कब्जे में	रू. 2,57,28,186.94/– 28.02.2026 तक रू. 34,20,000.00/– रू. 3,42,000/– रू. 10,000/–	20.06.2026 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) 19.06.2026 18.06.2026 श्री कुनाल गौतम (एजीएम) मोबाइल नं. 9560062365, और मनीष कुमार लोहिया (9821096386)
मेसर्स जे एस आर ग्रुप मकान नंबर 181 और 192, गाँव कंगनहेड़ी, नई दिल्ली–110071 श्रीमती इंदु शर्मा, पत्नी श्री प्रदीप कुमार मकान नंबर 181 और 192, गाँव कनागनहेड़ी, नई दिल्ली–110071 श्री रमेश चंद, सुपुत्र श्री जगदीश चंद ग्राम एवं डाकघर कंगनहेड़ी, नई दिल्ली–110071 श्री प्रदीप शर्मा मकान संख्या 181 और 192, ग्राम कनागनहेड़ी, नई दिल्ली–110071 नोट : TSA 119/2023 (SA 85/2022) DRT& II दिल्ली में लंबित है, और बिक्री उक्त SA के परिणाम के अधीन होगी। संपत्ति के टाइटल डीड्स (स्वामित्व दस्तावेज) खो गए हैं, और इसके संबंध में अखबार में प्रकाशन, पुलिस शिकायत आदि भी की जा चुकी है।	प्लॉट संख्या 182, जमीन का क्षेत्रफल 600 वर्ग गज, खसरा संख्या 181 और 182 में से, जो ग्राम कागनहेरी, नई दिल्ली – 110071 के राजस्व क्षेत्र में स्थित है। और चौहदी निम्नानुसार : पूर्व : सड़क पश्चिम : श्री रति राम का घर। उत्तर : सड़क दक्षिण : सड़क (यह सम्पति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है)	रू. 56,14,450.49 28.02.2026 तक रू. 1,61,10,000/– रू. 16,11,000/– रू. 50,000/–	20.06.2026 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) 19.06.2026 16.06.2026 श्री कुनाल गौतम (एजीएम) मोबाइल नं. 9560062365, और मनीष कुमार लोहिया (9821096386)

दिनांक : 29.05.2026
स्थान : दिल्ली

केनरा बैंक
प्राधिकृत अधिकारी

फॉर्म संख्या 14 [विनियम 33(2) देखें]
रजि.ए/डी, दस्ती द्वारा, ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा

कार्यालय–वसूली अधिकारी I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
पहली मंजिल एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17ए, चंडीगढ़
(तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

मांग नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस

आरसी/9/2026 19.05.2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मैसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज

सेवा में

(सीडी 1) मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज, मुकेश कुमार यादव, छतर सिंह यादव, प्लॉट नंबर 369, गली नंबर 5बी, भूदत्त कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा

(सीडी 2) श्री मुकेश कुमार यादव, पुत्र श्री छतर सिंह यादव, निवासी प्लॉट नंबर 508, ईस्ट चावला कॉलोनी, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा इसके अलावाः मकान नंबर 197/2, गली नंबर 4, अहिवारा, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा

(सीडी 3) श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री जयन्त्री प्रसाद मिस्त्रा, निवासी प्लॉट नंबर 508, ईस्ट चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, मकान नंबर 35, गली नंबर 2, रघुवीर कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा

यह सूचित किया जाता है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओए/1740/2021 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, रु. 2469200.96 (चौबीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ रुपये व छियानवे पैसे मात्र) की राशि, मुकदमे के लंबित रहने और 13.10.2021 से वसूली तक,भविष्य के ब्याज सहित, 8.55% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ,और 27005 रुपये (सत्ताईस हजार पांच रुपये मात्र) के खर्चे, आप पर (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूर्ण रूप से/सीमित रूप से) देय हो गई है।

(2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसूली बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।

(3) आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप शपथ पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।

(4) आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए **14.08.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

(5) पूर्वोक्त राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।

(ख) इस नोटिस एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क एवं व्यय।

मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत, इस तिथि को दिया गया आदेश : 19.05.2026

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

फॉर्म संख्या 14
[विनियम 33(2) देखें]

कार्यालय–वसूली अधिकारी I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
पहली मंजिल एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17ए, चंडीगढ़
(तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

मांग नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस

आरसी/807/2025 14.05.2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
श्रीमती संगीता भाटी

सेवा में

(सीडी 1) श्रीमती संगीता भाटी पत्नी श्री प्रवीण कुमार भाटी, निवासी हाउस नंबर 1209बी ब्लॉक सीएसजीएम नगर, फरीदाबाद, हरियाणा

(सीडी 2) श्री प्रवीण कुमार भाटी, निवासी हाउस नंबर 1209बी ब्लॉक सी. एसजीएम नगर फरीदाबाद, हरियाणा

(सीडी 3) श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री सूरजपाल सिंह, निवासी मकान नंबर 2114,गली नंबर 15, 22 फीट रोड, एसजीएम नगर, फरीदाबाद, हरियाणा

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा ओए/484/2020 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, रु.5696321.76(छप्पन लाख छियानवे हजार तीन सौ इक्कीस रुपये और छिहत्तर पैसे मात्र) की राशि,03/02/2020 से वसूली तक, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान और भविष्य के ब्याज सहित, 12.25: की दर से मासिक चक्रवृद्धि ब्याज, और रु.59005 (उनसठ हजार पांच रुपये मात्र) के खर्चे, आप पर (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूर्ण रूप से/सीमित रूप से) देय हो गई है।

(2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसूली बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।

(3) आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप शपथ पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।

(4) आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए **12.08.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

(5) पूर्वोक्त राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।

(ख) इस नोटिस एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क एवं व्यय।

मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत, इस तिथि को दिया गया आदेश :
14.05.2026
के/के डोगरा

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

---

pnb पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा, गुरुग्राम
पता : प्लॉट नं. 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
सेक्टर–32, गुरुग्राम – 122001, ई–मेल : cs8230@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका रचनागत/भौतिक/सांकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से बैंक / प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिए, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि पर "जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा, संबंधित संपत्तियों के समक्ष निम्न तालिका में अंकितानुसार होंगे।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रय की अनुसूची

क्र. सं.	खाता का नाम ऋणकर्ता / गारंटरों का नाम एवं पता, खाता शाखा का नाम	बंधककृत अचल संपत्तियों का विवरण / स्वामी का नाम (संपत्ति(यों) के बंधककर्तागण)	"1. सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि 2. तिथि के अनुसार बकाया राशि 3. अधिग्रहण की प्रकृति/तिथि"	"क. आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / ख. धराज (लाख में) ग. बोली वृद्धि राशि (लाख में)	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभारों के विवरण प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं संपर्क नं.
1.	1. लूप्स एन स्टाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डी–27, फेज 6, सेक्टर 37, उद्योग विहार गुरुग्राम हरियाणा 122015 2. श्री भारत मक्कड़ पुत्र श्री अमरलाल मक्कड़ (लूप्स एन स्टाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) डी–5/1 दूसरी मंजिल, डीएलएफ फेज ट, गुरुग्राम, हरियाणा 122002 3. श्री नत्थू चंद्र डे पुत्र श्री साधन चंद्र डे (लूप्स एन स्टाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) पता 1– मकान संख्या 1663 I, सेक्टर 10–I, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 पता 2– डी–27, फेज 6, सेक्टर 37, उद्योग विहार गुरुग्राम, हरियाणा 122001, पता 3– मकान संख्या 1130, सेक्टर 10 I, गुरुग्राम, हरियाणा, 122001 1. श्री भारत मक्कड़ पुत्र श्री अमरलाल मक्कड़ (लूप्स एन स्टाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) डी–5/1 दूसरी मंजिल, डीएलएफ फेज ट, गुरुग्राम, हरियाणा 122002 3. श्री नत्थू चंद्र डे पुत्र श्री साधन चंद्र डे (लूप्स एन स्टाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) पता 1– मकान संख्या 1663 I, सेक्टर 10–I, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 पता 2– डी–27, फेज 6, सेक्टर 37, उद्योग विहार गुरुग्राम, हरियाणा 122001, पता 3– मकान संख्या 1130, सेक्टर 10 I, गुरुग्राम, हरियाणा, 122001 शाखा कार्यालय : एआरएमबी, गुरुग्राम (823000) / (ओवरसीज शाखा, गुरुग्राम) (098710)	"डी 05/01, दूसरी मंजिल, एक्सक्लूसिव फ्लोर डीएलएफ, छत के अधिकारों के बिना, डीएलएफ फेज 5 गुरुग्राम, कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट (सुपर एरिया), श्री अमर लाल मक्कड़ पुत्र बाल कृष्ण मक्कड़ के नाम पर। सीमाएं– उत्तरः खुला/डी–4/5 एसएफ, दक्षिणः खुला 9 मीटर चौड़ा प्लॉट, पूर्वः खुला 12 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिमः डी–5/2 एसएफ भौगोलिक निर्देशांकः अक्षांशः 28.44633845N, देशांतरः 77.09348417E	1). 15/09/2025, 2). दिनांक 30/07/2025 तक रु. 13,159,971.00 + आगे का ब्याज। 3). सांकेतिक दिनांक 26/12/2025 के अनुसार"	क. रु. 210.00 लाख, ख. रु. 21.00 लाख ग. रु. 1.00 लाख	26/06/2026 को 11:00 बजे	ज्ञात नहीं/ मोहित, 9034017314
2.	बीएम ट्रेडर्स, प्रोपः श्रीमती अर्चना बंसल, मकान संख्या 215 बंसल ट्रेडर्स, ऊँचा गाँव गेट, मेन बाजार, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा 121004 श्री राजीव बंसल, मकान संख्या 215, बंसल ट्रेडर्स, ऊँचा गाँव गेट, मेन बाजार, बल्लभगढ़, पंजाबी वाड़ा, फरीदाबाद, हरियाणा, 121004 शाखा कार्यालयः एआरएमबी, गुरुग्राम (823000)/(संजय कॉलोनी (773300)	संपत्ति पहली मंजिल छत के अधिकारों के बिना का बंधक, जिसका कुल निर्मित क्षेत्र 981 वर्ग फीट है, जो 3।/157 का पश्चिमी भाग, एसआर कृष्णा टावर, ईएसआई हॉस्पिटल रोड, डीएवी कॉलेज के सामने, एनएच 3 एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा पर निर्मित है। सीमाएं– उत्तरः सामान्य रास्ता, दक्षिणः 3–4/157 का शेष भाग, पूर्वः लिफ्ट और सीढ़ियां, पश्चिमः दीवार भौगोलिक निर्देशांकः अक्षांशः 28.398375N, देशांतरः 77.295458 E	1). 09/09/2019, 2). दिनांक 12/10/2016 तक रु. 2,701,132.00 + आगे का ब्याज। 3). सांकेतिक दिनांक 08/02/2022 के अनुसार	क. रु. 39.11 लाख, ख. रु. 3.91 लाख ग. रु. 50 लाख	26/06/2026 को 11:00 बजे	ज्ञात नहीं/ मोहित, 9034017314
3.	मैसर्स केशव स्टोन क्रशिंग कंपनी, प्रोप. श्री समय सिंह पता– मुस्तकिल संख्या 23, किला संख्या 20, ग्राम गंगुताना, तहसील नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, हरियाणा–123023, 2. श्री समय सिंह पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, पता– मकान संख्या 1785 I, सेक्टर–10, गुरुग्राम, हरियाणा–122001, 3. मैसर्स केशव स्टोन क्रशिंग कंपनी, प्रोप.: श्री समय सिंह, पता– मकान संख्या 1705, सेक्टर–10, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 4. जमानतदार– श्री समय सिंह पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, पता– मकान संख्या 1785 I, सेक्टर–10, गुरुग्राम, हरियाणा–122001, 5. जमानतदार– श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री राम कंवर यादव, पता– ग्राम पालरा, गुरुग्राम, हरियाणा–122001, 6. जमानतदार– श्रीमती दर्शना यादव पत्नी श्री राजबीर सिंह, पता– ग्राम पालरा, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 शाखा कार्यालयः एआरएमबी, गुरुग्राम (823000)/(उद्योग विहार फेज– I/386200)	351 वर्ग गज माप वाली भूमि का एक भूखंड जिसका सी–112 है, जो ग्राम पालरा में स्थित है जिसे अब एस्टायर गार्डन, सेक्टर–70 I, गुड़गांव, हरियाणा के नाम से जाना जाता है, जिसके मालिक राजबीर सिंह पुत्र राम कुमार हैं। संपत्ति आईडी– PUNB386205, सीमाएं– उत्तरः सड़क, दक्षिणः अन्य संपत्ति, पूर्वः प्लॉट संख्या C–111, पश्चिमः प्लॉट संख्या C–113 भौगोलिक निर्देशांकः अक्षांशः 28-385097N, देशांतरः 77-026806E	1). 29/01/2019, 2). दिनांक 31/12/2018 तक रु. 3,55,96,927.56/– + आगे का ब्याज 3). भौतिक दिनांक 26/07/2019 के अनुसार	क. रु. 647.00 लाख, ख. रु. 64.70 लाख ग. रु. 2.00 लाख	26/06/2026 को 11:00 बजे	ज्ञात नहीं/ मोहित, 9034017314
4.	मैसर्स एलएमएस टायर कंपनी इसके साझेदारों श्रीमती अनीता सिंगला और श्री सौरभ सिंगला (मृतक) के माध्यम से, पता (i)– 2.5 किमी स्टोन, बसई रोड नजदीक सरकारी कॉलेज, सेक्टर–9, गुरुग्राम–122001 पता (ii)– प्लॉट संख्या–417, श्री डेवलपर्स इंडस्ट्रियल एस्टेट, महुआ खेड़ा गंज, अलीगंज रोड, काशीपुर–244713 (उत्तराखंड), 2. श्रीमती अनीता सिंगला (मैसर्स एलएमएस टायर कंपनी की साझेदार), मकान संख्या–816–P, सेक्टर–15–II, गुरुग्राम, 3. श्री सौरभ सिंगला (मृतक) (मैसर्स एलएमएस टायर कंपनी के साझेदार) कानूनी वारिसों के माध्यम से, मकान संख्या–816–P, सेक्टर–15–II, गुरुग्राम जमानतदार– 1. श्रीमती अनीता सिंगला, मकान संख्या–816–च सेक्टर–15–II, गुरुग्राम, 2. श्री लवलेश मोहन सिंगला, पता (i)– मकान संख्या–816–P, सेक्टर–15–II, गुरुग्राम, पता (ii)– खेवट संख्या–16 मिन., खाता संख्या–19 मिन., किला संख्या–21, 22, 18/2, 19, 205 किमी स्टोन, बसई रोड, नजदीक सरकारी कॉलेज, सेक्टर–9, गुरुग्राम–122001 (हरियाणा), 3. श्री सौरभ सिंगला (मृतक– कानूनी वारिसों के माध्यम से), मकान संख्या–816–P, सेक्टर–15–II, गुरुग्राम। संपत्ति आईडी PUNB2PA10080262 शाखा कार्यालयः एआरएमबी, गुरुग्राम (823000)/(एनआईटी फरीदाबाद (048320)	खेवट संख्या 16, खाता संख्या 19, किला संख्या 6/21(0–15), 22(4–4) तथा 19(5–2) और 6/18/2(4–15) ग्राम कादीपुर, गुरुग्राम की राजस्व संपदा में स्थित, कुल 14 कनाल 16 मरला क्षेत्र का 1/4वां हिस्सा (यानी 2238.50 वर्ग गज), तहसील कादीपुर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा, जिसके मालिक लवलेश मोहन सिंगला पुत्र हरीश चंद्र हैं, संपत्ति आईडी– PUNB2PA10080262, सीमाएं– उत्तरः सामान्य रास्ता लगभग 30 फीट चौड़ा जो बसई रोड की ओर जाता है, दक्षिणः विजय नगर कॉलोनी, पूर्वः खुली भूमि विजय नगर कॉलोनी, पश्चिमः मैसर्स पीपी ऑक्साइड की फैक्ट्री इमारत भौगोलिक निर्देशांकः अक्षांशः 28-456962N, देशांतरः 76.999671E नोटः यह संपत्ति मैसर्स नरेश मोहन लवलेश मोहन के खाते में भी बंधक है, जिसकी कुल बकाया राशि 30.09.2025 तक रु. 83598606.01/– है तथा मैसर्स सिंगला पॉलिमर्स के खाते में जिसकी कुल बकाया राशि 30.09.2025 तक रु. 62301673.17/– है।	1). 15/07/2017, 2). दिनांक 31/12/2016 तक रु. 2,88,31,781.47 + आगे का ब्याज 3). सांकेतिक दिनांक 11/10/2017 के अनुसार	क. रु. 892.80 लाख, ख. रु. 89.28 लाख ग. रु. 2.00 लाख	26/06/2026 को 11:00 बजे	ज्ञात नहीं/ मोहित, 9034017314
5.	मैसर्स एलएमएस टायर कंपनी इसके साझेदारों श्रीमती अनीता सिंगला और श्री सौरभ सिंगला (मृतक) के माध्यम से, पता (i)– 2.5 किमी स्टोन, बसई रोड नजदीक सरकारी कॉलेज, सेक्टर–9, गुरुग्राम–122001, पता (ii)– प्लॉट नं.–417, श्री डेवलपर्स इंडस्ट्रियल एस्टेट, महुआ खेड़ा गंज, अलीगंज रोड, काशीपुर–244713 (उत्तराखंड), 3. श्रीमती अनीता सिंगला (मैसर्स एलएमएस टायर कंपनी की साझेदार), मकान संख्या–816–P, सेक्टर–15–II, गुरुग्राम, 3. श्री सौरभ सिंगला (मृतक) (मैसर्स एलएमएस टायर कंपनी के साझेदार) कानूनी वारिसों के माध्यम से, मकान संख्या–816–P, सेक्टर–15–II, गुरुग्राम जमानतदार– 1. श्रीमती अनीता सिंगला, मकान संख्या–816–P, सेक्टर–15–II, गुरुग्राम, 2. श्री लवलेश मोहन सिंगला, पता (i)– मकान संख्या–816–P, सेक्टर–15–II, गुरुग्राम, पता (ii)– खेवट संख्या–15 मिन., खाता संख्या–19 मिन., किला संख्या–21, 22, 18/2, 19, 205 किमी स्टोन, बसई रोड, नजदीक सरकारी कॉलेज, सेक्टर–9, गुरुग्राम–122001 (हरियाणा), 3. श्री सौरभ सिंगला (मृतक– कानूनी वारिसों के माध्यम से), मकान संख्या–816–P, सेक्टर–15–II, गुरुग्राम। संपत्ति आईडी PUNB2PA10080307 शाखा कार्यालय : एआरएमबी, गुरुग्राम (823000)/(एनआईटी फरीदाबाद (048320)	एक प्लॉट संख्या 406 और 407 खसरा संख्या 181, श्री डेवलपर्स इंडस्ट्रियल एस्टेट महुआ खेड़ा गंज, तहसील–काशीपुर, जिला–ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड, क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर। जिसके मालिक लवलेश मोहन सिंगला हैं। संपत्ति आईडी– PUNB2PA10080307 सीमाएं– उत्तरः प्लॉट संख्या 416, 417, 417। (श्री डेवलपर्स इंडस्ट्रियल एस्टेट), दक्षिणः रास्ता, पूर्वः प्लॉट संख्या 408, 409, 410, 411 (श्री डेवलपर्स इंडस्ट्रियल एस्टेट), पश्चिमः हरित क्षेत्र भौगोलिक निर्देशांकः अक्षांशः 29-144399N, देशांतरः 78-937599E नोटः यह संपत्ति मैसर्स नरेश मोहन लवलेश मोहन के खाते में भी बंधक है जिसकी कुल बकाया राशि 31.12.2025 तक रु. 87180884.01/– + आगे के प्रभार हैं तथा मैसर्स सिंगला पॉलिमर्स के खाते में जिसकी कुल बकाया राशि 31.12.2025 तक रु. 64971357.17/– + आगे के प्रभार हैं।	1). 15/07/2017, 2). रु. 2,88,31,781.47 दिनांक 31/12/2016 तक + आगे का ब्याज। 3). सांकेतिक दिनांक 13/10/2017 के अनुसार	क. रु. 191.70 लाख, ख. रु. 19.70 लाख ग. रु. 1.00 लाख	26/06/2026 को 11:00 बजे	डीआरटी II चंडीगढ़ में एसए 649/2024 जिसकी एलडीओएच 09.03.2026 है तथा डीआरटी II चंडीगढ़ में एसए 135/2026 जिसकी एनडीओएच 13.03.2026 है/ मोहित 9034017314
6.	मैसर्स प्राग अलाइड केमिकल्स, प्रोप– श्री प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री वाई के गुप्ता, पता 1. संख्या–1499 सेक्टर–21 गुरुग्राम–122016, पता : 2. खसरा संख्या–130, मौजा ओगली, काला अम्ब, तहसील–नाहण, जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश–173030 कमलेश गुप्ता पत्नी प्रमोद कुमार गुप्ता (चूँकि मृत हैं) अतः उनके कानूनी वारिस (1) प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र वाई के गुप्ता (पति) निवासी– मकान संख्या–1499, सेक्टर–21, गुरुग्राम–122016, (2) दीपांशु गुप्ता पुत्र प्रमोद कुमार गुप्ता (पुत्र) निवासी– मकान संख्या–1499, सेक्टर–21, गुरुग्राम–122016, (3) कविता गुप्ता पुत्री प्रमोद कुमार गुप्ता (पुत्री) निवासी– मकान संख्या–1499, सेक्टर–21, गुरुग्राम–122016, (4) योगिता गुप्ता पुत्री प्रमोद कुमार गुप्ता (पुत्री) निवासी– मकान संख्या–1499, सेक्टर–21, गुरुग्राम–122016, (5) सोनिया गुप्ता पुत्री प्रमोद कुमार गुप्ता (पुत्री) निवासी– मकान संख्या–1499, सेक्टर–21, गुरुग्राम–122016 शाखा कार्यालयः–एआरएमबी, गुरुग्राम (823000)/(सुखराली (314500)	खेवट/खतौनी संख्या 247/298, खसरा संख्या 130 पर स्थित 1812.45 वर्ग गज के प्लॉट क्षेत्र पर निर्मित व्यावसायिक भवन, जो मौजा ओगली औद्योगिक क्षेत्र, काला अम्ब, तहसील नाहण, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश–173030 में स्थित है, जो मैसर्स प्राग अलाइड केमिकल्स के नाम पर इसके प्रोपराइटर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता के माध्यम से। सीमाएं– उत्तरः खुली भूमि, दक्षिणः खुली भूमि, पूर्वः खुली भूमि, पश्चिमः सड़क तथा अन्य उद्योग भौगोलिक निर्देशांकः अक्षांशः 30-48095N, देशांतरः 77-209731E	1). 19/01/2015, 2). रु. 1,26,18,987.00 दिनांक 31/12/2014 तक + आगे का ब्याज। 3). सांकेतिक दिनांक 02/05/2015 के अनुसार	क. रु. 97.17 लाख, ख. रु. 9.72 लाख ग. रु. 1.00 लाख	26/06/2026 को 11:00 बजे	डीआरटी–1 चंडीगढ़ के समक्ष एसए नं. 81/2025 के साथ एक प्रतिभूतिकरण आवेदन लंबित है तथा एनडीओएच 25/03/2026 है/ श्री मोहित, मुख्य प्रबंधक
7.	(1) मैसर्स श्री बालाजी फ्रूट कंपनी (ओडीआईपी) इसके प्रोपराइटर श्री कृपाल सिंह यादव के माध्यम से, पताः दुकान संख्या 1–2 नजदीक भगत सिंह चौक कॉम्प्लेक्स मार्केट, धारूहेड़ा, रेवाड़ी हरियाणा–123106। (2) श्री कृपाल सिंह यादव (एच/एल) निवासी– सैनी कॉलोनी, बास रोड, धारूहेड़ा रेवाड़ी हरियाणा–123106, (क) श्री कृपाल सिंह यादव (एच/एल) पुत्र करतार सिंह, मकान संख्या 7841, सैयद कॉलोनी, वार्ड नं. 17, बास रोड, धारूहेड़ा, रेवाड़ी–123106 (हरियाणा), (ख) श्रीमती चंद्रकला (एच/एल) पत्नी कृपाल सिंह निवासी– सैनी कॉलोनी, बास रोड, धारूहेड़ा रेवाड़ी हरियाणा–123106 (ग) श्रीमती चंद्रकला (एच/एल) पत्नी कृपाल सिंह मकान संख्या 7841, सैयद कॉलोनी वार्ड संख्या 17, बास रोड, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा–123106, (घ) श्रीमती शकुंतला (एच/एल) पत्नी श्री रणबीर सिंह, निवासी वार्ड संख्या 3, रामसिं. हपुरा, अलवर नांगल खोड़िया, राजस्थान–301701, (ड.) श्रीमती शकुंतला (एच/एल) पत्नी श्री रणबीर सिंह मकान संख्या 7841, सैयद कॉलोनी वार्ड संख्या 17, बास रोड, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा–123106, (च) श्री प्रमोद कुमार यादव (एच/एल) पुत्र कृपाल सिंह यादव, निवासी– सैनी कॉलोनी, बास रोड, धारूहेड़ा रेवाड़ी हरियाणा–123106, (छ) श्री प्रमोद कुमार यादव (एच/एल) पुत्र कृपाल सिंह यादव, मकान संख्या 7841, सै

महानगर नई दिल्ली बुधवार 3 जून, 2026, रु. 6.00 (22+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में अनियमितताओं के मद्देनजर कार्रवाई

सरकार ने सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का मंगलवार को बोर्ड से तबादला कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर यह कदम उठाया। इसके साथ ही सरकार ने 'आन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) प्रणाली का ठेका देने के लिए सीबीएसई की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से मंगलवार को जारी एक ज्ञापन में यह जानकारी दी गई है।

इस बीच, केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं, राहुल सिंह को कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का कार्यभार दिया गया है। साथ ही, वरुण भारद्वाज को नया सचिव नियुक्त किया गया है।

सीबीएसई उस समय विवादों में घिर गया, जब कक्षा 12 के कुछ विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि बोर्ड की ओर से अपलोड की गई उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रतियां उनकी लिखावट से मेल नहीं खातीं। इससे 'आन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) प्रणाली में उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान में संभावित गड़बड़ी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया में ओएसएम प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने चिंताएं जताई हैं। तकनीकी खामियों, भुगतान संबंधी विफलताओं और सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी को लेकर भी बोर्ड को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।

मंत्रिमंडल सचिवालय के ज्ञापन के मुताबिक समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। इसमें कहा गया है कि चौहान को आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों की मदद हासिल करने का अधिकार दिया गया है, जबकि क्षमता निर्माण आयोग समिति को सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान करेगा। ज्ञापन के अनुसार समिति केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चौहान के नाम पर जारी ज्ञापन को विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ साझा किया गया है।

ओएसएम का ठेका देने के लिए सीबीएसई की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए समिति ऐसे समय में गठित की गई है, जब विद्यार्थी और अभिभावक परीक्षाओं में इस प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर चिंताएं जता रहे हैं। सीबीएसई को तकनीकी खामियों, भुगतान में विफलताओं और सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

राहुल सिंह

हिमांशु गुप्ता

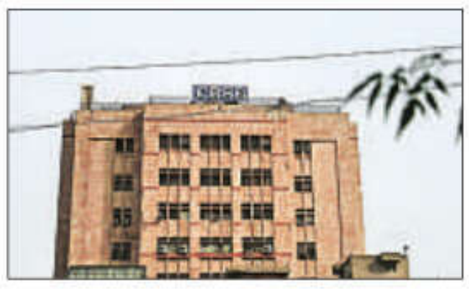

पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर किए गए साइबर हमले

नई दिल्ली, 2 जून (ब्यूरो)।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को कहा कि 'दुर्भावनापूर्ण तत्त्वों' ने साइबर हमलों की एक श्रृंखला के माध्यम से उसके पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया।

-पूरी खबर पेज 8

ओएसएम प्रभावित छात्र के सवालों का नहीं दिया जवाब

नई दिल्ली, 2 जून (ब्यूरो)।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में आनलाइन मूल्यांकन संबंधी सेवा के लिए जारी निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर मंगलवार को एक संसदीय समिति की बैठक में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया। अधिकारियों ने कहा कि वे बाद में लिखित जवाब प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष सीबीएसई के अधिकारियों ने आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली संबंधी विवाद पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

-पूरी खबर पेज 8

पश्चिम बंगाल में धरने पर मौजूद थे

ममता बनर्जी के साथ तीन सांसद और छह विधायक

कोलकाता में मंगलवार को धरने के लिए पहुंची ममता बनर्जी। -संबंधित खबर पेज 8

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए कथित हमलों के विरोध में मंगलवार को मध्य कोलकाता में पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना दिया। इस दौरान ममता के साथ तीन सांसद और छह विधायक ही दिखाई दिए। जबकि बड़ी संख्या में सांसद, विधायक धरने से नदारद रहे।

प्रदर्शन में शामिल होने वालों में पार्टी के वरिष्ठ नेता बाकी पेज 8 पर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा

जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया

कुशीनगर, 2 जून (जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने शोहदों को ठीक किया है और जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया। अपराधियों और असामाजिक तत्वों का जिक्र करते हुए उन्होंने यहां कहा कि हमने इन 'शोहदे' (उपद्रवियों) को ठीक कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में राज्य को 'कट्टा' (देशी पिस्तौल) और बमों के लिए जाना था। आज वही देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें बना रहा है।

मंगलवार को कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की 278 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं, बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तपोभूमि कुशीनगर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

उन्होंने कहा कि 9-10 वर्ष पहले यह जनपद पहचान के संकट, इंसेफेलाइटिस, माफिया राज, भूख, बेरोजगारी और अव्यवस्था से जूझ रहा था, खनन माफिया का आतंक था, किसान शोषण का शिकार था, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बदहाल थीं तथा फाजिलनगर व कसया क्षेत्र में मुसहर समुदाय के लोगों की भूख से मौत की खबरें आती थीं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नया रास्ता चुना और 'डबल इंजन' सरकार के प्रयासों से कुशीनगर की तस्वीर बदल गई।

योगी ने कहा कि कि 498 वर्ष पूर्व भगवान राम की जन्मभूमि पर विदेशी आक्रांता द्वारा मंदिर ध्वस्त किए जाने के बाद अनेक पीढ़ियां इसके पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन राम मंदिर निर्माण को वास्तविक गति 'डबल इंजन' की भाजपा सरकार के कार्यकाल में मिली।

उन्नीस हजार घर खरीदारों से धोखाधड़ी, चार प्रवर्तक गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 19,000 से अधिक घर खरीदारों और निवेशकों से 2,004 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में रियल एस्टेट समूह अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के चार प्रवर्तकों को गिरफ्तार किया है।

मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि आरोपियों को दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी के मुताबिक, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के प्रवर्तक/निदेशक अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता को एक जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के अनुसार, रियल एस्टेट समूह ने आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयों का समय पर कब्जा देने तथा एक निश्चित रिटर्न उपलब्ध कराने का वादा करके 19, 425 से अधिक बाकी पेज 8 पर

अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के प्रवर्तक/निदेशक अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता को दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

वेदांता समूह के खिलाफ फेमा के तहत ईडी ने छापेमारी की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा संबंधी कथित उल्लंघन को लेकर अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह के खिलाफ जांच के तहत उसके आधिकारिक परिसरों में छापेमारी की। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक खनन समूह के खिलाफ छापेमारी सोमवार को शुरू की गई और दिल्ली, मुंबई एवं राजस्थान के उदयपुर स्थित परिसरों सहित वेदांता लिमिटेड के चार परिसरों की तलाशी ली गई। जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के दीवानी प्रावधानों के तहत की जा रही है।

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड की लंदन स्थित मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज द्वारा 2023 में वेदांता लिमिटेड को ब्रांड शुल्क का एक हिस्सा लौटाए जाने का एक मामला संघीय जांच एजंसी की जांच के दायरे में है। उन्होंने बताया कि जारी जांच में समूह की कुछ अन्य व्यवस्थाओं की भी पड़ताल की जा रही है।

वेदांता के एक प्रवक्ता ने ईडी की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी प्राधिकारियों को पूरा सहयोग दे रही है और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करा रही है। प्रवक्ता ने कहा, कंपनी सभी कानूनों और नियमों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'चूंकि मामला फिलहाल नियामकीय प्रक्रिया में है, इसलिए हम आगे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।'

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा

'अगर मैं न होता, तो तुम जेल में होते'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान के खिलाफ हमले को रोकने के लिए राजी कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। ट्रंप ने सोमवार शाम को 'ट्रुथ सोशल' पर यह घोषणा की।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों नेताओं के बीच 'तीखी' बातचीत की सूचनाएं सामने आईं। इन सूचनाओं के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू से यह भी कहा कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इजराइल के प्रधानमंत्री आज जेल में होते। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री को उनके लोकप्रिय उपनाम से संबोधित करते हुए कहा, 'आज (सोमवार) मेरी बीबी नेतन्याहू से बातचीत हुई। मैंने उनसे लेबनान के बेरूत में कोई बड़ा हमला न करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया। धन्यवाद बीबी।'

ईरान द्वारा लेबनान पर इजराइल के हमलों को लेकर अमेरिका के साथ जारी बातचीत को खत्म करने की धमकी के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हिजबुल्ला इजराइल पर हमले बंद नहीं करता है तो इजराइल बेरूत में आतंकी ठिकानों पर हमला बाकी पेज 8 पर

पंचकूला में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 21 गिरफ्तार

पंचकूला, 2 जून (जनसत्ता)।

साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचकूला पुलिस ने सेक्टर-2 स्थित एक फर्जी काल सेंटर का भंडाफोड़ कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जा रहे कथित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह ग्राहक सेवा अधिकारी बताकर अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाता था।

पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चार मुख्य संचालक शामिल हैं। अन्य 17 आरोपियों में पांच युवतियां और 12 युवक शामिल हैं। ये चंडीगढ़, मोहाली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, कोलकाता तथा अन्य राज्यों के निवासी हैं और काल बाकी पेज 8 पर

ग्यारह साल की अतीका ने ग्रीस में हासिल की ऐतिहासिक जीत

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 2 जून।

जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय भारतीय रेसर (कार्ट रेसिंग ड्राइवर) अतीका मीर ने ग्रीस में पोल-टू-फ्लैग जीत हासिल करके अपने करिअर में एक और उपलब्धि हासिल कर ली। थेसालोनिकी में चैंपियंस आफ द फ्यूचर अकादमी प्रोग्राम में प्रतिस्पर्धा करते हुए, उन्होंने शुरुआत से अंत तक रेस में बढ़त बनाए रखा।

-पूरी खबर पेज 20

सिद्धरमैया कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अपने वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया को मंगलवार को पार्टी कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का सदस्य नियुक्त किया।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सिद्धरमैया की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की। कांग्रेस आलाकमान के कहने के बाद सिद्धरमैया ने बीते 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

20 दिन पहले शावकों का जन्म हुआ था और बाघिन व शावक स्वस्थ हैं | खुशखबरी | बाघिन को नवंबर, 2024 में महाराष्ट्र से लाया गया था

तीन सौ किमी की यात्रा कर ध्यान खींचने वाली बाघिन ने चार शावकों को जन्म दिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

वर्ष 2024 में महाराष्ट्र से ओड़ीशा के सिमलीपाल बाघ अभयारण्य में लाई गई बाघिन जीनत ने चार शावकों को जन्म दिया है। ओड़ीशा के वन मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने मंगलवार को बताया कि बाघिन ने करीब 20 दिन पहले शावकों को जन्म दिया था और बाघिन व शावक स्वस्थ हैं। इस बाघिन ने ओड़ीशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करके राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।

खुंटिया ने बताया कि शावक जीपीएस-आधारित निगरानी में हैं और सुरक्षित हैं। यह अभयारण्य के लिए बहुत ही उत्साहजनक खबर है। उन्होंने कहा कि एक कैमरे से ली गई तस्वीर में जीनत अपने एक शावक को अपने मुंह में लिए हुए दिखाई दी। जीनत को एक अन्य बाघिन जमुना के साथ नवंबर, 2024 में महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य से सिमलीपाल लाया गया था। यह कदम अभयारण्य के बाघ जीन पूल को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा था। उस समय वह तीन साल की थी।

जीनत ने ओड़ीशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करके राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। वह सात दिसंबर, 2024 को सिमलीपाल से निकली थी और कई जंगली रास्तों से गुजरते हुए 21 दिनों तक चले एक अभियान के बाद पश्चिम बंगाल में पकड़ी गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीके झा ने बताया कि इन शावकों में काफी ज्यादा आनुवंशिक विविधता है, क्योंकि इनका जन्म ताडोबा की एक बाघिन और सिमलीपाल के एक बाघ के मिलन से हुआ है। ये शावक इस अभयारण्य में मौजूद बड़ी बिल्लियों (बाघों) की आबादी के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ओड़ीशा की एक संरक्षण पहल है, जिसमें बाघों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण शामिल है। इसका सफल क्रियान्वयन अब दृढ़ता, विज्ञान और टीम कार्य की एक मिसाल बन गया है। झा ने बताया कि बाघ स्थानांतरण परियोजना, जिसे सिमलीपाल के बाघों की आनुवंशिक विविधता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, उसने सफल संतानें पैदा करके अपना मुख्य लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2025 में जंगल में दोबारा छोड़े जाने के बाद जीनत को वहां रहने वाले नर बाघ टी-12 के साथ घूमते हुए देखा गया। हालांकि, बाघिन गर्भवती नहीं हुई। वह सिमलीपाल के अंदर आजीदी से घूमी और मुख्य इलाके में अपना एक क्षेत्र बना लिया। फिर उसने चार शावकों को जन्म दिया।

शावक के साथ जीनत

ओड़ीशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी इस खबर की सराहना करते हुए इसे राज्य के वन्यजीव संरक्षण के सफर में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि शावकों का सफल जन्म सिमलीपाल में बनाए गए अनुकूल वातावरण को दर्शाता है। यह सफलता न केवल ओड़ीशा में बाघों की आबादी में वृद्धि का संकेत है, बल्कि वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित और सुदृढ़ वातावरण बनाने के हमारे प्रयासों का भी एक प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग ने बाघिन और उसके शावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए हैं और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Vandana Ojha,W/O-Sanjiv Kumar,R/O-Flat.No E3.808 Cleo County,Sector-121 Noida,Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh-827003,Have changed my name to Bandana Ojha.
0040858397-8

I,VIKAS,S/o Sewa Ram,R/o-House No.1331,Aas-Pas Shochalaya Punarwas-Colony Sector-A6,Pocket-11, Narela,Delhi-110040,have changed my minor son name HARDIK aged-4-years to HARDIK VAID.
0040858397-6

I,VIKAS S/o-Sewa Ram R/o House No.1331,Aas Pas Shochalaya Punarwas-Colony Sector-A6,Pocket-11,Narela,Delhi-110040,have changed my minor son name NAKSH aged-9-years to NAKSH VAID.
0040858397-7

I,VAISHALI SINDHWANI W/o-SABHAY ANAND R/o- D-87,3rd Floor,Mansarover Garden,Delhi-110015,have changed my name to VAISHALI ANAND for all purposes.
0040858397-2

I,Subhash Chander,S/o-Ram Sevak,R/o-Flat No.203,A-Block, First-Floor,Plot No.917,Tulshi Tower,DLF-Phase-5,Chakarpur(74),Gurgaon,(Haryana)-122002,have changed my name Subhash Chandra.
0040858403-8

I,Siddharth Seth Tennekoon,S/o-Ramesh Migara Tennekoon,r/o-H.No.205 Upper-Ground Floor,Gagan-Vihar Krishna-Nagar East-Delhi-110051,declare that the name of my father has been wrongly written as Migara Ramesh Tennekoon in my passport No.W5474846 and some other documents.The correct name of my father is Ramesh Migara Tennekoon.
0040858403-9

I,Shubhangi Kashyap,D/O-Sanjiv Kumar,R/O-Flat No.E3.808 Cleo-County,Sector 121,Noida,Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh-827003, Have changed my name to Shubhangi Ojha.
0040858397-9

I,Sharma Ashish Kumar Vinod Kumar,S/o-Vinod Sharma,R/o Flat.No-996,First Floor,Pocket-B and C,Sector-A,Vasant Kunj,New Delhi-110070,have changed my name to Ashish Sharma,for all purposes.
0040858390-5

I, Seema, W/o- Arif Mohammad, R/o- Near Arya Samaj Mandir, Shahabad Mohammad Pur, New Delhi-110061 ,do hereby affirm that in aadhar card my name is mentioned as SEEMA,but in voter card its SANIYA. My correct name is SEEMA. SEEMA and SANIYA are same and one person. 0040858390-10

I,SUSHILA DEVI alias SUSHILA GOYAL D/o Jai Krishan Gupta W/o Surendra Kumar Goyal R/o-House No.181, 2nd-Floor,Block-I, Phase-1,Ashok Vihar,Delhi-110052,have changed my name to SUSHILA GOYAL.
0040858398-9

I,SONU THAKRAN,S/O-SHRI BHAGWAN,R/O-246, POCKET-24,SANGAM APARTMENT,SECTOR-24, ROHINI,DELHI-110085,have changed,the name of my minor daughter SAKSHI aged about-15,years and she shall hereafter be known as SAKSHI THAKRAN.
0040858395-3

My Correct name is SUMAN insteadof SUMAN DEVI which is Wrongly written in my bank documents,W/o-Ram Jivan,H,No-753 Gali-No-20, P-1-Block, Sultanpuri Delhi-86
0040858398-2

I,SONIA SAINI W/o-Charanjeet Singh R/o-D-232-IIIrd,Floor Front-Side West Patel Nagar New Delhi-110008,have changed my name to SONIA,for all purposes
0040858398-1

I,SHAHNA JAMAL W/O KASHIF JAMAL,R/o H-78/19 4th-Floor R/s, BTla House, Jamia Nagar,Okhla,Delhi-110025,have changed my name to SHAHANA JAMAL.
0040858397-1

I,SANGEETA AHOJA/SANGEETA AHUJA W/O BHUVNESH R/O D-11/4-5 FIRST-FLOOR SECTOR-7 ROHINI DELHI-110085.HAVE CHANGED MY NAME TO SANGEETA ARYA.
0040858390-1

I,SAKSHI MADNANI W/o Mohit Arora R/o 148-149, 3rd-Floor Block-F, Pocket-1,Sector-16,Rohini Delhi-110085,have changed my name to RIYA ARORA 0040858397-3

I,S.S. Kaushik,S/o H.C.Sharma and Shyam Sundar Kaushik,S/o-Harcharan Singh Sharma,R/o,H.No-124,Satyam Khand,Sector-19,Vasundhara,Ghaziabad,U.P-201012,have changed my name to Shyam Sundar Kaushik,S/o-Harcharan Singh Sharma. 0040858390-6

I, Varsha Yadav W/o Mrinal Khurana R/o 1501 Tower-1, Orange County, Ahinsa Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014, I have changed the name of my minor son Yuvin Mrinal Khurana to Yuvinn Yadav aged 9 years.
0071039690-1

I, SURESH GARG S/O-RAM SWAROOP R/O-190, POCKET-8, SECTOR-24, ROHINI DELHI-110085,have changed my name to SURESH KUMAR.
0040858395-1

I, SHALA ZUBAIRY , W/O SYED FAZLUR RAHMAN , R/O M-2 FLAT A/1 REGAL BUILDING LANE 6 ZAKIR NAGAR OKHLA NEW FRIENDS COLONY SOUTH DELHI 110025 , have changed my name SHAHLA ZOBAIRI for all future purposes.
0071039654-1

I, SHAILYA WASON W/o Pankaj Wason R/o I-50-51, 2ND FLOOR, LAJPAT NAGAR-2, South Delhi-110024,have changed my name to Shailya for all future Purposes.
0071039630-1

I, Ria Vijay Singh, D/o Vijay Chandramohan Singh, R/o Flat.No.702, Tower-3, Putting Green,Omaxe NRI City, GH-2,Greater Noida, Dist.-Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201310. I have changed my name from Ria Vijay Singh to Ria V Singh and shall hereafter be known as Ria V Singh for all purposes.
0071039607-1

I, Pardeep Kumar S/o Shri Pal Singh R/o A3-116, Tower.No.11, Purvanchal Silver City-2, Plot.No.10, Sector Pi-2, Birondi, G.B.Nagar-201310 have changed my name to Pradeep Chauhan.
0071039610-1

I, Narendra Singh S/O Shri Ramugrah Singh R/O House no. 121, Shahadih, A-Khand-1, Sagri, Raunapar, Azamgarh, Uttar Pradesh -276122, declare that now I have changed my name from Narendra S/O Ram Ugrah Singh to Narendra Singh S/O Ramugrah Singh for all future purposes.
0040858314-1

I, Mohammad Waseem S/o Ali Jan R/o Dhakoali, Malagarh, Bulandshahr have changed my name to Mohd Waseem.
0071039647-1

I, KASMEER SINGH S/o Charan Singh, 27A, Gali No-1, Govind Puri, Kalkaji, Delhi-19, have changed my name to KASHMIR SINGH.
0071039655-1

I, Jamil Ahmad,s/o Hazi Abdul Salam r/o-E-446, Gali no-20 old mustafabad Delhi-110094, have changed my name to Jamil Ahmed
0040858395-2

I, Ghazanfar Ahmed Khan S/o Ameer Ahmad Khan R/o Q-15 Jogabai Ext, Batla House Jamia Nagar, New Friends Colony, Delhi-110025, name of my father has been wrongly written as Ameer Ahmed Khan in my 10th Educational documents and my Birth Certificate Registration No. B-2020: 9-90099-000947, The actual name of my father is Ameer Ahmad Khan.
0071039692-1

I, Dr. Amrita Singh, W/o Vijay Chandramohan Singh, R/o Flat.No.702, Tower-3, Putting Green,Omaxe NRI City, GH-2,Greater Noida, Dist.-Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201310. I have changed my name from Dr. Amrita Singh to Amrita Vijay Singh and shall hereafter be known as Amrita Vijay Singh for all purposes.
0071039608-1

I, Chaitanya Yadav S/o Narender Kumar Yadav R/o RZ 7A, Ashok Park, West Sagar Pur, Nangal Raya S.O, South West Delhi, Delhi - 110046, have changed my minor daughter's name from Pranikaa aged 01 years to Pranikaa Singh forever
0071039634-1

I, ANANYA D/o Deepak Lahary, 2365, Sector-28, Faridabad, Haryana-121008, have changed my name to ANANYA LAHARY.
0071039658-1

I hitherto known as Prashnat S/o Om Prakash R/o 158, Khanpur Vill, New Delhi-110062, have changed my name and shall hereafter be known as Prashant.
0071039687-1

I,RAJESH KUMAR GUPTA S/O RAMDAS GUPTA R/o-House No-148,Sandesh,Vihar, Pitampura,Delhi-110034,have changed my name to RAJESH KUMAR.
0040858403-1

I,Quamrudeen Khan Abdus Salam,S/o-Quamrudeen Zainullah,R/o-B-158 SECOND-FLOOR,LEFT-SIDE,SHAHEEN-BAGH, ABUL-FAZAL ENCLAVE, PART-2, South-East Delhi PIN:110025,have changed my name to Abdus Salam,for all purposes.
0040858403-5

I,MOHAMMAD SUHAIL,S/O,SAGEER AHMAD KHAN,R/O-EROS SAM-POORANAM,SECOND FLOOR,Y-5/202,PLOT.NO-GH-01,SECTOR-2 GREATER NOIDA-WEST,GAUTAM BUDH NAGAR,UTTAR PRADESH-201306,have changed my name to MOHD SUHAIL. 0040858390-8

I,Jazveen Goswami,D/o Sukhminder Matharu,R/o G-303,Third Floor,BPTP-Park Prime,South City-2, Badshahpur,Gurgaon Haryana-122018,have changed my name to Jazveen Matharu for all,purposes.
0040858390-4

I,Jahar Singh,S/O-Nek Ram,R/O-E-34,Block-A,Bharat Vihar,Kakrola, New Delhi-110078, declare that the name of my son's wrongly mentioned/written as Ajay Singh,S/O-Ram Singh in Secondary School certificate issued by Board of High School and Intermediate Education U.P.2007, instead of Ajay Singh, S/O-Jahar Singh.
0040858398-7

I,HITHERTO KNOWN AS ALI AON SYED MOHAMMAD alias MOHAMMAD ALI AON SYED,S/O-SYED IMDAD HUSSAIN,R/O-C-32,Noor-Nagar Extn.Johri-Farm, Street.no.1,Jamia Nagar,New Delhi-110025,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HEREAFTER BE KNOWN AS SYED MOHAMMAD ALI AON, IT IS CERTIFIED THAT I,HAVE COMPLIED WITH OTHER LEGAL REQUIREMENTS IN THIS CONNECTION.
0040858397-10

I,HIMANSHU S/o Jag Bhushan R/o-C-8 Sai Apartment, Rohini Sector-13,Delhi-110085 have changed my name to HIMANSHU BHUSHAN.
0040858397-5

I,Dashrath Rathore,S/o-Shri Sukhpal,R/o-B-265,Gali No.8,Gaurav Nagar,Anand Nagar,Kirari Suleman Nagar,Delhi-110086,have changed my name from Vikral Rathore to Dashrath Rathore, for all purposes.
0040858395-4

I,DURGA RAI,W/O-AMARJEET,R/O-PLOT.NO-132,SF-3,SHAKTI-KHAND-2 INDIRAPURAM,GHAZIABAD,UTTAR PRADESH-201014, HAVE CHANGED MY NAME TO SUJATA KAUR, HENCEFORTH,I WOULD BE KNOWN BY THE NAME OF "SUJATA KAUR" FOR ALL FUTURE PURPOSES.
0040858390-9

I,DOLI KUMARI alias DOLLY GODWIN,D/o-Dharam Bahadur,W/o Deepak Godwin,R/o-G5/48,Secomd Floor,New VSPK School Sector-11,Rohini Delhi-110085,have changed my name to DOLLY GODWIN
0040858398-3

I,Bhoop Ram,S/o-Narayan Address-near primary school mohalla bhurka nandgaon rural mathura Uttar Pradesh-281403,CHANGED MY NAME TO Bhupram
0040858398-6

I,BABITA JHA,W/O-RAVINDER JHA,R/O-1804 BLOCK-1 GALI NO.22,SANGAM VIHAR,NEW DELHI-110062,HAVE CHANGED MY NAME TO BABITA DEVI FOR ALL FUTURE PURPUSE.
0040858398-5

I,Ashwani Kumar Chaubey S/o Vednath Chaubey,R/o,Bhitaha, Bashla, Gorakhpur,Uttar Pradesh-273209,have changed my minor daughter's name Ishanvi to Ishanvi Chaubey.
0040858403-2

I,Abdus Salam,father of,Hudda,R/o-B-158, SECOND-FLOOR,LEFT-SIDE,SHAHEEN BAGH,ABUL-FAZAL ENCLAVE PART-2,South-East Delhi PIN:110025,have changed my daughter name to Huda Rahmani,for all purposes.
0040858403-6

I, Vijay Singh, S/o Chandramohan Singh, R/o Flat.No.702, Tower-3, Putting Green,Omaxe NRI City, GH-2,Greater Noida, Dist.-Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201310. I have changed my name from Vijay Singh and Vijay C. Singh to Vijay Chandramohan Singh and shall hereafter be known as Vijay Chandramohan Singh for all purposes.
0071039609-1

I, Viay S/o Rakesh Kumar R/O Old 30/475,476, Trilok Puri, Delhi-110091, have changed my name to Vijay Rajput for all purpose in future.
0040858202-1

I, Mohd Zubair, S/o Mohd Zaki, R/o 1712, Mohalla Sui Walan, Jama Masjid, Delhi-110006, have changed my name to Mohd Zubair Qureshi, for all purposes.
0040858302-1

I,NAVNEET KAUR PANNU, W/O-Kawaljeet Singh,R/O A-31,A-BLK,Third Floor, Near Cent Mark School,Meera Bagh,Paschim Vihar, Delhi-110087,have changed my name to NAVNEET KAUR
0040858398-4

I,Manoj S/o Satish R/o Village-Lagarpur (74), Po.Badli, Bahadurgarh,Jhajjar, (Haryana)-124105,have changed my name to Manoj Gulia.
0040858403-7

I,Mahak Soni W/o Ankit Verma R/o-1/6431 Gali No.5,East Rohtash Nagar, Shahdara, Delhi-32,have changed my name to Mahak Verma
0040858397-4

I,Nafeesa Begum,W/o Razaq R/o.N-151A Abul Fazal Enclave Part-1,Jamia-Nagar New-Delhi-110025,have changed my name Nafeesa Begum to Napisa for all purposes.
0040858390-3

I hitherto known as ANMOL SINGH alias ANMOL SINGH SAHNI S/O Lakhbir Singh R/O 32/52,Punjabi Bagh PO.Punjabi Bagh West, New Delhi-110026,have changed my name and shall hereafter be known as ANMOL SINGH SAHNI.
0040858398-8

I Vratika Goel W/o-Saurabh Jindal R/o-B-2/7, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052 have changed my name to Vratika Jindal for all purposes.
0040858311-1

I Sheeba Khatoon W/o Imran Khan R/o I-1037/11, Sangam Vihar, Tigri, Delhi- 110062, have changed my name to Sheeba Khan
0071039636-1

I Satish kumar S/o Pritam Dass R/o-PA-121,BPTP Pride Sector-77, faridabad, have changed my name to Satish kumar Gudwani
0040858312-1

I Satish Gudwani,S/o Pritam Dass Gudwani,R/o-PA-121 BPTP Pride Sector-77, faridabad, have changed my name to Satish kumar Gudwani
0040858312-2

I Sabhi Hasan S/o Varati Miyaan R/o R-35, Front Gali No.-3, Chanakya Place Part-2, Uttam Nagar, D.k Mohan Garden, West Delhi, Delhi - 110059, have changed my name to Mohd Shami Hussain
0071039632-1

I KAVITA KAPOOR D/O-SUSHIL KAPOOR R/O-24/87-B, TILAK NAGAR, WEST DELHI-110018,HAVE CHANGE MY NAME TO KAVITA
0040858390-2

I Binni S/o Khuslram Singh R/o Tibri, Dhampur, Dhampur Bijnor, Uttar Pradesh - 246761 , have changed my name to Vikrant Kumar
0071039638-1

I,Parsima Malik D/O Shri Rajesh Malik R/O A-7/66,2nd Floor,Sector-17,Rohini, Delhi-110089,have Changed my name to Parisma Malik for all purposes.
0040858439

I,KM SHACHI VISHWAKARMA W/o SANJEEV KUMAR,R/o-House No-11,Gali No-19,Block-A,Sant Nagar,Burari,Delhi-110084,have changed my name to SHACHI.
0040858390-7

I,KAWALJEET SINGH PANNU,S/O-Shri Parvinder Singh,R/O-A-31,A-BLK,Third Floor,Near-Cent Mark School,Meera-Bagh, Paschim-Vihar,Delhi-110087,have changed my minor son's name from "SEHAJRAJ SINGH PANNU" to "SEHAJRAJ SINGH"
0040858403-4

I,KAWALJEET SINGH PANNU,S/O-Parvinder Singh,R/O A-31,A-BLK,Third Floor, Near-Cent Mark School,Meera-Bagh,Paschim Vihar,Delhi-110087,have changed my name to KAWALJEET SINGH 0040858403-3

I, Army No.-15593356M, Rank-SAPPER, Name-Sisodiya Jayesh Mamaiyabhai, Unit-114 AER, C/o 56-APO,presently R/o Vill.-Dharmpur, PO-Babra, Teh.-Maliya Hatina, P/S-Maliya Hatina, Distt.-Junagadh, Gujrat-362245 have changed my son's name from ADITYASINH to ADITYASINH JAYESHBHAI SISODIYA videaffidavit No.IN-UP9526190721583 1Y dated 01-06-2026 0060141992-5

I, Sarbjit Kaur, legally wedded spouse of Army No. JC-357322X, Rank-NB/SUB, Name-Gurpreet Singh,Unit-114 ARMD ENGR REGT, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Riar, PO-Ajnala, Teh.-Ajnala, P/S-Ajnala,Distt.-Amritsar, Punjab-143102 have changed my name from SARBJIT KAUR to SARABJIT KAUR vide affidavit No.IN-UP95281721562390Y dated 01-06-2026 0060141992-7

I, Polly Devi, legally mother of Army No. JC-785257M, Rank-NB/SUB, Name-Rajesh Kumar, Unit-129ARMD WKSP, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Rajpura, PO-Rajpura, Teh.-Rajpura, P/S-Ghagwal, Distt.-Samba, Jammu & Kashmir-184145 have changed my name from POLLY DEVI to POLI DEVI vide affidavitNo.IN-UP95258185667569Y dated 01-06-2026 0060141992-2

I, Phulmiti Mahanta, legally mother of Army No.-14447550X, Rank-HAV, Name-Banabihari Mahanta,Unit-269 MED REGT (SP), C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Koilapara, PO-Lalei, Teh.-Bonai, P/S-Lahunipara, Distt.-Sundargarh, Odisha-770044 have changed my name from PHULMITI MAHANTA toFULATOLI MAHANTA vide affidavit No.IN-UP95266883228216Y dated 01-06-2026 0060141992-11

I, Khandagale Lahu, legally father of Army No.-15594136P, Rank-SPR, Name-Khandagale Bharat Lahu,Unit-114 ARMD ENGR REGT, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Nipani, PO-Bhalgaon, Teh.-ChatrapatiSambhajinagar, P/S-Chikalthana, Distt.-Chatrapati Sambhanagar, Maharashtra-431007 have changed myname from KHANDAGALE LAHU to LAHU GANGARAM KHANDAGALE and DOB from 01/04/1951 to01/01/1951 vide affidavit No.IN-UP95270696058167Y dated 01-06-2026 0060141992-13

Shalu Rajput Daughter of No-14661007N Rank- Hav Name-Mahipal Singh Rajput resident.Vill-Garhi Gajju PO-Agwar PS-Etmadpur Dist - Agra State - Uttar Pradesh have changed my name from Kumari salu Rajput to Shalu Rajput proposed/adopted New Name vide Affidavit dated 30 May 2026.
0060141998-1

I, Velpula Yadavva, legally mother of Army No.-16130396F, Rank-SPR, Name-Velpula Shekhar, Unit-38AER, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Gandipally, PO-Gandipally, Teh.-Akkannapet, P/S-Akkannapet,Distt.-Siddipet, Telengana-505466 have changed my date of birth from 03/05/1971 to 01/01/1971 videaffidavit No.IN-UP95275593279677Y dated 01-06-2026
0060141992-8

I, Velpula Ramaswamy, legally father of Army No.-16130396F, Rank-SPR, Name-Velpula Shekhar, Unit-38AER, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Gandipally, PO-Gandipally, Teh.-Akkannapet, P/S-Akkannapet,Distt.-Siddipet, Telengana-505466 have changed my date of birth from 12/02/1964 to 01/01/1964 videaffidavit No.IN-UP95274541869986Y dated 01-06-2026
0060141992-9

I, Vanita, legally mother of Army No.-15591895K, Rank-NK, Name-Salunkhe Sagar Sunil, Unit-114 ARMDENGR REGT, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Degaon, PO-Degaon, Teh.-Satara, P/S-Satara, Distt.-Satara,Maharashtra-415004 have changed my name from VANITA to VANITA SUNIL SALUNKHE and DOB from14/01/1972 to 01/01/1969 vide affidavit No.IN-UP9526352492307Y dated 01-06-2026
0060141992-10

I, Sudhavati Mishra, legally mother of Army No.-15720317P, Rank-LNK, Name-Chandra Shekhar Mishra,Unit-31 ARMD DIV SIG REGT (AREN), C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Pachkhara, PO-Kothanewariya,Teh.-Sadar, P/S-Sangipur, Distt.-Pratapgarh, Uttar Pradesh-230503 have changed my name fromSUDHAVATI MISHRA to SUDHAVATI vide affidavit No.IN-UP95282588647764Y dated 01-06-2026
0060141992-1

I, Sisodiya Valiben M, legally mother of Army No.-15593356M, Rank-SAPPER, Name-Sisodiya Jayesh Mamaiyabhai, Unit-114 AER, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Dharmpur, PO-Babra, Teh.-Maliya Hatina,P/S-Maliya Hatina, Distt.-Junagadh, Gujrat-362245 have changed my name from SISODIYA VALIBEN M to SISODIYA VALBAI MAMAIYABHAI and DOB from 01/07/1968 to 01/01/1973 vide affidavit No.IN-UP95263904065727Y dated 01-06-2026
0060141992-4

I, Sisodiya Mamaiyabhai Caprajbhai, legally father of Army No.-15593356M, Rank-SAPPER, Name-Sisodiya Jayesh Mamaiyabhai, Unit-114 AER, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Dharmpur, PO-Babra, Teh.-Maliya Hatina, P/S-Maliya Hatina, Distt.-Junagadh, Gujrat-362245 have changed my name fromSISODIYA MAMAIYABHAI CAPRAJBHAI to MAMAIYABHAI CHAMPRAJBHAI SISODIYA and DOB from01/06/1969 to 01/01/1975 vide affidavit No. IN-UP96963586353564Y dated 02-06-2026
0060141992-6

I, Shakuntala, legally mother of Army No.-15573773X, Rank-HAV, Name-Pachangane Chandan Ganpat,Unit-114 AER, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Khatav, PO-Khatav, Teh.-Khatav, P/S-Pusegaon, Distt.-Satara, Maharashtra-415505 have changed my name from SHAKUNTALA to SHAKUNTALA GANPAT-PACHANGANE and DOB from 07/07/1968 to 01/01/1966 vide affidavit No.IN-UP95311726629323Ydated 01-06-2026
0060141992-14

I, Chandrakalabai, legally mother of Army No.-15594136P, Rank-SPR, Name-Khandagale Bharat Lahu,Unit-114 ARMD ENGR REGT, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Nipani, PO-Bhalgaon, Teh.-ChatrapatiSambhajinagar, P/S-Chikalthana, Distt.-Chatrapati Sambhanagar, Maharashtra-431007 have changed myname from CHANDRAKALABAI to CHANDRAKALA LAHU KHANDAGALE and DOB from 01/05/1964 to01/01/1964 vide affidavit No.IN-UP95271735684388Y dated 01-06-2026
0060141992-12

I, Army No.-15593356M, Rank-SAPPER, Name-Sisodiya Jayesh Mamaiyabhai, Unit-114 AER, C/o 56-APO,presently R/o Vill.-Dharmpur, PO-Babra, Teh.-Maliya Hatina, P/S-Maliya Hatina, Distt.-Junagadh, Gujrat-362245 have changed my son's name from ARYAVEERSINH to ARYAVEERSINH JAYESHBHAI SISODIYAvide affidavit No. IN-UP95260940229053Y dated 01-06-2026
0060141992-3

व्यक्तिगत

मैं, ज्योति चावला पुत्री एशी लाल चावला निवासी सी-2, ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर 2, हरदेव नगर, झरोदा माजरा, दिल्ली 110084, ने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम बदलकर रूपल धवन रख लिया है।

I,MINI SINGH,D/O-SANTOSH KUMAR,R/O-63/3,PATEL NAGAR-3,SECTOR-9, INDIRA NAGAR,LUCKNOW, UTTAR PRADESH- 226016, declare that name of my father has been wrongly written as SANTOSH KUMAR SINGH in my Pan Card No-IEUPS6862A and SANTOSH SINGH in my 10th-Class educational documents. The actual,name of my father is SANTOSH KUMAR, which may be amended accordingly.
0040858396-1

DOCUMENTATION

अपोस्ट्ल, गजट, जन्म/व्यापार/वाहन/विवाह प्रमाणपत्र, ट्रांसफर, डुप्लीकेट, पासपोर्ट, बेदखली, लाइसेंस, वीजा, वोटरकार्ड, CBSE, FSSAI, ITR, PAN, PCC. 98105-38183

खोया+पाया

Lost my original All Property Papers of My Flat No.24, Saubhagya Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085. Finder may Contact-Harish Gogia S/o-Shyam Sunder Gogia at above noted address.
0040858310-1

I,Suman Mehta,w/o-Ajay Mehta,R/o-324-A,DDA-Flats,Ghazipur-Dairy Farm,Delhi-110096,declare that original-mutation documents of property no.106,Pocket-C,Sector-XU II,Greater-Noida,U.P,hasbeen lost somewhere despite best efforts.Finder may kindly return or contact me.LR no.338398/26.P.S.Ghazipur,Delhi.Suman Mehta. 7011306641.
0040858397-11

I, RAJAN GARG ,S/O SHIVJI RAM GARG R/o C-106 FIRST FLOOR , NARAINA VIHAR , NEW DELHI , 110028 HAS LOST/MISPLACED D.D.A OFFER OF POSSESSION LETTER AND POSSESSION LETTER FOR PROPERTY OFFICE NO. 8 ON PLOT NO. 15 AND 16, COMMUNITY CENTRE, NARAINA IND. AREA PH-1, DELHI-110028. FINDER MAY SEND THE DOCUMENTS AT C-106 FIRST FLOOR , NARAINA VIHAR , NEW DELHI , 110028. FIR NO. 312124/2026 DATED 18.05.2026 IN DELHI CANTT POLICE STATION IS FILED.
0071039587-1

PUBLIC NOTICE

It is publicly informed that my clients Sh. Harinder Kumar S/o Sh. Sain Dass Vohra and Smt. Usha Vohra W/o Sh. Harinder Vohra both R/o 53, Gujranwala Town, Part-II, Delhi-110009 have debarred their son Rahul Vohra aged about 31 Yrs. and his wife Khayati Bajaj from their movable and immovable properties and have severed all relations from Rahul Vohra and his wife Khayati Bajaj due to their misconduct, bad behaviour and bad intentions. Any person dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk, cost and responsibilities. My Clients shall not be liable and responsible for their any civil or criminal activities.

SANJEEV JAIN
(Advocate)
Enrl.No.D/226/1991

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Smt. Raj Kumari Chauhan W/o. Ashok Kumar Chauhan R/o. H. No. 15/5, 3rd floor, East Patel Nagar, Delhi-110008, has debarred her son namely Ankit Kumar Chauhan and his wife Neha Kirad from all the movable and immovable properties and abandon all relationship with them because they are not in control of my client. If anyone dealing with aforesaid may be deal at his/her own peril, risk and consequences. My client shall not be liable and responsible for any such acts and dealing.

JITENDRA KUMAR (ADVOCATE)
CH.NO.4, GATE NO.2, TIS HAZARI COURTS, NEW DELHI-54
MOB.: 9350741227

PUBLIC NOTICE

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती सोमवती देवी, पत्नी श्री वगेंद्र मदनावत, खुर्जा, उत्तर प्रदेश-203131, उक्त संपत्ति की स्वामी हैं, जिसका क्षेत्रफल 110.60 वर्ग मीटर है। यह संपत्ति गटा संख्या 1163, 1164, 1165, 1166, 1890/1 और 1890/2 में से है, जो गोपी कृष्ण विहार, खुर्जा, उत्तर प्रदेश -203131 में स्थित है। यह संपत्ति वैध स्वामी की लिखित सहमति के बिना बिक्री, हस्तांतरण, गिरवी, पट्टे या किसी अन्य लेनदेन के लिए उपलब्ध नहीं है। स्वामित्वकर्ता की सहमति के बिना उक्त संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसा करेगा। मालिक किसी भी अनधिकृत लेनदेन से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, दावे, विवाद या कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: मोबाइल: 8171941264, 7532818171.

PRAVEEN RASTOGI
(Advocate)
ENRL NO.D-244/06

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री लतीफ अहमद पुत्र श्री कदीर अहमद व उनकी पत्नी श्रीमती नोशाबा परवीन निवासीगण एफ-15/5 पहली मंजिल, जोगाबाई एक्सटेंशन, बटला हाउस, जामिया नगर नई दिल्ली-110025 ने अपने पुत्र अबु बकर व उसकी पत्नी सनोबर खान से उनके दुर्व्यवहार / नाफरमानी के कारण अपने तमाम रिश्ते नाते विच्छेद कर लिये है तथा उन्हें अपनी समस्त चल-अचल सम्पतियों से बेदखल कर दिया है। मेरे मुवक्किल व उनके परिवार के अन्य सदस्यों का उपरोक्त अबु बकर व सनोबर खान से किसी प्रकार का कोई लेना देना अथवा संबंध नही है यदि कोई व्यक्ति इन दोनों से कोई लेन देन या करार करता है तो उसके लिए वह स्वय जिम्मेदार होगा।

नौशाद अली (अधिवक्ता)
चै. नं. 423, साकेत कोर्ट नई दिल्ली-17

दिल्ली दंगा

जले हुए शव के मामले में पांच आरोपी बरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान शिव विहार से एक व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद होने के मामले में गिरफ्तार पांच लोगों को मंगलवार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रमुख प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में विरोधाभास है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह फरवरी 2020 के दंगों के दौरान हुई मोहम्मद अनवर की मौत से जुड़े मामले में लखपत, कुलदीप (मंगल सैन का पुत्र), योगेश, ललित और कुलदीप (श्याम बाबू का पुत्र) के खिलाफ सुनवाई कर रहे थे। इन लोगों पर हत्या, दंगा, आगजनी और डकैती के आरोपों के तहत मुकदमा चल रहा था। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, मैं पाता हूं कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। सभी आरोपियों को संदेह का लाभ मिलने का अधिकार है। तदनुसार, सभी आरोपियों को उनके विरुद्ध तय किए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को भीड़ ने शिव विहार में अनवर और उसके भाई सलीम की संपत्तियों पर हमला किया, घरेलू सामान लूट लिए, वाहनों और मकानों में आग लगा दी तथा अनवर को गोली मारने के बाद उसके शव को जला दिया। जांच के दौरान पुलिस ने एक मानव पैर और अन्य अवशेष बरामद किए थे, जिनकी डीएनए जांच से अनवर के होने की पुष्टि हुई थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा कि बरामद शरीर के अंग अनवर के थे और उसकी मृत्यु हत्या का परिणाम थी, लेकिन यह संदेह से परे साबित नहीं कर सका कि हत्या के लिए आरोपी जिम्मेदार थे। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी शिव विहार, करावल नगर के निवासी हैं। इसलिए उनकी लोकेशन शिव विहार, करावल नगर क्षेत्र में होने को ऐसा दोषसिद्धि-सूचक तथ्य नहीं माना जा सकता, जिससे उनका अपराध सिद्ध हो सके।

> *अदालत* ने कहा, प्रमुख प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में विरोधाभास।

रिज प्रबंधन बोर्ड के पुनर्गठन को उपराज्यपाल की मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

राष्ट्रीय राजधानी के हरित क्षेत्र को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पर्यावरणीय निगरानी को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड (डीआरएमबी) के पुनर्गठन करने के साथ साथ इसकी अधिसूचना जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। दरअसल, राजधानी में रिज का स्वामित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास है।

उपराज्यपाल के मुताबिक, इस वैधानिक परिवर्तन से राजधानी के रिज प्रशासन को एक एकीकृत, बहु-एजंसी नियामक निकाय के जरिए संचालित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के तालमेल से पूर्ण पारिस्थितिक संतुलन, जलवायु अनुकूलन क्षमता और दिल्ली के महत्वपूर्ण रिज पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस बोर्ड में केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि, जिनका पद वन महानिरीक्षक से कम न हो, के साथ-साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा बोर्ड में अन्य सदस्य के रूप में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे।

जल बोर्ड में उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को शहरी विकास विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए नाम प्रस्तावित किए गए थे। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में सतीश उपाध्याय के साथ विधायक अजय कुमार महावर और मनोज कुमार शौकीन के

खबर कोना

नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जयपुर से गिरफ्तार किए गए मांगीलाल खटीक, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल, गुरुग्राम से गिरफ्तार किए गए यश यादव और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से गिरफ्तार किए गए धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले 20 मई को उन्हें दो जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस बीच, आरोपी यादव के वकील ने कहा कि अदालत ने उनके मुवक्किल की नीट की दोबारा परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें मांगने वाली अर्जी को स्वीकार कर लिया है।

साकेत में भवन निर्माता के घर पर गोलीबारी, वसूली की कोशिश का संदेह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

दक्षिण दिल्ली के साकेत में एक भवन निर्माता के घर के बाहर दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोलीबारी की क्योंकि भवन निर्माता ने उनकी वसूली की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि घटना साकेत थाना क्षेत्र के लाडो सराय में हुई। पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हमलावरों ने स्थानीय भवन निर्माता महावीर के घर के बाहर सात गोलियां चलाईं और फरार हो गए। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। गोलीबारी की यह घटना कथित तौर पर भवन निर्माता से वसूली की मांग से जुड़ी हो सकती है। बताया जाता है कि पीड़ित की पहचान के एक व्यक्ति ने उनसे वसूली की मांग की थी। मुख्य साजिशकर्ता का संबंध एक स्थानीय गिरोह से भी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचे और इलाके को घेर लिया।

नाबालिग की हत्या: पीड़ित के परिवार का छतरपुर में प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

दिल्ली के एक रेस्तरां में 17 वर्षीय लड़के की गोली मारकर हत्या के मामले में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित के परिजनों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीडीआर चौक पर जाम लगाया। स्थिति के मद्देनजर छतरपुर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किशोर के अंतिम संस्कार से पहले तनाव व्याप्त होने के कारण पुलिस ने इलाके की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगाए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया। न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एकत्र हुए। इस दौरान परिवार के कुछ सदस्यों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। अधिकारी ने कहा कि मुख्य आरोपी नाबालिग है, उसपर जघन्य अपराधों से संबंधित प्रावधानों के तहत बालिग की तरह मुकदमा चलाने के प्रयास जारी हैं।

भीषण गर्मी से बचाने के लिए 4.70 लाख लोगों को पहुंचाई गई राहत सामग्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भीषण गर्मी और उष्णलहर (हीट वेव) से आम लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर दिल्ली सरकार सभी 13 जिलों में व्यापक राहत अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल हीट राहत इकाइयों के जरिए अब तक 4,70,089 लोगों को राहत पहुंचाई गई है। इस दौरान 1,84,021 लीटर पेयजल वितरित किया गया है। साथ ही 2,43,945 ओआरएस पैकेट, 67,431 गमछे और 49,434 कैप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री ने मुताबिक, उत्तर-पूर्व जिले में सर्वाधिक 83,703 लोगों को लाभ मिला है। पूर्वी जिले में 66,964, नई दिल्ली में 41,667, मध्य उत्तर में 41,600, पश्चिम जिले में 39,875, दक्षिण जिले में 37,870, दक्षिण-पश्चिम जिले में 30,915, दक्षिण-पूर्व जिले में 26,695, मध्य जिले में 24,890, पुरानी दिल्ली में लोगों को राहत प्रदान की गई है।

मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से मकान गिरा

गैस भरते समय हुआ धमाका, ग्यारह लोग घायल | एक की हालत गंभीर, दो आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार सुबह एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट के कारण एक मंजिला मकान ढह गया। इस घटना में मलबे में दबे 11 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। मामले में पुलिस ने अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने और बड़ी संख्या में घरेलू सिलेंडर रखने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना श्मशान स्थल के निकट मुकुंदपुर-दो के इशू विहार की गली नंबर एक में हुई।

दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिकारी के मुताबिक, विस्फोट और मकान गिरने की सूचना सुबह नौ बजकर 37 मिनट पर मिली थी। सूचना देने वाले व्यक्ति ने फोन पर अधिकारियों को बताया कि कई निवासियों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। बचाव दल को तुरंत मौके पर भेजा गया और राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब साढ़े नौ बजे विस्फोट और मकान ढहने की सूचना मिली, जिसके बाद पास में गश्त कर रहे आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन (ईआरवी) और स्थानीय पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। स्वामी ने कहा कि बचाव अभियान शुरू करते हुए तुरंत 11 लोगों को बचा लिया गया। घायलों में चंदन, कल्पना, श्याम, विवेक और सोफिया को बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दीपा, अमन, अखिलेश उर्फ लंबू, लव और आरिफ को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर कुछ घायलों को सफदरजंग अस्पताल और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल रेफर किया गया। एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है।

सिलेंडर विस्फोट के कारण मकान गिरने के बाद घटनास्थल से मलबा हटाती जेसीबी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि विस्फोट एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरते समय हुआ होगा। स्वामी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उस मकान में बर्तन रंगने का कारखाना संचालित हो रहा था। वहां कई गैस सिलेंडर मिले हैं। बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस को भरा जा रहा था और संभवतः यही विस्फोट का कारण प्रतीत होता है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरकेश उर्फ बबलू और सुधीर राय को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से कुल 46 घरेलू गैस सिलेंडर, जिनमें भरे और खाली दोनों प्रकार के सिलेंडर शामिल हैं, जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जिस स्थान पर हादसा हुआ वह इन्हीं दोनों के नियंत्रण में था। जबकि दिल्ली अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक, इमारत में भूतल भी था जहां विस्फोट हुआ था। इस स्थान का उपयोग कथित तौर पर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों से छोटे एलपीजी सिलेंडरों में गैस भरने के लिए किया जा रहा था। विस्फोट के कारण मकान ढह गया। विस्फोट 250 वर्ग गज के एक मंजिला मकान में हुआ। अधिकारियों ने ढही इमारत का मलबा हटाया। मलबे में कोई भी व्यक्ति फंसा न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने तलाश अभियान शुरू किया।

भाजपा जिला समितियों के गठन की कवायद तेज, 14 पर्यवेक्षक नियुक्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

दिल्ली भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पदभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी ने जिला समितियों के गठन की प्रक्रिया को गति देते हुए राजधानी के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है।

पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, पांच विधायकों और दो पूर्व विधायकों को जिला पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिमी दिल्ली जिले के लिए विधायक अजय महावर, नजफगढ़ के लिए अशोक कुमार देवराह, दक्षिणी दिल्ली के लिए श्याम शर्मा, केशवपुरम के लिए गजेंद्र यादव तथा बाहरी दिल्ली के लिए राज कुमार भाटिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल को करोल बाग और जय भगवान अग्रवाल को उत्तर-पश्चिम जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है। अन्य नियुक्तियों में सुनीता कांगड़ा को चांदनी चौक, सुनील यादव को उत्तर-पूर्व, अशोक ठाकुर को नवीन शाहदरा, मोहन लाल गिहरा को मयूर विहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

शुरू होगा अभियान, मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा

सुधरेगी वितरण व्यवस्था, मिलेगा समान जल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

राजधानी के जल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने जल वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है जो अब तक का सबसे बड़ा जल प्रबंधन सुधार अभियान होगा। यह सुधार अभियान जल के समान वितरण, जल हानि में कमी, पुरानी जल अवसंरचना के आधुनिकीकरण व शोधित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान इसकी जानकारी जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने दी।

जलमंत्री ने कहा कि गर्मियों में दिल्ली को लगभग 1,250 एमजीडी पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि, यमुना नदी में लंबे समय से बने हुए शुष्क हालात के कारण पिछले कुछ दिनों में जल उत्पादन में लगभग 100 एमजीडी की कमी आई है, जिसका प्रभाव राजधानी के कुछ हिस्सों में जल आपूर्ति पर पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार तत्काल और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर ऐसे समाधान लागू कर रही है, जिससे दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक पानी की न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली के जल संसाधन सीमित हैं, जबकि आबादी लगातार बढ़ रही है। समाधान केवल अधिक पानी लाने में नहीं, बल्कि उपलब्ध हर बूंद का बेहतर प्रबंधन करने में है।

दिल्ली की लगभग 12-13 विधानसभा क्षेत्रों से हर वर्ष गर्मियों में सबसे अधिक जल संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक जल आपूर्ति होती है। यह असंतुलन वर्षों से बना हुआ है। अब हम 'जल सुव्यवस्थीकरण परियोजना' के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहता हो, पानी की समान और न्यायसंगत उपलब्धता मिले। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व, जल मांग, उपलब्ध आपूर्ति और मौजूदा अवसंरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। जलमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जल वितरण प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पुरानी पाइपलाइन व्यवस्था है।

मंत्री ने नत्थू कालोनी पुल पर मांगी तीन दिन में सतर्कता रिपोर्ट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान एवं विभिन्न विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए मंगलवार को लोक निर्माण विभाग एवं जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सांसद मनोज तिवारी व क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र महाजन के साथ सघन दौरा किया। नत्थू कालोनी पुल एवं अंडरपास का निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण कर इस पुल को शीघ्र ही भारी वाहनों के लिए खोलने के आदेश दिए। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) द्वारा वर्ष 2015 में बनाया गया यह पुल पिछले करीब 11 वर्षों से भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद पड़ा है।

बुराड़ी परिवहन कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

अव्यवस्था पर लगाई फटकार, सुधार के निर्देश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को परिवहन विभाग के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर बुनियादी सुविधाओं और कार्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण केंद्र, जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), वाहन निरीक्षण इकाई तथा भारी मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया। बुराड़ी स्थित ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण केंद्र पर आवेदकों की लंबी कतारें और मूलभूत सुविधाओं की कमी देखकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई तथा अधिकारियों को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान परिवहन सचिव-सह-आयुक्त निहारिका राय, विशेष आयुक्त (परिवहन) विश्वेंद्र और संयुक्त आयुक्त डॉ. निधि सरोहे समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

डीटीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री ने ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए आए नागरिकों से सीधे बातचीत की। आवेदकों ने उन्हें बताया कि उन्हें लंबे समय तक भवन के बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा बैठने, साफ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से भवन के बाहर इंतजार न करना पड़े। उन्होंने सभी आवेदकों के लिए भवन के भीतर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण केंद्र परियोजना का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। नए केंद्र में एक समय में पांच वाहनों की जांच की जा सकेगी।

उन्होंने आधुनिक प्रतीक्षालय विकसित करने के निर्देश दिए, जहां पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ एवं ठंडे पेयजल, पंखे, कूलर, स्वच्छ शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्षा जल संचयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े परिसर में वर्षा जल संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, ताकि अधिकतम वर्षा जल का उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए किया जा सके। साथ ही उन्होंने वर्तमान वाहन निरीक्षण इकाई का निरीक्षण कर पुरानी हो चुकी निरीक्षण प्रणाली को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप उन्नत करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, सुविधाजनक और सम्मानजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

चार-पांच जून को आंधी-बारिश की संभावना, पीली चेतावनी जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने चार और पांच जून को दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी और बारिश को लेकर पीलीचेतावनी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इन दो दिनों के दौरान तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

आइएमडी की ओर से पिछले दो दिनों में भी बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन बारिश नहीं होने से पूर्वानुमान अपेक्षित रूप से सटीक नहीं रहा। आइएमडी के मुताबिक, चार और पांच जून को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बिजली चमकने, गरज के साथ बारिश होने तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि इन दिनों सतही हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रह सकती है, जबकि झोंकों के दौरान यह 60 किमी प्रतिघंटा तक पहुंच सकती है।

विज्ञापन संख्या. 61/2026
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)
में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि **22 जून, 2026** (15.00 बजे तक) है।
नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों को लोक उद्यम चयन बोर्ड में अग्रेषित करने की अंतिम तिथि **01 जुलाई, 2026** (17.00 बजे तक) है। जानकारी के लिए वेबसाइट **https://pesb.gov.in** में लॉग इन करे।

Loot Blink

SABSE BADI **DEALS**, SABSE BADA FAAYDA!

JOIN INDIA'S MOST TRUSTED

DEALS CHANNEL

SAVE MORE SPEND LESS!

100% REAL DEALS | LIMITED TIME OFFERS | BEST PRICES GUARANTEED

SAB PE BADI BACHAT!

UP TO **90%** DISCOUNT DEALS

BIGGEST DISCOUNTS • BEST BRANDS • LIMITED STOCK

LIMITED STOCK

JOIN KARO AUR PAO SABSE BADI LOOT DEALS!

boat Airdopes 141 TWS Earbuds ~~₹2,990~~ ₹249 92% OFF YOU SAVE ₹2,741	Noise Pulse 2 Smart Watch ~~₹4,999~~ ₹349 93% OFF YOU SAVE ₹4,650	iPhone 13 128GB ~~₹59,900~~ ₹5,399 91% OFF YOU SAVE ₹54,501	SAMSUNG 32" HD Smart TV 89% OFF YOU SAVE ₹25,800	realme Narzo N55 (6GB+128GB) ~~₹13,999~~ ₹799 94% OFF YOU SAVE ₹13,200
ASUS Vivobook 15 (i3 12th Gen, 8GB/512GB SSD) 90% OFF YOU SAVE ₹40,491	GREEN SOUL Office Chair Ergonomic ~~₹14,999~~ ₹1,499 92% OFF YOU SAVE ₹17,500	SAMSUNG 980 500GB NVMe SSD ~~₹6,999~~ 91% OFF YOU SAVE ₹6,400	WILDCRAFT Backpack ~~₹1,999~~ ₹149 93% OFF YOU SAVE ₹1,850	PHILIPS Trimmer Series 3000 ~~₹1,995~~ ₹199 90% OFF YOU SAVE ₹1,796
AGARO Air Fryer 4.5L ~~₹6,999~~ ₹699 90% OFF YOU SAVE ₹6,300	PUMA Men's Running Shoes ~~₹3,999~~ 91% OFF YOU SAVE ₹3,650	ZEBRONICS Study Headphones with Mic ~~₹1,499~~ ₹169 89% OFF YOU SAVE ₹1,330	PORTABLE Laptop Table Foldable ~~₹1,299~~ ₹129 90% OFF YOU SAVE ₹1,170	boAt Stone 650 Bluetooth Speaker ~~₹3,999~~ ₹199 95% OFF YOU SAVE ₹3,800

UPTO 90% OFF ON TOP BRANDS | PRICE DROP ALERTS BE THE FIRST TO KNOW | 100% GENUINE PRODUCTS | FAST DELIVERY ACROSS INDIA

DEALS ITNI BADI, KI CHOOK GAYE TO PACHTAOGE!

ABHI JOIN KARO AUR LOOTNA SHURU KARO!

JOIN OUR WHATSAPP CHANNEL
- Instant Deal Alerts
- Exclusive Offers
- Limited Stock Updates

CLICK HERE

JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL
- Latest Deals & Offers
- Price Drops Alerts
- Limited Time Offers

CLICK HERE

SAVE TIME SHOP SMART | SAVE MONEY LIVE BETTER | SMART CHOICES. BRIGHTER FUTURE!

SHOP SMART. SAVE BIG. SHINE BRIGHT.

JOIN 1 LAKH+ SMART SHOPPERS & SAVE THOUSANDS EVERY MONTH!

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	37.0	37.0	36.2	36.4
न्यूनतम	24.2	25.2	23.4	23.0

नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने का मामला

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर एफआइआर दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

दिल्ली पुलिस ने उस तीन वर्षीय बच्ची की पहचान उजागर करने के आरोप में आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है, जिसका पश्चिमी दिल्ली के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। यह जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जनकपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72 (कुछ अपराधों के पीड़ित की पहचान उजागर करने आदि से संबंधित) तथा किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक निजी स्कूल में 57 वर्षीय कर्मचारी द्वारा तीन वर्षीय बच्ची का कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला सामने आया था। यह घटना एक मई को बच्ची की मां द्वारा पुलिस से संपर्क करने के बाद सामने आई थी।

> *जनकपुरी* थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72 (कुछ अपराधों के पीड़ित की पहचान उजागर करने आदि से संबंधित) तथा किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज।

शिकायत के मुताबिक, बच्ची ने दाखिल के एक दिन बाद 30 अप्रैल को ही स्कूल जाना शुरू किया था। शिकायत के अनुसार, घर लौटने पर उसने दर्द की शिकायत की और जब बच्ची की मां ने उससे पूछताछ की तो उसने कथित तौर आप बीती बताई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। जांच आगे बढ़ने पर स्कूल की एक महिला शिक्षिका को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। अब भारद्वाज के खिलाफ नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में एक अलग मामला दर्ज किया गया है।

वहीं सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जनकपुरी में तीन साल की बच्ची के कथित बलात्कार का मुद्दा उठाते समय एक स्कूल का नाम लेने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आप नेता ने कहा कि उन्हें पीड़िता या उसके माता-पिता का नाम नहीं पता है और उन्होंने मामले पर चर्चा करते समय केवल स्कूल के नाम का जिक्र किया था।

सिटी बस संचालन को लेकर पीपीपी प्रारूप पर बनेंगे 24 चार्जिंग केंद्र

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 जून।

औद्योगिक महानगर में सिटी बस संचालन को लेकर परीक्षण इस सप्ताह शुरू कराने की तैयारी है। सिटी बस परियोजना के तहत सौ बसें चलानी प्रस्तावित हैं। जिसके लिए सेक्टर-90 डिपो और बाटनिकल गार्डन बस अड्डे पर चार्जिंग केंद्र बनने हैं। प्राधिकरण के महाप्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि इन चार्जिंग केंद्रों को सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रारूप पर बनाया जाएगा। जिसके लिए प्राधिकरण एक निजी कंपनी का चयन करेगी। यही कंपनी चार्जिंग केंद्र लगाकर संचालन और रख-रखाव भी करेगी। इसके लिए प्राधिकरण को धनराशि खर्च नहीं करनी होगी। साथ ही यही कंपनी शहर में 20 क्लस्टरों में कार चार्जिंग केंद्र भी बनाएगी।

> *सेक्टर-90* में एक बार में चार्ज हो सकेंगी चालीस बस, दूसरा केंद्र बाटनिकल गार्डन होगा

एक चार्जिंग केंद्र पर एकसाथ दो बसों की बैटरी चार्ज हो सकती हैं। पूरी तरह से चार्ज होने में करीब दो घंटे का समय लगेगा। ऐसे में चार्जिंग रात और दोपहर में की जाएगी। सेक्टर-90 में 20 चार्जिंग केंद्र लगाए जाएंगे। यहां एक बार में 40 बस चार्ज हो सकेंगी। जबकि बाटनिकल गार्डन पर चार चार्जिंग केंद्र होंगे। यहां आठ बस चार्ज हो सकेंगी। कार चार्जिंग के लगने वाले स्टेशन पर अलग व्यवस्था होगी। वहां कंपनियां अपना शुल्क तय कर सकती हैं।

साथ ही चार्जिंग केंद्र लगाने वाली कंपनी को विज्ञापन का अधिकार दिया जा सकता है। सिटी बस 15-15 मिनट के अंतराल पर मुसाफिरों को मिलेंगी। कुल 100 बसों में दस डबल डेकर होंगी। जो बाटनिकल गार्डन से परी चौक तक चलेंगी। नौ और 12 मीटर की दो प्रकार की बसों का संचालन यूपी रोडवेज करेगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा के बाद यहां बस चलाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। नोएडा, ग्रेनो और यीडा क्षेत्र में कुल पांच सौ बस चलनी हैं। अभी पहले चरण में सौ बसें चलाने की योजना है। मांग के आधार पर बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से पहले ही बसों का संचालन वहां तक किया जाना है।

खबर कोना

कोर्ट ने चिकित्सक पति को दहेज हत्या का दोषी करार दिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 2 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के एक चिकित्सक को पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि 2014 में शादी के तीन महीने के भीतर ही महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और उससे पहले उसे क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुनाली गुप्ता ने कार और 50 लाख रुपए की मांग कर पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में प्रशांत कुमार सिन्हा के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई की। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी ने पत्नी पर दबाव डालकर उसे कार और 50 लाख दहेज के रूप में देने के लिए मजबूर किया।

एम्स दिल्ली ने रायपुर में किया दूरस्थ रोबोटिक आपरेशन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 2 जून।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इंटरनेट आधारित टेलीप्रेजेंस तकनीक की मदद से रायपुर एम्स में भर्ती मरीज की रोबोटिक-असिस्टेड कोलेसिस्टेक्टोमी (पित्त की थैली की सर्जरी) में मार्गदर्शन दिया। एम्स दिल्ली के सर्जरी विभागाध्यक्ष सुनील चुंबर ने बताया कि यह परियोजना सर्जिकल शिक्षा, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आपरेशन के दौरान दा विंची सर्जिकल सिस्टम और इंटचूटिव की टेलीप्रेजेंस तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे दोनों संस्थानों की टीमों के बीच रियल-टाइम संवाद और परामर्श संभव हो सका।

खोए 35 लाख के 121 मोबाइल ढूंढकर मालिकों को लौटाए गए

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 2 जून।

सेंट्रल नोएडा पुलिस ने आपरेशन सहयोग के जरिए कुल 121 लापता मोबाइल फोन ढूंढ निकाले और उन्हें उनके असली हकदारों के सौंप दिए हैं। इन मोबाइलों की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी गई है। इनमें से कुछ फोन वर्ष 2020 से गायब थे, जिनकी मिलने की उम्मीद उनके मालिक छोड़ चुके थे। पुलिस ने इसके लिए केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर के साथ-साथ अत्याधुनिक सर्विलांस तकनीकों का सहारा लिया। जैसे ही गायब हुए इन फोनों में दोबारा सिम डालकर इन्हें चालू किया गया, वैसे ही सर्विलांस टीम ने उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया और बिना वक्त गंवाए उन्हें बरामद कर लिया। एक विशेष कार्यक्रम के दौरान एडिशनल डीसीपी स्वतंत्र सिंह ने इन सभी 121 मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को अपने हाथों से सौंपा।

ग्रेनो : जनगणना कार्य नहीं करने वाले 29 प्रागणकों पर होगी एफआइआर

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 2 जून।

जनगणना 2027 के लिए काम नहीं करने और शासकीय कार्य में असहयोग करने पर 29 प्रागणकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी ने डीसीपी नोएडा को पत्र लिखा है। वर्तमान में जनगणना का कार्य चल रहा है। करीब तीन हजार कर्मचारियों को प्रागणक के रूप में कार्य आबंटित किया गया है, जिनमें से 29 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इनसे मोबाइल पर संपर्क कर वाट्सएप पर ड्यूटी भेज दी गई है, लेकिन इन लोगों ने ड्यूटी संबंधित दस्तावेज लेने से मना कर दिया। जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्य में सहयोग नहीं करने के कारण प्रभारी अधिकारी की तरफ से 29 प्रागणकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए डीसीपी नोएडा को पत्र लिखा है। प्रभारी अधिकारी ने कहा कि जिन प्रागणकों ने अभी तक जनगणना का कार्य शुरू नहीं किया है, वह अति शीघ्र काम शुरू कर जनगणना कार्य पूर्ण करें।

न्यू उस्मानपुर में हत्याओं से सनसनी

नाबालिग समेत दो लोगों की चाकू मारकर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जून।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर चाकूबाजी की दो अलग-अलग घटनाओं में एक नाबालिग सहित दो लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों मामलों में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक मामले में चार आरोपियों को पकड़ा है, जबकि दूसरे मामले में आरोपियों की तलाश जारी है।

पहली घटना सोमवार रात करीब 10:25 बजे की है। पुलिस को न्यू उस्मानपुर इलाके में एक किशोर को चाकू मारने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को 17 वर्षीय किशोर खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा मिला।

जांच में पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो किशोरों को हिरासत में लिया तथा 21 वर्षीय निक्की को गिरफ्तार किया। बाद में चौथे आरोपी 21 वर्षीय विवेक ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि उनका मृतक के साथ पुराना विवाद था। पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे तथा सभी एक ही समुदाय से संबंधित हैं। मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

> *किशोर* की हत्या के मामले में पुलिस ने दो किशोरों को हिरासत में लिया तथा 21 वर्षीय निक्की को गिरफ्तार किया। बाद में चौथे आरोपी 21 वर्षीय विवेक ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

वहीं दूसरी घटाना में न्यू उस्मानपुर इलाके में ही मंगलवार तड़के 26 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान पास के ब्रह्मपुरी निवासी ललित के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सुबह न्यू उस्मानपुर थाने में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली थी। एक पुलिस टीम तुरंत भगत सिंह कालोनी पहुंची, जहां एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसकी मौत हो चुकी थी। पीड़ित के शरीर पर चाकू से हमला किए जाने के घाव थे और उसकी कथित तौर पर हत्या की गई थी। उनके मुताबिक अपराध स्थल का निरीक्षण करने और साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक फारेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गाजियाबाद की सोसायटी में लगी भीषण आग

चार लोग बचाए गए, तीन कुत्तों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 2 जून।

कोतवाली इलाके के तहत आने वाली अवंतिका कालोनी में मंगलवार तड़के एक रिहायशी फ्लैट में भीषण आग लग गई।

इस दौरान एक ही परिवार के चार लोग अंदर फंस गए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया और परिवार के चारों सदस्यों को सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि, इस हादसे में तीन पालतू कुत्तों की दम घुटने से मौत हो हो गई है। घटना मंगलवार सुबह करीब 3:08 बजे अवंतिका फेस-2 में बने एसके होम्स अपार्टमेंट की है। इस चार मंजिला इमारत के तीसरे माले पर स्थित एक फ्लैट से आग की लपटें उठने लगीं। आग की खबर मिलते ही घंटाघर दमकल केंद्र से तुरंत दमकल की दो गाड़ियों को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। जब राहत दल वहां पहुंचा, तब तक आग की वजह से घर से बाहर निकलने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह मलबे और लपटों से घिर चुका था। ऐसे में दमकल कर्मियों ने अंदर फंसे लोगों को बालकनी की तरफ सुरक्षित रहने के लिए कहा। इसके बाद एक्सटेंशन सीढ़ी लगाई गई और फ्लैट मालिक 52 वर्षीय पवन शर्मा, उनके बेटे, बेटी सहित चारों लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। बाद में सर्च अभियान के दौरान तीन कुत्ते मृत पाए गए।

> *घटना* सुबह करीब 3:08 बजे अवंतिका फेस-2 में बने एसके होम्स अपार्टमेंट की है। इस चार मंजिला इमारत के तीसरे माले पर एक फ्लैट से आग की लपटें उठने लगीं।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, आग की शुरुआत घर के मुख्य दरवाजे के पास से हुई थी, जिसकी वजह से दरवाजा तोड़ना पड़ा। शुरुआती तफ्तीश में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह हादसा बिजली के शार्ट सर्किट की वजह से हुआ है।

आक्रोश — नई दिल्ली में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने साकेत में इमारत गिरने की घटना के विरोध में एमसीडी आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

एमपी-1 उपरिगामी मार्ग की लंबाई डेढ़ किमी बढ़ेगी

सात सौ करोड़ होंगे खर्च, आइआइटी रुड़की तैयार करेगा प्रारूप और डीपीआर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 जून।

औद्योगिक महानगर के सबसे व्यस्त एमपी-1 सड़क पर प्रस्तावित उपरिगामी मार्ग की लंबाई करीब डेढ़ किलोमीटर बढ़ गई है। जिसके बाद अब यह उपरिगामी मार्ग सेक्टर-3 से शुरू होकर सेक्टर-60 तक जाएगा।

जो यहां पर एमपी-2 से जुड़ेगा। बढ़ी हुई लंबाई के आधार पर इस परियोजना का प्रारूप आइआइटी रुड़की बनाएगा। इस उपरिगामी मार्ग के बनने से दिल्ली से सीधे नोएडा के आइटी और औद्योगिक सेक्टरों तक पहुंचा जा सकेगा। एमपी-1 मार्ग पर उपरिगामी रास्ता सेक्टर-3,10, 12,22 टी प्वाइंट, सेक्टर-57 और आगे सेक्टर-60 तक जाएगा। यहां तकनीकी पेंच सेक्टर-12-22 का टी प्वाइंट है। माना जा रहा है यदि यहां मोड़ दिया गया, तो यह 90 डिग्री का होगा। इसके लिए आइआइटी अपने हिसाब से उपरिगामी मार्ग प्रारूप को तय करेगा। इस उपरिगामी परियोजना पर करीब 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का आंकलन है। आइआइटी रुड़की इसके लिए करीब एक महीने तक फिजिबिलिटी जांच करने के बाद प्रारूप और विस्तृत कार्य योजना रपट तैयार करेगी। हालांकि व्यय होने वाली रकम का निर्धारण डीपीआर के बाद ही होगा। इस उपरिगामी मार्ग के बनने से सेक्टर-62 तक जाना आसान होगा। तब महज 10 मिनट में डीएनडी से सेक्टर-62 तक पहुंचा जा सकेगा।

> *यूपी* के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद से इस परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ। अब इसे दोबारा से बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

यह उपरिगामी मार्ग करीब 5.43 किलोमीटर और छह लेन का होगा। बता दें कि 2015-16 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद से इस परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ। अब इसे दोबारा से बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

नोएडा श्रमिक हिंसा मामले में पूर्व डूसू प्रत्याशी पकड़ा गया

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 जून।

नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भड़की श्रमिक हिंसा के मामले में नोएडा पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के एलएलबी के छात्र योगेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है।

पकड़े गए छात्र की पृष्ठभूमि राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ी रही है। वह न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुका है, बल्कि रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी आफ इंडिया (आरडब्ल्यूपीआइ) और दिशा फाउंडेशन जैसे संगठनों से भी सक्रिय रूप से संबद्ध रहा है। पुलिस का दावा है कि औद्योगिक क्षेत्र में हुए इस भारी बवाल के पीछे एक सोची-समझी साजिश थी और मूल रूप से जयपुर का रहने वाला योगेश इस पूरी योजना का मुख्य सूत्रधार था।

> *पुलिस* का दावा, सोशल मीडिया से रची गई थी बड़ी साजिश।

अधिकारियों के मुताबिक, योगेश ने विभिन्न वाट्सएप समूहों और सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल करके एक ऐसा सुनियोजित ताना-बाना बुना, जिससे श्रमिकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वे आक्रोशित हो उठे। इस पूरे घटनाक्रम में व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए यह अफवाह फैलाई गई कि पुलिस के ही एक अधिकारी का चालक श्रमिकों के साथ मिलकर उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता वरुण धवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

नई दिल्ली, 2 जून (संवाददाता)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता वरुण धवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम, तस्वीर और अन्य पहचान संबंधी विशेषताओं के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

अदालत ने उनके नाम अथवा तस्वीर के उपयोग के साथ-साथ एआइ से तैयार डीपफेक तस्वीरें और आपत्तिजनक सामग्री बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। अभिनेता की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि धवन जाने माने अभिनेता हैं और उन्हें अपने नाम, तथा तस्वीर को तीसरे पक्षों द्वारा अनधिकृत इस्तेमाल से सुरक्षित रखने का अधिकार है।

सूर्या हत्याकांड — संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मी तैनात

गाजियाबाद के खोड़ा में तनावपूर्ण शांति, दो मदरसे सील

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 2 जून।

गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सत्यापन कार्य तेज करते हुए प्रशासन ने मंगलवार को दो गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई 17 वर्षीय सूर्या चौहान की हत्या उसके दोस्त असद और उसके साथियों द्वारा किए जाने के बाद की जा रही है।

मामले का मुख्य आरोपी असद पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। कई दुकानें मंगलवार को बंद रहीं, जिनमें दोनों समुदायों के सदस्यों द्वारा संचालित प्रतिष्ठान भी शामिल थे।

मां को मिली सरकारी नौकरी

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। प्रशासन की ओर से सूर्या की मां को खोड़ा नगर पालिका में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया है।

आरोपी के घर पर बुलडोजर की तैयारी

एसडीएम कोर्ट की तरफ से असद के घर पर एक बेदखली नोटिस चस्पा किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का मकान अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बना है। असद के पिता नवाब को मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस बीच, जिला प्रशासन और पुलिस ने खोड़ा में तीन दिवसीय आपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया, जिसके तहत किरायेदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अनाधिकृत संपत्तियों और संदिग्ध आपराधिक तत्वों का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 1600 से अधिक संदिग्धों का सत्यापन किया है और पुराने अपराधियों की थानों में हाजिरी सुनिश्चित कराई जा रही है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि इलाके में संचालित दो मदरसों स्मानिया अरनिया पासीमूल उलूक और सुल्तान अलारफीन को सील कर दिया गया है, क्योंकि उनका संचालन बिना किसी मान्यता के किया जा रहा था।

कुमार ने कहा कि सत्यापन अभियान के दौरान दो ऐसे मदरसों की पहचान की गई, जो मदरसा बोर्ड या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पंजीकरण कराए बिना ही चलाए जा रहे थे। जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर यह कार्रवाई की है।

SAMMAAN FINSERVE

SAMMAAN FINSERVE LIMITED

Regd off: 2nd Floor, Plot No-3, Block-A, Pocket-2, Sector-17, Dwarka, New Delhi - 110075

NOTICE FOR SALE OF STRESSED FINANCIAL ASSETS

Sammaan Finserve Limited, a non-banking financial company, invites Expression of interest (EOI) along with non-disclosure agreement for sale of Stressed Financial Assets. Interested eligible investors are requested to intimate their willingness to participate in the auction by way of an "Expression of Interest".

The data room will be open from June 04, 2026 to June 24, 2026, and last day for submission of bid is June 25, 2026.

For detailed terms and conditions, please mail us at loanassignment_SFL@sammaancapital.com

Mumbai, June 03, 2026

चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola

कॉरपोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वि का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई - 600032
चंडीगढ़ शाखा: एस.सी.ओ. 350-351-352, 3री मंजिल, सेक्टर-34-ए, चंडीगढ़ - 160022
संपर्क: श्री अमित मलिक: 93568 61616 एवं श्री विजय दहिया: 8950786420

शुद्धिपत्र

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 6(2) के तहत चल संपत्तियों की बिक्री के लिए दिनांक **31.05.2026** को जनसत्ता समाचार पत्र में प्रकाशित हमारे ई-नीलामी बिक्री नोटिस का संदर्भ लें। **"मनीष अजमेरा और अन्य, ऋण खाता सं. HE01CIG00000054226"** के नोटिस में, तालिका के ऊपरी पैराग्राफ की चौथी पंक्ति में नीलामी बिक्री की सही तारीख 07.07.2026 के स्थान पर गलती से नीलामी बिक्री की तारीख 07.07.2025 प्रकाशित हो गई है। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे। इस परिवर्तन को पिछले प्रकाशन का ही एक अभिन्न अंग माना जाए।

दिनांक: 03-06-2026 **हस्ता./- अधिकृत अधिकारी**
स्थान: चंडीगढ़ **चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत जैसलमेर

Phone No-02992-251808, E mail ID- sephedism@yahoo.com, secircle.jst.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- वृत/जैसलमेर/निविदा/2026-27/1529-41 **दिनांक:- 22.05.2026**

बिड आमंत्रण सूचना (NIB) संख्या 02/2026-27

NIB code PHE2627A0674

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु दर संविदा के आधार पर राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत/अपंजीकृत एवं केन्द्र / राज्य सरकार के अधिकृत विभागों / संगठनों, केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग, रेल, डाक, दूरसंचार विभागों में पंजीकृत /अपंजीकृत संवेदकों से ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा निम्न ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है

बिड संख्या	UBN NUMBER	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रु.) 2 प्रतिशत	बिड शुल्क (रुपए)	ई-प्रकिया शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
02/2026 -27	PHE2627WSOB 01414	278.72	557440.00	10000/-	2000/	5 वर्ष

ऑन लाईन निविदा डाउनलोड/अपलोड करने के अंतिम तिथि एवं समय	:	15.06.2026 को 06:00 पी.एम. तक
ऑन लाईन निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	16.06.2026 को 02:00 पी.एम.

शर्ते-बिड से संबंधित समस्त विवरण वैबसाईट **www.dipronline.org, sppp.raj.nic.in and eproc.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियात्रिक विभाग, वृत-जैसलमेर

R.O.No: DIPR/C/9372/2026

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी, मु0नगर

पत्रांकः 211 / लेखा0-विभि0 / 2026-27 दिनांकः- 02.06.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी की ओर से विधायक निधि योजनान्तर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यो पर राज्य सरकार के समस्त राजकीय विभागो में पंजिकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमान्तर्गत दिनांक 16.06.2026 की अपरान्ह 02:00 बजे तक प्रतिशत दर पर मुहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है निविदा प्रपत्र दिनांक 15.06.2026 की अपरान्ह 2:00 बजे तक विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। निर्माण कार्य की अरनेस्ट मनी / जमानत धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर० या एम०एस०सी० के मध्यम से खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी के पक्ष में बन्धक कराकर निविदा के साथ जमा की जानी है। निविदायें दिनांक 16.06.2026 को सायं 4:00 बजे ब्लॉक स्तरीय समिति के द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। निविदा सशर्त स्वीकार नही होगी। किसी भी विवाद उत्पन्न होने की दशा में न्याय क्षेत्र मु0नगर ही मान्य होगा। कार्य इस विकास खण्ड के अवर अभियन्ता की देखरेख में करना होगा तथा उनके सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान होगा। कार्यादेश प्राक्कलन की धनराशि की तकनिकी स्वीकृति के आधार पर जारी किये जायेंगे विस्तृत शर्ते एवं विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय मे देखे जा सकते हैं। समय उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नही की जायेगी। कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा (मी०)	अनु० लागत लाख रू०	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	ग्राम कम्हेडा ब्लॉक पुरकाजी मे वंश चौधरी के मकान से सत्यप्रकाश शर्मा के मकान के बाहर से प्रमोद के मकान की ओर सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य	160 मी०	9.66	19500	1150	3 माह

खण्ड विकास अधिकारी
पुरकाजी (मुजफ्फरनगर)

POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

SHAH FOODS LIMITED

("SFL"/ "TARGET COMPANY"/ "TC") (Corporate Identification No. L27200GJ1982PLC005071)
Registered Office: 301, Sarthik Square, Nr. Shapath – 3, S. G. Highway, Bodakdev, Ahmedabad – 380054, Gujarat, India;
Phone No.: +91-6355582651; Email id: shahfoods.ahmedabad@gmail.com; Website: www.shahfoods.co.in

Open offer for acquisition of 60,61,900 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the existing equity and voting share capital of the Target Company by Mr. Ankit Jalan (Acquirer-1) and Mr. Anuj Jalan (Acquirer-2) (Acquirer-1 and Acquirer-2 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") along with Jalan Sarees Private Limited (PAC-1), Ritu Jalan (PAC-2), Daivik Jalan (PAC-3), Prachi Jalan (PAC-4), Ankit Jalan HUF (PAC-5), Anuj Jalan HUF (PAC-6) and Radhika Jalan (PAC-7) (PAC-1, PAC-2, PAC-3, PAC-4, PAC-5, PAC-6 and PAC-7 hereinafter collectively referred to as the "PACs").

This Post offer Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, The Manager to the offer, on behalf of the Acquirers and PACs, in connection with the offer made by the Acquirers and PACs in compliance with regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto **("SEBI (SAST) Regulation, 2011").**

The Detailed Public Statement ("**DPS**") pursuant to the Public Announcement ("**PA**") made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkaal - Marathi Daily (Mumbai edition) on 17th February, 2026.

1. Name of the Target Company : Shah Foods Limited
2. Name of the Acquirers and PACs : Ankit Jalan (Acquirer-1); Anuj Jalan (Acquirer-2); Jalan Sarees Private Limited (PAC-1); Ritu Jalan (PAC-2); Daivik Jalan (PAC-3); Prachi Jalan (PAC-4); Ankit Jalan HUF (PAC-5); Anuj Jalan HUF (PAC-6) and Radhika Jalan (PAC-7)
3. Name of the Manager to the offer : Navigant Corporate Advisors Limited
4. Name of the Register to the officer : Bigshare Services Private Limited
5. Offer details
   a) Date of Opening of the Offer : Wednesday, 13th May, 2026
   b) Date of the Closing of the offer : Tuesday, 26th May, 2026
6. Date of Payment of Consideration : Not Applicable since no shares tendered in the Open Offer
7. Details of the Acquisition :

Sr No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actual	
7.1.	Offer Price	Rs. 62.50 per Equity Share		Rs. 62.50 per Equity Share	
7.2.	Aggregate number of Shares tendered	60,61,900		Nil	
7.3.	Aggregate number of Shares accepted	60,61,900		Nil	
7.4.	Size of the offer (Numbers of shares multiplied by Offer price per share)	Rs. 37,88,68,750		Nil	
7.5.	Shareholding of the Acquirers and PACs before Share Purchase Agreement ("SPA") and preferential issue and Public Announcement (No. & %)	Nil (0.00%)**		Nil (0.00%)**	
7.6.	Shares Acquired by way of SPA and Preferential Allotment ▪ Number ▪ % Fully Diluted Equity Share Capital	1,61,77,876 (69.39%)**		1,61,77,876 (69.39%)**	
7.7.	Shares Acquired by way of Open offer ▪ Number ▪ % Fully Diluted Equity Share Capital	60,61,900 (26.00%)**		Nil (0.00%)	
7.8.	Shares Acquired after detailed Public Statement ▪ Number of Shares acquired ▪ Price of the shares acquired ▪ % of the shares acquired	Not Applicable		Not Applicable	
7.9.	Post offer Shareholding of Acquirers and PACs ▪ Number ▪ % Fully Diluted Equity Share Capital	2,22,39,776 (95.39%)**		1,61,77,876 (69.39%)**	
7.10.	Pre and Post Offer Shareholding of Public Shareholders	Pre- Offer	Post Offer	Pre- Offer	Post offer
	▪ Number ▪ % Fully Diluted Equity Share Capital	3,04,661 (50.99%)*	10,75,224 (4.61%)**	3,04,661 (50.99%)*	71,37,124 (30.61%)**

*Computed as a %age of pre preferential equity and voting share capital of SFL which was Rs. 59,75,000 consisting of 5,97,500 equity shares of face value of Rs. 10 each.

**Computed as a %age of Existing Equity & Voting Share Capital which consists of 2,33,15,000 fully paid -up equity shares of the face value of Rs. 10/- each of the Target Company being the capital post allotment of 2,27,17,500 equity shares to Acquirers, PACs and public category investors on preferential basis.

8. Equity shares allotted to a public category shareholders through the preferential issue on March 27, 2026, were neither tendered nor accepted in the open offer.
9. The Acquirers and PACs accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the fulfillment of his obligations as laid down by SEBI (SAST) Regulations, 2011.
10. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI.
11. Capitalized terms used in this advertisement and not define herein, shall have same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 29.04.2026.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS AND PACs

Navigant

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.
Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078
Email id: navigant@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com
SEBI Registration No: INM000012243
Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai
Date: June 02, 2026

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of sh. Yadwinder singh JMIC ludhiana
COMA/7916/2024 Peshi: 01-07-2026
publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Cpmplaint R/w sec- 138 of N.I ACt
Kotak Mahindra Bank Ltd
Vs.
Sudhir Kumar Singh
CNR NO: PBLD03-028613-2024
Notice To: sudhir kumar singh : sudhir kumar singh s/o sushma r/o h. no. 2420, bwana road narela, new delhi- 110040, delhi
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 01-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court, this for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

BHARATPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Sr. No :- Tech/BDA/2026-27/RajKaj 22455850 **Date :- 26/05/2026**

Online NIT No. 16 (2026-27)

The Bharatpur Development Authority (BDA), Bharatpur Invites Providing Consultancy service for land pooling and area development in Bharatpur Detailed of Online NIT, eligibility criteria schedule and condition can be seen on **https://eproc.rajasthan.gov.in** from dated 01.06.2026 11:00 AM to 12.06.2026 at 6.00 PM. **UBN No. : WAQ2627SSRC00046**

Raj.Samwad/C/26/3970 **BDA, Bharatpur**

SAMMAAN CAPITAL

SAMMAAN CAPITAL LIMITED

Regd off: A - 34, 2nd & 3rd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024

NOTICE FOR SALE OF STRESSED FINANCIAL ASSETS

Sammaan Capital Limited, a non-banking financial company, invites Expression of interest (EOI) along with non-disclosure agreement for sale of Stressed Financial Assets. Interested eligible investors are requested to intimate their willingness to participate in the auction by way of an "Expression of Interest".

The data room will be open from June 04, 2026 to June 24, 2026, and last day for submission of bid is June 25, 2026.

For detailed terms and conditions, please mail us at loanassignment_scl@sammaancapital.com

Mumbai, June 03, 2026

rba
restaurant brands asia

RESTAURANT BRANDS ASIA LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L55204MH2013FLC249986;
Registered Office: 2nd Floor, ABR Emerald, Plot No. D-8, Street No. 16, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India; **Contact Number**: +91 22 7193 3000; **Email**: investor@burgerking.in; **Website**: www.burgerking.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("**IDC**") of Restaurant Brands Asia Limited ("**Target Company**") under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("**SEBI (SAST) Regulations**") to the public shareholders of the Target Company in relation to the Open Offer (*as defined below*) made by Lenexis Foodworks Private Limited ("**Acquirer 1**"), Aayush Agrawal Trust ("**Acquirer 2**"), Inspira Foodworks Private Limited (*formerly Inspira Realty 1 Private Limited*) ("**Acquirer 3**") and Mr. Aayush Madhusudan Agrawal ("**Acquirer 4**", collectively "**Acquirers**") together with Inspira Agro Trading LLC ("**PAC**") in its capacity as the person acting in concert with the Acquirers for the purpose of the Open Offer.

1.	**Date**	June 02, 2026
2.	**Name of the Target Company (TC)**	Restaurant Brands Asia Limited
3.	**Details of the Offer pertaining to TC**	The open offer is being made by the Acquirers along with the PAC to the public shareholders of the Target Company under Regulations 3(1), 4 and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of up to 20,80,61,717 (twenty crores eighty lakhs sixty one thousand seven hundred and seventeen) fully paid-up equity shares of the Target Company having face value of INR 10 (Indian Rupees Ten) each ("**Equity Shares**"), representing 26.00% (twenty six per cent) of the Expanded Voting Share Capital (*as defined in the "LOF"*) of the Target Company, from the public shareholders of the Target Company for cash at a price of INR 70 (Indian Rupees Seventy) per Equity Share ("**Offer Price**") along with applicable interest of INR 0.39 (Indian Paise Thirty Nine) per Equity Share ("**Applicable Interest**") amounting to INR 70.39 (Indian Rupees Seventy and Paise Thirty Nine) per Equity Share ("**Open Offer**"/ "**Offer**"). The public announcement dated January 20, 2026 ("**PA**"), the detailed public statement published on January 28, 2026 ("**DPS**"), the draft letter of offer dated February 4, 2026 ("**DLOF**") and the letter of offer dated May 26, 2026 ("**LOF**") have been issued by Motilal Oswal Investment Advisors Limited, the manager to the Open Offer, on behalf of the Acquirers and the PAC ("**Open Offer Documents**").
4.	**Name(s) of the Acquirer and PACs with the Acquirer**	Acquirer 1: Lenexis Foodworks Private Limited Acquirer 2: Aayush Agrawal Trust Acquirer 3: Inspira Foodworks Private Limited (*formerly Inspira Realty 1 Private Limited*) Acquirer 4: Mr. Aayush Madhusudan Agrawal PAC: Inspira Agro Trading LLC
5.	**Name of the Manager to the Open Offer**	**Motilal Oswal Investment Advisors Limited** Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400025, Maharashtra, India **Contact Person**: Ronak Shah/ Shashank Pisat **Tel**: + 91 22 7193 4380 **Email Address**: rbal.openoffer@motilaloswal.com **Investor grievance Email Address**: moiaplredressal@motilaloswal.com **Website**: www.motilaloswalgroup.com **SEBI Registration Number**: INM000011005
6.	**Members of the Committee of Independent Directors (*Please indicate the chairperson of the Committee separately*)**	a) Mrs. Tara Subramaniam (Chairperson) b) Mr. Andrew Day (Member) c) Mr. Sandeep Chaudhary (Member) d) Mr. Yash Gupta (Member)
7.	**IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), if any**	The members of the IDC are non-executive independent directors on the board of directors of the Target Company. Except as mentioned below, none of the members of the IDC hold any Equity Shares of the Target Company: • Mrs. Tara Subramaniam holds 6,000 (six thousand) Equity Shares of the Target Company and • Mr. Sandeep Chaudhary holds 6,950 (six thousand nine hundred and fifty) Equity Shares of the Target Company. None of the members of IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company.
8.	**Trading in the equity shares/ other securities of the TC by IDC Members**	None of the members of the IDC have traded in any of the Equity Shares/ securities of the Target Company during the: a) 12 months period preceding the date of the PA; and b) period from the date of the PA and till the date of this recommendation.
9.	**IDC Member's relationship with the Acquirer and PACs (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), if any.**	None of the members of IDC: a) are directors on the boards of the Acquirers or the PAC; b) hold any Equity Shares or other securities of the Acquirers or the PAC; and c) have any contracts/ relationship with the Acquirers or the PAC.
10.	**Trading in the equity shares/ other securities of the Acquirer and PACs by IDC Members**	None of the members of the IDC have traded in any of the Equity Shares/ securities of the Acquirers or the PAC during the: a) 12 months period preceding the date of the PA; and b) period from the date of the PA and till the date of this recommendation.
11.	**Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable**	Based on a review of the Open Offer Documents, the IDC notes that the Offer Price i.e., INR 70 (Indian Rupees Seventy) per Equity Share, along with the Applicable Interest i.e., INR 0.39 (Indian Paise Thirty Nine) per Equity Share, is in accordance with the Regulation 8(2) and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations and accordingly is of the opinion that the Offer Price, along with Applicable Interest appears to be fair and reasonable.
12.	**Summary of reasons for recommendations**	The IDC has perused the Open Offer Documents, and the recommendation of the IDC set out in paragraph 11 above is based on the following: a) The Applicable Interest of INR 0.39 (Indian Paise Thirty Nine) per Equity Share computed at 10% (ten per cent) per annum has been offered by the Acquirers for the period of delay in making the payment to the public shareholders of the Target Company, in accordance with Regulation 18(11A) and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations; b) The Offer Price is in accordance with Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations; c) The Offer Price is equal to the highest negotiated price for acquisition of the Equity Shares i.e., INR 70 (Indian Rupees Seventy) per Equity Share under the agreements attracting the obligation to make the Open Offer i.e., the securities subscription agreement dated January 20, 2026 and share purchase agreement dated January 20, 2026; and d) The Offer Price is higher than the volume-weighted average market price of the Equity Shares for a period of 60 (sixty) trading days immediately preceding the date of the PA, as traded on the National Stock Exchange of India Limited (the stock exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares of the Target Company were recorded) i.e., INR 64.96 (Indian Rupees Sixty Four and Paise Ninety Six) per Equity Share. However, the members of IDC draw the attention of the public shareholders to the closing market price of the Equity Shares on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited as on May 26, 2026 (i.e. as of the date of the LoF), being INR 67.95 (Indian Rupees Sixty Seven and Paise Ninety Five) per Equity Share and INR 68.04 (Indian Rupees Sixty Eight and Paise Four) per Equity Share, respectively, which is lower than the Offer Price. The public shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer. The statement of recommendation will be available on the website of the Target Company at www.burgerking.in
13.	**Disclosure of the voting pattern**	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC present at the meeting of the IDC held on June 02, 2026.
14.	**Details of Independent Advisors, if any.**	None
15.	**Any other matter(s) to be highlighted**	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respects, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of the Committee of the Independent Directors of
Restaurant Brands Asia Limited
Sd/-
Tara Subramaniam
Chairperson, Committee of the Independent Directors
DIN: 07654007

Place: Mumbai
Date: June 02, 2026

Adfactors 121/26

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

Please scan the QR Code to view the Draft Red Herring Prospectus, the Addendum and this Corrigendum

LASER POWER & INFRA

LASER POWER & INFRA LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Laser Cables Private Limited' at Kolkata, West Bengal, as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated January 7, 1988, issued by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, pursuant to a resolution dated December 7, 2015 and January 28, 2016 passed by our Board and our Shareholders, respectively, the name of our Company was changed from 'Laser Cables Private Limited' to 'Laser Power & Infra Private Limited' and a fresh certificate of incorporation pursuant to change of name dated February 3, 2016 was issued by the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. Thereafter, pursuant to a board resolution dated August 28, 2025 and a special resolution passed by the shareholders dated September 1, 2025, our Company was converted from a private company to a public limited company and the name of our Company was changed to 'Laser Power & Infra Limited' and a fresh certificate of incorporation pursuant to change of name dated September 8, 2025 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For further details relating to the changes in the name and registered office of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company"*** and ***"History and Certain Corporate Matters - Changes in the registered office of our Company"*** on page 270 and 270 of the DRHP.

Corporate Identity Number: U14220WB1988PLC043591
Registered Office: 4A, Pollock Street, 3rd Floor, Kolkata 700 001, West Bengal, India
Corporate Office: Adventz Infinity@5, 19th Floor, BN Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata 700 091, West Bengal, India
Contact person: Debendra Banthiya, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: +91 33 4822 9195 | **E-mail:** investor.grievance@laserpowerinfra.com | **Website:** www.laserpowerinfra.com

NOTICE TO INVESTORS:
CORRIGENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 27, 2025 (THE "CORRIGENDUM")

OUR PROMOTERS: DEEPAK GOEL, DEVESH GOEL, AKSHAT GOEL AND RAKHI GOEL

This is with reference to the DRHP read along with the addendum to the DRHP dated May 23, 2026 filed with SEBI and the Stock Exchanges, in connection with the Offer (**"Addendum"**).

Potential Bidders may note that in addition to the Promoter Group members as disclosed in the section titled ***"Our Promoters and Promoter Group"*** on pages 331-334 of the DRHP, the following entities also formed part of the Promoter Group as on the date of the DRHP in accordance with Regulation 2(1)(pp) of the SEBI ICDR Regulations:

1. Lumino Green Energy Private Limited
2. Suncity Chemical & Minerals Private Limited

(together the **"Additional Promoter Group Entities"**)

Accordingly, all references to the term 'Promoter Group' in the DRHP will include the Additional Promoter Group Entities. As on date of the DRHP, the Additional Promoter Group Entities were in compliance with Regulation 5 of the SEBI ICDR Regulations, as applicable.

The information in this Corrigendum supplements and updates the information in the DRHP and the above changes are to be read in conjunction with the DRHP and the Addendum and accordingly, relevant references in the DRHP stand updated pursuant to the disclosures in this Corrigendum.

This Corrigendum does not reflect all the changes and updates that have occurred from the date of filing of the DRHP with the SEBI and the Stock Exchanges and the date hereof, and accordingly, does not include all the changes and/or updates that will be included in the Red Herring Prospectus, the Prospectus and the abridged prospectus. The DRHP will be suitably updated, pursuant to the aforementioned changes, in the Red Herring Prospectus, the Prospectus and the abridged prospectus, as applicable, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges, as applicable. All capitalized terms used in this Corrigendum shall, unless the context otherwise requires, have the meanings ascribed to them in the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
IIFL CAPITAL	ICICI Securities	MUFG MUFG Intime
IIFL Capital Services Limited *(Formerly known as IIFL Securities Limited)* 24th floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg Lower Parel (West), Mumbai 400 013, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4646 4728 **E-mail:** laserpower.ipo@iiflcap.com **Investor grievance e-mail:** ig.ib@iiflcap.com **Contact person:** Gaurav Mittal / Pawan Kumar Jain **Website:** www.iiflcapital.com **SEBI registration number:** INM000010940	**ICICI Securities Limited** ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 6807 7100 **E-mail:** laserpower.ipo@icicisecurities.com **Investor grievance e-mail:** customercare@icicisecurities.com **Contact person:** Kishan Rastogi / Ashik Joisar **Website:** www.icicisecurities.com **SEBI registration number:** INM000011179	**MUFG Intime India Private Limited** *(Formerly Link Intime India Private Limited)* C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400 083, Maharashtra, India **Telephone:** +91 810 811 4949 **E-mail:** laserpower.ipo@in.mpms.mufg.com **Investor grievance e-mail:** laserpower.ipo@in.mpms.mufg.com **Contact person:** Shanti Gopalkrishnan **Website:** www.in.mpms.mufg.com **SEBI registration number:** INR000004058

For Laser Power & Infra Limited
Sd/-
Debendra Banthiya
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata, West Bengal
Date: June 2, 2026

Laser Power & Infra Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed a DRHP dated September 27, 2025 with SEBI and the Stock Exchanges read along with the addendum to the DRHP dated May 23, 2026 filed with SEBI, in connection with the Offer. The DRHP and the Addendum are available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.laserpowerinfra.com and the websites of the Book Running Lead Managers, namely, IIFL Capital Services Limited (*formerly known as IIFL Securities Limited*) and ICICI Securities Limited on www.iiflcapital.com and www.icicisecurities.com, respectively.

Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details, potential investors should refer to the RHP as and when it is filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges in the future, including the section titled ***"Risk Factors"*** on page 37 of the DRHP and the details set out in the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges in making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (**"U.S. Securities Act"**) or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' as defined in, and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sale are made.

Adfactors 122/26

कल्पमेधा

जब तक जीना, तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

– स्वामी विवेकानंद

बेलगाम अपराध

उत्तर प्रदेश में हाल में हत्या की कई घटनाओं से साफ है कि अपराध पर काबू करने के सरकारी दावों के बरक्स हकीकत क्या है। ऐसा लगता है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य की सरकार और पुलिस बेफिक्र है और दूसरी ओर अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बेवजह नहीं है कि हत्या की लगातार कई वारदात के बाद विपक्षी दलों की ओर से सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाने लगा है। दरअसल, बीते कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में एशियाई खेलों के लिए चुने गए एक पैरा-एथलीट और एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी महिला खिलाड़ी सहित हत्या की अन्य घटनाओं के बाद सरकार इस बात के लिए आलोचना के कठघरे में है कि क्या राज्य की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हाल में पिछले कुछ समय से लगातार बड़ी आपराधिक घटनाओं की वजह से खुद मुख्यमंत्री योगी के भीतर काफी नाराजगी देखी गई और उन्होंने ज्यादा अपराध दर वाले जिलों के पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी।

सवाल है कि क्या केवल सख्ती के दावे और हिदायतों के दम पर राज्य में अपराध और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर काबू पाया जा सकता है। अगर ऐसा संभव हो पाता, तो आज राज्य सरकार जघन्य अपराधों में तेज बढ़ोतरी के लिए खुद को आलोचना के घेरे में खड़ी नहीं पाती। जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब भाजपा का वादा यही था कि वह राज्य को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराएगी। अपराधियों पर काबू पाने के मकसद से की गई कुछ फौरी सख्ती और कार्रवाइयों से ऐसा लगा भी। मगर हत्या या अन्य किसी जघन्य अपराध के आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के कुछ मामलों में पुलिस के रवैये पर सवाल भी उठे। आज एक समांतर सच यह भी है कि आपराधिक मानसिकता के लोग बेधड़क सामान्य से लेकर जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और अपराध के खात्मे का दावा करने वाली सरकार अपराधियों को रोक पाने में नाकाम दिख रही है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है।

अपराध के बेलगाम होते जाने के बीच अब ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिनमें हत्या की वजहें हैरान करती हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की एक कबड्डी खिलाड़ी की हत्या सिर्फ छत्तीस सौ रुपए के उधार की वजह से कर देने की खबर आई। इस घटना में भी पहला सवाल यही है कि आरोपी के भीतर आखिर क्यों पुलिस और कानूनी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं था। दूसरे, कोई व्यक्ति अपने लिए तीन-चार हजार रुपए को इतनी बड़ी रकम कैसे मान लेता है कि वह उसके लिए किसी की हत्या कर दे। उत्तर प्रदेश की इस घटना के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, जिनमें दो-चार या पांच सौ रुपए जैसी मामूली रकम के लिए किसी की जान ले ली जा रही है। क्या देश में यह एक नई तस्वीर बन रही है कि आर्थिक असुरक्षा और बदहाली की स्थिति लोगों के मनोविज्ञान पर गहरा और घातक असर डाल रही है? जाहिर है, आदतन या सुविधा से अपराध करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ-साथ सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों के जघन्य अपराधों को अंजाम देने की परिस्थितियों और वजहों पर विचार करना वक्त की जरूरत है। बिना जड़ पर प्रहार किए अपराध पर पूरी तरह काबू पाना एक चुनौती बनी रहेगी।

बाधित शांति

ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम की उम्मीद बंधती है और फिर टूट जाती है। यह स्थिति युद्ध शुरू होने के बाद से ही जारी है। पिछले तीन महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन जब शांति वार्ता की बात आती है, तो आमने-सामने और दूरगामी स्थितियों को ध्यान में रख कर संवाद करने की जरूरत नहीं समझी जाती। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत किसी सहमति के बिंदु पर नहीं पहुंच रही, तो इसे समझने की जरूरत है। दोनों पक्ष जिस तरह अपनी शर्तों पर अड़े हैं, उससे वैश्विक शांति को तो खतरा है ही, दुनिया भर में ऊर्जा संकट भी गहरा रहा है। गौरतलब है कि ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता स्थगित कर दी है। उसने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर यह कदम उठाया है। यह निराशाजनक ही है कि एक तरफ कूटनीतिक कदम उठाने की बात की जाती है, फिर अचानक हमले की स्थिति पैदा कर दी जाती है। पिछले सप्ताह के आखिर में भी अमेरिका ने ईरान के भीतर कई ठिकानों पर बमबारी की। इसके अलावा, लेबनान पर इजराइल के लगातार हमले से ईरान नाराज है और वह चाहता है कि ये हमले रोक दिए जाएं।

हालांकि यह मुद्दा युद्धविराम की मुख्य शर्तों में शामिल है। मगर सवाल है कि अमेरिका युद्धविराम को ताक पर रख कर खुद को या इजराइल को हमले करने से क्यों नहीं रोक पा रहा है। इसमें दोराय नहीं कि अगर दोनों पक्ष गंभीरता से कूटनीतिक पहल करते, तो शांति का कोई रास्ता निकल सकता था। मगर जैसे ही बात आगे बढ़ती है, उसमें दबाव बढ़ाने के साथ रणनीतिक शर्तें जोड़ दी जाती हैं। इससे संवाद के पुल गिर जाते हैं। मौजूदा स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर अपना दबदबा बढ़ाने और उसे सख्ती से बंद करने का संकेत दिया है। समझौते की कवायद कई दिनों से चल रही है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा, तो आखिर इसकी क्या वजह है। स्पष्ट है कि एक तरफ समझौते की बात की जाती है, दूसरी ओर सैन्य विकल्प चुनने की धमकी दी जाती है। इस द्वंद्व के बीच शांति कायम होने के सभी दावे धरे रह जाते हैं। बेहतर हो कि अमेरिका और ईरान स्थायी युद्धविराम और शांति की ओर कदम बढ़ाएं। सैन्य टकराव से आखिरकार कोई समस्या हल नहीं होती।

महिलाओं की सेहत के उपेक्षित प्रश्न

आज दुनिया के अनेक देशों में महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा दीर्घायु जीवन जी रही हैं। मगर यह भी सच है कि लंबी उम्र के बावजूद उन्हें समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

अमरपाल शर्मा

दुनिया भर में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान ने असाध्य कही जाने वाली कई बीमारियों पर काबू पा लिया है। औसत आयु बढ़ी है और तकनीक ने इलाज को पहले से कहीं अधिक आधुनिक और आसान बना दिया है। आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में महिलाएं पहले की तुलना में दीर्घायु जीवन जी रही हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि लंबी उम्र के बावजूद महिलाओं को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों महिलाएं आज भी ऐसी जिंदगी जी रही हैं, जिसमें दर्द है, उपेक्षा है, गलत इलाज है और एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो अब भी पुरुष शरीर को 'मानक' मान कर चलती है। दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति होने के बावजूद महिलाओं के लिए समान और संवेदनशील इलाज अब भी एक चुनौती है। विश्व में महिलाओं की औसत आयु लगभग 73.8 वर्ष है, जो पुरुषों की औसत आयु करीब 68.4 वर्ष से अधिक है। फिर भी उनके जीवन का लगभग पच्चीस फीसद से अधिक समय खराब सेहत के साथ गुजरता है। यानी महिलाएं लंबे समय तक पुरानी बीमारियों और लगातार पीड़ा से त्रस्त रहती हैं। वे कई बार बिना इलाज या गलत निदान से भी जूझती हैं।

सवाल है कि आखिर महिलाओं के लिए अनुकूल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों संभव नहीं हो पा रही हैं? क्यों महिलाओं और पुरुषों के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं विकसित नहीं की जा रही हैं? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से तलाशें, तो इस स्थिति के पीछे पितृसत्तात्मक सोच है, जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी इससे बच नहीं पा रहीं। वे लगातार चिकित्सा पूर्वाग्रहों का सामना करती हैं। कई बार उनकी पीड़ा को 'भावनात्मक', 'हार्मोन संबंधी' या सामान्य कह कर टाल दिया जाता है। यही कारण है कि महिलाओं की सेहत का सवाल अब केवल चिकित्सा का विषय नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का सवाल भी बन चुका है।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की अनेक संरचनाएं महिलाओं को केंद्र में रख कर नहीं बनाई गईं। इसे केवल अस्पतालों की कमी कह कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि यह उस सोच का परिणाम है जिसमें पुरुष शरीर को 'सामान्य' और महिला शरीर को 'विशेष परिस्थिति' मान लिया जाता है।

दुनिया भर में हृदय रोग महिलाओं की मौत की सबसे बड़ी वजहों में शामिल है, लेकिन दिल के दौरे के जिन 'सामान्य' लक्षणों को चिकित्सा जगत लंबे समय से पहचानता रहा है, वे अधिकतर पुरुषों के अनुभवों पर आधारित रहे हैं। महिलाओं में दिल की बीमारी के संकेत कई बार अलग रूप में सामने आते हैं। अत्यधिक थकान, मितली, सांस फूलना, पीठ या जबड़े में दर्द जैसे लक्षणों को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। यही वजह है कि महिलाओं में हृदय रोग का पता अक्सर देर से चलता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद महिलाओं में मृत्यु का खतरा पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। कई

मामलों में उनकी शिकायतों को सामान्य मान कर अस्पताल से वापस भेज दिया जाता है, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। इसी तरह माहवारी, माइग्रेन, हार्मोन असंतुलन और रजोनिवृत्ति जैसी समस्याओं को अक्सर 'सामान्य' कह कर टाल दिया जाता है। लाखों महिलाएं वर्षों तक दर्द सहती रहती हैं। इस

> **सवाल है कि महिलाओं के लिए अनुकूल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों संभव नहीं हो पा रही हैं? क्यों महिलाओं और पुरुषों के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं विकसित नहीं की जा रही हैं? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से तलाशें, तो इस स्थिति के पीछे पितृसत्तात्मक सोच है, जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है। शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी इससे बच नहीं पा रहीं। वे लगातार चिकित्सा पूर्वाग्रहों का सामना करती हैं। कई बार उनकी पीड़ा को 'भावनात्मक', 'हार्मोन संबंधी' या सामान्य कह कर टाल दिया जाता है। यही कारण है कि महिलाओं की सेहत का सवाल अब केवल चिकित्सा का विषय नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का सवाल भी बन चुका है।**

कारण कई बार उनकी गंभीर बीमारियां छिपी रह जाती हैं।

अगर भारत की स्थिति पर नजर डालें, तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में मातृत्व पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है। गर्भावस्था, प्रसव और शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में सुधार भी हुआ है। जननी सुरक्षा योजना, आशा कार्यकर्ता और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने जैसी पहलों ने सकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन समस्या यह है कि महिला स्वास्थ्य को अब भी 'मातृत्व' तक सीमित कर दिया जाता है। जबकि एक महिला की पहचान केवल मां के रूप में ही नहीं होती। किशोरावस्था, कामकाजी जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और रजोनिवृत्ति से जुड़ी उसकी जरूरतों पर अब भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।

'द लांसेट' में प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार पिछले तीन दशकों में दुनिया भर में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। हालांकि हाल के वर्षों में इस सुधार की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। वर्ष 2023 में दुनिया भर में लगभग करीब ढाई लाख महिलाओं की मौत गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी जटिलताओं के कारण हुई। इससे स्पष्ट है कि आज भी अनेक देशों, विशेषकर निम्न और मध्य आय वाले देशों में मातृत्व महिलाओं के लिए जोखिम भरा है। भारत उन देशों में शामिल है जहां मातृ मृत्यु के मामले सबसे अधिक दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2023 में देश में करीब 24,700 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित कारणों से हुई।

मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। घरेलू दबाव, आर्थिक निर्भरता, हिंसा, सामाजिक अपेक्षाएं और लगातार श्रम उनके मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर भी बड़ी संख्या में महिलाएं अवसाद, चिंता और मानसिक थकान का इलाज नहीं करा पातीं। इसका कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच भी है। महिलाओं की तकलीफ को अक्सर कमजोरी, ज्यादा सोचने की आदत या घरेलू चिंता कह कर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गांवों में स्थिति और जटिल है। वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी, महिला चिकित्सकों की कमी, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक संकोच मिल कर महिलाओं के लिए इलाज को कठिन बना देते हैं। कई परिवारों में पुरुष सदस्यों की बीमारी को लेकर ही चिंता की जाती है। जबकि महिलाएं तब तक इलाज नहीं करातीं, जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से बार-बार यह बात सामने आई है कि देश में बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया और कुपोषण की शिकार हैं।

ऐसे में हालात बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। विद्यालय स्तर पर किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक स्थिति के बारे में जरूरी शिक्षा दी जानी चाहिए। माहवारी और प्रजनन स्वास्थ्य को शर्म के बजाय जब सामान्य स्वास्थ्य की तरह देखा जाएगा, तभी स्थितियां बदलेंगी। कार्यस्थलों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए संवेदनशील नीतियां बनानी होंगी। वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में अधिक महत्त्व देना होगा, क्योंकि अक्सर उनकी समस्याओं को 'उम्र का असर' कह कर टाल दिया जाता है। हमें यह समझना होगा कि महिला स्वास्थ्य केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है।

एक अस्वस्थ महिला का असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। अगर महिलाएं लगातार बीमारी, थकान और मानसिक दबाव में जी रही हों, तो उसका प्रभाव अगली पीढ़ी तक जाता है। बीमार और थकी हुई महिलाओं के सहारे कोई समाज लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन असली प्रगति तभी मानी जाएगी जब महिलाएं केवल दीर्घायु ही नहीं बल्कि सम्मानजनक, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकेंगी।

दूसरा सूर्योदय

अनंतपद्मनाभन

मानवीय जीवन के पारंपरिक नजरिए में सेवानिवृत्ति को अक्सर एक 'पूर्ण विराम' के रूप में देखा जाता है। दशकों की मेहनत के बाद समाज इसे एक अंतिम विदाई मान लेता है। हमें बचपन से ही यह मानने की आदत डाल दी गई है कि साठ साल के बाद का समय केवल शारीरिक गिरावट और घर के एकांत में सिमटने का काल है। हालांकि, जागरूक लोगों के लिए सेवानिवृत्ति अब एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक 'अल्पविराम' सिद्ध हो रही है। यह केवल आराम का समय नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और समाज के प्रति एक नए योगदान का महत्त्वपूर्ण अवसर है। समय का यही नया उपयोग हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। सेवानिवृत्ति हमें वह कीमती उपहार देती है, जिसे हमने अपनी रोजी-रोटी कमाने (आजीविका) की दौड़ में कुर्बान कर दिया था- 'समय की आजादी'। अब मस्तिष्क उन सपनों को जीने के लिए स्वतंत्र है, जिन्हें हमने वर्षों से दबा रखा था। यह वह जादुई पल है, जब इकट्ठा की गई सफलता को सही अर्थों में सार्थकता में बदला जा सकता है।

आज वरिष्ठ नागरिक समाज के साथ अपने जुड़ाव की नई परिभाषाएं लिख रहे हैं। वे यह साबित कर रहे हैं कि हमारे भीतर का 'परिवर्तन लाने वाला इंसान' कभी सोता नहीं है। यह अपनी मूल पहचान को फिर से जीवित करने का एक सशक्त मार्ग है। इस जीवनशैली को अपनाने वाले बुजुर्ग पूरे समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन रहे हैं।

जब एक सेवानिवृत्त व्यक्ति स्वेच्छा से किसी सामाजिक कार्य का नेतृत्व करता है, तो वह अपने दशकों के अनुभव को समाज को सौंप रहा होता है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के बहत्तर वर्षीय सेल्वामणी ने सेवानिवृत्त होने के एक दशक बाद खुद को बेचैन पाया। उनके मन में तकनीकी शिक्षा हासिल करने की पुरानी इच्छा थी। उसे उन्होंने जिंदा रखा और आज वे एक छात्र की तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। घर से कालेज के लिए रोज पचास किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उनका संघर्ष केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। घर से निकलने से पहले वे रसोई के काम निपटाते हैं और अपनी बीमार पत्नी की देखभाल भी करते हैं। कालेज में छात्र उन्हें प्यार से 'दादाजी' बुलाते हैं। वे सिखाते हैं कि भले ही शरीर की आयु बढ़ जाए, लेकिन लक्ष्य सामने हो तो चेतना हमेशा युवा रहती है। इसी तरह, सक्रियता का जज्बा केरल की कात्यायनी अम्मा में भी दिखा, जिन्होंने छियानबे वर्ष की आयु में साक्षरता अभियान में अट्ठानबे फीसद अंक प्राप्त किए। उनकी सफलता ने उस पुरानी सोच को तोड़ दिया कि बुजुर्ग नई चीजें नहीं सीख सकते। इसके अलावा, बीडी गरवारे ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने अनुभव को शिक्षा और समाज सेवा की ओर मोड़ दिया। शारीरिक रूप से दुरुस्त और सेहतमंद रहने के प्रति भी नजरिया बदल रहा है। गुजरात की एक डाक्टर भगवती ओजा अस्सी वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी तैराकी और साइकिल चालन में स्वर्ण पदक जीतती रहीं। उनका जीवन सिद्ध करता है कि सक्रियता एक साधना है, जिसमें मन के साथ शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। बुजुर्गों की सक्रियता केवल शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी मजबूती प्रदान करती है। वे युवाओं के लिए परामर्शदाता बनकर उन्हें उन गलतियों से बचा सकते हैं, जो अक्सर अनुभव की कमी के कारण होती हैं। यह एक वैश्विक लहर है।

आधुनिक न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान भी कहता है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है। कुछ नया सीखने से मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर से सक्रिय होती हैं और नए तंत्रिका मार्ग बनते हैं। इसे 'न्यूरोप्लास्टिसिटी' यानी मस्तिष्क का लचीलापन कहते हैं, जो भूलने की बीमारी (अल्जाइमर) जैसी समस्याओं से लड़ने में एक ढाल की तरह काम करती है। खुद को बौद्धिक रूप से व्यस्त रखना इन समस्याओं से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह विज्ञान हमारे प्राचीन 'वानप्रस्थ' दर्शन के साथ भी मेल खाता है, जहां व्यक्ति अपने अनुभवों को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देता था।

जब एक अनुभवी व्यक्ति समाज में हिस्सा लेता है, तो वह अपनी संचित बौद्धिक संपदा को वापस मुख्यधारा में लौटा रहा होता है। यह सक्रियता बुजुर्गों को अकेलेपन और अवसाद से भी बचाती है। आज के एकल परिवारों के युग में सक्रियता ही वह पुल है, जो पीढ़ियों के बीच की खाई को पाट सकता है। दादा-दादी का अनुभव और पोते-पोतियों की जिज्ञासा मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। युवाओं को भी समझना होगा कि अनुभव की गहराई के बिना ऊर्जा अक्सर दिशाहीन हो जाती है। सेवानिवृत्ति केवल एक पेशेवर विदाई है, जीवन का संन्यास नहीं। हमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे मंच बनाने होंगे, जहां वे अपनी पसंद के अनुसार योगदान दे सकें- चाहे वह शिक्षा हो, पर्यावरण हो या सामुदायिक नेतृत्व। यह समाज के विकास की नई पटकथा लिखने जैसा होगा।

> **दुनिया मेरे आगे**
>
> **जब एक अनुभवी व्यक्ति समाज में हिस्सा लेता है, तो वह अपनी संचित बौद्धिक संपदा को वापस मुख्यधारा में लौटा रहा होता है। यह सक्रियता बुजुर्गों को अकेलेपन और अवसाद से भी बचाती है। आज के एकल परिवारों के युग में सक्रियता ही वह पुल है, जो पीढ़ियों के बीच की खाई को पाट सकता है।**

कहने का आशय यह है कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक 'दूसरे सूर्योदय' की शुरुआत है। यह वह समय है, जब हम अपनी आत्मा के छिपे हुए रंगों को फिर से दुनिया के सामने ला सकते हैं। हम वह सब कर सकते हैं जो जिम्मेदारियों के बोझ तले कभी अधूरा रह गया था। संदेश स्पष्ट है- केवल कैलेंडर की तारीखों के साथ वृद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान और कर्म के गौरव के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अनुभव वह अद्वितीय पूंजी है, जो बांटने से अनंत गुना बढ़ती है और निरंतर सक्रिय रहने से कुंदन की तरह चमकती रहती है। सेवानिवृत्ति केवल एक पद से मुक्ति है, हमारे सामर्थ्य से नहीं। यह समय अपनी सार्थकता को नए आयाम देने का है। ज्ञान के इस दूसरे सूर्योदय का स्वागत पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए।

घर का सपना

अपने घर का सपना सभी देखते हैं। मगर आज के दौर में यह सपना पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। बड़े शहरों में बढ़ती आबादी, महंगी जमीन और सीमित आय के कारण मकान खरीद पाना संभव नहीं है। भारत सरकार ने पिछले दशक में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिया है। मगर शहरी क्षेत्रों में काम करने वाला गरीब और निम्न वर्ग आज भी आवास संकट से जूझ रहा है। महानगरों और औद्योगिक शहरों में काम करने वाले लाखों मजदूर, घरेलू कर्मचारी, निर्माण श्रमिक और छोटे कर्मचारी या तो झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं या शहर की सीमा से बाहर गंदी बस्तियों में गुजर-बसर करते हैं। कारण साफ है- वे न तो शहर में मकान खरीद सकते हैं और न ही अधिक किराया दे पाने की स्थिति में होते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और विभिन्न शहरी विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बड़े शहरों में मकानों की कीमतें औसत आय की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी हैं। एक मध्यमवर्गीय परिवार को भी घर खरीदने के लिए बीस-पच्चीस वर्षों तक गृह ऋण चुकाना पड़ता है।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

मानवीयता की संवेदना

बशीर बद्र का निधन समूचे देश के लिए मानवीय रिश्तों की भाषा की बड़ी क्षति है। उन्होंने शायरी को इश्क और रूमानी कल्पनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम आदमी के दुख, अकेलेपन, विस्थापन, सामाजिक विडंबनाओं और जीवन-दर्शन की गहरी अभिव्यक्ति बना दिया। उनकी शायरी में दर्द भी था, अपनापन भी। दर्शन भी था और सहज मानवीय संवाद भी। उन्होंने उर्दू को सरल, बोलचाल और आत्मीय शैली प्रदान की। उनके शेर सीधे दिल में उतर जाते हैं, क्योंकि उनमें कृत्रिमता नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा अनुभव बोलता है। उन्होंने गजल को अभिजात्य दायरे से निकाल कर जन-संवेदना का माध्यम बनाया। उनकी रचनाओं में प्रेम के साथ-साथ समय की निष्ठुरता, बदलते रिश्तों की पीड़ा और इंसानी मूल्यों की चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है कि वे केवल शायर नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय समाज के संवेदनशील दार्शनिक भी प्रतीत होते हैं।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

यथार्थ की दृष्टि

'दुर्लभ खनिज और साझा हित' (आलेख, 28 मई) पढ़ा। इसमें समकालीन वैश्विक राजनीति, आर्थिक साझेदारी और राष्ट्रीय संसाधनों की महत्ता को यथार्थपूर्ण दृष्टिकोण के साथ सामने रखा गया है। दुर्लभ खनिज गलियारे की परिकल्पना तथा कुछ राज्यों की सक्रिय भूमिका को जिस संतुलित और तार्किक ढंग से रेखांकित किया गया है, उससे भारत की आर्थिक और सामरिक संभावनाओं को समझा जा सकता है। अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में विकसित होती साझेदारी और समझौतों की पहल भविष्य की वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तैयार की गई सकारात्मक और दूरगामी सोच का परिचायक बन कर उभरी है। प्राकृतिक संसाधनों का महत्त्व केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी एक महत्त्वपूर्ण आधार बन चुका है। मगर वैश्विक सहयोग की नई संभावनाओं के साथ राष्ट्रीय हितों का ध्यान भी हमें रखना होगा।

– अशोक, पटना, बिहार

भरोसे का आधार

मतदाता सूचियों के सघन पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए ग्यारह दस्तावेजों में आधार कार्ड को लेकर सुधारों की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया गया था। वास्तव में यह अपनी अपेक्षित सुरक्षा संरचना के अभाव में विश्वसनीयता कायम नहीं कर पाया है। वर्तमान समय में यह एक औपचारिक पहचान पत्र बन कर रह गया है, जबकि इसकी परिकल्पना कहीं अधिक सुरक्षित और सर्वमान्य पहचान दस्तावेज के रूप में की गई थी। पैन कार्ड और वोटर कार्ड की तरह इसका उपयोग तो व्यापक है, किंतु सुरक्षा और सत्यापन के स्तर पर इसमें अभी भी कई कमियां दिखाई देती हैं। आधार में डेबिट कार्ड जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को शामिल किया जाए, ताकि यह भारतीय नागरिकों के लिए जोखिम न साबित हो।

– खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर

विशेष
जनसत्ता | 3 जून, 2026

अब एआइ से सीखिए योग, 2.80 लाख तस्वीरों से उन्नत प्रारूप तैयार

कृत्रिम मेधा (एआइ) अब किसी प्रशिक्षक की तरह योग की सही और गलत मुद्राओं के बीच का फर्क पहचान सकती है। अनुसंधानकर्ताओं ने 'योग एआइ कोच' नाम का एआइ माडल विकसित किया है। करीब 2.80 लाख तस्वीरों के आधार पर तैयार प्रारूप (माडल) सूर्य नमस्कार समेत योग की 104 प्रकार की मुद्राओं का वास्तविक समय में विश्लेषण कर सकता है। 'योग एआइ कोच' को तैयार करने में एजंटिक एआइ, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह माडल सरकारी क्षेत्र के संस्थान इंदौर के 'श्री जीएस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस' (एसजीएसआइटीएस) की अनुसंधान परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इस संस्थान की नवाचारी परियोजना को मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीएसटी) की ओर से 7.10 लाख रुपए के अनुदान की मंजूरी भी मिली है।

दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में भूजल हुआ विषैला, इस्तेमाल पर प्रतिबंध

राकेश शर्मा

दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में भूजल विषैला हो गया है। इस क्षेत्र के भूजल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताजा शोध के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी, पूर्वी विनोद नगर और खिचड़ीपुर का भूजल गाजीपुर कचरा पट्टी के कारण विषैला हो गया है। इस क्षेत्र से निकलने वाले भूजल के इस्तेमाल ने गंभीर रोगों की आशंका को बढ़ा दिया है। यह खुलासा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के भूजल जल विज्ञान प्रभाग के वैज्ञानिक द्वारा किए गए एक शोध में हुआ है।

शोध के अनुसार लंबे समय तक गाजीपुर कचरा पट्टी से निकलने वाले दूषित तत्व रिसकर भूजल तक पहुंच गए हैं। इन तत्व से भू जल को हुए नुकसान की पहचान के लिए भूजल विज्ञान प्रभाग की वैज्ञानिक डाक्टर अंजलि भागवत ने एक नवंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक क्षेत्र में सर्वे किया। साथ ही भूजल, मिट्टी सहित अन्य तत्व के नमूने एकत्रित कर जांच किए व लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्हें पता चला कि भूजल का प्रयोग करने वाले लोगों में त्वचा संबंधित गंभीर रोग हो गए हैं। कई मामलों में कैंसर होने की बात भी सामने आई। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन की मदद से क्षेत्र में भूजल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को टैंकर या पाइप लाइन के माध्यम से पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है।

शोध

शोध के दौरान किए गए भूजल परिवहन मॉडलिंग के अनुसार प्रदूषण का फैलाव मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग दो किलोमीटर क्षेत्र तक पाया गया है। इस स्थिति से होने वाली परेशानी की रोकथाम के लिए शोध में प्रभावित क्षेत्रों में विशेष बफर और हस्तक्षेप क्षेत्र बनाने की सिफारिश की गई है। शोध में बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों में भूजल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति पाइपलाइन और टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने हेल्पलाइन व्यवस्था भी शुरू की थी ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। अध्ययन में यह भी सामने आया कि गाजीपुर कचरा पट्टी, संजय झील, यमुना नदी, वर्षा जल तथा अन्य स्रोत कई स्थानों पर जल प्रदूषण के संभावित कारण बने हुए हैं। वैज्ञानिकों ने प्रदूषण स्रोतों की पहचान के लिए ग्रिड आधारित तकनीक का उपयोग किया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों का सटीक आकलन किया जा सके।

ताजा शोध के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी, पूर्वी विनोद नगर और खिचड़ीपुर का भूजल गाजीपुर कचरा पट्टी के कारण विषैला हो गया है। इस क्षेत्र से निकलने वाले भूजल के इस्तेमाल ने गंभीर रोगों की आशंका को बढ़ा दिया है। यह खुलासा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के भूजल जल विज्ञान प्रभाग के वैज्ञानिक द्वारा किए गए एक शोध में हुआ है।

गेंदे के फूलों तक पहुंचा प्रदूषण

शोध के दौरान प्रभावित क्षेत्र में गेंदे के पौधे भी लगाए गए। इन पौधे पर हुए अध्ययन के दौरान पाया गया कि मिट्टी या भूजल में पाया जाने वाले दूषित तत्व गेंदे के फूल तक पहुंच गया। यह गंभीर चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि उक्त पौधे के फूल में भी दूषित तत्व पाए गए तो गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वैज्ञानिक ने राष्ट्रीय जल आयोग को उचित कार्रवाई की सिफारिश की है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कल्याणपुरी, विनोद नगर और खिचड़ीपुर के निवासियों को भूजल का उपयोग पीने या घरेलू जरूरतों के लिए नहीं करना चाहिए। इन क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के लिए केवल अधिकृत जलापूर्ति स्रोतों पर ही निर्भर रहने से कई तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। वहीं अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह शोध दूसरे कचरा पट्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे आधार बनाकर उक्त क्षेत्र में बचाव के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। वहीं समय रहते उक्त क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

देश में कचरे से बिजली उत्पादन की रफ्तार धीमी

पंकज रोहिला

कूड़े के पहाड़ व बिजली की बढ़ती मांग लगातार बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने देश में इस संकट से निजात पाने के लिए कचरे से बिजली जैसी अहम योजना शुरू की थी। इसके तहत राज्यों को अपने कचरे के माध्यम से बिजली बनानी थी और कचरा भी कम करना था।

इस पहल के बाद बीते तीन साल में एक अरब यूनिट (1000 मिलियन यूनिट) से अधिक बिजली बढ़ी है, जबकि देश में बिजली मांग में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नायक के मुताबिक, सरकार देश में हरित ऊर्जा का बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार की रपट बताती है कि कचरे से बिजली उत्पादन करने के मामले में बड़ी ही धीमी रफ्तार से काम हो रहा है। इस श्रेणी में वर्ष 2021- 22 में कुल 1621.06 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जा रहा था, जो कि वर्ष 2025 -26 में बढ़कर केवल 2703.82 मिलियन यूनिट तक हुआ है। इस प्रकार बीते सालों में कचरे से बिजली का उत्पादन करीब 1082.76 मिलियन यूनिट बढ़ा है। तय मानकों के हिसाब से एक मिलियन यूनिट में करीब दस लाख यूनिट बिजली आती है। इस प्रकार कचरे से 1082760000 (1.08 अरब) यूनिट का इस्तेमाल उपभोक्ताओं द्वारा कचरे से बनी बिजली से किया जा रहा है।

कचरे से बिजली बनाने वाले राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। अभी भी देश के कई राज्यों में इस दिशा में पहल होने का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, जैसे प्रमुख राज्य हैं। इन राज्यों में कचरे से बनी बिजली का उत्पादन शून्य दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट बताती है कि पूरे भारत में कुल 283621.23 मिलियन (2.8 अरब) यूनिट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इस बिजली में पवन ऊर्जा से 101248.02, सौर ऊर्जा से 155370.47, बायोमास से 3732.27, गन्ना खोई से 9142.87, लघु हाइड्रो से 11423.78 और कचरे से कुल 2703.82 मिलियन इकाई बिजली का उत्पादन हो रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का अनुमान है कि राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 873736 मेगावाट होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 5,07,411 मेगावाट क्षमता गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे 364566 मेगावाट सौर ऊर्जा, 121895 मेगावाट पवन ऊर्जा, 15500 मेगावाट बायोमास और 5450 मेगावाट लघु जल विद्युत से प्राप्त होगी। वर्तमान में कुल 524 गीगा वाट संस्थापित क्षमता से में करीब 215.5 गीगावाट बिजली गैर पारंपरिक स्रोत से प्राप्त होती है।

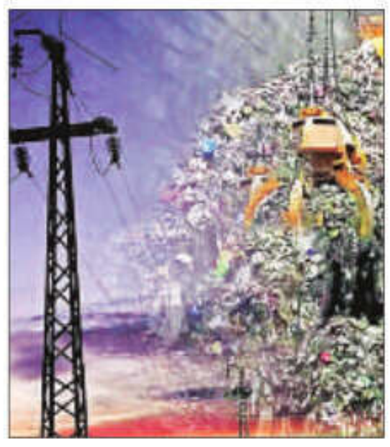

केंद्र सरकार की रपट बताती है कि कचरे से बिजली उत्पादन करने के मामले में बड़ी ही धीमी रफ्तार से काम हो रहा है। इस श्रेणी में वर्ष 2021- 22 में कुल 1621.06 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जा रहा था, जो कि वर्ष 2025 -26 में बढ़कर केवल 2703.82 मिलियन यूनिट तक हुआ है।

154830 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता

रिपोर्ट बताती है कि 154830 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। इसमें 64670 मेगावाट सौर ऊर्जा, 6490 मेगावाट पवन ऊर्जा, और 59990 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा निर्माणाधीन (जनवरी 2026 तक) है जबकि 47920 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जिसमें 35440 मेगावाट सौ ऊर्जा और 10080 मेगावाट हाइब्रिड योजना 2029 - 30 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

इंसानों की तरह मिट्टी की सेहत की भी फिक्र जरूरी

सर्वेश कुमार

इंसानों की तरह मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रखकर फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके लिए खास तौर पर मिट्टी में पोषक तत्वों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसमें जैविक खाद, लघु सिंचाई सहित अन्य उपायों को अपनाकर फसलों के लिए पौधों को पोषण तत्वों के नुकसान की बचत की जा सकती है। जैविक खेती से उर्वरकों के इस्तेमाल में कटौती के साथ ही देश में फसलों की गुणवत्ता में सुधार से कृषि क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिल सकती है।

जानकारों का कहना है कि जैविक खेती करने वाले किसानों की वित्तीय सेहत बेहतर बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कृषि मामलों के जानकारों के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट के बीच जैविक खेती और जैव उर्वरकों के इस्तेमाल बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। प्राकृतिक खेती के साथ साथ उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल के साथ साथ मिट्टी में पोषक तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। कुछ जगहों पर खेतो की मिट्टी में नाइट्रोजन अगर 30-40 फीसद है तो इसे बढ़ाकर 70 फीसद किया जा सकता है।

पर्यावरण

इसके लिए पानी का नुकसान या वाष्पीकरण और पोषक तत्वों की कमी को दूर करना जरूरी है। पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए एहतियाती उपायों से बेहतर पैदावार के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता और बेहतर हो सकती है। मिट्टी की मैपिंग के जरिए जरूरी पोषक तत्वों के संतुलित इस्तेमाल से पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों के असंतुलित इस्तेमाल का असर मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। जैविक कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों और कृत्रिम दवाओं के बयान पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों, जैविक खादों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित बनाए रखना है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक पदमश्री ए के सिंह के मुताबिक गुणवत्ता कृषि को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता, खासकर इसके पोषण का ध्यान रखना जरूरी है। फिलहाल कई बार खेतों में मिट्टी की जरूरत के मुताबिक नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस सहित अन्य पोषक तत्वों का असंतुलन होने से भी पैदावार प्रभावित होती है। जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए इनकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बेहतर प्रबंधन भी जरूरी है।

जैविक खेती से उर्वरकों के इस्तेमाल में कटौती के साथ ही देश में फसलों की गुणवत्ता में सुधार से कृषि क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिल सकती है।

मिट्टी की मैपिंग के जरिए जरूरी पोषक तत्वों के संतुलित इस्तेमाल से पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों के असंतुलित इस्तेमाल का असर मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है।

स्वच्छता

अहमदाबाद में मंगलवार को स्वच्छता अभियान के तहत साबरमती नदी की सफाई करते स्वयंसेवक।

रोमांच व संस्कृति का संगम बनी 'बाइकिंग' प्रतियोगिता

सुनील दत्त पांडेय

उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की सुरम्य एवं सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नीति घाटी में 31 मई से दो जून तक आयोजित 'नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' के अंतिम दिन गमसाली से मलारी के मध्य 30 किलोमीटर एमटीबी (माउंटेन बाइकिंग) चैलेंज प्रतियोगिता का रोमांचक आयोजन किया गया। दुर्गम पहाड़ी रास्तों, चुनौतीपूर्ण ट्रैक और मनमोहक प्राकृतिक वादियों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर से आए 100 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 30 किलो मीटर पुरुष एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता में खरिकसिंग अडानिस तांगपू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सूरज राणा मगर दूसरे एवं प्रकाश थापा मगर तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग की 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता में अवनी डरियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। संध्या मौर्या दूसरे तथा इंद्रा कुमारी तमांग तीसरे स्थान पर रहीं।

15 किलोमीटर पुरुष एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता में प्रज्जवल चौहान प्रथम, इशांत सिंह अधिकारी द्वितीय तथा अश्विन रौथान तृतीय स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में प्रिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में देश के 27 राज्यों से आए कुल 1200 से अधिक प्रतिभागीयों ने हिस्सा लिया। तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना तथा फिटनेस एवं साहसिक खेलों के प्रति जागरूक करना है।

वर्ष 2047 तक 6.8 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी संभव

सुशील राघव

देश के शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन न केवल स्वच्छता और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का भी प्रभावी माध्यम बन सकता है। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत जैविक कचरे के संग्रहण और प्रसंस्करण को व्यापक स्तर पर अपनाता है तो वर्ष 2047 तक लगभग 6.8 करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।

रिपोर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में बड़ी मात्रा में जैविक कचरा खुले में फेंका जाता है या कूड़ा स्थलों तक पहुंच जाता है, जहां से मीथेन जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। मीथेन को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे खतरनाक गैसों में माना जाता है। यदि इस कचरे को खाद और जैव-गैस बनाने के लिए उपयोग किया जाए तो उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अध्ययन के अनुसार, त्वरित नीतिगत हस्तक्षेप वाले परिदृश्य में देश 2047 तक जैविक कचरे का सौ फीसद संग्रह और 95 फीसद तक प्रसंस्करण करने में सक्षम हो सकता है। इससे कचरे के ढेरों पर जाने वाली मात्रा घटेगी और उससे बनने वाली मीथेन गैस के उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आएगी। इसके साथ ही खाद, जैविक उर्वरक और जैव-सीएनजी जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा।

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि वर्तमान व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया तो वर्ष 2047 तक कचरा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन बढ़कर लगभग 12 करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड समतुल्य तक पहुंच सकता है। इसलिए समय रहते प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। सीईईडब्ल्यू प्रार्थना बोराह ने कहा कि कचरा प्रबंधन स्वच्छ हवा से संबंधित बुनियादी ढांचा है। खुले में कचरा जलाना भारतीय शहरों में हानिकारक पीएम 2.5 उत्सर्जन में लगभग 10 फीसद का योगदान देता है, जबकि उचित प्रबंधन न होने पर जैविक कचरा मीथेन, दुर्गंध, आग का जोखिम और प्रदूषण बढ़ाता है, जिससे पुनर्चक्रण योग्य (रीसायकल होने लायक) सामग्रियों का मूल्य घट जाता है। जैसे-जैसे भारतीय शहरों का विस्तार हो रहा है, कचरा प्रबंधन प्रणालियां न केवल मौसमी प्रदूषण के समय, बल्कि पूरे साल हवा की गुणवत्ता और जीवन जीने की सुगमता तय करेंगी। शहरों को कचरे की छंटाई, संग्रह (इकट्ठा करने), प्रसंस्करण, निगरानी और नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए साल भर चलने वाली, अति-स्थानीय तंत्र की जरूरत है, विशेष रूप से थोक कचरा उत्पादकों, बाजारों, होटलों, रेस्तरां और बड़े आवासीय परिसरों के लिए।

रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के शहरों में प्रतिदिन लगभग 1.71 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें करीब आधा हिस्सा जैविक कचरे का होता है। वर्ष 2047 तक यह मात्रा और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में जैविक कचरे का प्रभावी प्रबंधन स्वच्छ हवा, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।

वर्तमान में बड़ी मात्रा में जैविक कचरा खुले में फेंका जाता है या कूड़ा स्थलों तक पहुंच जाता है, जहां से मीथेन जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। मीथेन को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे खतरनाक गैसों में माना जाता है। यदि इस कचरे को खाद और जैव-गैस बनाने के लिए उपयोग किया जाए तो उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

तृणमूल कांग्रेस ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दी सूचना। अशीमा पात्रा और नयना बंद्योपाध्याय को उपनेता प्रतिपक्ष तथा फिरहाद हाकिम को मुख्य सचेतक नियुक्त करने की मांग।

तृणमूल कांग्रेस में चल रहे आंतरिक विवाद के बीच पार्टी ने वरिष्ठ विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता देने की मांग रखी।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि तृणमूल कांग्रेस ने वरिष्ठ विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा अशीमा पात्रा और नयना बंद्योपाध्याय को उपनेता प्रतिपक्ष तथा फिरहाद हाकिम को मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) नियुक्त किया गया है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में लंबे समय से चली आ रही परंपरा और प्रक्रियाओं के आधार पर इन नियुक्तियों को मान्यता दी जानी चाहिए। पार्टी ने पत्र में दावा किया है कि 15 मई को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने अध्यक्ष को उनके आसन तक पहुंचाया था। इसके बाद स्वागत भाषण के दौरान अध्यक्ष ने स्वयं शोभनदेब चट्टोपाध्याय को तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के रूप में संबोधित करने का अवसर दिया था, जिससे उनकी भूमिका को सदन के पटल पर स्वीकार किया जा चुका है।

पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि स्थापित परंपराओं और पूर्व उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य अनुशंसित नेताओं को उनके संबंधित पदों पर जल्द से जल्द औपचारिक मान्यता प्रदान की जाए।

उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए की तल्ख टिप्पणी

बेटी को अनुकंपा नियुक्ति न देना मनमाना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता है और परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल नहीं करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

महिला ने 2019 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें विवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया था। शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि विवाहित बेटी को परिभाषा से बाहर रखना उचित नहीं है, क्योंकि आश्रित कोटा के तहत डीलरशिप आवंटन का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे मृत व्यक्ति के परिवार को सहायता प्रदान करना है।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता है और परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल नहीं करना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था एक महिला द्वारा दायर अपील पर दी, जो एक मृत राशन डीलर की विवाहित बेटी है। उसने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान पर डीलर के रूप में नियुक्ति के उसके दावे को खारिज कर दिया गया था। महिला ने 2019 के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी, जिसमें विवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया था। शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि विवाहित बेटी को परिभाषा से बाहर रखना उचित नहीं है, क्योंकि आश्रित कोटा के तहत डीलरशिप आवंटन का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे मृत व्यक्ति के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना है।

पीठ ने कहा, 'प्रासंगिक विचारणीय बिंदु हैं निर्भरता, वित्तीय आवश्यकता, निवास और डीलरशिप से जुड़े दायित्वों को पूरा करने की आवेदक की क्षमता। वैवाहिक स्थिति का इनमें से किसी भी विचारणीय बिंदु से कोई तार्किक संबंध नहीं है।' न्यायालय ने कहा कि विवादित प्रावधान इस धारणा पर आधारित है कि विवाह के बाद बेटी अपने माता-पिता के परिवार की सदस्य या आश्रित नहीं रह जाती है और ऐसी धारणा संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। पीठ ने कहा, 'विवाह न तो बेटी और उसके माता-पिता के बीच के बंधन को समाप्त करता है और न ही आश्रित नहीं होने का कोई वैध आधार प्रदान करता है। समकालीन सामाजिक वास्तविकताएं दर्शाती हैं कि कई विवाहित बेटियां अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, उनका भरण-पोषण करती हैं या उन पर आश्रित बनी रहती हैं। इसी प्रकार, ऐसे बेटे भी हो सकते हैं, जो परिभाषा में शामिल होने के बावजूद परिवार पर आश्रित नहीं हैं। निर्भरता एक तथ्यात्मक प्रश्न है और केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर इसका निर्णायक निर्धारण नहीं किया जा सकता है।'

केरलम में चार जून को मानसून की दस्तक संभव

मौसम विभाग का अनुमान, कर्नाटक व तमिलनाडु के कई इलाकों में हो सकती है बारिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

केरलम में दक्षिण-पश्चिम मानसून चार जून के आसपास दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को यह पूर्वानुमान जताया। केरलम में मानसून आम तौर पर एक जून के आसपास पहुंच जाता है, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम (जून-सितंबर) की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। विभाग ने साथ ही छह-सात दिनों में केरलम के अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश और कर्नाटक व तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना भी जताई है।

मौसम विभाग ने अपने दैनिक पूर्वानुमान में कहा कि दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप तथा केरलम व तमिलनाडु के कुछ भागों में चार जून के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक, मानसून दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के बाकी भागों में भी इसी तारीख के आसपास आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने तीन जून को उत्तर पश्चिमी भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना भी जताई है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर छह जून तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई है।

मौसम विभाग ने पहले अनुमान जताया था कि केरलम में मानसून की दस्तक 26 मई के आसपास होगी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। बाद में विभाग ने 29 मई को कहा कि मानसून अगले हफ्ते पहुंच सकता है। पिछले हफ्ते विभाग ने अपने संशोधित पूर्वानुमान में कहा कि इस बार मानसूनी बारिश सामान्य से कम रहेगी।

पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला

सीबीएसई ने कहा, सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को कहा कि 'दुर्भावनापूर्ण तत्त्वों' ने साइबर हमलों की एक शृंखला के माध्यम से उसके पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया, जिसमें एक ऐसा हमला भी शामिल है जिसके कारण दो मिनट के भीतर प्लेटफार्म पर 15 लाख 'हिट' हुए और अनधिकृत रूप से फाइल हासिल करने के एक लाख से अधिक प्रयास किए गए। इसकी वजह से षविद्यार्थियों को आवेदन करने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा।

सीबीएसई ने कहा कि पोर्टल वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान कर रहा है और दोपहर बाद तीन बजे तक 16,000 से अधिक विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक अपनी प्रविष्टियां जमा कर दीं। बोर्ड ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज हजारों विद्यार्थियों ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल का उपयोग किया, लेकिन दुर्भावनापूर्ण तत्त्वों ने साइबर हमलों की एक शृंखला के माध्यम से सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया। सबसे हालिया घटना एक 'डिनायल आफ सर्विस' हमले का प्रयास है, जिसके कारण दो मिनट के भीतर पोर्टल पर 15 लाख हिट हुए और अनधिकृत रूप से फाइल हासिल करने के एक लाख से अधिक प्रयास किए गए।

'डिनायल-आफ-सर्विस' हमला एक दुर्भावनापूर्ण साइबर खतरा है जो किसी मशीन, नेटवर्क या वेबसाइट को उसके लक्षित उपयोगकर्ताओं को अनुपलब्ध करता है। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के आधार पर सीबीएसई ने कहा कि उसने प्लेटफार्म को और बेहतर बनाया है, जिसमें सत्र की समय सीमा बढ़ाना भी शामिल है, ताकि प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुगम हो सके। बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम सतर्क और तत्पर है ताकि हमारे प्रिय विद्यार्थियों को हर संभव तरीके से सुविधा मिल सके।

इससे पहले दिन में, सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन एवं उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई समस्याओं के सत्यापन के लिए मंगलवार को आनलाइन पोर्टल चालू कर दिया। बोर्ड के अनुसार यह सुविधा केवल उन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त की हैं। सीबीएसई ने कहा कि उत्तर पुस्तिका की उपलब्ध कराई गई स्कैन प्रति में देखी गई समस्याओं के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन के लिए पोर्टल दो जून 2026 को शुरू कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिका की उपलब्ध कराई गई स्कैन प्रति में यदि कोई समस्या है तो विद्यार्थी उसके सत्यापन और मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होने पर उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल दो जून से छह जून (मध्यरात्रि) तक चालू रहेगा और समयसीमा के बाद कोई आफलाइन आवेदन या अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को सीबीएसई की वेबसाइट के जरिए अपने आधार नंबर का उपयोग कर 'लाग-इन'करना होगा और आनलाइन आवेदन करना होगा। बोर्ड ने कहा कि शुल्क भुगतान सहित पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी।

अधिकारियों को हटा दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को बचा लिया गया : राहुल गांधी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष और सचिव के तबादले के बाद मंगलवार को कहा कि यह मामले पर पर्दा डालने की कोशिश है क्योंकि अधिकारियों को हटा दिया गया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचा लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि सीबीएसई अध्यक्ष का तबादला, सीबीएसई सचिव का तबादला, एक-सदस्यीय जांच समिति गठित। और असल जिम्मेदार, धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को हटा दिया गया और मंत्री को बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि यह जवाबदेही नहीं, बल्कि यह यह मामले पर पर्दा डालने की कोशिश है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मांग आज भी वही है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगें कोई सरकार की एक महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती, धर्मेंद्र प्रधान कब के हटाए जा चुके होते।

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में यूपी सरकार से मांगा जवाब

लखनऊ, 2 जून (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के मामले में जवाब मांगा। इस मामले में राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें मौजूदा ग्राम प्रधानों को तब तक प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया है, जब तक कि नए पंचायत चुनाव नहीं हो जाते।

पीठ ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वह सरकार से उचित निर्देश प्राप्त करें और तीन जून को अदालत को इस बारे में जानकारी दें। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की पीठ ने स्थानीय वकील ओम प्रकाश प्रजापति की पीआइएल पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के 25 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जसमें मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

भाजपा ने 177 सीट की मतगणना में 'धांधली' की : ममता बनर्जी

कोलकाता, 2 जून (भाषा)।

बनर्जी ने कहा कि वह 'इस कठिन समय' में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ेंगी।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा ने हाल में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए 294 में से 177 सीट की मतगणना में 'धांधली' की। बनर्जी ने कहा कि वह 'इस कठिन समय' में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ेंगी। ममता ने यह टिप्पणी उनकी पार्टी नेताओं की भ्रष्टाचार, धमकी और वसूली के आरोप में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी तथा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न को लेकर की।

चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पार्टी कार्यकताओं और नेताओं पर कथित तौर पर हुए हमलों के विरोध में मध्य कोलकाता में दिन भर के धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि भाजपा विरोधी पार्टियां जल्द ही देशव्यापी विरोध कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगी। बनर्जी ने अगले सप्ताह होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की बैठक का उल्लेख करते हुए कहा, 'बहुत जल्द, भाजपा विरोधी सभी पार्टियां दिल्ली में बैठक करेंगी। कुछ दिनों का इंतजार कीजिए और हम जल्द ही विपक्ष की देशव्यापी कार्ययोजना की घोषणा करेंगे।' तृणमूल कांग्रेस को रानी रासमणि रोड पर धरना आयोजित करने की अनुमति देने से कोलकाता पुलिस द्वारा मना किए जाने के बाद ममता बनर्जी धरना स्थल पर पहुंचीं।

पेज 1 का बाकी

पंचकूला में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 21 गिरफ्तार

सेंटर में आपरेटर के रूप में कार्यरत थे। अदालत से इन्हें जमानत मिल गई है। साइबर थाना पुलिस को मिली सूचना के आधार पर सोमवार देर रात सेक्टर-2 मार्केट स्थित अल्फा इवेंट कंपनी के कार्यालय में छापेमारी की गई। जांच के दौरान यह कार्यालय एक अत्याधुनिक साइबर ठगी केंद्र के रूप में संचालित होता पाया गया, जहां से विदेशी नागरिकों, विशेषकर अमेरिका के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था।

पुलिस ने इस मामले में नवदीप, अक्षय टिक्कू, रजा और अंकुर कपूर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी पूरे गिरोह के संचालन में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। हिरासत में लिए गए अन्य लोगों से पूछताछ जारी है और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को अमेजन कंपनी का ग्राहक सेवा अधिकारी बताकर अमेरिका के नागरिकों को फोन करते थे। बातचीत के दौरान वे विभिन्न बहानों से लोगों का विश्वास जीतते और फिर उनसे बैंक खाते, डेबिट-क्रेडिट कार्ड तथा अन्य संवेदनशील वित्तीय जानकारियां हासिल कर लेते थे। इन जानकारियों का इस्तेमाल कर पीड़ितों के खातों से रकम निकालने और वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता था।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और कुल कितनी राशि की ठगी की गई।जांच में यह भी सामने आया है कि काल सेंटर का संचालन पूरी तरह अमेरिकी समय क्षेत्र (यूएस टाइम जोन) के अनुरूप किया जाता था। कार्यालय शाम करीब सात बजे खुलता था और तड़के लगभग तीन बजे तक संचालित रहता था, ताकि अमेरिका में दिन के समय संभावित पीड़ितों से संपर्क किया जा सके।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस संगठित गिरोह के तार देश और विदेश में सक्रिय अन्य साइबर अपराध ठगों से भी जुड़े हो सकते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने काल सेंटर से भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक उपकरण और नकदी बरामद की। बरामद सामान में 19 कंप्यूटर, तीन लैपटाप, 11.30 लाख रुपए नकद, तीन वाकी-टाकी, 16 फोन, दो वाई-फाई राउटर, एक नोट गिनने की मशीन, तीन पीओएस मशीनें तथा सोने के आभूषण शामिल हैं। पुलिस ने सभी उपकरणों को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि ठगी के गिरोह और उसके तकनीकी ढांचे का पता लगाया जा सके। गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उनकी रिमांड मांगकर पूरे नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन, विदेशी संपर्कों और साइबर अपराध के दायरे की विस्तृत जांच करेगी।

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई संगठित साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता है और जांच के दौरान इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पंचकूला पुलिस की इस कार्रवाई को हरियाणा में साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि गिरोह लंबे समय से विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहा था। पुलिस अब पूरे गिरोह की वित्तीय और तकनीकी परतों को खंगालने में जुटी है।

ममता बनर्जी के साथ तीन सांसद और छह विधायक

फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा, राज्य सभा सांसद डेरेक ओह्लब्रायन, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सांसद डोला सेन, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, चंद्रिमा भट्टाचार्य सहित अन्य शामिल रहे।

वहीं, तृणमूल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर आए अधिकतर नए चेहरे कार्यक्रम से नदारद रहे। हालांकि, पार्टी नेताओं का दावा है कि कुछ अन्य नेता भी धरने में पहुंचे थे लेकिन किसी कारण सामने नहीं आ पाए। वहीं, प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दौरान ममता बनर्जी ने पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक होने का दावा किया। साथ ही आश्वासन दिया कि व्हे कार्यकर्ताओं को मंझधार में नहीं छोड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा विरोधी पार्टियां जल्द ही देशव्यापी विरोध कार्यक्रम तैयार करेंगी। अगले सप्ताह होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। बता दें कि चुनाव परिणाम के बाद से तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मौजूदा समय में पार्टी के दो धड़ बन गए हैं। दूसरे धड़ का दावा है कि उनके साथ करीब 60 विधायक हैं, जबकि ममता के साथ अब विधायक नहीं रहना चाहते। इसका असर ममता बनर्जी के घर हुई बैठक में दिखा। उस समय 50 से अधिक विधायक बैठक से दूर रहे। इससे पहले भी कई जगहों पर जीत कर आए पर्याप्त विधायकों की संख्या नहीं जुटी। इससे पहले मई के अंतिम सप्ताह में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डा शांतनु सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चार बार की सांसद डा. काकोली घोष ने भी पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया था।

उन्नीस हजार घर खरीदारों से धोखाधड़ी, चार प्रवर्तक गिरफ्तार

घर खरीदारों एवं निवेशकों से लगभग 2,004 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। जांच एजंसी ने कहा कि उसकी जांच में सामने आया कि समूह की विभिन्न इकाइयों और संबंधित कंपनियों एवं व्यक्तियों के माध्यम से लगभग 467 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई।

ईडी ने कहा, 'खरीदारों/निवेशकों से पर्याप्त धनराशि मिलने के बावजूद परियोजनाएं या तो अधूरी छोड़ दी गईं या फिर इकाइयों का कब्जा नहीं सौंपा गया, जिससे घर खरीदारों और निवेशकों को नुकसान हुआ।'जांच एजंसी के मुताबिक, जांच में यह भी पता चला कि कथित अपराध से अर्जित धनराशि का एक हिस्सा समूह के प्रवर्तकों और निदेशकों से जुड़ी विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों के नाम पर चल एवं अचल संपत्तियों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया गया। यह जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, उसके निदेशकों/प्रवर्तकों और संबंधित इकाइयों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई पांच प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) ने भी समूह के प्रवर्तकों और निदेशकों के खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा-447 के तहत एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की है। अप्रैल में ईडी ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अर्थ समूह से जुड़े परिसरों पर छापे मारे थे।

छापेमारी के दौरान एजंसी ने लगभग 6.30 करोड़ रुपए नकद, करीब 8.78 करोड़ रुपए के आभूषण और 100 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है।

ओएसएम प्रणाली

छात्र ने समिति के समक्ष उठाए सवाल, अधिकारी चुप रहे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के शीर्ष अधिकारियों ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में आनलाइन मूल्यांकन संबंधी सेवा के लिए जारी निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर मंगलवार को एक संसदीय समिति की बैठक में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया। अधिकारियों ने कहा कि वे बाद में लिखित जवाब प्रस्तुत करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष सीबीएसई के अधिकारियों ने आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली संबंधी विवाद पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी समिति के समक्ष आनलाइन मार्किंग मुद्दे पर एक पेज की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। सीबीएसई की आनलाइन मूल्यांकन प्रणाली से प्रभावित झारखंड के 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने भी समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी। सूत्रों ने बताया कि सार्थक ने आनलाइन मूल्यांकन की खातिर 'वेंडर' के चयन के लिए सीबीएसई की निविदा प्रक्रिया में विसंगतियों का उल्लेख किया और बोर्ड के समक्ष कई सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति के समक्ष सात पन्नों में अपने बिंदुओं को रखा।

समिति के सदस्यों ने सार्थक की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और सीबीएसई अधिकारियों से जवाब मांगा। सार्थक ने सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव (स्कूल शिक्षा) संजय कुमार के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में समिति के समक्ष प्रस्तुति दी। सीबीएसई ने समिति के सदस्यों को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं पर अपना पक्ष रखा गया था और सांसदों को आश्वासन दिया गया कि उसके पोर्टल से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक कर लिया गया है और छात्रों के पास अब अपनी उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की खातिर छह जून तक का समय है।

'अगर मैं न होता, तो तुम जेल में होते'

करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी हिजबुल्ला के नेताओं के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई, जो 'इजराइल और उसके सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने' पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि मेरी हिजबुल्ला के नेताओं के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई और वे इजराइल तथा उसके सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने पर सहमत हुए।

इसी तरह, इजराइल भी उन पर गोलीबारी बंद करने पर सहमत हो गया। देखते हैं यह कब तक चलता है - उम्मीद है कि यह हमेशा के लिए चलेगा। अमेरिकी मीडिया कंपनी 'एक्सियोस' ने बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू की फोन काल के दौरान तीखी बहस हुई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने आम नागरिकों के हताहत होने पर चिंता जताई और उन हमलों पर आपत्ति व्यक्त की, जिनमें सीमित लक्ष्यों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने हिजबुल्ला के हमलों का जवाब देने के इजराइल के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि हालिया तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है।

यह फोन काल ऐसे समय पर आई, जब इस क्षेत्र में तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था। ईरान ने संकेत दिया था कि लेबनान में इजराइल की कार्रवाइयों के कारण वह अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से पीछे हट सकता है।

CENTRUM Home Loans

कॉर्पोरेट तथा पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826
शाखा का पता - सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यूनिट नंबर एस-11, द्वितीय तल, सेक्टर 12 ए, आवास विकास, सिकंदरा योजना, आगरा - 282007, उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट–IV-A
(नियम 8(6) तथा 9(1) का प्रावधान देखें)
नीलामी सह बिक्री की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणधारक/कों से देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' भौतिक कब्जे में है,

जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	ऋणधारक(कों)/सह–ऋणधारक (कों) /गारंटर(रों) के नाम / ऋण खाता संख्या / शाखा	तिथि के अनुसार कुल बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (आरपी)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) 10%
1.	MTCAG23014423, राज कुमार तथा राज कुमारी	रु. 9,14,898/– (रुपये नौ लाख चौदह हजार आठ सौ अट्ठानबे मात्र) 11–04–2025 के अनुसार	मकान नंबर 67/423, क्षेत्रफल 54.74 वर्ग मीटर, शांति नगर (सती नगर), असफाबाद, जिला फिरोजाबाद–283203, उत्तर प्रदेश नामक अचल संपत्ति के अधिकारों, टुकड़े तथा हिस्से में। सीमाएं :– पूर्व : ओमप्रकाश का मकान, पश्चिम : 16' चौड़ी सड़क, उत्तर : महेंद्र सिंह का मकान, दक्षिण : छविराम का मकान	रु. 7,40,000/– (रुपये सात लाख चालीस हजार मात्र)	रु. 74,000/– (रुपये चौवहत्तर हजार मात्र)

1. नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जो है" के आधार पर आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम तथा शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं, जो उपरोक्त उल्लिखित शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं। 3. निर्धारित निविदा प्रपत्रों में 'सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय ईएमडी तथा केवाईसी के साथ सीलबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर 25–06–2026 को या उससे पहले सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक है। वे निविदाएं जो पूरी तरह से भरी नहीं गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं को अमान्य निविदा माना जाएगा तथा तदनुसार खारिज कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 24–06–2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक है। 5. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव खोलने की तिथि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर 26–06–2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक है। 6. क्रेता नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में लागू स्टांप शुल्क/अतिरिक्त स्टांप शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, फीस आदि तथा सभी वैधानिक देय, कर, दर मूल्यांकन, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी कर, टीडीएस तथा अन्य शुल्क, फीस आदि का वहन करेगा। ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्ति का कब्जा सीएचएफएल के पास है, जो उपरोक्त का अनुपालन होने पर सफल बोलीदाता को संपत्ति के ऋणभार/स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए तथा स्वयं निरीक्षण करके संतुष्ट होना चाहिए। 7. संपत्तियों को अपने नाम पर नामांतरित कराने के अन्य सभी खर्च तथा वैधानिक देय, यदि कोई हो, सफल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 8. उच्चतम बोलीदाता सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी/सभी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे। उनका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। 9. ऋणधारक (कों) / गारंटर(रों) को एतद्द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की बिक्री सूचना दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी तथा शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जाएगी। यदि ऋणधारक बिक्री की तिथि से पहले सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो नीलामी को रद्द किया जा सकता है। अधिक विवरणों के लिए, ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **संपर्क व्यक्ति : 1. श्री शिवेंद्र सिंह– 9198792266, 2. श्री अंकित कुमार पांडे– 7906843760**

स्थान : उत्तर प्रदेश तिथि : 03–06–2026 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा पता : 1085ई, पूरन एन्कलेव, शिवम प्लाजा, सेक्टर 29-29 चौक, फरीदाबाद, हरियाणा-121002

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 07.07.2026, समय 02.00 बजे अप. से 06.00 बजे अप.

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना - "परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रावधान देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत चल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार, बंधककर्ता(ओं) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित खाते(तों) में बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ है वही है" आधार पर की जायेगी।
कर्जदार(रों)/ बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों)/प्रतिभूत आस्ति(यों)/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा संविदा वृद्धि राशि निम्नलिखित वर्णित हैं :

क्र. सं.	कर्जदार/रों/जमानती/बंधककर्ता ओं का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण तथा ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो	31.01.2026 तक कुल बकाया	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय तिथि:
1	मैसर्स एक्सट्रीम टेक्नोलॉजीज प्रॉपराइटर- श्री जगन सिंह पुत्र गिर्राज सिंह कार्यालय का पताः 10/1,60 फीट रोड, सोहना रोड, गांव-नगला गुर्जन, बल्लबगढ़, हरियाणा-121004 श्री जगन सिंह पुत्र गिर्राज सिंह (कर्जदार) पताः मकान नंबर 246/1, समयपुर रोड, राजीव कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा - 121004	संपत्ति का समस्त भाग, जिसमें संपत्ति/मकान संख्या 434/427एन, सुभाष कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 98 वर्ग गज है और जो श्री जगन सिंह पुत्र श्री गिर्राज सिंह के नाम पर है (बिक्री विलेख/पट्टा संख्या 14380, दिनांक 14.03.2007 के अनुसार)। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः श्री ओम प्रकाश की संपत्ति; दक्षिणः श्री सतवीर की संपत्ति; पूर्वः अन्य संपत्ति; पश्चिमः 15'-0" चौड़ी सड़क।	**बकाया राशि** रु. 10,27,028.18/- (रुपये दस लाख सत्ताईस हजार अट्ठाईस और अठारह पैसे मात्र) + 31.01.2026 तक रु. 5,77,041.55/- का अप्रयुक्त ब्याज + भावी अप्रयुक्त ब्याज + अन्य शुल्क। कब्जे की स्थिति : सांकेतिक	आरक्षित मूल्य : रु. 22,00,000/- ईएमडी राशि : रु. 2,20,000/- बोली वृद्धि राशि: रु. 20000/-	तिथि: 03.07.2026 से 06.07.2026 समय: 10:00 बजे पूर्वा. से 04:00 बजे अप.

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबलिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** तथा ऑनलाइन नीलामी पोर्टल इंह्ल ह्लीञ्ज.ह्ल में प्रावधानित लिंक का संदर्भ लें/देखें। सम्भावित संविदाकार अधिकृत प्राधिकारी से संपर्क नं. 9004921106 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

तिथि : 02.06.2026 हस्ता./-
स्थान : फरीदाबाद अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-40013
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) एवं नियम 8(6) प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदार) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कुल राशि की वसूली हेतु **"जहाँ है जैसे है", "जो है जैसे है" तथा "जो भी है वहीं है"** के आधार पर 19.06.2026 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनुपस्थिति में, आस्ति/सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 19.06.2026 को 2 बजे अप. की जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट वाला मुहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास शाखा पता टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर, भाग-2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 पर 18.06.2026 क्टो 5 बजे अप. तक जमा करना है।

प्रतिभूत आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री **"जहाँ है जैसे है स्थिति"** में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी :

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों)/जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य	तिथि तक बकाया
1.	TCHHL0701000100073205	श्री राशिद खान पुत्र श्री शब्बीर खान श्रीमती फरहत परवीन पत्नी श्री राशिद खान	रु. 8,59,088/- 27-10-2022	रु. 14,50,000/- जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. 1,45,000/- कब्जे का प्रकारः भौतिक	रु. 1829028/- 25-05-2026

अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 41/2 पर निर्मित 01बीएचके आवासीय फ्लैट संख्या एएफ-1 (पहली मंजिल) का समस्त भाग, 54.34 वर्ग मीटर का माप, खसरा संख्या-157 में निर्मित, जगतपुर लाला बेगम, पशुपति विहार, अल आरिफ टॉवर, जिला बरेली-243001 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख के तहत सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएँः - पूर्व - फ्लैट नंबर F2, पश्चिम - अन्य का घर - चौड़ा, उत्तर - अन्य का घर, दक्षिण - गलियारा।

नोटः- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले ड्यू डिलिजेंस कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के परिणाम पर निर्भर होगी।
बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी।
यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी।
नोट : यह ई-नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से 19.06.2026 को 2.00 बजे अप से 3.00 बजे अप के बीच आयोजित की जायेगी।
नियम एवं शर्तें : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिभूत लेनदार के विवेकानुसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि शाखा पता में देय "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। 6. दर्ज कारणों से, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 10.06.2026 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा पुनः नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात किसी भी ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी हैः उपरोक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति कर, बिजली आदि के वैधानिक देनदारियों सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे सेवा प्रदाता अर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, द्वितीय मंजिल, भाग बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद - 500082 ईमेल आईडीः contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पूछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : 999907866913 पर करें। 13. उच्चतम संविदाकार को उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस प्रयोज्य एवं देय होगा। यह भुगतान उच्चतम संविदाकार द्वारा स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन में जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14. उपर्युक्त विवरण के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.https://ln.run/4EGd4 में प्रावधानित लिंक देखें। 15. कृपया लिंक https://www.tatacapital.com/property-disposal.html भी देखें।
कृपया ध्यान दें - टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : दिल्ली एवं उ.प्र. तिथि : 03.06.2026 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, ई-145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान-302001

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना

कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये **"जैसा है जहाँ है आधार" तथा "जो भी वहाँ है आधार"** पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्न ऋण खाताओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

1. कर्जदार/रों एवं जमानती/यों का नाम एवं पता 2. कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी
1. **वर्धमान होटलियर्स सॉल्यूशंस,** पोल्ट नंबर 99, मंजी का हाता, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, पाओटा, जोधपुर- 342001 राजस्थान। 2. **मोनिका धर्मचंद पीचा,** 117-118, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, मांजी का हाटा, जोधपुर-342001 राजस्थान, 3. **हर्षवर्द्धन शिवचंद लालवानी,** प्लॉट नंबर 117, मांजी का हाता, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, जोधपुर-342001 राजस्थान, 4. **सुंदर लाल** प्लॉट नंबर 7, ख. नंबर 112, दाधीच नगर, बाडिया ग्राम के पीछे, भदवासिया, जोधपुर-342001 राजस्थान, 5. **हस्ती ट्रेडिंग कंपनी** प्लॉट नंबर 117, मांजी का हाटा, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, पाओटा जोधपुर-342001 राजस्थान। 6. **वर्धमान होटलियर्स सॉल्यूशंस,** प्लॉट नंबर 116,117 और 118, मांजी का हाता, पाओटा जोधपुर- 342001 राजस्थान 7. **वर्धमान होटलियर्स सॉल्यूशंस,** प्लॉट नंबर 142, मांजी का हाता, पाओटा, जोधपुर-342001 राजस्थान। ऋण खाता क्रमांक 1666083/17.04.2019 तक **रु. 2,68,16,809/- (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख सोलह हजार आठ सौ नौ मात्र)** और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, जिसमें आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि शामिल हैं।	प्लॉट संख्या 142, मांजी का हाथा, पाओटा, जोधपुर-342001, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट है, और जो सुंदर लाल जैन के नाम पर दर्ज है, पंजीकरण दस्तावेजः पुस्तक संख्या 1, पृष्ठ संख्या 52 पर, क्रम संख्या 201503054105381 के तहत, दिनांक 04 दिसंबर, 2015 को, उप-पंजीयक कार्यालय - जोधपुर में पंजीकृत।	1) **ई-नीलामी की तिथि:** 20-06-2026 सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक, जिसमें 5 मिनट का अतिरिक्त विस्तार भी शामिल है। 2) **केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि:** 18-06-2026 - शाम 5 बजे तक। 3) **निरीक्षण की तिथि:** 17-06-2026 समयः दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक।	**आरक्षित मूल्य (रु. में):** रु. 1,54,50,000/- (रुपये एक करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र) **ईएमडी राशि (रु. में):** रु. 15,45,000/- (रुपये पंद्रह लाख पैंतालीस हजार मात्र)

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करे तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें। **ऑन लाइन निविदा/ नीलामी के नियम एवं शर्तें** (1) यह नीलामी वेबसाईटः **https://www.bankeauctions.com/** द्वारा 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ ऊपर तालिका में वर्णित तिथि को **"ऑन लाइन ई नीलामी"** बोली होगी। (2) इच्छुक संविदाकार वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com/** (यूजर आईडी और पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com/** के साथ नाम के पंजीकरण द्वारा निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) पर अपने लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से ज.ध.रा. जमा करेंगे। ज.ध.रा. उपर्युक्त खाते में एनईएफटी के माध्यम से देय होगी। वेबपोर्टल में संविदाकारों द्वारा पंजीकरण (एक बारगी) के पश्चात, इच्छुक क्रेताओं/संविदाकारों को संविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व वेब-पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड करनी होगी-(i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान या डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति, (ii) पैन कार्ड की प्रति, (iii) पहचान/पते का प्रमाण (केवाईसी) जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्वप्रमाणित प्रति, जिसके बिना संविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षर करने के उपरान्त परिशिष्ट II एवं III (जिसे वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com/** से डाउनलोड किया जा सकता है) की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करना अपेक्षित है। इच्छुक संविदाकार जो लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने, डाटा अपलोड करने, संविदा जमा करने, ई-संविदा प्रक्रिया आदि का प्रशिक्षण लेने में सहायता चाहते हैं वे मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003, हरियाणा, ईमेल आईडीः विनोद चौहान/ **delhi@c1india.com 9813887931**, तथा सम्पत्ति सम्बन्धी पूछताछ के लिए अधिकृत प्राधिकारी : नवदीप चावला : ई-मेल आईडी : **lm.jaipur@hdbfs.com,** तथा श्री विशाल रितपुरकर; मोबाइल नं. : 9833671006 ई-मेल आईडी : **vishal.ritpurkar@hdbfs.com** से सोमवार से शनिवार तक कार्य घण्टों के दौरान सम्पर्क कर सकते है। (3) इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरण देखें) **"एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड"** के पक्ष में देय पीएआर/जयपुर में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा अथवा **"HDBFS GENERAL COLLNS"**, खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- **HDFC0000021**, एमआईसीआर कोडः **MICR500240002**, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा **https://www.bankeauctions.com/** पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करना होगः 1) एनईएफटी/ आरटीजीएस चालान/ डीडी/ पे आर्डर की प्रति. 2) पैन कार्ड की प्रति, तथा 3) आवास के प्रमाण (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैन्स, वोटर आई-कार्ड या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत लीव लाईसैंस अनुबंध) की प्रति जिसे ऊपर तालिका में वर्णित रूप में ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या पूर्व वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा तथा साथ ही उन्हें हार्डकॉपी ऊपर वर्णित शाखा में जमा करना होगा। (4) बोली के साथ ऊपर वर्णित तिथि को या उससे पूर्व **"एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड"** के पक्ष में देय, पीएआर/जयपुर में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा या **"HDBFS GENERAL COLLNS"**, खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड-**HDFC0000021,** एमआईसीआर कोडः **MICR500240002,** शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर) को संलग्न किया जायेगा। (5) विधिवत रूप से नहीं भरी गई अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गई बोलियों को अवैध माना जायेगा तथा तत्काल निरस्त किया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कर देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई ईएमडी आगे उपचार के बिना जब्त कर ली जायेगी। लेकिन, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी। (6) जमा की गई बोली राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की वृद्धि मूल्य के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव के सुधार कर सकते हैं। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। (7) सफल बोलीदाता को तत्काल किन्तु अधिकतम अगले कार्य दिवस तक **"एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड"** के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट जो पीएआर/जयपुर में देय हो अथवा **"HDBFS GENERAL COLLNS"**, खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- **HDFC0000021,** एमआईसीआर कोडः **MICR500240002,** शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) का भुगतान करना है तथा शेष बिक्री का भुगतान करना है तथा शेष बिक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता को कम्पनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी के ही साथ बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की

सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों ने ली शपथ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने उच्चतम न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों को मंगलवार को पद की शपथ दिलाई और इसके साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है।

प्रधान न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना, न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या अब 37 हो गई है जो बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या 38 से एक कम है। केंद्र ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नागू, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सचदेवा, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को सोमवार को मंजूरी दी थी। सरकार ने पिछले महीने एक कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई।

उच्चतम न्यायालय के दो मौजूदा न्यायाधीश- न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी- क्रमशः 16 जून और 28 जून को सेवानिवृत्त होंगे। उच्चतम न्यायालय के कालेजियम ने 27 मई को इन पांच नए नामों की सिफारिश की थी और चार दिन में ही इनकी नियुक्तियों को मंजूरी मिल गई।

मौद्रिक समीक्षा बैठक आज से, अर्थशास्त्रियों का दावा

रेपो दर को यथावत रखेगा आरबीआइ, आगे समीक्षा में बढ़ सकती हैं ब्याज दरें

मुंबई, 2 जून (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो को यथावत रख सकता है। यह आकलन अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र प्रमुखों के एक सर्वेक्षण में सामने आया है। अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना है कि बढ़ते मुद्रास्फीतिक जोखिमों के बीच केंद्रीय बैंक वित्त वर्ष 2026-27 में बाद में फिर से नीतिगत सख्ती शुरू कर सकता है। सर्वेक्षण में शामिल 11 उत्तरदाताओं ने आगामी (जिसकी घोषणा शुक्रवार को होनी है) मौद्रिक समीक्षा बैठक में दरों को यथावत रखने की उम्मीद जताई, जबकि चार ने 0.25 फीसद की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।

आइडीएफसी फर्स्ट बैंक की अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता ने कहा कि दर यथावत बनाए रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कुल मुद्रास्फीति चार फीसद के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है। ईंधन कीमतों में वृद्धि के मुद्रास्फीति पर दूसरे चरण के प्रभाव को देखने के लिए आरबीआइ के पास नीतिगत

गुंजाइश है। मुद्रास्फीति लक्ष्य आपूर्ति-पक्ष के झटकों के पहले दौर के प्रभाव को नजरअंदाज करने की अनुमति देता है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक तीन से पांच जून के बीच होगी। इसमें नीतिगत दरों पर निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने पिछले वर्ष से अब तक वृद्धि को समर्थन देने के लिए रेपो दर में 1.25 फीसद की कटौती की है। अर्थशास्त्रियों ने निकट अवधि में विराम की संभावना को ईंधन कीमतों में हालिया बढ़ोतरी और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव का आकलन करने की आरबीआइ की प्राथमिकता से जोड़ा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (इंडिया) में भारत आर्थिक अनुसंधान प्रमुख अनुभूति सहाय ने कहा कि अब हमारा मानना है कि एमपीसी जून की बैठक से ही दरों में बढ़ोतरी शुरू कर सकती है, क्योंकि घरेलू मुद्रास्फीति जोखिम बढ़ रहे हैं और वैश्विक प्रतिफल भी ऊंचे हैं।

कुछ एशियाई केंद्रीय बैंकों ने पहले ही अप्रत्याशित दर बढ़ोतरी की है। यदि जिंस कीमतों और रुपए पर दबाव बना रहता है तो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हमारी दर वृद्धि का अनुमान 0.25 से 0.50 फीसद तक बढ़ सकता है। सर्वेक्षण से यह भी संकेत मिला कि आरबीआइ आगामी नीतिगत समीक्षा में अपने मुद्रास्फीति अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित कर सकता है। अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान लगभग 4.9 से 5.5 फीसद तक बढ़ाया जा सकता है।

खबर कोना

बंगलुरु में मंगलवार को नई कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संध्या पर तैयारियां का नजारा।

सोना 1,050 रुपए चढ़ा, चांदी 1,300 रुपए मजबूत

नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतें 1.61 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं। कमजोर डालर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से इन कीमती धातुओं की मांग फिर से बढ़ गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 फीसद शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,050 रुपए बढ़कर 1,61,450 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई। सोमवार को यह 1,60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमतों में भी 1,300 रुपए की मजबूती आई और यह पिछले बंद भाव 2,69,700 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2,71,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। कीमती धातुओं को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सहारा मिला। इससे पश्चिम एशिया में तनाव के कारण पैदा होने वाले महंगाई के झटके का डर कुछ कम हुआ। अमेरिकी बांड प्रतिफल में कमी और कमजोर डालर ने सर्राफा की कीमतों की अपील को और बढ़ा दिया।

वी पैक्रीसामी पीएफसी के निदेशक-वाणिज्यिक नियुक्त

नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

सरकार ने वी पैक्रीसामी को पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) का निदेशक (वाणिज्यिक) नियुक्त किया है। मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई। पैक्रीसामी की नियुक्ति दो जून से प्रभावी हो गई। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि पैक्रीसामी इससे पहले पीएफसी में कार्यकारी निदेशक (एंटिटी अप्रेजल एवं आइटी) के रूप में कार्यरत थे। पैक्रीसामी के पास विद्युत क्षेत्र एवं अवसंरचना वित्त में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने आइआइटी दिल्ली से बीई (मैकेनिकल) और एमटेक (प्रबंधन एवं प्रणाली) की डिग्री प्राप्त की है। अपने पेशेवर करिअर की शुरुआत 1989 में की और 1997 में पीएफसी से जुड़े। इस दौरान उन्होंने संगठन के परिचालन के विस्तार और मूल्यांकन व जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरकार थोक मूल्य सूचकांक को समाप्त करेगी

नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

सरकार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) को धीरे-धीरे समाप्त करेगी और उत्पादन, कच्चे माल और सेवाओं की कीमतों को शामिल करने वाला विस्तृत उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआइ) लागू करेगी। इसका मकसद अर्थव्यवस्था में महंगाई के रुख का अधिक वास्तविक आकलन करना है। इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण महतो ने संवाददाताओं से कहा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) 15 जून को नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ डब्ल्यूपीआइ की संशोधित श्रृंखला जारी करेगा। यह आधार वर्ष 2011-12 वाली मौजूदा श्रृंखला का स्थान लेगा।

रुपया 17 पैसे टूटकर 95.36 प्रति डालर पर

मुंबई, 2 जून (भाषा)।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को डालर के मुकाबले रुपया 17 पैसे टूटकर 95.36 पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सुरक्षित निवेश के प्रवाह के बीच अमेरिकी मुद्रा मजबूत रही। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी कोषों की भारी निकासी ने भी निवेशकों की जोखिम लेने की धारणा को प्रभावित किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.16 के भाव पर खुला और कारोबार के दौरान 95.03 के ऊपरी एवं 95.31 के निचले स्तर तक गया। कारोबार के अंत में मंगलवार को रुपया 95.36 पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 17 पैसे की गिरावट है। सोमवार को रुपया 95.19 प्रति डालर पर रहा था, जो 34 पैसे की गिरावट है। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि वैश्विक तनाव में वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से रुपए में कमजोरी आ सकती है।

पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच

अमित शाह से मिले अन्नामलाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ने और नया दल बनाने की अटकलों के बीच मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की।

सूत्रों ने बताया कि अन्नामलाई और शाह की मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली, लेकिन बैठक में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी तत्काल प्राप्त नहीं हुई है। अन्नामलाई बैठक के बाद

मीडिया से बात किए बिना शाह के आवास से चले गए।

मीडिया में आई कुछ खबरों में दावा किया गया कि अन्नामलाई ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष से भी मुलाकात की और पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि उनके इस्तीफे की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी के एक सूत्र ने दावा किया, उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। खबरों के मुताबिक, अन्नामलाई उनकी जगह नैनार नागेंद्रन को तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष बनाने और विधानसभा चुनावों से पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के साथ गठबंधन किए जाने के बाद से ही नाराज हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। कोयंबटूर क्षेत्र के भाजपा सदस्यों को अन्नामलाई के चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि वह चुनाव लड़ने के अनिच्छुक है।

कार खाई में गिरी, मरीन कमांडो व शौर्य चक्र विजेता अमित का निधन

शिमला, 2 जून (ब्यूरो)।

भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और शौर्य चक्र से सम्मानित अमित सिंह राणा की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी कार कांगड़ा जिले के लाहरू इलाके में लगभग 500 फीट गहरी खाई में गिर गई।

पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय राणा सोमवार रात करीब 11 बजे एक दोस्त से मिलकर घर लौट रहे थे। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लाहरू में एक तीखे मोड़ पर गाड़ी मोड़ते समय उन्होंने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार खाई में जा गिरी। स्थानीय निवासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें खाई से बाहर निकाला और खंडियान अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीर सैनिक का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव लाहरू में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया।

राणा के परिवार में माता-पिता, पत्नी, चार साल का बेटा और दो बहनों हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित 'शौर्य चक्र' से सम्मानित किया गया था।

आइटी शेयरों में उछाल से शेयर बाजार में तेजी लौटी

मुंबई, 2 जून (भाषा)।

सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) शेयरों में जोरदार खरीदारी के दम पर घरेलू शेयर बाजार चार दिन की गिरावट से उबरकर मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए।

सूचकांक में 382 अंक की तेजी रही जबकि निफ्टी 101 अंक चढ़कर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक 382.50 अंक यानी 0.52 फीसद बढ़कर 74,649.84 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक अपने निचले स्तर 73,815.12 अंक से 1,047.07 अंक उछलकर 74,862.19 अंक तक चला गया था। सूचकांक के 30 में से 20 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। इसी तरह, नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी भी 100.95 अंक यानी 0.43 फीसद बढ़कर 23,483.55 अंक पर बंद हुआ।

विरोध जम्मू के बाग-ए-बाहु में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने एलपीजी सिलेंडर, डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया।

मदर डेयरी ने पेश किया मिट्टी में विघटित होने वाला दूध का पाउच

नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

मदर डेयरी ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक ऐसा नवोन्मेषी दूध पाउच मंगलवार को पेश किया, जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाता है। भारत के प्रमुख ताजा दूध आपूर्तिकर्ताओं में से एक मदर डेयरी कई राज्यों में प्रतिदिन लगभग 55 लाख लीटर दूध बेचती है।

यहां एक प्रेस वार्ता में मदर डेयरी ने मिट्टी में भारत का पहला प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाला दूध पाउच पेश किया जो पर्यावरण में प्लास्टिक का कोई निशान नहीं छोड़ेगा। कंपनी शुरुआत में इस नए जैव-विघटनीय दूध पाउच का उपयोग पांच जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस से दिल्ली-एनसीआर में बेचे जाने वाले अपने गाय के

दूध के लिए करेगी।

मदर डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। मदर डेयरी के अनुसार, उसके नए दूध पाउच में एक तरह का अनूठा विघटित होने वाला पैकेजिंग नवाचार उपयोग किया गया है, जो सामग्री को जैव-उपलब्ध मोम में बदलने में सक्षम बनाता है। यह मोम, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से टूटकर प्राकृतिक तत्वों में बदल जाता है।

उत्तराखंड एलयूसीसी घोटाला

सीबीआइ ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने उत्तराखंड में 800 करोड़ रुपए के एलयूसीसी चिटफंड घोटाले के दो कथित मुख्य साजिशकर्ताओं को मुंबई से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोप है कि 'लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-आपरेटिव सोसाइटी' (एलयूसीसी) के एक लाख से अधिक निवेशकों को आकर्षक मुनाफे का वादा कर उनसे करीब 800 करोड़ रुपए की ठगी की गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले में उत्तराखंड पुलिस द्वारा 18 प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद कथित मुख्य साजिशकर्ता किशन जैन और पंकज जैन फरार हो गए थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में ये मामले सीबीआइ को सौंप दिए थे। एजंसी ने पता लगाया कि दोनों आरोपी मुंबई में है और उसने उन्हें सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।

बयान में कहा गया, 'जांच दल के लगातार और गहन प्रयासों के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं। यह मामला एलयूसीसी द्वारा लोगों से उनकी जमा राशि कथित रूप से अवैध तरीके से एकत्र करने, धोखाधड़ी करने, आपराधिक विश्वासघात करने, आपराधिक साजिश रचने, अनियमित जमा योजनाएं चलाने और धन के दुरुपयोग आदि से जुड़ा है।

शिवकुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

मुख्यमंत्री के साथ 10 से 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी आलाकमान के साथ मंत्रिमंडल की रूपरेखा पर चर्चा की।

सूत्रों का कहना है कि शिवकुमार के साथ 10 से 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार इस महीने होने वाले राज्यसभा एवं विधान परिषद चुनाव के बाद होने की संभावना है। इस बीच, पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अपने वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया को मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का सदस्य नियुक्त कर दिया। शिवकुमार और सिद्धरमैया ने राज्य के अगले मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के

> *पार्टी* सूत्रों के अनुसार, मंत्री पद के दावेदारों की लंबी कतार और उपलब्ध पदों की सीमित संख्या के बीच शिवकुमार के सामने संतुलन साधने की बड़ी चुनौती है।

लिए मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके बाद दोनों नेताओं ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ अलग से मंत्रणा की। शिवकुमार और सिद्धरमैया मंगलवार रात बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को जी परमेश्वर, प्रियंक खरगे, रामालिंगा रेड्डी, एमबी पाटिल और यतींद्र सिद्धरमैया मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार तीन जून को शाम चार बजकर पांच मिनट पर लोक भवन परिसर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेतृत्व के कहने पर सिद्धरमैया के इस्तीफा देने के बाद वह इस जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं। शिवकुमार को शनिवार को औपचारिक रूप से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में अधिकतम 34 मंत्रियों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मंत्री पद के दावेदारों की लंबी कतार और उपलब्ध पदों की सीमित संख्या के बीच शिवकुमार के सामने संतुलन साधने की बड़ी चुनौती है। उन्हें हर कदम बेहद सावधानी से उठाना होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाने वाले नेताओं की नाराजगी बड़े स्तर पर असंतोष का रूप ले सकती है। सूत्रों का कहना है कि, नए मंत्रिमंडल में पुराने और नए चेहरों का मिश्रण देखने को मिल सकता है।

वार्ता दोनों देशों ने फरवरी में इसकी रूपरेखा तय करने की घोषणा की थी

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू

नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को यहां तीन-दिवसीय वार्ता शुरू हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह बातचीत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुख्यालय वाणिज्य भवन में हो रही है।

अमेरिकी दल का नेतृत्व उसके मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्ष अंतरिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के साथ व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते

> *अमेरिकी* दल का नेतृत्व उसके मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच , जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं।

(बीटीए) पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। दोनों देशों ने फरवरी में इस समझौते की रूपरेखा तय करने की घोषणा की थी। सात फरवरी को जारी बयान में अमेरिका ने भारत पर शुल्क 50 फीसद से घटाकर 18 फीसद करने पर सहमति जताई थी और रूसी तेल खरीद से जुड़े 25फीसद शुल्क को भी हटा दिया था। बाकी शुल्क को भी घटाकर 18 फीसद करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, 20 फरवरी को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक जवाबी सीमा शुल्कों को खारिज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10 फीसद का समान शुल्क लागू करने की घोषणा की। एक अधिकारी के अनुसार, इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष समझौते की रूपरेखा की समीक्षा कर सकते हैं। इससे पहले अप्रैल में वाशिंगटन में भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी। प्रस्तावित ढांचे के तहत भारत ने अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम करने के साथ कई कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर रियायत देने का भी प्रस्ताव रखा है। इनमें पशु आहार का लाल ज्वार, मेवे, ताजा एवं प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और अन्य उत्पाद शामिल हैं।

पति और सास 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

भोपाल, 2 जून (भाषा)

भोपाल की एक अदालत ने पूर्व माडल त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह को दहेज उत्पीड़न के आरोप में सीबीआइ की हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

> *त्विषा* शर्मा मौत मामला।

त्विषा का शव 12 मई को यहां उसके ससुराल में फंदे से लटका मिला था। त्विषा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने बताया कि सीबीआई ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद समर्थ सिंह और उसकी मां एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला को शोभना भलावे की अदालत में पेश किया तथा अदालत ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। त्विषा के परिवारवालों के एक अन्य वकील अनुराग श्रीवास्तव ने बाद में कहा कि सीबीआइ ने एक आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि उसकी जांच का एक बड़ा हिस्सा अब भी लंबित है। उसके (सीबीआइ) पास कई गवाह और अन्य व्यक्ति हैं जिनसे उन्हें अब भी पूछताछ करने की जरूरत है और जिनके बयान दर्ज किए जाने हैं।

श्रीवास्तव ने कहा कि सीबीआइ ने डिजिटल डेटा और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी जब्त कर लिया है, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है। दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लंबित है। इन कारणों से सीबीआइ ने संकेत दिया है कि उसे आगे की पूछताछ और जांच के लिए दोनों आरोपियों की फिर से हिरासत की आवश्यकता हो सकती है।'

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Yogesh Gill Judicial Magistrate First Class-20 Jalandhar

Amrit Malwa Capital Ltd
Vs.
Mohd abdulla shekh mansoori

NACT/4683/2025
CNR NO: PBJL03-021472-2025

Next date: 18-07-2026

complaint U/S 138 NI ACT
Notice To: mohd abdulla shekh mansoori son: mohd arif shekh mansoori 426/816 mari mata mandir road, jinato wali masJid, waJir bagh, sahadat ganj VTC- lucknow po- chowk sub distt lucknow, lucKnow, uttar pradesh- 226003
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 18-07-2026 at 10:00 a.m.
for detail logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar

Judicial Magistrate First Class-20 Jalandhar
Dated, this day of 25-05-2026

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Yogesh Gill Judicial Magistrate First Class-20 Jalandhar

Exclusive Leasing And Finance Private limited
Vs.
Geeta Devi

NACT/30220/2025
CNR NO: PBJL03-031478-2025

Next date: 23-07-2026

complaint U/S 138 NI ACT
Notice To: Geeta devi R/o village nisurkha bulandshehar, uttar pradesh- 245411
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 23-07-2026 at 10:00 a.m.
for detail logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar

Judicial Magistrate First Class-20 Jalandhar
Dated, this day of 02-12-2025

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of sh. Yadwinder singh JMIC ludhiana

COMA/7914/2024 Peshi: 01-07-2026
publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Cpmplaint R/w sec- 138 of N.I ACt

Kotak Mahindra Bank Ltd
Vs.
sushil Sah

CNR NO: PBLD03-028611-2024
Notice To: sushil sah : sushil sah s/o purnima devi r/o kh. no. 517 near sheela bua mandir, alipur north west delhi, new delhi- 110036, delhi
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 01-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court, this for details login to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of sh. Yadwinder singh JMIC ludhiana

COMA/7921/2024 Peshi: 01-07-2026
publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Cpmplaint R/w sec- 138 of N.I ACt

Kotak Mahindra Bank Ltd
Vs.
Krishan

CNR NO: PBLD03-028619-2024
Notice To: Krishan : krishan s/o indra devi r/o c-63, sector- 27, PKT-2 near vikram dharm kata, govt. primary school, rohini delhi- 110085 delhi
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 01-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court, this for details login to:
https://highcourtchd.gov.in/ ?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

तेजस्विनी सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन: U74999DL2018PTC331791)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **एफएफ–39, प्रथम तल, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तराखंड राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **29 मई, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

एफएफ–39, प्रथम तल, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
तेजस्विनी सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक: 02.06.2026 **जितेंद्र फरत्याल** (निदेशक)
स्थान: नई दिल्ली **डीआईएन: 06974780**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051

कब्जा–सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड,("एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट")**,जिसका पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सजोन आईटी पार्क, टावर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ले रोड, पोरूर, चेन्नई–600116 और कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 में स्थित है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10 मार्च 2026 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता (ओं) 1) यशपाल चंदना 2) मेसर्स श्री गोपाल रेडीमेड कॉर्नर 3) कविता चंदना,ऋण खाता संख्या **196701310454039 और 196701310738836** के अंतर्गत, दिनांक 05.02.2026 तक नोटिस में उल्लिखित राशि **82,42,489.54/– रुपये** (बयासी लाख बयालीस हजार चार सौ नवासी रुपये और चौवन पैसे मात्र)को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। ऋणकर्ता (ऋणकर्ताओं) ने उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्वारा ऋणी(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के तहत उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 29 मई 2026 को सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन करने पर दिनांक **05.02.2026** तक **82,42,489.54/– रुपये** (बयासी लाख बयालीस हजार चार सौ नवासी रुपये और चौवन पैसे मात्र) और उस पर ब्याज की राशि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के स्वामी: यशपाल चंदना

संपत्ति का विवरण: नगर निगम क्रमांक 2, भूतल (देहरादून नगर निगम की सीमा के अंतर्गत), सरनीमल बाजार, देहरादून में स्थित एक दुकान, जिसका क्षेत्रफल कुल 55.80 वर्ग मीटर में से 18.58 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में कुणाल बेवरेजेज की संपत्ति (16 फुट), पश्चिम में कुणाल बेवरेजेज की संपत्ति (16 फुट), उत्तर में साझा मार्ग और पार्किंग माप(12.5 फुट), दक्षिण में बॉम्बे कट पीस वाला का दुकान , भाग माप(12.5 फुट)।

दिनांक: 29 मई 2026 **हस्ता./– अधिकृत अधिकारी**
स्थान: देहरादून **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: केजे–77, जे–ब्लॉक, कवि नगर, गाजियाबाद–201002 (उत्तर प्रदेश)
सीआईएन: L25209UP1970PLC003320
टेलीफोन/फैक्स: 91–120–2701472, **वेबसाइट:** www.splindia.co.in
ईमेल: info@splindia.co.in, **ईमेल:** investor.grievances@splindia.co.in

वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों को सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 56वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम के आयोजन संबंधी सूचना में उल्लिखित कार्यसूची पर विचार–विमर्श किया जाएगा। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के माध्यम से यह अधिसूचना जारी की है। दिनांक 23 जून, 2021 का 10/2021य दिनांक 8 दिसंबर, 2021 का 20/2021 दिनांक 5 मई, 2022 का 3/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 का 11/2022 दिनांक 25 सितंबर, 2023 का 09/2023 और दिनांक 19 सितंबर, 2024 का 09/2024 (सामूहिक रूप से ''एमसीए सर्कुलर'' के रूप में संदर्भित) ने सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थान पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("एसईबीआई") ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 और इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एसईबीआई परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण और वार्षिक आम बैठक के संचालन के संबंध में छूट प्रदान की है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों, एसईबीआई परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा एसईबीआई (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। एजीएम का अनुमानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.splindia.co.in बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्य केवल वीडियो कॉल/ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग (एजीएम) सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकते हैं।

एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीडियो कॉल/ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग (ओएएम) के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर अपना मत डालने के लिए दूरस्थ ई–मतदान सुविधा (''दूरस्थ ई–मतदान'') और ई–मतदान सुविधा प्रदान कर रही है। दूरस्थ ई–मतदानध्ई–मतदान की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन की सूचना कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं) के साथ पंजीकृत ईमेल पते वाले सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी, कंपनी अधिनियम, 2013 और एसईबीआई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार।

शेयरों को धारण करने का तरीका	आपकी यूजर आईडी है
भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या, उसके बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या।

उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001*** है और सम संख्या 101456 है, तो उपयोगकर्ता आईडी होगी 101456001*** ईमेल पते और अन्य विवरणों के पंजीकरण की प्रक्रिया

i) अस्थायी पंजीकरण

संबंधित परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, और परिणामस्वरूप उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है, वे अपना ईमेल पता अस्थायी रूप से कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट ("आरटीए"), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए वे investor.services@rcmcdelhi.com पर ईमेल भेज सकते हैं या https://www.rcmcdelhi.com पर जाकर और वहां दिए गए पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

ईमेल पते के सफल पंजीकरण के बाद, सदस्य को वार्षिक आम सभा की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगी, जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होंगे।

साथ ही, ई–वोटिंग की प्रक्रिया और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भी प्राप्त होंगे। एनएसडीएल द्वारा वार्षिक आम सभा के लिए ई–वोटिंग को सक्षम करने के लिए ये सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएंगी।

ईमेल पते के पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य investor.services@rcmcdelhi.com पर लिख सकते हैं और ई–वोटिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए, सदस्य NSDL को evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते हैं।

ii) स्थायी पंजीकरण:

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को स्थायी रूप से निम्नानुसार पंजीकृत/अपडेट करें:

- डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में: संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी") के पास, डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।
- फिजिकल होल्डिंग्स के संबंध में: कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पास, निर्धारित अनुरोध फॉर्म को investor.services@rcmcdelhi.com पर भेजकर।

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/–
तिथि: 2 जून, 2026 **अनुराधा शर्मा**
स्थान: गाजियाबाद **(कंपनी सचिव)**

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: सं. 167–169, 2री मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015, तमिलनाडु, भारत
शाखा कार्यालय: कार्यालय:एफ 8, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर–4, वैशाली, गाजियाबाद–201010

प्राधिकृत अधिकारी: श्री नितिन शर्मा, संपर्क नं.: 8176692595
जेडआरएम – श्री राकेश गुप्ता, संपर्क नंबर.: 9873925255
ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

नियम 8(8) और 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत एचएचएफएल के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री

एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में हस्ताक्षरकर्ता ने सारफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची में वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि उसके बकाये की वसूली के लिए एचएचएफएल को स्वीकार्य शर्तों पर अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को **"जैसी है जहां है और "जैसी है, वैसी"** है आधार पर निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है

मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: :

1.निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री" जैसी है जहां है और "जैसी है, वैसी है" पर की जाएगी;
2. खरीदार को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। इसे स्वीकृति पर आवश्यक 25% जमा राशि में समायोजित किया जाएगा;
3. प्रस्ताव स्वीकार होने पर, खरीदार को अगले कार्य दिवस पर बिक्री प्रतिफल का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) जमा करना होगा;
4. शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर भुगतान करनी होगी;
5. निर्धारित समय सीमा में भुगतान न करने पर प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशियां जब्त कर ली जाएंगी;
6. यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है, तो 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी;
7. 50,00,000/– से अधिक की बोलियों के लिए, सफल खरीदार को आयकर अधिनियम की धारा 194–1अ के तहत 1% टीडीएस जमा करना होगा।
8.संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के ऋण–भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे एचएचएफएल को ज्ञात हों या अज्ञात। किसी भी तीसरे पक्ष के दावों, अधिकारों या वैधानिक देयों के लिए एचएचएफएल जिम्मेदार नहीं होगा।
9.खरीदार को संपत्ति के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से उचित जांच–पड़ताल करनी चाहिए। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।; 10. एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है;
11.नीलामी/बोली केवल वेबसाइट www.bankeauctions.com या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" में होगी।;
12.बोलीदाता अपने पसंद के स्थान से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। किसी भी कनेक्टिविटी समस्या के लिए सुरक्षित लेनदार/सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होगा;
13. ई–नीलामी के किसी भी विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लि. से संपर्क कर सकते हैं, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नं. 68, 3री मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003 में है। (संपर्क व्यक्ति: श्री मिथिलेश, मोबाइल नंबर: 7080804466, ईमेल: tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com एवं सपोर्ट (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबर: +91–7291981124/25/26, सपोर्ट ईमेल: Support@bankeauction.com);
14. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर काफी पहले पंजीकृत करना चाहिए और यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि सेवा प्रदाता से प्राप्त होते ही केवल पासवर्ड बदल लें;
15.ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय धरोहर राशि यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा ऊपर बताया गया है) डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड " के पक्ष में जमा करनी होगी;
16. इच्छुक पक्ष विवरण के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और 19 जून 2026 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव और ईएमडी जमा कर सकते हैं;
17.सफल नीलामी खरीदार गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक देयताओं का खर्च वहन करेगा।;
18.नवीनतम न्यायिक आदेशों के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत उधारकताओं/गिरवी रखने वालों का मोचन अधिकार समाप्त हो जाता है।
19. बिक्री सारफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

अनुसूची

संपत्ति का विवरण (सुरक्षित संपत्ति): फ्लैट नं.. 104, 1ली मंजिल, प्लॉट नं. 44, 45, 46, 47, खसरा नं. 5का, छपरौला जी.बी. नगर यूपी,फ्लैट नं.. 104, 1ली मंजिल, प्लॉट नं. 44, 45, 46, 47, खसरा नं. 3का मेट्रो नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत–110059; **बकाया राशि:** 22,64,384/– (रुपये बाईस लाख चौंसठ हजार तीन सौ चौरासी मात्र) 10 मई 2026 तक; आरक्षित मूल्य: 8,00,000/– (रुपये आठ लाख मात्र); ईएमडी: 2,00,000/–
ऋण खाता सं. : HR/GGNFRBD/A000001248
उधारकताओं के नाम: 1. श्री अब्बास अली, 2. श्रीमती अवीदा अवीदा
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 18 जून 2026, समय 17:00 बजे (शाम 5 बजे) तक।
ई–नीलामी की तिथि/समय: 20 जून 2026, 11:00 बजे से 13:00 बजे (सुबह 11 से दोपहर 1 बजे) तक।
बोली वृद्धि राशि: 50,000/–

दिनांक: 02–06–2026, स्थान: गाजियाबाद अधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से

GOODLUCK गुडलक इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 (भारत)
निगम कार्यालय: गुडलक हाउस, नेहरू नगर, अंबेडकर रोड, गाजियाबाद– 201001 (भारत)
सीआईएन: L74899DL1986PLC050910; **फोन:** +91–120–4196600, 4196700, **फैक्स:** 91–120–4196666, 4196777
वेबसाइट:www.goodluckindia.com, **ईमेल:** goodluck@goodluckindia.com

सूचना

विषय: **निवेश में सुगमता – भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष व्यवस्था**

सभी गुडलक इंडिया लिमिटेड के संबंधित शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि सेबी के सर्कुलर संख्या एचओ/38/13/11 (2) 2026–एमआईआरएसडी–पीओडी/आइ/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक, यानी एक वर्ष की अवधि के लिए, भौतिक प्रतिभूतियों (भौतिक प्रतिभूतियाँ) के हस्तांतरण और डीमैटीरियलाइज़ेशन (''डीमेट'') के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है; ये प्रतिभूतियाँ 01 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई थीं।

हस्तांतरण अनुरोध को पुनः जमा करने के चरण:

- आरटीए द्वारा अस्वीकृति पत्र के साथ लौटाए गए सभी मूल दस्तावेजों को, सभी अस्वीकृति कारणों को दूर करने के बाद, ''क्लाइंट मास्टर'' के साथ पुनः जमा करें।

महत्वपूर्ण नोट्स:

- लंबित भौतिक हस्तांतरण अनुरोधों को नियमित करने का यह एक–बार मिलने वाला अवसर है।
- पुनः जमा किए गए अनुरोधों पर केवल डीमैट रूप में ही कार्रवाई की जाएगी; किसी भी भौतिक हस्तांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया उपरोक्त दस्तावेजों के साथ ''क्लाइंट मास्टर'' भी जमा करें। कृपया सुनिश्चित करें कि डीमैट खाते का नाम, हस्तांतरिती के नाम से मेल खाता हो।
- अधूरे या गलत जमा किए गए अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

इस तरह से ट्रांसफर की गई सिक्योरिटीज़ को, ट्रांसफर पाने वाले के खाते में अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में ही जमा किया जाएगा, और ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल की अवधि तक वे ''लॉक–इन'' में रहेंगी। इस लॉक–इन अवधि के दौरान, ऐसी सिक्योरिटीज़ को स्थानांतरित/ग्रहणाधिकार चिह्नित/ गिरवी नहीं रखा जा सकेगा। निवेशक/स्थानांतरिती/कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली प्रक्रिया और शर्तें, ऊपर बताए गए सेबी सर्कुलर में विस्तार से दी गई हैं। इसे कंपनी की वेबसाइट https://www.goodluckindia.com/downloads.php पर देखा जा सकता है।

जो शेयरधारक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे ''रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट'' से संपर्क करें, जिनका विवरण इस प्रकार है:

MAS सर्विसेज़ लिमिटेड
पंजीकृत पता: टी 34, दूसरी मंज़िल, ओखला फेज़ II, नई दिल्ली, दिल्ली, 110020
ईमेल info@masserv.com
टेलीफोन नंबर: 011 – 26387281/82/83
संबंधित शेयरधारकों को इस विशेष विंडो का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कृते **गुडलक इंडिया लिमिटेड**
हस्ता./–
दिनांक: 01.06.2026 **अभिषेक अग्रवाल**
स्थान: गाजियाबाद **कंपनी सचिव**

लेक शोर रियल्टी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 23, 2री तल, क्लब रोड, नॉर्थ वेस्ट एवेन्यू, वेस्ट पंजाबी बाग सेक्टर III, एयरटेल टॉवर, नई दिल्ली 110026 भारत
सीआईएन: L15419HP1987PLC007356 ; दूरभाष: +91–22–9967766268
ईमेल: cs@lakeshorerealty.in, वेबसाइट: www.lakeshorerealty.in

पोस्टल बैलट और ई–वोटिंग की सूचना

लेक शोर रियल्टी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और 22 तथा अधिनियम और नियमों के अन्य लागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित अन्य प्रासंगिक परिपत्रों, जिनमें नवीनतम सामान्य परिपत्र सं. 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 ("एमसीए परिपत्र") शामिल है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (रर–2) और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (समय–समय पर लागू इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, शनिवार, 23 मई, 2026 की पोस्टल बैलट सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया ("ई–वोटिंग") के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है।

कंपनी ने मंगलवार, 02 जून, 2026 को पोस्टल बैलट सूचना ("सूचना") के साथ व्याख्यात्मक विवरण का प्रेषण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते शुक्रवार, 29 मई, 2026 ("कट–ऑफ तिथि") तक डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास पंजीकृत थे।

रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट प्रक्रिया आयोजित करने के लिए एमसीए परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों को पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट सूचना की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। सदस्यों की सहमति या असहमति केवल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही दर्ज की जाएगी।

सदस्यों के मतदान अधिकार (ई–वोटिंग के माध्यम से) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 29 मई, 2026 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संदर्भ में गिने जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से माने।

अधिनियम और नियमों की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो के अनुपालन में, सदस्यों को सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाने वाली ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है।

ई–वोटिंग की अवधि बुधवार, 03 जून, 2026 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और

खबर कोना

नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति शिपोकोसा पालस माशातिले के साथ विदेश मंत्री जयशंकर।

जयशंकर से मिले दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति माशातिले

नई दिल्ली, 2 जून (ब्यूरो)।

दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति शिपोकोसा पालस माशातिले और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित व्यापक वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। माशातिले ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन-संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। माशातिले, पत्नी हुमिले माशातिले और पांच मंत्रियों और उपमंत्रियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ, दक्षिण अफ्रीका को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से 29 मई से छह दिवसीय भारत यात्रा पर हैं।

अमेरिका : हिंदुओं के प्रति घृणा, मंदिरों पर हमलों की निंदा का प्रस्ताव

वाशिंगटन, 2 जून (भाषा)।

अमेरिका के एक प्रमुख सांसद ने प्रतिनिधि सभा के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हिंदू-अमेरिकी समुदाय के योगदान की सराहना की गई है और हिंदुओं के प्रति घृणा, हिंदू-विरोधी कट्टरता तथा समुदाय के पूजा स्थलों पर हमलों की निंदा की गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने सोमवार को इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यह प्रस्ताव मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद श्री थानेदार ने पेश किया था। पिछले साल 24 जनवरी को लाए गए इस प्रस्ताव को अब तक राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम सहित 32 सांसद सह-प्रायोजित कर चुके हैं।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर यूएनजीए के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए

संयुक्त राष्ट्र, 2 जून (भाषा)।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान मंगलवार को कड़े चुनावी मुकाबले में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए। रहमान और साइप्रस के बहुपक्षवाद मामलों के विशेष दूत एंड्रियस काकौरिस 193 सदस्यीय महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे। यूएनजीए के 81वें सत्र की शुरुआत सितंबर में होगी। करीबी चुनावी मुकाबले में बांग्लादेशी राजनयिक रहमान को 99 मत मिले, जबकि काकौरिस को 91 मत प्राप्त हुए। मतदान में 190 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए 96 मतों की आवश्यकता थी। रहमान वर्तमान महासभा अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाक का स्थान लेंगे।

अवैध रूप से रह कर ट्रक चलाने का मामला

अमेरिका में 30 भारतीय गिरफ्तार

न्यूयार्क, 2 जून (भाषा)।

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे और व्यावसायिक ट्रक चालक के तौर पर काम कर रहे भारत के करीब 30 लोगों को एक संघीय अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जल्द निर्वासित किया जाएगा।

अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने सोमवार को एक बयान में बताया कि एरिजोना में युमा सेक्टर के सीमा गश्त एजंटों ने 11 से 15 मई के दौरान अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 52 लोगों को 'आपरेशन चेकमेट' के तहत गिरफ्तार किया जिनमें से 36 ट्रक चलाते पाए गए। गिरफ्तार किए गए इन अवैध ट्रक चालकों में 30 भारत से हैं जबकि बाकी छह मेक्सिको, अल सल्वाडोर और रूस से हैं। उनके पास कैलिफोर्निया, न्यूयार्क, वाशिंगटन और वर्जीनिया जैसे राज्यों के वाणिज्यिक चालक लाइसेंस थे जबकि कुछ के पास किसी भी तरह का चालक लाइसेंस नहीं था। इनमें से अधिकतर लोगों के पास ऐसे रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज थे जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन के दौरान हासिल किए गए थे और अब वैध नहीं हैं। सभी लोगों के खिलाफ संघीय कानून के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें निर्वासित किया जाएगा।

आपरेशन चेकमेट के तहत हुई कार्रवाई।

'आपरेशन चेकमेट' का उद्देश्य देश में अवैध रूप से रह रहे और वाणिज्यिक मोटर वाहन चला रहे लोगों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना और आव्रजन कानूनों को लागू कर सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

विदेश मंत्रालय ने कहा

भारत-नेपाल सीमा विवाद के समाधान में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

भारत ने मंगलवार को नेपाल के साथ सीमा विवाद के समाधान में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया। भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विवाद के समाधान के लिए चीन और ब्रिटेन की भागीदारी की वकालत की थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं और भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 फीसद हिस्सा चिह्नित किया जा चुका है। बालेंद्र शाह ने रविवार को नेपाल की संसद में कहा कि सीमा विवाद पर भारत के साथ चर्चा के अलावा, नेपाल चीन और ब्रिटेन के साथ भी संपर्क में है।

उन्होंने कहा, चूंकि यह विवाद ब्रिटिश भारत के दौर से जुड़ा है, इसलिए हमारा मानना है कि इस मामले में इंग्लैंड को भी शामिल किया जाना चाहिए। नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है। भारत लगातार यह दावा करता रहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं। जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, सीमा से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच के द्विपक्षीय मामले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। बालेंद्र शाह की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह टिप्पणी की। जायसवाल ने कहा, हमने भारत-नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के साथ-साथ इस मामले पर नेपाली विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान भी देखा है। उन्होंने कहा, भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 फीसद हिस्सा निर्धारित हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी अनसुलझे हैं। गंडक नदी के मार्ग में बदलाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है।

जायसवाल ने कहा, इसके अलावा, सीमा के चिह्नित क्षेत्रों में नो-मैन्स लैंड पर अतिक्रमण और सीमा पार कब्जे के कुछ मामले सामने आए हैं। इनका दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। बालेंद्र शाह ने यह भी स्वीकार किया था कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है।

भाजपा मुख्यालय पहुंचा नेपाली प्रतिनिधिमंडल, संबंधों पर की चर्चा

लामिछाने ने की नितिन नवीन से मुलाकात

नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने मंगलवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर नेपाल के सत्तारूढ़ दल से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के इस प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया।

भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए नवीन ने साझा सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक संबंधों और मजबूत जन-केंद्रित संबंधों पर आधारित भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया।

लामिछाने के नेतृत्व में आरएसपी का यह प्रतिनिधिमंडल भाजपा अध्यक्ष नवीन के निमंत्रण पर भारत के दौरे पर है। यह प्रतिनिधिमंडल सोमवार दोपहर को नई दिल्ली पहुंचा था। चौथाईवाले ने कहा कि नवीन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की बातचीत से भाजपा और आरएसपी के बीच लोकतांत्रिक संवाद मजबूत होता है और दलों के बीच जुड़ाव गहरा होता है। उन्होंने कहा कि नवीन ने भाजपा की यात्रा, विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और राजनीतिक जुड़ाव के लिए उसके जन-केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में जानकारी साझा की।

चौथाईवाले ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के संगठनात्मक मॉडल को समझाया और जमीनी स्तर पर लोगों के साथ सीधा और निरंतर संपर्क बनाए रखने में भाजपा कार्यकर्ताओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान, आरएसपी प्रतिनिधिमंडल भाजपा की सदस्यता प्रक्रिया, उम्मीदवार चयन प्रणाली और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की पहचान करने तथा उनके साथ जुड़ने के पार्टी के तंत्र को जानने के लिए काफी उत्सुक था।

अमेरिका में तुलसी गबार्ड के स्थान पर पुलटे बने खुफिया विभाग के कार्यवाहक निदेशक

वाशिंगटन, 2 जून (एपी)।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड के स्थान पर राष्ट्रीय खुफिया विभाग के कार्यवाहक निदेशक के रूप में संघीय आवासीय वित्त निदेशक बिल पुलटे को नियुक्त किया है। ईरान के साथ जारी अमेरिका के युद्ध के दौरान ट्रंप के कट्टर वफादार की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति हुई है।

ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर 38 वर्षीय पुलटे के बारे में एक चौंकाने वाली घोषणा की कि पुलटे, तुलसी गबार्ड की जगह लेंगे, जो हवाई की पूर्व कांग्रेस सदस्य हैं और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में कार्यरत थीं। रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने एफएचएफए में पुलटे के काम और वित्तीय क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों फैनी में और फ्रेडी मैक के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि पुलटे के पास 'अमेरिका में सबसे संवेदनशील मामलों, बाजारों की सुरक्षा और सुदृढ़ता, और फैनी मे/फ्रेडी मैक में 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के प्रबंधन का गहरा अनुभव है, जो कि मात्र 12 महीने पहले की तुलना में काफी अधिक है। पुलटे को अचानक संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के समन्वय की भूमिका में पदोन्नत करना इस बात का संकेत है कि ट्रंप किस तरह पूर्व सैन्य और खुफिया कार्यों से भरे पारंपरिक विवरणों की तुलना में वफादारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ब्रिटिश सिख सांसदों ने संसद में कृपाण रखने का बचाव किया

लंदन, 2 जून (भाषा)।

ब्रिटेन के सिख सांसदों ने एक ब्रिटिश सिख व्यक्ति की सजा पर मंगलवार को संसद में बहस के दौरान कृपाण का बचाव किया। सजायाफ्ता व्यक्ति ने हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए कृपाण को अदालत में सुनवाई के दौरान धार्मिक वस्तु बताया था।

विक्रम डिगवा (23) को 18 वर्षीय हेनरी नोवाक की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पिछले वर्ष दिसंबर में साउथैम्पटन में हुई इस घटना के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इसके चलते ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने हाउस आफ कामंस में बयान देते हुए दोहराया कि किसी एक व्यक्ति के जघन्य अपराध के लिए पूरे सिख समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। महमूद ने कहा कि कृपाण रखने के सिखों के अधिकार को सीमित करने की मांगें उठी हैं। कृपाण उनके धर्म की पांच पवित्र वस्तुओं में से एक है। उन्होंने कुछ दक्षिणपंथी समूहों द्वारा कृपाण पर प्रतिबंध लगाने की मांग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम इस देश में सामूहिक दंड में विश्वास नहीं करते। इसके बजाय, हम विशुद्ध रूप से दुष्ट और जघन्य कृत्य के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। हम इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वालों की निंदा करते हैं, न कि धर्म या जातीय पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी लोगों की।

ब्रिटेन के सिख सांसदों ने हाउस आफ कामंस में हुई तीखी बहस के दौरान हस्तक्षेप किया। लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने रिफार्म यूके और रिस्टोर ब्रिटेन पर एक हत्यारे की हरकत के आधार पर पूरे सिख समुदाय को बलि का बकरा बनाने और बदनाम करने का आरोप लगाया।

हमला कीव में मंगलवार को रूस के हमलों से क्षतिग्रस्त इमारत के बाहर बचाव अभियान चलाते दमकलकर्मी। हमले 16 लोगों की मौत हो गई।

एकतरफा प्यार में महिला और उसके पिता की हत्या का मामला

आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐसे शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिस पर एकतरफा प्यार के कथित मामले में एक महिला और उसके पिता की हत्या का आरोप है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति वीएस मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस हत्या की तुलना अजय देवगन की एक फिल्म से की।

पीठ मेरठ निवासी सागर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सागर मेरठ जिले में करीब छह साल पहले 2020 में हुई एक गोलीबारी की घटना का मुख्य आरोपी है। इस घटना में शादी से कुछ ही दिन पहले, होने

वाली दुल्हन और उसके पिता की हत्या कर दी गई थी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने टिप्पणी करते हुए कहा-हे भगवान! तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। तुमने ससुर, साले, सभी को मार डाला। तुम तो बड़े बेखौफ हो। क्या तुमने वह फिल्म नहीं देखी, बिहार वाली। जिसमें अजय देवगन हैं? उन्होंने आगे कहा-तुम तो अपनी ही गर्लफ्रेंड के हत्यारे हो. यह तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा है।

माना जा रहा है कि न्यायमूर्ति नाथ इस दौरान साल 2006 की थ्रिलर फिल्म 'ओमकारा' का जिक्र कर रहे थे। देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से यह टिप्पणी तब सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत न दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हालांकि, यह संकेत देने के बाद कि वह आरोपी को किसी तरह की राहत देने के पक्ष में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, अभियुक्त की ओर से अदालत में पेश वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, ताकि वे उचित चरण पर फिर से हाई कोर्ट का रुख कर सकें।

बुलेट ट्रेन परियोजना : पांच माह में तीसरी पर्वतीय सुरंग का निर्माण पूरा

नई दिल्ली, 2 जून (ब्यूरो)।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका के अंबेसारी गांव में तीसरी पर्वतीय सुरंग (एमटी-07) का निर्माण पूरा हुआ।

महाराष्ट्र में पिछले पांच महीनों के भीतर तीन पर्वतीय सुरंगों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह देश के पहले उच्च-गति रेल गलियारे के सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण खंड थे।

एमटी-07 पर्वतीय सुरंग 417 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है।

रेलवे अधिकारी ने बताया कि बुलेट ट्रेन गलियारे की दोनों ओर की पटरियों के लिए हाल ही में बनकर तैयार हुई एमटी-07 पर्वतीय सुरंग 417 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है। इस सुरंग की खुदाई दोनों सिरों से नियंत्रित ड्रिलिंग और विस्फोट विधि द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र खंड में 1.5 किमी लंबी पहली पर्वतीय सुरंग (एमटी-05) का निर्माण दो जनवरी 2026 को पालघर जिले के सफाले के पास पूरा हुआ।

इसके बाद तीन फरवरी 2026 को दूसरी सुरंग (एमटी-06) का निर्माण हुआ, इसमें न्यू आस्ट्रियन टनलिंग तकनीक (एनएटीएम) का उपयोग करके 454 मीटर लंबी सुरंग खोदी गई। रेलवे अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में निर्माणाधीन सात पर्वतीय सुरंगों में से, एमटी-पांच, एमटी-छह और एमटी-सात में अब तक खुदाई का काम पूरा हो चुका है। एमटी-आठ (350 मीटर) में पांच अक्तूबर 2023 को खुदाई का काम पूरा हो गया था, एमटी-तीन की खुदाई 80 फीसद से अधिक पूरी हो चुकी है।

न्यूयार्क फिल्म महोत्सव में जलवा | **समारोह** | पंद्रह भाषाओं की विविध फिल्मों का प्रदर्शन किया गया

अमेरिका में मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने जीते तीन पुरस्कार

न्यूयार्क, 2 जून (भाषा)।

बाफ्टा पुरस्कार विजेता मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने हाल ही में संपन्न न्यूयार्क भारतीय फिल्म महोत्सव में तीन पुरस्कार अपने नाम किए हैं, जिनमें मुख्य भूमिका निभाने वाले युवा कलाकार को दिया गया सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का सम्मान भी शामिल है।

चार दिवसीय न्यूयार्क भारतीय फिल्म महोत्सव (एनवाईआइएफएफ)-2026 रविवार को एक पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट कृतियों को दस प्रतिस्पर्धी श्रेणियों में सम्मानित किया गया। यह महोत्सव 28 से 31 मई तक आयोजित हुआ, जिसमें 15 भाषाओं की विविध फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। यह इस बात को रेखांकित करता है कि समकालीन भारतीय सिनेमा में क्षेत्रीय कहानियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। यह आयोजन उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबे समय से चल रहे भारतीय स्वतंत्र सिनेमा महोत्सव में फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को एक साथ लाया।

फिल्म 'बूंग' को क्रिटिक्स सर्कल आफ इंडिया द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म, लक्ष्मीप्रिया देवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और गुगुन किपगेन के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मिला।

इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले युवा कलाकार को सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का सम्मान दिया गया।

निखिल यादव को फिल्म 'विमुक्त' में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, जबकि मीनाक्षी जयन ने 'विक्टोरिया' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।

इस वर्ष के फिल्म महोत्सव का आयोजन इंडो-अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल (आइएएसी) की ओर से किया गया था, जिसमें 19 फीचर फिल्में, चार वृत्तचित्र एवं 27 लघु फिल्में शामिल थीं। इनमें कई विश्व प्रीमियर भी थी, साथ ही एक विशेष एलजीबीटीक्यू शार्ट्स कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। फिल्म महोत्सव का शीर्ष सम्मान फिल्म 'बख्शो बोंदी' को मिला, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया।

वहीं, इस वर्ष फरवरी में प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में इतिहास रचने वाली मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने शाम का सबसे बड़ा विजेता बनकर तीन पुरस्कार अपने नाम किए। इसे फिल्म क्रिटिक्स सर्कल आफ इंडिया द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म, लक्ष्मीप्रिया देवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और गुगुन किपगेन के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मिला। निखिल यादव को फिल्म 'विमुक्त' में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, जबकि मीनाक्षी जयन ने 'विक्टोरिया' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का सम्मान निखिल महाजन और प्राजक्त देशमुख को उनकी फिल्म 'तिघे' के लिए मिला।

राजनयिक विपुल को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया

नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

अनुभवी राजनयिक विपुल को मंगलवार को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे खाड़ी राष्ट्र के बढ़ते प्रभाव और पश्चिम एशिया में अस्थिर भू-राजनीतिक संकट को देखते हुए एक महत्त्वपूर्ण पद के रूप में देखा जा रहा है।

विपुल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में कतर में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है कि वह जल्द ही यह कार्यभार संभाल लेंगे। विपुल ने काहिरा, कोलंबो, जिनेवा और दुबई में भारतीय दूतावासों में अपनी सेवाएं दी हैं। अपने राजनयिक करिअर में उन्होंने राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों, विकास, निरस्त्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और मीडिया सहित विविध क्षेत्रों में काम किया है।

This is only an Advertisement for the information purpose and not for Publication, distribution, or release, directly or indirectly in the United States of America or otherwise outside India. This is not an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated August 29, 2025 ('Letter of Offer') and Corrigendum to the Letter of Offer dated September 04 and September 16, 2025 respectively filed with the stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed i.e., 'BSE Limited' ('BSE') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI').

ECO HOTELS

ECO HOTELS AND RESORTS LIMITED

Corporate Identification Number: L55101KL1987PLC089987;
Registered Office: 67/6446, Basin Road, Cochin, Ernakulam High Court, Ernakulam 682031; Kerala, India.
Corporate Office: Block No 4, Second Floor Raj Mahal Building, Veer Nariman Road, Churchgate, Mumbai, Maharashtra, India, 400020;
Tel: +91 22 44550546; **Email id:** investor.relations@ecohotels.in; **Website:** www.ehrlindia.in
Contact Person: Ms. Heena Supadia, Company Secretary & Compliance Officer

THIRD AND FINAL CALL NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF ECO HOTELS AND RESORTS LIMITED HELD AS ON THE RECORD DATE I.E., FRIDAY, MAY 29, 2026

In terms of provisions of the Companies Act, 2013 **('Act')** read with the relevant rules made thereunder, and the Letter of Offer dated August 29, 2025 **('Letter of Offer')**, and Corrigendum to the Letter of Offer dated September 04 and September 16, 2025 respectively the Third and Final Call notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares ('Shareholders') whose e-mail addresses are registered with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') or Depository Participant(s) as on the record date i.e., May 29, 2026. Further, physical copy of the Third and Final Call Notice along with the detailed instructions and ASBA Form have been sent vide permitted modes of dispatch, at the registered addresses of those Shareholders a) who have not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or b) who have specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch on June 01, 2026.

The Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company **('Board')**, at its meeting held on May 23, 2026, had fixed Friday, May 29, 2026, as the record date for the purpose of ascertaining the holders of Rights Equity Shares to whom the Third and Final Call notice, would be sent. The Board also at the same meeting had approved making the Third and Final Call of ₹3.80/- (Rupees Three & Eighty Paisa Only), (₹2.50 will be adjusted towards Face Value and ₹1.30/- towards the Securities Premium) and fixed the period of Third and Final Call from which call money will be payable from Monday, June 15, 2026, and will close on Monday, June 29, 2026, both days inclusive ('Third and Final Call'). The same was intimated to the stock exchanges on May 23, 2026.

Accordingly, the Third and Final Call notice has been served as per the details given below:

Payment Period	From	To	Duration
	Monday, June 15, 2026	Monday, June 29, 2026 (Latest by 5.00 p.m.)	15 Days
Mode of Payment	a. Online ASBA	Through the website of the SCSBs[1]	
	b. Physical ASBA	By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs[1] [2]	
	c. Online	Using the 3-in-1 online trading-demat-bank account wherever offered by brokers	

(1) Please visit https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 to refer to the list of existing SCSBs [Self-Certified Syndicate Banks]
(2) Available only to resident shareholders

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/238/2020 dated December 8, 2020, Shareholders can also make the Third and Final Call Money payment by using the facility of linked online trading-demat-bank account [3-in-1 type accounts], provided by some of the brokers. Eligible Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with the payment for Third and Final Call Money of Eco Hotels and Resorts Limited. Eligible Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed. Eligible Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company, Advisor or Registrar to the Issue will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.

Shareholders are requested to make the Third and Final Call money payment on or before Monday, June 29, 2026. Please also note the consequences of failure to pay Third and Final Call Money, given below:

a. Interest @ 10.00 % (Ten per cent only) p.a. will be payable for delay in payment of Third and Final Call beyond Monday, June 29, 2026 till the actual date of payment;
b. The Company shall be entitled to deduct from any dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of calls and interest due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and
c. The partly paid-up Equity Shares of the Company currently held by you, including the amount already paid thereon are liable to be forfeited in accordance with the Articles of Association of the Company and the application form.

Shareholders may also note that:

(i) The ISIN "IN9638N01036" representing partly paid-up equity shares of face value of ₹ 10/- each (₹ 7.50/- paid-up) has been suspended by the Stock Exchange with effect from Friday, May 29, 2026, on account of the Third and Final Call. Further note that this is the third and final call, and no further calls shall be made in this regard. Accordingly, eligible shareholders are requested to pay the call money on a timely basis to convert their shares into fully paid-up shares.

(ii) The process of corporate action for converting the partly paid-up Rights Equity Shares to the fully paid-up Equity Shares under the present ISIN – INE638N01012 for the existing fully paid-up Equity Shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed within two to three weeks from the last date of payment of the Final Call Money stipulated under the respective Notice. Accordingly, eligible shareholders who have paid the First, Second, Third and Final Call on their Rights Equity Shares can expect credit of the fully paid-up equity shares of the Company and commencement of trading in such fully paid-up equity shares within a period of three weeks from the last date for making payment of the Third and Final Call, i.e., Monday, June 29, 2026.

(iii) In case of non- receipt of Third and Final Call money notice, shareholders can request the Registrar by e-mail or letter, for the duplicate call money notice, or may also download the same from the Company's website www.ehrlindia.in or the Registrar's website www.bigshareonline.com. In such a case, however the shareholder has to fill the DP & Client ID, number of partly paid-up shares held and amount payable towards the Third and Final call money.

(iv) All Eligible Shareholders should mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961. Applications without PAN will be considered incomplete and are liable to be rejected.

All correspondence in this regard may be addressed to Registrar to the Issue at below mentioned address:

Bigshare Services Private Limited
Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai– 400093.
Tel No.: +91 22–62638200.
Fax No.: +91–22–62638299.
Website: www.bigshareonline.com
E-mail ID: rightsissue@bigshareonline.com/ investor@bigshareonline.com
Contact Person: Mr. Prabhakar
SEBI Registration No: INR000001385

For Eco Hotels and Resorts Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Vinod Kumar Tripathi
Executive Chairman
DIN: 00798632

Date: June 02, 2026
Place: Mumbai, Maharashtra

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

शुद्धिपत्र

आईबीसी, 2016 के अंतर्गत 14वीं ई-नीलामी बिक्री सूचना

मेसर्स आर.जी. इंफ्रा-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
CIN: U70101DL2005PTC135052
पंजीकृत कार्यालय: जी-02, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. SU LSC, बी-ब्लॉक, आरजी सिटी सेंटर, लॉरेंस रोड, दिल्ली – 110035
परिसमापक का कार्यालय: 1670/120, शांति नगर, त्रि-नगर, दिल्ली – 110035

आईबीसी, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत आर.जी. इंफ्रा-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन) की परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु दिनांक 01.06.2026 को प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि नीलामी के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों के लिए ईएमडी (EMD) राशि एवं दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 17.06.2026 थी। तथापि, अनजाने में तालिका के उस कॉलम में, जो ईएमडी राशि एवं दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि से संबंधित है, यह तिथि अंकित नहीं हो सकी।

कृपया ध्यान दें कि नीलामी के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों के लिए ईएमडी राशि एवं दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 17.06.2026 है। कृपया इसे उसी अनुसार पढ़ा एवं समझा जाए।

हुई असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है।

राकेश कुमार जैन
परिसमापक (Liquidator)
आर.जी. इंफ्रा-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

कॉर्पोरेट ऑफिस- 134/1,
'मॉन्टक्लेयर', बाणेर - पाषाण लिंक रोड,
पाषाण, पुणे-411021.

एक्स1/एमएसएमई/आरएफपी01/2026-27

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) समुचित जांच (ड्यू डिलिजेंस) एजेंसी को पैनल में लेना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे ऐसी प्रतिष्ठित, विश्वसनीय और अनुभवी सत्यापन एजेंसियों को पैनल में शामिल करना चाहता है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्षेत्र(फील्ड) सत्यापन सेवाएं प्रदान कर रही हैं। एजेंसियों का पैनल में समावेशन कार्य के स्वरूप और आरएफपी दस्तावेज़ में निर्धारित ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार एमएसएमई/ वाणिज्यिक ऋण प्रस्तावों की समुचित जांच और सत्यापन (मंजूरी-पूर्व/ मंजूरी-पश्चात) के संचालन हेतु अंचलवार/अखिल भारतीय स्तर पर किया जाएगा।

विस्तृत विवरण और आरएफपी दस्तावेज़ (बीओएम/एमएसएमई/डीडीवी/01/2026-27) बैंक की वेबसाइट **https://www.bankofmaharashtra.bank.in** पर **'निविदा खंड'** में उपलब्ध है। इच्छुक सत्यापन एजेंसियां कार्य दिवस के दिन उप महाप्रबंधक एमएसएमई ऋण के उपर्युक्त कार्यालय को **दिनांक 24/06/2026 को 17.00 बजे** तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकती हैं।

किसी प्रकार की अद्यतन जानकारी/बोली-पूर्व प्रश्न/शुद्धिपत्र हेतु कृपया हमारी वेबसाइट देखें, इस बारे में अलग से कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

उप महाप्रबंधक
एमएसएमई ऋण विभाग
दिनांक: 03/06/2026

KEI Wires & Cables

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डी-80, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, नई दिल्ली-110 020
फोन: 91-11-26818840 / 26818642, वेबसाइट: www.kei-ind.com
ई-मेल आईडी: cs@kei-ind.com
(सीआईएन: L74899DL1992PLC051527)

शेयरधारकों को सूचना
भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डिमटेरियलाइजेशन के लिए विशेष विंडो

सभी संबंधित शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि, सेबी परिपत्र संख्या **HO/38/ 13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026** दिनांक **30 जनवरी, 2026** के अनुसार, भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटीरियलाइजेशन के लिए एक विशेष विंडो **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027** तक, एक वर्ष की अवधि के लिए खोली गई है।

उक्त परिपत्र के अनुसार, यह विशेष विंडो **01 अप्रैल, 2019** से पहले बेची या खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं:

- स्थानांतरण अनुरोध पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों या प्रक्रियाओं में कमियों के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे / लौटा दिए गए थे / उन पर ध्यान नहीं दिया गया था; या
- ऐसे स्थानांतरण अनुरोध निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन नए सिरे से दर्ज किए जा रहे हैं।

कृपया ध्यान दें कि इस विशेष विंडो के तहत हस्तांतरित प्रतिभूतियों को अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में हस्तांतरितकर्ता को जमा किया जाएगा और हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन के तहत रहेगा। उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित/ग्रहणाधिकार-चिह्नित/गिरवी नहीं रखा जाएगा। संबंधित शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवसर पर ध्यान दें और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अपने स्थानांतरण अनुरोधों को कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-द्वितीय, नई दिल्ली – 110020 को फिर से दर्ज कराएं। संपर्क नंबर: 91 11 2638 7281, 82, 83; ईमेल: investor@masserv.com.

कृते मैसर्स केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
किशोर कुणाल
वरिष्ठ वीपी (कॉर्पोरेट फाइनेंस)
और कंपनी सचिव

हस्ताक्षर स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 02.06.2026

उत्कर्ष स्माल फाईनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
आंचलिक कार्यालयः छठी मंजिल, हनी अर्जुन कौशाम्बी टॉवर, प्लॉट नं. 208, सेंट्रल एवेन्यू रोड, लकड़गंज नागपुर, महाराष्ट्र–440008
पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टावर, एनएच – 31 (एयरपोर्ट रोड), सेमरमपुर, कलजी सत्राब, हरदुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221105

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि उत्कर्ष स्माल फाईनेंस बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) ने इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से विकास कुमार सिंह (जिसे आगे "ग्राहक" कहा गया है) के नाम पर जारी लॉकर संख्या **1352080000000019** को तोड़ने का निर्णय लिया है, क्योंकि विगत 5 वर्षों से रु. **10431.20** की लॉकर किराया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राहक को साधारण/पंजीकृत डाक के माध्यम से कई पत्र प्रेषित किए गए, तथापि ग्राहक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अतः बैंक द्वारा ग्राहक से अनुरोध किया जाता है कि वह संपूर्ण बकाया लॉकर किराया राशि का भुगतान करे। यदि ग्राहक इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर उक्त बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बैंक प्रचलित नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त लॉकर को तोड़ने हेतु अधिकृत होगा। चूककर्ता का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	ग्राहक का नाम	देय तिथि	सार्वजनिक सूचना का बकाया राशि
1	इलाहाबाद	135208000 0000019	रामजी गुप्ता	5 वर्ष	₹ 10431.20/-

ग्राहक का पताः छजमनपुरा महोबा, उत्तर प्रदेश,210427

हस्ता./-
(प्राधिकृत अधिकारी)
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

तिथि : 03.06.2026
स्थान : इलाहाबाद

कब्जा सूचना

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. तालिका में वर्णित (एआरसीआईएल) ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं, गारंटर और बंधककर्ता को मांग नोटिस दिनांक को जारी किया गया, जिसमें सूचना में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता(ओं) उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जो एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को "जहां है और जो कुछ भी है, के आधार पर" नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

क्र. सं.	कर्जधार और गारंटर का नाम एवं लैन	13(2) सूचना की तिथि और राशि (रु.)	कब्जा सूचना की तिथि और प्रकार
1	उधारकर्ता: श्री/श्रीमती दीपक वी श्री/श्रीमती पूजा देवी, श्री/श्रीमती विजय पाल (लैन: LAP1KAR000101833) ARCIL-TRUST-2026-013	रु. 10,95,962/- (रुपये दस लाख पिच्चानवे हजार नौ सौ बासठ मात्र) दिनांक 22.01.2026 तक एचएल/लैप सुविधा के संबंध में तथा उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज सहित, साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित। नोटिस दिनांक: 27-01-2026	30.05.2026 (सांकेतिक कब्जा)

संपत्ति का विवरण: संपत्ति क्षेत्रफल 113.249 वर्ग मीटर U.I.D संख्या 593450172 के साथ पठित, ग्राम फफरना, तहसील असंध, जिला करनाल (लाल डोरा सीमा के भीतर), पंजीकृत हस्तांतरण विलेख संख्या 1232/1 दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से, 10 मरला भूमि जिस पर भवन निर्मित है सीमाएं: पूर्व: भीम सिंह का मकान, पश्चिम: महिपाल का मकान, उत्तर: करम सिंह का मकान, दक्षिण: गली

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि एआरसीआईएल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या किसी भी व्यक्ति को, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, एआरसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना/हस्तांतरित करना और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ एआरसीआईएल के प्रभार के अधीन होगा।

उपर्युक्त अचल संपत्ति के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः हरियाणा
दिनांकः 30.05.2026

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
(ARCIL ट्रस्ट – ARCIL-TRUST-2026-013 के ट्रस्टी)

Arcil Premier ARC

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN: U65999MH2002PLC134884 वेबसाइटः www.arcil.co.in;
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400028.
फोन : 022-66581300
शाखा कार्यालयः मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032

IndusInd Bank

इण्डसंइड बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 2401, जनरल थिमय्या रोड (ईस्ट स्ट्रीट), कैन्टोनमेन्ट, पुणे-411001, ग्लोबल डिलिवरी सिस्टम कार्यालय 34, जी.ए पैरी रोड- टी नगर चेन्नई - 600017 रोजीरो कार्यालय 5 वी मंजिल बुल्कि, सवाय हिल्का आफ्यालो सर्किल के पास विनय मार्ग - वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान

कब्जा नोटिस

जबकि निम्न हस्ताक्षरकर्ता इण्डसंइड बैंक लि0 (संस्था का नाम) का अधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 54) के अन्तर्गत एवं धारा 13 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित, ऋणी, सहऋणी, गारन्टर, बंधककर्ता **Borrowers / Mortgagor/ Guarantor Mr. Prerit Kumar Jain S/o Ashok Kumar Jain, Mr. Arpit Kumar S/o Ashok Kumar Jain, Mrs. Pallavi Jain S/D/W/o Rajesh Kumar, Minakshi Gohil C/o Arpit Kumar Jain, Bharti Jain C/o Manak Chand Jain** पर मांग सूचना दिनांक **27/05/2022** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रूपये **Rs. 51,22,255.82/- in words (Fifty-One Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Fifty-Five & Paisa Eighty-Two Only)** दिनांक **27/05/2022** तक (ऋण खाता संख्या **RJK05278M** बाबत) एवं भविष्य में अर्जित होने वाले ब्याज का पुर्नभुगतान करने के लिए मांग सूचना को जारी किया।

ऋणी द्वारा राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल हो जाने पर, एतद्द्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 30 माह गई वर्ष 2026** को उपरोक्त कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, उस नियम के नियम 9 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पति के कब्जे को ले लिया है।

ऋणी को विशेष या आम जनता के साथ एतद्द्वारा सम्पति साथ कार्य नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई कार्य रूपय **Rs. 51,22,255.82/- in words (Fifty-One Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Fifty-Five & Paisa Eighty-Two Only)** आज दिनांक तक की बकाया राशि और उस पर ब्याज और अन्य चार्जेज के लिए इण्डसंइड बैंक लि0 (संस्था का नाम) के प्रभार के अनुसार होगा।

संपत्ति का विवरण:

All that part and parcel of the immovable property of **Mr. Prerit Kumar Jain, Arpit Jain & Bharti Jain** consisting of land & building, structures, erections, installations, etc. situated at House at Mangalpura to Tanga Adda Road, Near Tanga Adda, Opposite Chhatra Bhawan, Jhalawar, Rajasthan 326001, admeasuring 1381.0781 Sq. Feet.

तथापि, उक्त परिसंपत्ति के एक भाग में स्थित मंदिर/पूजा स्थल को सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था एवं धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से वर्तमान में कब्जा प्रक्रिया से अलग रखा गया है। उक्त अपवर्जन को सुरक्षित ऋणदाता के किसी भी विधिक अधिकार, सुरक्षा हित अथवा कब्जा संबंधी अधिकारों के त्याग, परित्याग या निष्कासन के रूप में नहीं माना जाएगा।

और इससे घिरा हुआ है:

उत्तर की और : Gali & House of Jagdish Agarwal, दक्षिण की और: Road Gali 6 Ft., पुरब की और : House of Pandey Ji, पश्चिम की और : Rasta 17 Feet

दिनांक: 3-06-2026
स्थान :– झालावाड़

प्राधिकृत अधिकारी
इंडसइंड बैंक लिमिटेड

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
कार्यालयः यूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली-110075
ई-मेलः info@newhabitat.in, info@savehfl.in वेबः www.savehfl.in, मो.: +91 98100 83317

कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 2002 का 54) (यहां के बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नीचे वर्णित ऋणियों को बुलाने के लिए नीचे वर्णित तिथि पर एक मांग सूचना जारी की थी। ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनहें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे वर्णित तिथि पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी/गारंटर/गिरवीकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ किया गया कोई लेन-देन सूचना में वर्णित राशि के लिए सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम 13 की धारा उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

क्र. सं.	ऋणी का नाम/ सह-ऋणी/गारंटर	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना / कब्जा सूचना	बकाया राशि
1.	1. कृष्ण मुरारी वर्मा पुत्र राम स्वरुप वर्मा, 2. रेखा वर्मा पत्नी कृष्ण मुरारी वर्मा और 3. पुष्पा देवी पत्नी श्री राम स्वरुप, 0, मोहल्ला न्यू रामगढ़ गली संख्या 3 जलेसर रोड, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283203, यहां भी: कृष्ण मुरारी बैंगल्स, 19/20, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283203, यहां भी: गली संख्या 3, जलेसर रोड, मोहल्ला न्यू रामगढ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283203, 19/20 देवनगर, बर्तन वाली गली, फिरोजाबाद, पीओः फिरोजाबाद, जिलाः फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283203	मौजा सुखमलपुर, निजामाबाद, मौसम मोहल्ला, न्यू रामगढ़, तहसील और जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश (अदर सीमा नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद) में मौजूदा पूरा आवासीय मकान, जिसकी सीमा और माप है। माप: पूर्व : 14 फीट, पश्चिम : 14 फीट, उत्तर : 30 फीट, दक्षिण : 30 फीट; सीमा: गली रास्ता 10 फीट चौड़ा, प्लॉट चंद्रपाल सिंह, प्लॉट श्रीमती नारायनी देवी, प्लॉट चंद्रपाल सिंह; कुल क्षेत्रफल 420 वर्ग फीट यानी 39.06 वर्ग मीटर (पानी का कनेक्शन नंबर 35/1)	13.03.2026 / 29.05.2026	रुपये 8,13,505/- (रुपये आठ लाख तेरह हजार पांच सौ पांच केवल) 29.05.2026 तक उसपर भावी ब्याज व आकस्मिक व्यय व लगातार सहित ऋण खाता संख्या- NHS/N/HEA/AGR/1224/0018

दिनांक 02-06-2026, स्थानः फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

THE BUSINESS DAILY
FOR DAILY BUSINESS
INDIAN EXPRESS GROUP
FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

CyberTech
Systems and Software Limited

CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE LIMITED

Registered Office: CyberTech House, Plot No. B - 63 / 64 / 65, Road No. 21/34, J. B. Sawant Marg, MIDC, Wagle Estate, Thane (West)- 400604, Maharashtra, India
CIN: L72100MH1995PLC084788; **Tel. No.** 022-6983 9200;
Email: cssl.investors@cybertech.com; **Website:** https://cybertech.com
Contact Person: Ms. Sarita Leelaramani, Company Secretary & Compliance Officer

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUYBACK OF EQUITY SHARES

CyberTech Systems and Software Limited (**"Company"**), has completed the dispatch of Letter of Offer dated May 30, 2026 along with Offer Forms and Share Transfer Form (**"Form SH-4"**), in relation to the Buyback, through electronic mode for shareholder with email id on Monday, June 01, 2026 and through speed post whose email id's are not available, on Tuesday, June 02, 2026 to all the Eligible Shareholders, holding Equity Shares as on the Record Date i.e.,Friday, May 29, 2026 in accordance with Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, including any amendments, statutory modifications or re-enactment thereof, for the time being in force (**"SEBI Buyback Regulations"**) and such other circulars on modifications as may be applicable. Further, in terms of Regulation 9(ii) of the SEBI Buyback Regulations, if a request is received from any Eligible Shareholder for a Physical copy of Letter of Offer, the same would be dispatched physically by speed post/courier.

For the detailed schedule of activities in relation to the Buyback, please refer to the Letter of Offer. A brief schedule of activities for the Buyback is as follows:

Activity	Day & Date
Buyback Window Opening Date	Thursday, June 04, 2026
Buyback Window Closing Date	Wednesday, June 10, 2026
Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificates (if and as applicable) by the Registrar to the Buyback	Wednesday, June 10, 2026 By 5 P.M. (IST)

The details of the Buyback Entitlement in each category are as follows:

Category of Eligible Shareholders	Ratio of Buyback (i.e. Buy-back Entitlement)*
Reserved Category for Small Shareholders	12 Equity Shares for every 277 Equity Shares held on the Record Date
General Category for all other Eligible Shareholders	12 Equity Shares for every 277 Equity Shares held on the Record Date

**Note: The above ratio of Buyback is approximate and provides indicative Buyback Entitlement. Any computation of the Buyback Entitlement using the above Buyback ratio may provide a slightly different number than the actual entitlement due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement factor for Small Shareholders under the Reserved Category is 4.331835257% and for other shareholders under the General Category is 4.331893077%. Also, the numbers arrived at using the actual Buyback Entitlement may not conform exactly to the Buyback Entitlement printed in the Tender Form due to rounding-off of the factor.*

For further information on the Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category, please refer to paragraph 22.7 on page 37 of the Letter of Offer.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS CAN ALSO CHECK THEIR ENTITLEMENT ON THE WEBSITE OF THE REGISTRAR TO THE BUYBACK BY FOLLOWING THE STEPS GIVEN BELOW:

1) Click on https://in.mpms.mufg.com/Offer/Default.aspx
2) Select the name of the Company – "CyberTech Systems and Software Limited-Buyback"
3) Select holding type - "Demat" or "Physical" or "PAN"
4) Based on the option selected above, enter your "DPID CLID" or "Folio Number" or "PAN"
5) Click on Submit.
6) The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'

In case you have not received the Letter of Offer and Tender Forms, the same are also available on the websites of the Company, the Securities and Exchange Board of India, the Registrar to the Buyback, the Stock Exchanges and the Manager to the Buyback at https://cybertech.com, www.sebi.gov.in, www.in.mpms.mufg.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.saffronadvisor.com, respectively.

Capitalized terms used in this communication and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the Letter of Offer.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CYBERT

सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. ७८२, ७वीं मंज़िल, वेगास मॉल, प्लॉट नं. ५, सेक्टर १४, द्वारका, नई दिल्ली–११००७५ वेबसाइट: **https://www.savefinance.in,**

संपर्क व्यक्ति: पिंटू कुमार ठाकुर, मोबाइल नंबर : +९१ ९८१०७४४४३८

" एपेंडिक्स–IV–A " नियम ८(६) के प्रोवाइज़ो के अनुसार अचल संपत्ति की बिक्री का विक्रय

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ८(६) के प्रावधान के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक/भारित है, जिसका कब्जा सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, दिनांक **०८.०७.२०२६** को " जैसी है जहां ह ", " जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित उधारकता (यों), गारंटर(ओं) और कॉर्पोरेट गारंटर (ओं) से सुरक्षित लेनदारों को देय नीचे उल्लिखित राशि की वसूली के लिए बेची जाएगी। रिज़र्व प्राइस और जमा कीजाने वाली अर्नेस्ट मनी नीचे दी गई है:–

उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता/गारंटर (गण) के नाम एवं पता	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	वृद्धिशील राशि	संपत्ति के ऑनसाइट निरीक्षण की तिथिएवं समय
अनिल कुमार पाल पुत्र श्री राजेन्द्र सूरजबली पाल बोनीपुर, गणेशपुर, वाराणसी श्रीमती लीलावती राजेन्द्र पाल एवं राजेन्द्र सूरजबली पाल। ऋण खाता संख्या:–**INTERVAR0006172**	रु. २८,२४,०००/–	रु. २,८२,४००/–	रु. २५,०००/–	०६.०७.२०२६ सुबह १० बजे से शाम ५:०० बजे तक
	ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख और समय: ०७.०७.२०२६ दोपहर १२:०० बजे तक.			**ई–नीलामी की तारीख व समय:–०८.०७.२०२६ सुबह १० बजेसे दोपहर १२बजे तक (हर बार ५ मिनट के अनलिमिटेड एक्सटेंशन के साथ)**
	डिमांड नोटिस के अनुसार रिकवरी अमाउंट २७ जनवरी २०२४ तक रु.२१,६३,५६४.०७/–			

संपत्ति का विवरण एवं स्वामी/स्वामियों का नाम :– आराजी संख्या १११०, ग्राम–कल्हीपुर, परगना–कसवार राजा, तहसील एवं जिला–वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन कोड – २२१३०७

ईएमडी राशि का भुगतान **NEFT/RTGS**/फंड ट्रांसफर के माध्यम से **"SAVE FINANCIAL SERVICES PVT. LTD."** के पक्ष में किया जाएगा।बैंक खाता संख्या: **184305000395,** बैंक का नाम: **ICICI BANK, IFSC** कोड: **ICIC0001809 शाखा: SHAHEED ROAD. EMD** जमा करने एवं बोली दस्तावेज़ अपलोड करने की **अंतिम तिथि: ०७.०७.२०२६ दोपहर १२:०० बजे** तक. वेबसाइट: **https://xpertauction.com**

अंतिम खरीद मूल्य का शेष २५% (ईएमडी घटाकर) सफल बोलीदाता द्वारा अगले कार्य दिवस तक RTGS/NEFT के माध्यम से **Save Financial Services Pvt Ltd** के ऊपर दिए गए ई–ऑक्शन खाते में जमा किया जाएगा। शेष ७५% राशि अंतिम खरीद मूल्य की, नीलामी की तिथि से १५ दिनों के भीतर RTGS/NEFT द्वारा उसी ई–ऑक्शन खाते में जमा की जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि उनके द्वारा बोली फॉर्म में दिए गए खाते में ५ कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

नियम एवं शर्तें:ई–नीलामी "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" एवं **"WHATEVER THERE IS"** आधार पर की जा रही है तथा यह नीलामी

ऑनलाइन आयोजित होगी। नीलामी **Save Financial Services Pvt Ltd** के अनुमोदित सेवा प्रदाता **M/s Navodayan Protech PrivateLimited (Xpert ARC™)** द्वारा वेब पोर्टल **https://xpertauction.com** पर आयोजित की जाएगी।बोली दस्तावेज़, घोषणा पत्र, ऑनलाइन नीलामी की सामान्य नियम एवं शर्तें **https://xpertauction.com** पर उपलब्ध हैं।अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संपत्ति पर कोई भार (encumbrance) नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाता स्वयं संपत्ति के भार/दावों/शीर्षक/देयताओं आदि के संबंध में स्वतंत्र जाँच कर लें। इस संबंध में ई–नीलामी का विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या **Save Financial Services Pvt Ltd** द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। बोलीदाता ई–नीलामी सेवा प्रदाता से भी संपर्क कर सकते हैं: **M/s Navodayan Protech Private Limited (Xpert ARC™) हेल्पलाइन नंबर: +91 77 1010 0505 ईमेल: eauctions@xpertauction.com. संपर्क व्यक्ति:** Ms. Pragati Singh – **+91 98189 97856, +91 72100 29933** ईमेल: **eauctions@xpertauction.com.** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित नीलामी सूचनाओं में किसी भी प्रकार की असंगति/विरोध होने की स्थिति में अंग्रेजी में प्रकाशित सूचना की सामग्री मान्य होगी।

अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी प्रकार के तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। बिक्री SARFAESI अर्ली, २००२ के अधीन निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार होगी।

सरफेसी कायदा, २००२ अंतर्गत वैधानिक ३० दिवसांची विक्री सूचना

अधिकृत अधिकारी

दिनांक : ०२.०६.२०२६
स्थान : वाराणसी

सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

वसूली अधिकारी–I/II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 1)
दूसरा तल, एससीओ 33–34–35, सैक्टर 17–ए, चंडीगढ़

मांग सूचना

ऋण की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 **की धारा** 25 **से** 28 **और आयकर अधिनियम** 1961 **की दूसरी अनुसूची के नियम** 2 **के तहत सूचना**

आरसी/580/2025 तिथि: 12.05.2026

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
मेसर्स आरएस इंटरनेशनल

प्रति,

(सीडी 1) मेसर्स आरएस इंटरनेशनल, एक पार्टनरशिप फर्म, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 71, लेदर कॉम्प्लेक्स, कपूरथला रोड, जालंधर, पंजाब में स्थित है।

(सीडी 2) खुशाल विरालिया पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी 252/3–ए, शिवलोकपुरी कांकेर, खेड़ा मेरठ– (उ.प्र.)।

(सीडी 3) पूनम विरालिया पत्नी विनय कुमार, निवासी 252/3–ए, शिव लोकपुरी कांकेर, खेड़ा मेरठ–(उ.प्र.)।

(सीडी 4) विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी 252/3–ए, शिवलोकपुरी कांकर, खेड़ा मेरठ (उ.प्र.)।

(सीडी 5) मेसर्स कांति लॉज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 46, अमृत नगर, नई दिल्ली में स्थित है, अपने अधिकृत निदेशक श्री विनय कुमार के माध्यम से।

यह सूचित करने के लिए है कि माननीय पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी–1)** द्वारा पारित आदेश के अनुवर्ती जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार **ओए/1510/2019** में 5,08,69,103/– **रु. (केवल पांच करोड़ आठ लाख उनसठ हजार एक सौ तीन रुपये)** जमा वसूली तक 10.05.2019 से पेंडेंटेलाइट और भविष्य का साधारण ब्याज @10.60% प्रति वर्ष और लागत 1,50,005/– **रुपये** (केवल एक लाख पचास हजार पांच रुपए) आपके (संयुक्त और अलग–अलग/पूर्ण/सीमित) बकाया है।

2. एतद्द्वारा आपको उपरोक्त राशि को मांग नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जमा करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर वित्तीय संस्थानों के देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी:–

3. आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।

4. आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 05.09.2026 को पूर्वाह्न 10.30 बजे उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे:–

क) निष्पादन कार्यवाही/प्रमाणपत्र की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज में।

ख) इस नोटिस की तामील तथा वारंट्स और अन्य प्रक्रिया व सभी अन्य कार्यवाही के संबंध में किए गए सभी लागतें, प्रभार और खर्चे जो देय राशि की वसूली के लिए लिए जा सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 12.05.2026 **को जारी किया गया।**

वसूली अधिकारी–II,
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ डीआरटी–1

सिटीगोल्ड क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड

सीआईएन नं : L65921PB1993PLC013595
पताः कार्यालय संख्या 110, कमरा संख्या 555, 5वीं मंजिल, एलएसई बिल्डिंग फिरोज गांधी मार्केट, लुधियाना, पंजाब, भारत, 141001
ईमेल आईडी: cgocl1993@gmail.com; वेबसाइट: https://citygoldcreditcapitallimited.co.in/
(31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का सारांश)

(रु. ईपीएस को छोड़कर लाख)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति			वर्ष समाप्ति	
		31.03.2026 लेखापरीक्षित	31.12.2025 अलेखापरीक्षित	31.03.2025 लेखापरीक्षित	31.03.2026 लेखापरीक्षित	31.03.2025 लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	5.88	5.92	5.78	23.53	23.57
2	असाधारण मदों और कर से पहले, सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि)	2.15	-1.35	0.05	3.76	3.14
3	कर के बाद की अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	1.96	-1.35	0.06	2.78	2.31
4	इक्विटी शेयरों की संख्या	320.05	320.05	320.05	320.05	320.05
5	रिजर्व (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाए गए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	0	0	0	0	0
6	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 1/– का) मूल	0.0600	-0.0420	0.0000	0.0900	0.07
	डाइल्यूटेड	0.0600	-0.0420	0.0000	0.0900	0.07

नोट: उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर तिमाही और वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है और 30 मई, 2026 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया है

सिटीगोल्ड क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड
एसडी/–
श्री तन्मय परेश शाह
निदेशक
(डीन: 11046372)

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 30.05.2026

JM Financial

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
निगमित पहचान संख्या : यू67190एमएच2007पीएलसी74287
पंजीकृत कार्यालय : 7वाँ तल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठी मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई– 400025, **वेबसाइट :** www.jmfinancialarc.com

संपर्क व्यक्ति : (1). पिरामल फाइनेंस लिमिटेड : 022–69482444, (2). प्रशांत मोंडे – 022 – 6224 1676,

ई–नीलामी विक्रय सूचना – आगामी विक्रय

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक एसाइमेंट अनुबंध दिनांकित 29 मार्च 2023 (''एसाइमेंट अनुबंध'') के द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''सरफॉएसि अधिनियम'') की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत समस्त अधिकारों, स्वामित्व एवं हित के साथ रेखांकितकारी प्रतिभूति हित के साथ ऋण (निम्न वर्णित ऋणों सहित) का एक पूल, जेएमएफएआरसी (जेएम) (यहां इसमें एसाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफएआरसी–अरण्य–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत्, के पक्ष में सौंप दिया है। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को एसाइमेंट / सर्विस अनुबंध के द्वारा समस्त परिचालनगत एवं कार्यप्रणालियों वाली प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने हेतु सेवा प्रदात्री / संग्रहण अभिकत्री के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत एवं नियुक्त किया गया है।

उधारकर्ता / ओं से बकाया राशि की वसूली करने हेतु सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण किये जाने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यहां निम्न उल्लिखितानुसार अचल संपत्ति, जो कि अधिग्रहण के अधीन है, जिसके विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं, के क्रयार्थ ''जैसी है जहां है आधार', 'जैसी है जो है आधार' तथा 'वहां जो कुछ भी है आधार' पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं :

ऋण कोड / शाखा / ऋणकर्ता(ओं) / सह–ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	संपत्ति पता– अंतिम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (26–05–2026)
ऋण कोड संख्या: 19300043486, लखनऊ एमएमएम मार्ग (शाखा), मोहम्मद इरशाद एम (ऋणकर्ता), साजिदा एस (सह–ऋणकर्ता 1)	तिथि : 16–06–2021, रु. 1587394/–, (रुपये पंद्रह लाख सत्तासी हजार तीन सौ चौरानवे मात्र)	संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा और भाग जिसका विस्तार है :– प्लॉट नंबर 1, खसरा नंबर 286 मिंज, गाँव अमराई, वार्ड शहीद भगत सिंह लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020;	रु. 1060000/–, (रुपये दस लाख साठ हजार मात्र)	रु. 106000/–, (रुपये एक लाख छह हजार मात्र)	रु. 2859904/–, (रुपये अट्ठाईस लाख उनसठ हजार नौ सौ चार मात्र)
ऋण कोड संख्या: 29300000498, मुरादाबाद (शाखा), मोहन शर्मा (ऋणकर्ता), आंचल शर्मा (सह–ऋणकर्ता 1)	तिथि : 08–11–2022, रु. 1049107/–, (रुपये दस लाख उनचास हजार एक सौ सात मात्र)	संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा और भाग जिसका विस्तार है :– एक प्लॉट नंबर 9बी/631, मान्य काशीराम नगर मझोला योजना–04, भाग–2, सेक्टर–9बी आवास विकास परिषद मुरादाबाद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001	रु. 1850000/–, (रुपये अट्ठारह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 185000/–, (रुपये एक लाख चिचासी हजार मात्र);	रु. 1700824/–, (रुपये सत्रह लाख आठ सौ चौबीस मात्र)
ऋण कोड संख्या: 06000007764, लखनऊ एमएमएम मार्ग (शाखा), नलिनी कांत (ऋणकर्ता), मीनू सिंह (सह–ऋणकर्ता 1)	तिथि : 08–10–2021, रु. 3377689/–, (रुपये तैंतीस लाख सतहत्तर हजार छह सौ नवासी मात्र)	संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा और भाग जिसका विस्तार है :– प्लॉट नंबर 39 और प्लॉट नंबर 42 का भाग, खसरा नंबर 359 का भाग, गाँव– देवरिया, परगना तहसील और जिला लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020	रु. 2880000/–, (रुपये अट्ठाईस लाख अस्सी हजार मात्र)	रु. 288000/–, (रुपये दो लाख अट्ठासी हजार मात्र)	रु. 6309656/–, (रुपये तिरेसठ लाख नौ हजार छह सौ छप्पन मात्र)

ई–नीलामी की तिथि : 23–06–2026 को 11.00 से 1.00 बजे तक (5 मिनटों प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ), बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 22–06–2026 को 4.00 बजे से पूर्व
विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale अथवा https://www.bankauction.in पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

उपरोक्त उल्लिखित ऋणकर्ता / गारंटर को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में उल्लिखितानुसार राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व की तिथि तक उपार्जित ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली ऋणकर्ता / गारंटर से ब्याज व लागत के साथ की जायेगी।

दिनांक : 03-06-2026,
स्थान : उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
(अरण्य – ट्रस्ट)

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बी–17, पीथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई– 400070

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अधीन

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी करता हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार मांग नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील किया जा रहा है। मांग नोटिस की सामग्री इस प्रकार है:

क्र.सं.	कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
1	1) शिमला एंटरप्राइज 2) पवन कुमार, 3) जिले 4) शिमला, 5) अजय बैसला लैन – UGNODMS0000073134, UGNODMS0000073162	मांग सूचना तिथि 30.05.2026 रु. 67,80,367/– (रु. सत्तावन लाख अस्सी हजार तीन सौ सडसठ मात्र) दिनांक 30.05.2026 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति का क्षेत्रफल 5366.66 वर्ग गज, खसरा संख्या 38 में से, ग्राम बादशाहपुर सिरौली के क्षेत्र में, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद (यू.पी) सीमाएँ: पूर्व: सड़क, पश्चिम: मनवीर की भूमि, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: जिले सिंह की भूमि

उधारकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि वे मांग सूचना का पालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, विलंब भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और खर्च सहित, मांग राशि का भुगतान करें। उधारकर्ता यह ध्यान रख सकते हैं कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के साथ उधारकर्ता द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो उग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना शामिल है, लेकिन यह बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित संपत्ति का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपचार यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपचारों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को वापस छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, उधारकर्ता को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बेचने, पट्टे (लीज) पर देने या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) से प्रतिबंधित/वर्जित किया जाता है। उपरोक्त का पालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और यदि ऋणकर्ता चाहें, तो वे इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 03.06.2026

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
कृते यूग्रो कैपिटल लिमिटेड, authorised.officer@ugrocapital.com

---

फार्म नं. आईएनसी–26

कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्र सरकार, दिल्ली क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में

और

फ्लुएंस बेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय लेवल–5, कैडी कमर्शियल टॉवर एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037 पर स्थित है, याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 7 फरवरी, 2025 को आयोजित अतिविशिष्ट आम बैठक में पारित विषेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को ''दिल्ली राज्य'' से ''कर्नाटक राज्य'' में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम में संषोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह या तो निवेषक शिकायत फार्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर भेज सकता है या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्षाते हुए या आपत्ति का कारण बताकर एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरा तल, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर सौंप सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

लेवल–5, कैडी कमर्शियल टॉवर एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037.

फ्लुएंस बेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
हस्ता./–
धन्य यग्न रूपा
निदेशक

तिथि: 03-06-2026
स्थान: दिल्ली

JM Financial

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
निगमित पहचान संख्या : यू67190एमएच2007पीएलसी74287
पंजीकृत कार्यालय : 7वाँ तल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठी मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई– 400025, **वेबसाइट :** www.jmfinancialarc.com

संपर्क व्यक्ति : (1). पिरामल फाइनेंस लिमिटेड : 022–69482444, (2). प्रशांत मोंडे – 022 – 6224 1676,

ई–नीलामी विक्रय सूचना – नया विक्रय

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक एसाइमेंट अनुबंध दिनांकित 29 मार्च 2023 (''एसाइमेंट अनुबंध'') के द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''सरफॉएसि अधिनियम'') की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत समस्त अधिकारों, स्वामित्व एवं हित के साथ रेखांकितकारी प्रतिभूति हित के साथ ऋण (निम्न वर्णित ऋणों सहित) का एक पूल, जेएमएफएआरसी (जेएम) (यहां इसमें एसाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफएआरसी–अरण्य–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत्, के पक्ष में सौंप दिया है। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को एसाइमेंट / सर्विस अनुबंध के द्वारा समस्त परिचालनगत एवं कार्यप्रणालियों वाली प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने हेतु सेवा प्रदात्री / संग्रहण अभिकत्री के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत एवं नियुक्त किया गया है।

उधारकर्ता / ओं से बकाया राशि की वसूली करने हेतु सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण किये जाने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यहां निम्न उल्लिखितानुसार अचल संपत्ति, जो कि अधिग्रहण के अधीन है, जिसके विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं, के क्रयार्थ ''जैसी है जहां है आधार', 'जैसी है जो है आधार' तथा 'वहां जो कुछ भी है आधार' पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं :

ऋण कोड / शाखा / ऋणकर्ता(ओं)/ सह–ऋणकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	संपत्ति पता– अंतिम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (26–05–2026)
ऋण कोड संख्या: 19000001194, गाजियाबाद (शाखा), जैमाल सिंह (ऋणकर्ता), सतिंदर सिंह (सह–ऋणकर्ता 1)	तिथि : 27–12–2022, रु. 6572761/–, (रुपये पैंसठ लाख बहत्तर हजार सात सौ एकसठ मात्र)	संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा और भाग जिसका विस्तार है :– फ्लैट नंबर ई 1802, 17वीं मंजिल, टावर ई पार्क एवेन्यू, गौड़ सिटी–2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट ग्रे. नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301	रु. 9520000/–, (रुपये पंचानवे लाख बीस हजार मात्र)	रु. 952000/–, (रुपये नौ लाख बावन हजार मात्र)	रु. 12122662/–, (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख बाईस हजार छह सौ बासठ मात्र)

ई–नीलामी की तिथि : 07-07-2026 को 11.00 से 1.00 बजे तक (5 मिनटों प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ), बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 06-07-2026 को 4.00 बजे से पूर्व
विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale अथवा https://www.bankauction.in पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

उपरोक्त उल्लिखित ऋणकर्ता / गारंटर को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में उल्लिखितानुसार राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व की तिथि तक उपार्जित ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली ऋणकर्ता / गारंटर से ब्याज व लागत के साथ की जायेगी।

दिनांक : 03-06-2026,
स्थान : दिल्ली

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
(अरण्य – ट्रस्ट)

JM Financial

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
निगमित पहचान संख्या : यू67190एमएच2007पीएलसी74287
पंजीकृत कार्यालय : 7वाँ तल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठी मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई– 400025, **वेबसाइट :** www.jmfinancialarc.com

संपर्क व्यक्ति : (1). पिरामल फाइनेंस लिमिटेड : 022–69482444, (2). प्रशांत मोंडे – 022 – 6224 1676,

ई–नीलामी विक्रय सूचना – आगामी विक्रय

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक एसाइमेंट अनुबंध दिनांकित 29 मार्च 2023 (''एसाइमेंट अनुबंध'') के द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

(भारतीय दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापक प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14)

एपीएल अपोलो मार्ट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	एपीएल अपोलो मार्ट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	07.12.2021
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय – आरओसी– दिल्ली 1
4.	कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / ~~कंपनि देयता पहचान संख्या~~	U52590DL2021PLC390908
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	मकान नंबर 37, ग्राउंड फ्लोर, हरगोविंद एन्क्लेव, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110092
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	30 मई, 2026
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नं0. और पंजीकरण संख्या	श्री. अमित गुप्ता **पता:** सी–17, विनय नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226023 **ईमेल आईडी:** amitguptacs@gmail.com **पंजीकरण संख्या:** IBBI/IPA-002/IP-N00021/2016-2017/10048
8.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और पत्राचार के लिए ईमेल आईडी	29 जून, 2026, पत्राचार के लिए ईमेल आईडी: amitguptacs@gmail.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एपीएल अपोलो मार्ट लिमिटेड ने 30 मई, 2026 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर दिया है।

एपीएल अपोलो मार्ट लिमिटेड के हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि संख्या 7 में वर्णित पते पर परिसमापक को 29 जून, 2026 को या उससे पूर्व अपने दावों का प्रमाण जमा करें।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलैक्ट्रानिक माध्यम से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी हितधारक व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलैक्ट्रानिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता/–
श्री अमित गुप्ता
परिसमापक
एपीएल अपोलो मार्ट लिमिटेड
IBBI/IPA-002/IP-N00021/2016-2017/10048

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 03 जून, 2026

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्या: 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013
शाखा का पता: बी-36, 1ली और दूसरी मंजिल, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, लाजपत नगर 2, नई दिल्ली -110024

ऋण खाता सं.: TCHHF0350000100298604, TCHHF0350000100328880

सर्वसाधारण और विशेष रूप से मैसर्स प्रीति बिल्डटेक उनके साझेदारों के माध्यम से (ऋणकर्ता के रूप में) तथा श्री दिनेश त्यागी, श्री सागर राजपूत और श्री राहुल त्यागी (सह-ऋणकर्ता के रूप में), एवं उनके कानूनी वारिसों/प्रतिनिधियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने, सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नीचे 'अनुसूची क' में विस्तृत रूप से वर्णित अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है, जो टीसीएचएफएल के पास बंधक है। कई नोटिस दिए जाने के बावजूद आप उक्त परिसर में पड़े इन्वेंट्री को हटाने में विफल रहे हैं/आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए, इस नोटिस के माध्यम से आपको इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 07 (सात) दिनों के भीतर अचल संपत्ति में पड़े सामान को हटाने का आखिरी मौका दिया जाता है अन्यथा, प्राधिकृत अधिकारी गुण-दोष के आधार पर सामान के निपटान की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी और टीसीएचएफएल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि हमने संपत्ति में पड़े सामान को बेचने के लिए खरीदार की पहचान कर ली है, आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर हम अपने बकाए की वसूली के लिए संपत्ति का निपटान कर देंगे।

अनुसूची क

प्लॉट सं. 45 पर स्थित आवासीय संपत्ति, खसरा नं. 794 और 797 में से 250 वर्ग गज यानी 209 वर्ग मी. की भूमि, जो गाँव नवादा के राजस्व संपदा, 'ओम विहार एक्सटेंशन फेज-1' के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 में स्थित है, बिक्री विलेख के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं के साथ। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: सड़क, पश्चिम: गली, उत्तर: प्लॉट नं. 46, दक्षिण: प्लॉट नं. 44

दिनांक: 03.06.2026
स्थान: दिल्ली

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SMFG India Credit

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

शाखा कार्यालय: 1ला एवं 2 रा तल, एससीओ 141–142, मध्य मार्ग, सेक्टर 8सी, चंडीगढ़ 160008

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम8 एवं 9 के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक एवं गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक/गिरवी रखी गई थीं,जिसे एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (प्रतिभूत क्रेडिटर) के अधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जे में ले लिया गया है, को ऋणधारक एवं गारंटर अर्थात1) **आकाश दीप 2) रेनू लखेरा** से एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड / प्रतिभूत क्रेडिटर को देय रु. 56,48,523/– (रुपये छप्पन लाख अड़तालीस हजार पांच सौ तेईस मात्र),28 फरवरी, 2022 तक और उसके बाद वसूली की तारीख तक के आगे के ब्याज और अन्य खर्चों की वसूली के लिए **"जैसी हैं, जहां हैं", "जैसी हैं वैसी" और "जो कुछ भी वहां है"** के आधार पर 03.07.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) बिक्री की जाएंगी।

आरक्षित मूल्य रु. 57,00,000/– **(रुपये सत्तावन लाख मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु. 5,70,000/– (रुपये पांच लाख सत्तर हजार मात्र) होगा। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 02.07.2026 है।** अधिक जानकारी के लिए कृपया शंकर रावत shankar.rawat@smfgindia.com +919911276115 पर संपर्क करें।

अचल संपत्ति का विवरण:

संपत्ति का विवरण– अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और भाग, जिसके अंतर्गत ग्राउंड फ्लोर पर खसरा नंबर 57मिन, 58मिन, नया खसरा नंबर 129, दुकान नंबर 12, 13 और 14 की तीन दुकानें शामिल हैं, जो मौजा प्रतीतनगर, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड में स्थित हैं, जो इस प्रकार घिरा है: पूर्व: पार्किंग, पश्चिम: 4' गली, उत्तर: गली, दक्षिण: संदीप भंडारी की संपत्ति।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.smfgindia.com / https://smfgindia.auctiontiger.net पर दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक: 28.05.2026
स्थान: देहरादून

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

---

kotak

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27–बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्रिया कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई– 400 051
शाखा कार्यालय: एपिका मॉल, द्वितीय तल, 68, 6811, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, नई दिल्ली –110015

मांग सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) से ऋण सुविधाएँ प्राप्त की हैं, जिसका शाखा कार्यालय एपिका मॉल, द्वितीय तल, 68, 68/1, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, नई दिल्ली–110015, में स्थित है। ऋण सुविधा की संपूर्ण ईएमआई चुकाने और/या केएमबीएल को अपनी ऋण सुविधाओं के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ताओं ने केएमबीएल को अचल संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा केएमबीएल को आज तक बकाया और देय राशि का विवरण नीचे दिया गया है। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर के साथ–साथ आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षित ऋणदाता ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्तियों का लेन–देन न करें।

उधारकर्ता/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
अनिल बब्बर (उधारकर्ता और बंधककर्ता) सियो श्री राम जी दास बब्बर डी–4, गली नंबर 5 हजारा पार्क शिवपुरी रोड, चंडी डीआर के पास दिल्ली–110051 इसके अलावा: अनिल बब्बर पुत्र श्री राम जी दास बब्बर 11ह327, गीता कॉलोनी दिल्ली–110031, 2. विनीता बब्बर (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता) पत्नी अनिल बब्बर, डी–4, गली नंबर 5 हजारा पार्क शिवपुरी रोड, चंडी डीआर के पास दिल्ली–110051, इसके अलावा: विनीता बब्बर पत्नी अनिल बब्बर 11/327, गीता कॉलोनी दिल्ली–110031, 3. सोलेमन एंटरप्राइजेज (एसआरएल) अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, 327, ब्लॉक–11, गीता कॉलोनी दिल्ली–110031	संपत्ति का वह समस्त भाग और हिस्सा, जिसमें शामिल हैरू प्रॉपर्टी नंबर डी–4 का बना हुआ तीसरा फ्लोर, साथ ही छतएटेरेस के अधिकार जिसका क्षेत्रफल 83.1/3 वर्ग गज है और जो गली नंबर 5, हजारा पार्क, शिव पुरी के लेआउट प्लान में स्थित है, जो ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110051 के क्षेत्र में आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: साइट के अनुसार, उत्तरः साइट के अनुसार, पश्चिमः साइट के अनुसार, दक्षिणः साइट के अनुसार। **एनपीए की तिथि: 11.05.2026**
ऋण खाता संख्या, मॉंग सूचना की तिथि और राशि।	ऋण खाता संख्या HF40075272, HF40094480 और HF40075415 मांग सूचना दिनांक: 29.05.2026 बकाया राशि: 25.05.2026 तक HF40075272 के लिए 27,78,349.30/– रुपये (सत्ताईस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ उनचालीस रुपये और तीस पैसे मात्र), 25.05.2026 तक HF40094480 के लिए 4,17,768.40/– रुपये (चार लाख सत्रह हजार सात सौ अड़सठ रुपये और चालीस पैसे मात्र)। दिनांक 25.05.2026 को HF40075415 के विरुद्ध 7,10,606.29/– (सात लाख दस हजार छह सौ छह रुपये और उनतीस पैसे मात्र) का भुगतान हुआ।

दिनांक: 03/06/.2026 स्थान: दिल्ली

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए, प्राधिकृत अधिकारी

रिट्ज मर्केंटाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 1305, 13वीं मंजिल, देविका टॉवर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 (भारत)
CIN : L52110DL1985PLC019805, फोन नं.: 011–20887121/20887122
वेबसाइट: www.ritzmercantile.com ई–मेल: ritzmercantilelimited@gmail.com

31.03.2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (सभी आंकड़े हजारों में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2026 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2025 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2026	समाप्त वर्ष 31.03.2025
परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	3,323.64	(620.49)	43,588.82	11,819.55
कर के पश्चात सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/हानि	1,260.02	(2,289.65)	34,789.71	9,183.46
कर/आस्थगित कर (असाधारण मदों के बाद) के पश्चात सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/हानि	35,829.75	(2,289.65)	27,235.92	9,074.96
इक्विटी शेयर पूंजी	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाया गया है)	46,592.61	19,338.69	46,592.61	19,338.69
प्रति शेयर आय (असाधारण मदों से पहले) (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)				
मूल	34.12	(2.18)	25.94	8.75
तरल	34.12	(2.18)	25.94	8.75
प्रति शेयर आय (असाधारण मदों के बाद) (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)				
मूल	34.12	2.18)	25.94	8.64
तरल	34.12	(2.18)	25.94	8.64

टिप्पणियाँ:

1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की गई और बोर्ड बैठक द्वारा अपनाने की सिफारिश की गई और 28 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडलद्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान निवेशकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तिमाही/अवधि की शुरूआत या अंत में कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी।
3. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। इसका पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट "www.cse-india.com", "www.msei.in" और कंपनी की वेबसाइट "www.ritzmercantile.com" पर उपलब्ध है।
4. 31 मार्च, 2026 और 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, पूरे वित्तीय वर्ष के संबंध में अंकेक्षित आंकड़ों और 31 मार्च, 2026 और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष–दर–वर्ष अनंकेक्षित आंकड़ों के बीच के संतुलन के आंकड़े हैं।
5. पिछली अवधि/वर्ष से संबंधित आंकड़ों को जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पुनर्गठित, पुनर्कल्पित और पुनर्वगीकृत किया गया है।
6. कंपनी ने 07 फरवरी, 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की स्वैच्छिक गैर–सूचीबद्धता के लिए आवेदन दायर किया है।

कृते, रिट्ज मर्केंटाइल लि.
हस्ता./–
गर्वित सिंघवी
पूर्णकालिक निदेशक
DIN: 00597757

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2026

BGiL Converging intelligence

BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LIMITED

Regd. office: 101, ALTF, NH-19, CRRI, Ishwar Nagar, Okhla, New Delhi-110044
Corp Office: C-13, Second Floor, Sector-58, Noida-201301
CIN: L74999DL1994PLC062967 | Tel: +91-120-4676668 | Website: www.bgil.in

Extract of Audited Financial Results for the Quarter/Year ended 31st March, 2026

(INR In Lakhs)

S. No.	Particulars	Audited Standalone Results				Audited Consolidated Results			
		Quarter Ended 31.03.2026	Quarter Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.03.2026	Quarter Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
1.	Total income from operations	0.00	25.25	0	27.25	32.55	25.25	36.54	27.25
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before Exceptional Items and Extraordinary items)	(6.71)	(74.60)	(91.92)	(155.33)	47.61	(37.58)	(89.03)	(152.95)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items and Extraordinary items)	(6.71)	(74.60)	(91.92)	(155.33)	47.61	(37.58)	(89.03)	(152.95)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items and Extraordinary items)	191.94	(345.99)	316.65	(447.70)	246.64	(309.58)	319.20	(445.93)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	194.34	(343.30)	319.05	(445.01)	246.36	(306.90)	321.60	(443.24)
6.	Equity Share Capital	1584.31	1584.31	1584.31	1584.31	1584.31	1584.31	1584.31	1584.31
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous Year.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Earning Per Share of Rs. 10 each.								
	1. Basic:	1.23	(2.17)	2.01	(2.81)	1.55	(1.94)	2.03	(2.80)
	2. Diluted:	1.23	(2.17)	2.01	(2.81)	1.55	(1.94)	2.03	(2.80)

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results for quarter/Year ended 31st March, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com, www.nseindia.com and company website www.bgil.in.

For **Bharatiya Global Infomedia Limited**
Sd/-
Rakesh Bhatia
Chairman cum Managing Director

Place: **Noida**
Date: **29th May, 2026**

IndiaShelter Home Loans

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय:- प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002,

कब्जा सूचना
अचल सम्पत्ति के लिए

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस ऐंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती राज कुमारी और रामहित यादव और मनोज यादव निवासी : 190 इंद्रा कॉलोनी, विज्ञान नगर, कोटा राजस्थान 324005 **(ऋण खाता संख्या HL32RNLONS000005061984/AP-10144065**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** पट्टा नंबर 7091 प्लॉट नंबर डी–190 इंद्रा कॉलोनी इंदिरा नगर विज्ञान नगर कोटा राजस्थान 324005 कोटा क्षेत्रफल परिमाप 145.90 वर्ग गज, सीमा:– पूर्व–रोड, पश्चिम– मकान अमर दत्ता, उत्तर गली, दक्षिण– मकान भूरा लाल	मांग सूचना 10–10–2025 रु. 12,13,898.72/– (रुपये बारह लाख तेरह हजार आठ सौ अठ्ठानवे तथा पैसे बहत्तर मात्र) 10–10–2025 तक + 11–10–2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य चार्ज और खर्च	29–05–2026
शाखा कार्यालय : कोटा–1 श्री/श्रीमती ताजा कंवर और शक्ति सिंह निवासी : पट्टा संख्या 15 पुस्तक संख्या 15 गांव बगरोदा ग्राम पंचायत नबीपुरा पंचायत समिति फतेहपुर जिला सीकर, 332303 राजस्थान **(ऋण खाता संख्या – HL33RNLONS000005080984/AP-10186573**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** पट्टा नंबर 15 बही नंबर 15 गांव बगरोदा ग्राम पंचायत नबीपुरा, पंचायत समिति फतेहपुर, जिला सीकर राजस्थान एरिया लगभग–294.66 वर्ग गज सीमा:– पूरब– खुद की ज़मीन 15* फिर ज़मीन बजरंग सिंह/भंवर सिंह की, पश्चिम– ज़मीन भंवर सिंह की, उत्तर– मकान रुक्मण सिंह, दक्षिण –ज़मीन गणेश सिंह/कल्याण सिंह की	मांग सूचना 10–10–2025 रु. 10,42,824.58/– (रुपये दस लाख बयालीस हजार आठ सौ चौबीस तथा पैसे अठ्ठावन मात्र) 10–10–2025 तक + 11–10–2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य चार्ज और खर्च	01–06–2026
शाखा कार्यालय : झुंझनू–1 श्री/श्रीमती प्रमेश्वरी देवी और प्रमोद कुमार सोनी निवास स्थान: पट्टा संख्या 36, पुस्तक संख्या 58, जोरी पट्टा सत्यून, चुरु, राजस्थान, 331304 राजस्थान **(ऋण खाता संख्या – HLCHRNLONS000005090871/AP-10217731) शाखा कार्यालय: चुरु–2**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** पट्टा नंबर 36, बही नंबर 58, जोरी पट्टा सत्यून चूरू राजस्थान चूरू राजस्थान एरिया लगभग–171.88 वर्ग गज। सीमा: पूरब–सेल्फ लैंड और रास्ता, पश्चिम– कानपुरी और मोहन पुरी का घर, उत्तर–सेल्फ लैंड और दाताराम का घर, दक्षिण–रणवीर सिंह/ रेवेंट मल जाट	मांग सूचना 11–11–2025 रु. 8,64,894/– (रुपये आठ लाख चौंसठ हजार आठ सौ चौरानवे मात्र) 11–11–2025 तक + 12–11–2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य चार्ज और खर्च	30–05–2026
श्री/श्रीमती सुगना गोचर पत्नी राकेश कुमार गोचर निवास स्थान: 41 ठाकुर जी के मंदिर के पास कानन, बूंदी, राजस्थान 323602 **(लोन अकाउंट नंबर HL32RNLONS000005097988/AP &10230326) शाखा : कोटा–2**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** पट्टा नंबर 3463, खसरा नंबर 136, गांव कानन, ग्राम पंचायत गामछ, थाना तालेड़ा, बूंदी, राजस्थान 323602 सीमा:– उत्तर: सेल्फ–एरिया फिर रास्ता, दक्षिण: रोड, पूर्व; घर जोधराज, पश्चिम: घर राम भरोसे	मांग सूचना 10–08–2025 रु. 5,50,798/– (रुपये पांच लाख पचास हजार सात सौ अठ्ठानवे मात्र) 10–08–2025 तक + 11–08–2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य चार्ज और खर्च	30–05–2026
श्री/श्रीमती शकुंतला और रामू और धनराज सुमन निवासी : 1107 महावीर नगर प्रथम, अनंतपुरा फूटा तालाब, कोटा राजस्थान 324005 **(लोन अकाउंट नंबर – LA32VLLONS0000050723 86/AP-10172580) शाखा : कोटा–1**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** अलॉटमेंट नंबर 434 सर्वे नंबर 303, गोबरिया बावड़ी कच्ची बस्ती कोटा राजस्थान 324005 कोटा क्षेत्रफल परिमाप 80.5 वर्ग गजह सीमा:– पूर्व मकान शंकर लाल, पश्चिम : मकान रामभरोस, उत्तरः मकान भवानी शंकर और रास्ता, दक्षिण : मकान भंवर लाल	मांग सूचना 10–10–2025 रु. 6,77,447.55/– (रुपये छह लाख सतहत्तर हजार चार सौ सैंतालीस तथा पैसे पचपन मात्र) 10–10–2025 तक + 11–10–2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य चार्ज और खर्च	29–05–2026
श्री/श्रीमती पार्वती और प्रदीप मेहरा निवासी : एल– 430 कंसुवा अफोर्डेबल योजना कोटा राजस्थान 324004. **(लोन अकाउंट नंबर – CLA100005068/AP-0875109) शाखा : कोटा–1**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड:** एलआईजी– एल–430 अफोर्डेबल हाउसिंग योजना कंसुवा जिला कोटा राजस्थान 324004 324004 कोटा राजस्थान सीमा :– पूर्व– रोड, पश्चिम– फ्लैट नंबर एल–431, उत्तर– फ्लैट नंबर एल–429, दक्षिण –रोड	मांग सूचना 12–03–2026 रु. 3,32,288/– (रुपये तीन लाख बत्तीस हजार दो सौ अठासी मात्र) 12–03–2026 तक + 13–03–2026 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य चार्ज और खर्च	29–05–2026
श्री/श्रीमती इंद्रा बाई और कालू लाल निवासी : आमा वाला का झोपड़ा बाल पट्टा नंबर 16743 जिला बूंदी राजस्थान 323024 **(लोन अकाउंट नंबर LABUCLLONS000005176626/ AP-10415243) शाखा : बूंदी–1**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** पट्टा नंबर 16743 गांव आमा हाला झोपड़ा (बाल) जीपी बड़ागांव पंचायत समिति हिंडोली जिला बूंदी, राजस्थान 323024 बूंदी राजस्थान क्षेत्रफल परिमाप 2250 वर्ग फीट, सीमा:– पूरब– आम रास्ता, पश्चिम– महेंद्र गोरू लाल बंजारा का मकान, उत्तर– सेल्फ लैंड और बालूराम–हीरालाल बंजारा का घर, दक्षिण आम रास्ता	मांग सूचना 12–01–2026 रु. 15,78,230/– (रुपये पंद्रह लाख अठहत्तर हजार दो सौ तीस मात्र) 12–01–2026 तक + 13–01–2026 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य चार्ज और खर्च	01–06–2026
श्री/श्रीमती राममूरती और गोवर्धन कुमावत निवासी : बड़े मंदिर के सामने चतरपुरा वार्ड नंबर 16 बूंदी राजस्थान 323001 **(लोन अकाउंट नंबर – CLA100002112/AP-0652417) शाखा : कोटा–1**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** वार्ड नंबर 16 कल्याणराय मंदिर के सामने छत्रपुरा बूंदी राजस्थान 323001, एरिया 97. 23 वर्ग गज सीमा:– पूर्व: जगदीश माली का घर, उत्तरः भगवान कुमावत का घर, पश्चिमः चौक गली, दक्षिणः राधेश्याम कुमावत का घर	मांग सूचना 12–03–2026 रु. 2,97,522/– (रुपये दो लाख सत्तानवे हजार पांच सौ बाईस मात्र) 12–03–2026 तक + 13–03–2026 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य चार्ज और खर्च	01–06–2026

स्थान : राजस्थान
तिथि : 29–मई–2026, 30–मई–2026, 01–जून–2026,

वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड
(प्राधिकृत अधिकारी)

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विनय राणा (+91 79886 05030) या हिम्मत सिंह राठौर (8290680920) या लोकेश जाट (9352856755)

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

SHRIRAM Finance
SHRIRAM City

मुख्यालय : लेवल–3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी–2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051; फोन : 022 4241 0400, 022 4060 3100 ; **वेबसाइट :** http://www.shriramfinance.in **पंजीकृत कार्यालय :** श्री टावर्स, प्लॉट संख्या 14ए, साउथ फेज इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई 600 032. **शाखा कार्यालय :** अम्बा दीप बिल्डिंग, यूजीएफ 12 से 21, ऊपरी भूतल, 14, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001.

परिशिष्ट–IV-A (नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधान देखें) **अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी सूचना**

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार "श्रीराम सिटी यूनियन फाइनैंस लिमिटेड" का समामेलन "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस लिमिटेड" के साथ हो चुका है। तदुपरांत, नाम परिवर्तन निगमन प्रमाणपत्र दिनांकित 30–11–2022 के अनुसार "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस लिमिटेड" का नाम 30–11–2022 की प्रभावी तिथि से "श्रीराम फाइनैंस लिमिटेड" हो गया है।

**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्नि

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

RAJNANDINI®
A STYLE OF EVERY STORY

RAJNANDINI FASHION INDIA LIMITED

Corporate Identification Number: U51109RJ2010PLC033059

Our Company was incorporated as Vyoum Trade Link Private Limited on October 11, 2010, under the Companies Act, 1956, pursuant to a Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Rajasthan. The name of the Company was changed to Jainam Overseas Private Limited pursuant to a special resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on January 09, 2012 and a fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Rajasthan, on January 20, 2012. Subsequently, the name of the Company was changed to Rajnandini Fashion India Private Limited pursuant to a special resolution passed on June 03, 2024 and a fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, on July 18, 2024. Thereafter, the Company was converted from a private limited company to a public limited company pursuant to a special resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on October 05, 2024 and its name was changed to Rajnandini Fashion India Limited vide fresh Certificate of Incorporation dated January 01, 2025, issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre.

Registered Office: G1-41, RIICO, Tonk Road, Sitapura Industrial Area, Jaipur – 302022, Rajasthan, India
Corporate Office: Block Number: 265, 266, 267, 7th Floor, Shop No 7010, 7011, 7012, 7013, 7013-A, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, Shree Kuberji Textile Deck, Kadodara Road, Kumbhariya Gam, Saroli, Taluka: Choryasi, Dist. Surat, Gujarat, Pin Code No. 395010
Tel No: 7878352054 | **E-mail:** cs@rfil.in | **Website:** www.rfil.in
Contact Person: Jinkal Hardik Vora, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: VIKESH SUSHIL LUNAWAT, SUSHIL KUMAR LUNAWAT AND PRIYANKA CHOPRA

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE ("BSE SME").

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

Our Company is primarily engaged in the design, manufacturing and sale of women's apparel, catering to both ethnic and casual wear categories through online and offline channels. Our ethnic wear portfolio includes unstitched dress materials, sarees, kurtis and kurta sets, while the casual wear portfolio comprises tops, tunics and maternity gowns made of poly-cotton, rayon, silk, cotton and other fabrics.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 28,90,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF RAJNANDINI FASHION INDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR "RFIL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 63 PER EQUITY SHARE FOR CASH AGGREGATING TO ₹ 1820.70 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 1,46,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 63 PER EQUITY SHARE FOR CASH AGGREGATING TO ₹ 91.98 LAKHS WAS RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 27,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 63 PER EQUITY SHARE FOR CASH AGGREGATING TO ₹ 1728.72 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.87% AND 26.46% RESPECTIVELY OF THE POSTISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10 EACH AND ISSUE PRICE IS ₹ 63 EACH.
THE ISSUE PRICE IS 6.30 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE.

ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: ₹ 63 PER EQUITY SHARE
THE ISSUE PRICE IS 6.30 TIMES OF THE FACE VALUE.

BID/ ISSUE PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: MAY 25, 2026
BID / ISSUE OPENED ON: MAY 26, 2026
BID / ISSUE CLOSED ON: MAY 29, 2026

RISKS TO INVESTORS

1. We are a women's apparel design, manufacturing and retail company which is vulnerable to variations in demand and changes in consumer preferences, which could have an adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
2. We have recently commenced in-house manufacturing of our products and given our limited operating history in manufacturing, we may face challenges that could adversely affect our business, financial condition, results of operations and future growth prospects.
3. We derive a significant portion of our revenue from fabric and apparel trading activities, which is a low-margin and competitive business and may expose us to risks that could adversely affect our financial performance.
4. We rely substantially on third-party e-commerce platforms for a significant portion of our business and any decision by such platforms to change their policies, delist or restrict sellers, increase fees or commissions, or otherwise alter their operations could adversely affect our business, financial condition and results of operations.
5. Our business is dependent on the sale of casual and ethnic wear products which contributed 78.84%, 75.33%, 90.97% and 97.72% of our revenue from operations for the period ended December 31, 2025 and for Fiscals 2025, 2024 and 2023, respectively. Any variations in demand and changes in customer preferences could have an adverse effect on our business, financial condition, results of operations and cash flows.
6. We do not have long-term agreements with our customers and our revenues are significantly dependent on recurring purchase orders, particularly from our top B2B customers.
7. Our dependence on a limited number of suppliers for raw materials, coupled with volatility in raw material prices and increases in operational costs, could adversely affect our business, financial condition, results of operations and cash flows.
8. Our Business is subject to risk of Sales Returns in the B2C Segment, which could adversely affect our financial and business performance.
9. Our Company does not carry out any printing activities in-house and the entire printing process is outsourced to external vendors.
10. We require certain approvals, licenses, registrations and permits to operate our business and failure to obtain or renew them in a timely manner or maintain the statutory and regulatory permits and approvals required to operate our business may adversely affect our operations and financial conditions.

Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Individual Promoters is:

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Vikesh Sushil Lunawat	70,98,300	0
2.	Sushil Kumar Lunawat	1,70,000	0.29
3.	Priyanka Chopra	0	0

The Issue Price at the upper end of the Price Band is ₹ 63 per Equity Share.

- *The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2025 for the company at the upper end of the Price Band is 9.31 times.*
- *Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2025, 2024 and 2023 is 48.39%*

a) The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of Prospectus is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in ₹)	Cap Price (₹63) is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in ₹)
Last one year	0	N/A	Nil – Nil*
Last eighteen months	0	N/A	Nil – Nil*
Last three years	0	N/A	Nil – Nil*

**Nil represents the acquisition on account of the bonus issue of 72,60,000 Equity shares allotted on August 11,2025.*

b) The Weighted average cost of acquisition compared to Floor Price and Cap Price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Issue price/Cap price (i.e. ₹ 63)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue as per paragraph 8(a) above.	NA ^	Cannot be determined
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition as per paragraph 8(b) above.	NA	Cannot be determined
Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions as per paragraph 8(c) above	0	NA

Note:

^ There were no primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities) except for Bonus Issue as mentioned in paragraph 8(a) above, in last 18 months from the date of the Prospectus.

PROPOSED LISTING ON BSE SME : June 03, 2026*

The Issue was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager has allocated upto 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"). Further, not less than 15% of the Net Issue was made available for allocation to Non-Institutional Investors of which one-third of the Non-Institutional Portion was available for allocation to Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots as equivalent to not more than ₹10.00 Lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion was available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 10.00 Lakhs and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non Institutional Portion. In addition, not less than 35% of the Net Issue was made available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 305 of the Prospectus.

The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to BSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the BSE. The trading is proposed to be commenced on June 03, 2026*

**Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE ("BSE SME").*

SUBSCRIPTION DETAILS

The bidding for Anchor Investors was opened and closed on May 25, 2026. The Company received 04 Anchor Investor Application Forms from 04 Anchor Investors for 12,72,000 Equity Shares. Such 04 Anchor Investors were allocated 8,18,000 Equity Shares at a price of ₹63/- per Equity Share under the Anchor Investor Portion, aggregating to ₹ 5,15,34,000/-

The Issue (excluding Anchor Investors Portion) received 53,614, Applications for 39,39,32,000 Equity Shares (after considering invalid bids but before technical rejections) resulting 190.12 times subscription (including reserved portion of market maker and excluding anchor investor portion). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (after technical rejections):

Detail of the Valid Applications Received (excluding Anchor Investors Portion):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
1	Market Maker	1	1,46,000	1,46,000	1.00	91,98,000
2	Qualified Institutional Bidders*	45	6,67,08,000	13,66,000	137.32	4,20,26,04,000
3	Non-Institutional Investors 1 (More than 2 lots & up to ₹1,000,000/-)	4,505	2,79,08,000	1,38,000	238.92	1,75,79,14,000
4	Non-Institutional Investors 2 (More than ₹1,000,000/-)	8,241	13,58,82,000	2,76,000	474.94	8,56,05,66,000
5	Individual Investors	40,822	20,07,98,400	9,64,600	214.16	14,81,40,800
	Total	**53,614**	**39,39,32,000**	**28,90,000**	**212.45**	**24,81,60,46,000**

**Valid Shares in QIB Category includes Share of Mutual fund i.e. 28,000 shares*

Final Demand:

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Bid Price	No Of Equity Shares	% of Total	Cumulative Total	Cumulative % of Total
59	642000	0.15	642000	0.15
60	194000	0.05	836000	0.19
61	168000	0.04	1004000	0.23
62	216000	0.05	1220000	0.28
63	430270000	99.72	431490000	100.00
CUT OFF	**431490000**	**100.00**		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the designated Stock Exchange, being BSE ("BSE SME") on June 01, 2026.

1) Allotment to Individual Investors (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or the Issue Price of ₹ 63 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 167.37 times. The total number of Equity Shares Allotted in this

(Continued next page...)

(Continued from previous page...)

category is 9,64,000 Equity Shares to 241 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
4000	40337	100.00	161348000	100.00	241	241:40337	964000
TOTAL	**40337**	**100.00**	**161348000**	**100.00**			**964000**

2) Allotment to Non-Institutional Investors - I (More than 2 lots & up to ₹1,000,000/-) (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid for more than 2 lots & up to ₹1,000,000/-, at the Issue Price of ₹ 63 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 199.51 times (after rejection). The total number of Equity Shares allotted in this category is 1,38,000 Equity Shares to 23 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category (on sample basis) are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ allotted
6000	4,241	95.30	2,54,46,000	92.42	6000	22: 4241	1,32,000
8000	113	2.54	9,04,000	3.28	6000	1: 113	6,000
10000	27	0.61	2,70,000	0.98	6000	0:0	0
12000	27	0.61	3,24,000	1.18	6000	0:0	0
14000	42	0.94	5,88,000	2.14	6000	0:0	0
Total	**4,450**	**100**	**2,75,32,000**	**100**			**1,38,000**

3) Allotment to Non-Institutional Investors - II (More than ₹1,000,000/-) (After Rejections):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid for more than ₹ 1,000,000/- at the Issue Price of ₹ 63 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 491.09 times (after rejection). The total number of Equity Shares allotted in this category is 2,76,000 Equity Shares to 46 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category (on sample basis) are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ allotted
16000	7926	96.42	126816000	93.56	6000	44:7926	264000
18000	157	1.91	2826000	2.08	6000	1:157	6000
20000	62	0.75	1240000	0.91	6000	0:0	0
22000	8	0.10	176000	0.13	6000	0:0	0
24000	6	0.07	144000	0.11	6000	0:0	0
26000	3	0.04	78000	0.06	6000	0:0	0
28000	6	0.07	168000	0.12	6000	0:0	0
30000	6	0.07	180000	0.13	6000	0:0	0
32000	8	0.10	256000	0.19	6000	0:0	0
34000	5	0.06	170000	0.13	6000	0:0	0
36000	3	0.04	108000	0.08	6000	0:0	0
38000	2	0.02	76000	0.06	6000	0:0	0
40000	3	0.04	120000	0.09	6000	0:0	0
42000	3	0.04	126000	0.09	6000	0:0	0
44000	1	0.01	44000	0.03	6000	0:0	0
46000	2	0.02	92000	0.07	6000	0:0	0
48000	4	0.05	192000	0.14	6000	0:0	0
50000	4	0.05	200000	0.15	6000	0:0	0
80000	1	0.01	80000	0.06	6000	0:0	0
82000	2	0.02	164000	0.12	6000	0:0	0
100000	1	0.01	100000	0.07	6000	0:0	0
120000	1	0.01	120000	0.09	6000	0:0	0
144000	1	0.01	144000	0.11	6000	0:0	0
234000	2	0.02	468000	0.35	6000	0:0	0
256000	1	0.01	256000	0.19	6000	0:0	0
398000	1	0.01	398000	0.29	6000	0:0	0
800000	1	0.01	800000	0.59	6000	0:0	0
6000 share will be allotted to unsuccessful allotees (category) from Sr no. 3 to 27 = 6000 shares in ratio of 1 : 137					1:137	6000	
Total	**8220**	**100.00**	**135542000**	**100.00**			**276000**

4) Allotment to Market Maker:

The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹ 63/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 1,46,000 Equity shares, the total number of shares allotted in this category is 1,46,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares applied in this category	% to Total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
146000	1	100.00	146000	100.00	146000	1:1	146000
Total	**1**	**100.00**	**146000**	**100.00**			**146000**

5) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections):

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹ 63/- per Equity Share has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 121.73 times of QIB portion and Nil times of Mutual fund portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 5,48,000 Equity Shares, which were allotted to 45 successful Applicants.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	VC'S	Total
QIB	---	--	-	78,000	3,72,000	98,000	-	5,48,000

6) Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections):

The Company in consultation with the BRLM has allocated 8,18,000 Equity Shares to 4 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹ 63 per Equity Shares in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of the QIB Category.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	VC'S	TOTAL
ANCHOR	-	-	-	1,60,000	4,78,000	1,80,000	-	8,18,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on May 08, 2026 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before June 01, 2026. In case the same is not received within ten days, Investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on June 02, 2026 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE and the trading of the Equity Shares is expected to commence trading on June 03, 2026.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 30, 2026 filed with the Registrar of Companies, Jaipur, ("RoC").

INVESTOR'S PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at website: www.bigshareonline.com

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM has handled Six SME public issues so far out of which none of the issue has closed below Issue price on the listing date.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
Address: Pinnacle Business Park, Office no S6-2 ,6th floor, Mahakali Caves Road , Next to Ahura Centre Andheri East Mumbai, Mumbai, Maharashtra-400093 | **Telephone:** 022 - 6263 8200 | **Email:** ipo@bigshareonline.com
Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com | **Website:** www.bigshareonline.com
Contact Person: Babu Rapheal | **SEBI Registration Number:** INR000001385

On behalf of Board of Directors
RAJNANDINI FASHION INDIA LIMITED
Sd/-
Vikesh Sushil Lunawat
Designation: Chairman and Managing Director
DIN: 03494666

Place: Jaipur, Rajasthan
Date: June 02, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF RAJNANDINI FASHION INDIA LIMITED.

Disclaimer: Rajnandini Fashion India Limited has filed the Prospectus with the RoC on May 30, 2026 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Seren Capital Private Limited at www.serencapital.in and the Company at: https://rfil.in and shall also be available on the website of the BSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 17 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.

AdBaaz

ORTIN GLOBAL LIMITED

CIN: L68200TG1986PLC006885
Registered Office: D. No. 1-8-305, Ground Floor, Chikkadpally, Musheerabad (Delivery), Hyderabad, Telangana 500020;
Tel. No. +91- 9052011118 | E-mail: info@ortinlabsindia.com | Website: www.ortinlabsindia.com

Recommendation of the Independent Director Committee **("IDC")** Ortin Global Limited **("Target Company")** in relation to the Open Offer **("Offer")** made by Mr. Parveen Satija ('Acquirer') to the Public Shareholders of the Target Company **("Shareholders")** under Regulations 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Subsequent Amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011").

1.	Date	June 2, 2026
2.	Name of the Target Company (TC)	Ortin Global Limited
3.	Details of the Offer pertaining to TC	The Open Offer is made by the Acquirer in terms of Regulations 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 21,14,162 equity shares of face value of ₹ 10/- each at a price of ₹ 14.65/- each payable in cash, representing 26% of the fully paid-up equity share capital and voting capital of the Target Company from the Public Shareholders of the Target Company in terms of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4.	Name of the acquirer and PAC with the acquirer	Mr. Parveen Satija
5.	Name of the Manager to the offer	Rarever Financial Advisors Private Limited (SEBI Reg. No.: INM000013217)
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Chairperson - Mr. Sarang Balbhimrao Patodekar Member - Mr. Ajay Vishwakarma Member - Ms. Mounika Pammi
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	IDC Members are Independent and Non-Executive Directors of the Target Company. They have neither entered into any other contract nor have other relationship with the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of Target Company since their appointment.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC members has any relationship with the Acquirer at present.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on a review of the relevant information (as set out in the summary of reasons for recommendation below), the IDC is of the opinion that the Offer Price of Rs. 14.65 per Equity Share is in accordance with the applicable regulations being SEBI (SAST) Regulations 2011 and accordingly, is fair and reasonable.
12.	Summary of reasons for recommendation	IDC has taken into consideration the following for making the recommendation : IDC has reviewed a) Public Announcement (PA) dated February 10, 2026, b) the Detailed Public Statement (DPS) dated February 17, 2026 c) the Draft Letter of Offer (DLOF) dated February 25, 2026 d) the Letter of Offer (LOF) dated May 26, 2026 Based on the PA, DPS, DLOF, LOF the IDC Members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 14.65/- (Rupees Fourteen And Sixty Five Paisa Only) **("Offer Price")** offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint from the shareholders regarding the open offer process, valuation price or method of valuation. For the reasons set out hereinunder, as of the date of this recommendation, the IDC is of the opinion that the Open Offer price is fair & reasonable and is in accordance with the SEBI SAST Regulations. However, the Public Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
13.	Details of Independent Advisors, if any.	None
14.	Any other matter(s) to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by Ortin Global Limited under the Takeover Code.

For Ortin Global Limited
Sd/-
Mr. Sarang Balbhimrao Patodekar
Chairman - Committee of Independent Directors
DIN: 08501875

Date: 02/06/2026
Place: Hyderabad

This advertisement is issued for information purposes in connection with an addendum to the Prospectus and to guide investors to the detailed advertisement and the Offer Documents, in accordance with applicable law.

(Please scan this QR Code to view the Prospectus)

Muthoot®

Muthoot Mercantile Limited
(A Unit of Muthoot Nidhi Group)

MUTHOOT MERCANTILE LIMITED

Muthoot Mercantile Limited ("Our Company" or "the Company" or the "Issuer" or "MML") was incorporated on March 3, 1997, as 'Muthoot Mercantile Limited', a public limited company under the Companies Act, 1956 with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Kerala at Ernakulam. Our Company also obtained the certificate of commencement of business dated March 11, 1997 from the Registrar of Companies, Kerala at Ernakulam. Our Company has obtained a certificate of registration dated December12, 2002 bearing registration no. 16.00178 issued by the Reserve Bank of India ("RBI") to carry on the activities of a non-banking financial company without accepting public deposits under Section 45 IA of the RBI Act, 1934. For more information about the issuer, please refer *"General Information"* and *"History and Certain Other Corporate Matters"* on page 37 and 113 of the Prospectus.

Registered Office: 1st Floor, North Block, Muthoot Floors, Opposite W&C Hospital, Thycaud, Thiruvananthapuram 695 014, Kerala, India.
Corporate Identity Number: U65921KL1997PLC011260 | **PAN:** AABCM5297K | **Telephone:** +91-471-277-4800 | **Website:** www.muthootenterprises.com
Email: info@muthootenterprises.com; **Company Secretary and Compliance Officer:** Rupesh V H | **E-mail:** cs@muthootenterprises.com
Telephone: +91-471-277-4800 | **Chief Financial Officer:** Bagavath Krishnan Venugopal | **E-mail:** cfo@muthootenterprises.com | **Telephone:** +91-0471-277-4800

NOTICE TO INVESTORS

This notice is issued in relation to the public issue by Muthoot Mercantile Limited (the "**Company**" / "**Issuer**") of up to 15,00,000 secured, redeemable, non-convertible debentures of face value of ₹1,000 each ("**NCDs**"), at par, aggregating up to ₹7,500 lakhs ("**Base Issue**"), with an option to retain over-subscription up to ₹7,500 lakhs, aggregating up to ₹15,000 lakhs (the "**Issue**"), pursuant to the prospectus dated May 26, 2026 (the "**Prospectus**"), filed with the Registrar of Companies, Kerala at Ernakulam ("**RoC**"), BSE Limited ("**BSE**") (the "**Stock Exchange**" / "**Designated Stock Exchange**") and made available to the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, as amended (the "**SEBI NCS Regulations**"), the Companies Act, 2013, as amended from time to time, rules made thereunder and the SEBI Circular no. SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD/P/CIR/2025/0000000137 dated October 15, 2025, as amended ("**SEBI NCS Master Circular**"). The Issue is not proposed to be underwritten.

Credit Rating: The NCDs under the Issue have been rated "Crisil BBB+/Stable" by CRISIL Ratings Limited".

ADDENDUM TO THE PROSPECTUS DATED MAY 26, 2026 ("ADDENDUM")

The Board of Directors of the Company at their meeting held at the Registered office of the Company on May 29, 2026 has considered and adopted the audited financial statements of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2026 ("**Financial Statements**"). The Financial Statements have been submitted to BSE and are available on the website of BSE at https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachHis/522b3593-a7ea-4633-bddd-92b5b951d8be.pdf. Accordingly, the disclosures appearing in the section titled *"Material Developments"* on page 133 of the Prospectus stand updated to include the approval, submission and availability of the Financial Statements. Further, the financial information included in the section titled *"Financial Statements"* on page 132 of the Prospectus shall be read together with the audited financial statements of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2026.

A copy of this Addendum is being filed with the RoC and BSE, and made available to SEBI, as applicable, in accordance with the Companies Act, 2013 and the SEBI NCS Regulations. The Addendum supplements and updates the Prospectus and the Abridged Prospectus (as applicable) and all references to the Prospectus shall be deemed to include this Addendum.

All Capitalised terms not defined herein shall have the same meaning as ascribed to such terms in the Prospectus.

Investors are advised to read the Prospectus, the Abridged Prospectus and the Addendum carefully, including the risk factors and other disclosures contained therein, before making any investment decision in relation to the Issue. All potential investors are advised to pay due attention to the above-mentioned update(s) and take an informed decision accordingly. The Addendum is available on the websites of the SEBI, Lead Manager, BSE and the Company at www.sebi.gov.in; www.vivro.net; www.bseindia.com and www.muthootenterprises.com.

ISSUE PROGRAMME
ISSUE OPENED ON: FRIDAY, MAY 29, 2026
ISSUE CLOSES ON: THURSDAY, JUNE 11, 2026

Potential Investors can view detailed Addendum to Prospectus through the QR code and web link given below:

Web link: https://muthootenterprises.com/addendum-to-prospectus

(Please scan this QR code to view the Addendum to the Prospectus.)

This notice is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to subscribe to the NCDs. The Issue is being made only through the Prospectus, the Abridged Prospectus, the Application Form and the Addendum, as applicable.

For, Muthoot Mercantile Limited
Sd/-
Richi Mathew
Managing Director
DIN: 00224336

Place: Thiruvananthapuram
Date: June 02, 2026

CONCEPT

MobiKwik

ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED
Registered Office: Unit No. 102, 1st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road,
Sector-53, Gurugram, Haryana-122003, India.
Ph: +91 (124) 490-3344 | CIN: L64201HR2008PLC053766 | www.mobikwik.com| cs@mobikwik.com

Form PAS-1

[Pursuant to section 27(1) and rule7(2) of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014]
Advertisement giving details of notice of special resolution for varying the terms of any contract referred to in the prospectus or altering the objects for which the prospectus was issued

Corporate Identification Number: (CIN) L64201HR2008PLC053766
Name of the Company: One Mobikwik Systems Limited
Registered office address: Unit 102, Block-B, Pegasus One, 1st Floor, Golf Course Road, Sector-53 Gurugram 122003, Haryana, India

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that by a resolution dated May 22, 2026, the Board of Directors ("the Board") has proposed to vary the objects/ terms of utilisation of the Initial Public Offering ("IPO") proceeds ("IPO Proceed") and modification of the time line for utilisation of the IPO proceeds as stated in the prospectus dated December 14, 2024 ("Prospectus"), in connection with the IPO of the Company, which consisted of fresh issue of 20,501,792 equity shares at an issue price of INR 279/- per share aggregating to INR 5,719,999,968/- was made.
In pursuance of the said board resolution dated May 22, 2026, further notice is given that for approving the proposed variation of the objects/terms of utilisation of IPO proceeds and modification of the time line for utilisation of IPO proceeds, a special resolution is proposed to be obtained through postal ballot.

The details regarding such variation/alteration are as follows-

1. Particulars of the terms of the contract to be varied (or object to be altered): the Company had outlined the following items as the object towards the IPO proceeds in the Section "Objects of the Offer" in the Prospectus dated December 14, 2024, in connection with the IPO:

Particulars	IPO Funds	FY25	FY26	FY27
Funding organic growth in our financial services business	1,500.00	968	532	-
Funding organic growth in our payment services business	1,350.00	537	439	374
Research and development in data, ML and AI and product and technology	1,070.00	651	419	-
Capital expenditure for our payment devices business	702.85	282.85	241	179
General corporate purposes*	682.32	682.32	-	-
Net Proceeds	5,305.17	3,121.17	1,631.00	553

**The total amount to be utilised towards general corporate purposes will not exceed 25% of the gross proceeds of the Fresh Issue, in accordance with the SEBI ICDR Regulations.*

The Board at their meeting held on May 22, 2026, had approved the aforesaid proposal to vary the terms of the object/timelines for utilisation of IPO proceeds, subject to approval of the Shareholders by way of special resolution.

The details regarding such variation are as follows:

Object Clause	Original / Revised Objects as stated in the Prospectus	Total Proceeds raised (IN Mn.)	Proceeds utilized at the end of FY 2026 (in Mn.)	Proceeds unutilized at End of FY2026 (in Mn.)	Change (in Mn.)	FY2027 revised amount available after variation (in Mn.)	Details of Variation
Object 1	Funding organic growth in our financial services business	1,500.00	891.5	608.5	-608.5	-	*₹608.5 Mn allocated from Object 1 to revised Object 1*
Revised Object 1	Investment in MobiKwik Distribution Services Private Limited (Formerly known as MobiKwik Credit Private Limited) (MDSPL), wholly-owned subsidiary of the Company to operate as a Lending Service Provider ("LSP")	-	-	-	+608.5	608.5	*₹608.5 Mn allocated from Object 1 to revised Object 1 & Extension in timeline upto FY27*
Object 2	Funding organic growth in our payment services business	1,350.00	976	374	+ 336.5	710.5	*₹366.5 Mn allocated from Object 4 to Object 2*
Object 3	Research and development in data, ML and AI and product and technology	1,070.00	817.4	252.6	-	252.6	*Extension in timeline upto FY27**
Object 4	Capital expenditure for our payment devices business	702.9	116.4	586.5	-336.5	250	*₹366.5 Mn allocated from Object 4 to Object 2*
Object 5	General Corporate Purposes	682.3	682.3	-	+ 39.1	39.1	*₹39.1 Mn allocated from IPO Issue Expense to Object 5***
	Total from Net Proceeds	**5,305.20**	**3,483.60**	**1,821.60**	**39.1**	**1,860.70**	
	IPO Issue Expense	414.8	360.3	54.5	-39.1	15.4**	*₹39.1 Mn allocated from IPO Issue Expense to Object 5***
	Total from Gross Proceeds	**5,720.00**	**3,843.90**	**1,876.10**	**-**	**1,876.10**	

** ₹200 million would be utilized towards Product and technology and ₹52.6 million towards Data, ML and AI*
***The remaining ₹15.4 Mn remains in the escrow account owing to the dispute between the Company & DAM Capital and SBI Caps & DAM Capital. Based on the outcome of the aforesaid dispute as decided by a court or adjudicating body, any amount awarded to the Company will also be reallocated to Object 5.*

2. Particulars of the proposed variation/alteration- please refer to table given in point 1 above for the details of original objects and the proposed variation & alteration.

3. Reasons/justification for the variation-

Background and Rationale for Proposed Modification – Object 1
At the time of the Company's fund raise, an amount of ₹1500 million was allocated towards funding organic growth in the financial services business of the Company (Object 1). Out of the said amount, ₹891.5 million has already been utilised towards the financial services business in line with the stated object. Though the Company intended to utilise the entire proceeds under this object by the end of FY 2025-26, however, owing to the fact that the Company had only 3 months available in FY 2024-25 (Dec 2024 – Mar 2025) to utilise the funds allocated for the entire year, the proposed utilisation could not be achieved. Further, the Company, in October 2025, for expansion of its financial services business footprint, applied for a license to operate as a Non-Banking Financial Company ("NBFC"), through its wholly owned subsidiary namely Mobikwik Financial Services Private Limited (MFSPL). The application was approved by the Reserve Bank of India on March 26, 2026, subject to fulfilment of certain procedural requirements, including, inter alia, the transfer of the Lending Services Provided Business (LSP Business) from the Company to a wholly owned subsidiary namely MobiKwik Distribution Services Private Limited (MDSPL) (formerly known as Mobikwik Credit Private Limited). Accordingly, the unutilised proceeds from Object No.1, originally raised in IPO for the purpose of LSP business in the Company, are being proposed to be utilised for making an equity investment in MDSPL, for MDSPL to be able to carry out the LSP Business. Please note that the movement of the LSP Business from the holding Company to MDSPL is merely a restructuring activity, without impacting the operations and revenue of the LSP Business.

Background and Rationale to reallocate funds from Object 4 to Object 2
At the time of the Offer, the Company proposed to allocate ₹702.85 million under Object 4 towards capital expenditure for the payment devices business of the Company. Under this object, based on the prevailing market rates of soundbox and EDC acquisition, the Company had proposed to acquire 26,931 EDC machines and 600,000 soundboxes. At the end of March 31, 2026, ₹586.5 remains unutilised in Object 4. The Company is aiming to grow its offline merchant business substantially by theend of FY 2028. To achieve this target, the Company would require not only the capital to purchase hardware such as EDC machines and soundboxes but also capital to enable device deployment to merchants. Deployment costs include costs towards manpower, business promotion, advertisement and other merchant related costs. The aforesaid costs were factored in Object 2 "Funding organic growth in our payment services business" to be allocated towards acquisition of consumers (which includes customers and merchants). To achieve its growth objective effectively, the Company would require additional funds to be infused in Object 2 as stated above. Therefore, it is proposed that out of ₹586.5 unutilised in Object 4 will be used in following manner:

- ₹250.0 million will be utilized for capital expenditure towards payment devices (EDC and soundboxes) in Object 4 (asoriginally proposed)
- ₹336.5 million will be used towards the deployment costs in Object 2 (proposed reallocation from Object 4)

Extension in timeline for Object 3
The Company had filed DRHP on January 04,2024 and planned to launch its IPO in Q1 of FY 2024–25; however, the same was launched on December 18, 2024. As a result, the Company had only 3 months available in FY 2024-25 to utilise the funds allocated for the entire year. Due to the limited time available in FY 2024-2025, the Company was not able to utilise funds for recruitment of in-house personnel for research and development in data, ML and AI and product and technology as stated in Object 3. Accordingly, it is proposed to extend the timeline for utilisation of the remaining proceeds upto FY 2026-27. The proposed extension strengthens overall objects of the Issue and is considered to be in the best interests of the Company and its stakeholders.

Rationale to reallocate funds from IPO Issue Expense to Object 5
The IPO issue expenses disclosed in the Prospectus were based on estimated expenses at that relevant time. As per the offer document, the total IPO issue expenses estimated were ₹414.8 million. Out of the estimated amount, the Company utilised ₹360.3 million for fulfilment of its obligations. Accordingly, as on March 31, 2026 a balance of ₹54.5 million remains un-utilised. Now, in order to ensure optimum utilisation of the Issue proceeds and align it with the present business and operational requirements of the Company, it is proposed to reallocate the aforesaid unutilised amount towards objects 5 as below:

- ₹39.1 million be reallocated to Object 5 in FY2027
- The remaining ₹15.4 Mn remains in the escrow account owing to the dispute between the Company & DAM Capital and SBI Caps & DAM Capital. Based on the outcome of the aforesaid dispute as decided by a court or adjudicating body, any amount awarded to the Company will also be reallocated to Object 5.

4. Effect of the proposed variation/alteration on the financial position of the company- The proposed alteration/reallocation is not expected to have any adverse material impact on the existing operations, profitability, cash flows or financial position of the Company. The proposed utilisation is intended towards efficient deployment of available funds in line with the business requirements and strategic objectives of the Company and is expected to support operational and financial efficiency in the long term.

5. Major Risk factors pertaining to the new Objects- The Company has received in-principal approval from the Reserve Bank of India for registration of its subsidiary, Mobikwik Financial Services Private Limited (MFSPL), as a Non-Banking Financial Company (NBFC); however, the grant of the Certificate of Registration remains contingent, amongst other conditions, upon the successful transfer of LSP business to its subsidiary MDSPL, and there can be no assurance that such registration will be granted within the anticipated timeline, or at all. Also, the transfer of the LSP business to MDSPL by way of slump sale involves migration of operations, systems, lending partner contracts and people, and may result in temporary disruption to loan disbursal activity and associated fee income during the transition period. Further, certain existing lending partners may be unwilling to migrate their contractual arrangements to MDSPL or may seek to renegotiate on less favourable commercial terms. The revised deployment of funds, including investment in a wholly-owned subsidiary, expansion of payment services, research and development in data, machine learning and artificial intelligence, capital expenditure for payment devices, and general corporate purposes, may not yield the intended strategic, operational, or financial benefits, and delays, cost overruns, adverse market conditions, regulatory changes, technology obsolescence, integration challenges, or an adverse outcome in respect of the pending dispute relating to IPO issue expenses may materially and adversely affect the Company's business, financial condition, results of operations and cash flows. All forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, and actual results may differ materially from those anticipated. Investors are advised to read the complete Notice and Explanatory Statement before exercising their vote.

6. Names of Directors who voted against the proposed variation/alteration- None of the Directors have voted against the proposed variation.
Any interested person may obtain the copy of the special resolution along with the explanatory statement free of charge at the registered office of the company at Unit No. 102, 1 st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana 122003, India or at the office of its Company Secretary- Ms. Ankita Sharma at Unit No. 102, 1 st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122003, India or visit the website of the Company viz. https://www.mobikwik.com/ir/meetings/postal-ballot/FY2026-27 for a copy of the same.

For One MobiKwik Systems Limited
Sd/-
Upasana Rupkrishan Taku
Chief Financial Officer

Place: Gurgaon
Date: June 02, 2026

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
जन संपर्क विभाग
केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600002

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) निम्नलिखित के लिए बोलियां आमंत्रित करते हैं :

सरकारी ई-मार्केट पोर्टल – जनसंपर्क एजेंसी को रखना

निविदा संख्या: जीईएम/2026/बी /7608458
दिनांकित 01.06.2026

उपरोक्त जीईएम निविदा दस्तावेज़ निम्नलिखित वेबसाइटों www.iob.bank.in तथा www.gem.gov.in पर भी उपलब्ध है और वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा से संबंधित विवरण तथा भविष्य में होने वाले संशोधनों के लिए कृपया निरंतर www.gem.gov.in वेबसाइट को देखें।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, (वि0/यां0 विंग), यूनिट-द्वितीय, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

पत्रांक: 1019/कार्य-9/(26)/418
दिनांक 02.06.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

उ0प्र0 जल निगम, की ओर से क्विक वाटरिंग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु निविदाओं की बिक्री दिनांक 03.06.2026 से 08.06.2026 तक कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/यॉ0,विंग), यूनिट-द्वितीय, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/यॉ0, विंग), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) फ्लैट नं0-आर0-16 नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ से की जायेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1000.00 + 18% जी.एस.टी. (1000.00+180.00 = 1180.00) है। निविदा के कार्यो का विस्तृत विवरण जल निगम की वेवसाइट http://jn.upsdc.gov.in से अथवा सम्बधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा सूचना:-
निविदा विक्रय की तिथि - 03.06.2026 से 08.06.2026 अपराह्न 12:00 बजे।
निविदा डालने की तिथि - 09.06.2026 अपराह्न 02:00 बजे।
निविदा खोलने की तिथि - 09.06.2026 अपराह्न 04:00 बजे।

KATI PATANG LIFESTYLE

KATI PATANG LIFE STYLE LIMITED

Registered Office: S-101, Panchsheel Park, New Delhi-110017
CIN-L 72200DL1992PLC047931

EXTRACT STATEMENT OF AUDITED STANDLONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER / YEAR ENDED 31, MARCH- 2026

(Figures Rs. in Lacs)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter Ended (Audited) 31.03.2026	Year Ended (Audited) 31.03.2026	Quarter Ended (Audited) 31.03.2025	Quarter Ended (Audited) 31.03.2026	Year Ended (Audited) 31.03.2026	Quarter Ended (Audited) 31.03.2025
Total income from operations (net)	13.35	101.46	0.00	365.56	1332.55	296.36
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(91.27)	(188.92)	(36.05)	(374.56)	(955.17)	(171.42)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(91.27)	(188.92)	(36.05)	(374.56)	(955.17)	(171.42)
Equity Share Capital	443.25	443.25	249.17	443.25	443.25	249.17
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	(1918.81)	(1918.81)	(2103.33)	(2525.81)	(2525.81)	(2339.41)
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of ₹ 10/- each) Basic : Diluted:						
Basic :	(21)	(43)	(14)	(85)	(215)	(69)
Diluted :	(21)	(43)	(14)	(85)	(215)	(69)
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)						
Basic :	(0.21)	(0.43)	(0.14)	(0.85)	(2.15)	(0.69)
Diluted :	(0.21)	(0.43)	(0.14)	(0.85)	(2.15)	(0.69)

NOTES : (The above is in extracrt of the detailed format of the Standlone and Consoliated Quarterly Audited Financial Result for the Quarter /Year ended **March 31, 2026** filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange **websites.www.besindia.com** and on the Company **websites. www.Katipatang.com/Investor**

For Kati Patang Lifestyles Limited
Sd/-
Gokul Naresh Tandan
Managing Director
DIN : 00441563

New Delhi
30-05-2026

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS
KNOWLEDGE
FINANCIAL EXPRESS

Arcil

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, (आर्सिल)

नटखट कन्हैया ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित वित्तीय आस्तियों के संबंध में स्थापित आर्सिल-''आर्सिल-ट्रस्ट-2024-001'' ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंज़िल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400 028 वेबसाइट: www.arcil.co.in; सीआईएन- U65999MH2002PLC134884

ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि विभिन्न अर्सिल ट्रस्ट ('अर्सिल') के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (पंजीकृत असाइनमेंट समझौते के माध्यम से वित्तीय आस्ति के एसाइनमेंट के अनुसार) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के संदर्भ में आगे ब्याज, शुल्क और लागत आदि के साथ बकाया राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से **''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वहीं है''** तथा **''आश्रय रहित आधार''** पर बेचा जायेगा।

कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का नाम	लैन नं. तथा विक्रेता बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफैसी सूचना दिनांक 10.10.2024 के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार तथा दिनांक / निरीक्षण की तिथि / सम्पत्ति का प्रकार तथा क्षेत्रफल	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी की तिथि एवं समय
कर्जदार: पवन कुमार सह-कर्जदार: शशिप्रभा	HL0000000045982 वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वीएचएफसी)	अर्सिल-ट्रस्ट-2025-018	रु. 1074501/- तिथि 05-01-2022 तक + उस पर भावी ब्याज + विधिक व्यय	14-03-2023 को भौतिक कब्जा / निवेदन पर व्यवस्था की जाएगी / माप क्षेत्रफल 43.47 वर्ग मीटर	रु. 60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र) / रु. 6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) / 22-06-2026 को 5:30 बजे अप.

नीलाम की जा रही प्रतिभूत संपत्ति का विवरण: फ्लैट नंबर बी-6, दूसरी मंज़िल पर, सुपर एरिया 43.47 वर्ग मीटर, पूर्णिमा अपार्टमेंट, खसरा नंबर 474, गाँव-सरफाबाद, सेक्टर-73, नोएडा, ज़िला-गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र., पूर्व: अजय का प्लॉट, पश्चिम: चत्तर पाल का प्लॉट, उत्तर: दल चंद का प्लॉट, दक्षिण: 15 फुट की सड़क।

अर्सिल के संज्ञान में लंबित मुकदमे	निल	अर्सिल के संज्ञान में ऋणभार/बकाया	निल
बोली जमा करने की अन्तिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटे पूर्व	बोली वृद्धि राशि :	बोली दस्तावेज में उल्लिखित के अनुसार
वह नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना है	अर्सिल-ट्रस्ट-2025-018		सममूल्य पर देय
आरटीजीएस विवरण	अर्सिल-ट्रस्ट-2025-018, **ट्रस्ट खाता सं.:** 57500001745590, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, **शाखा** : कमला मिल एक्सटेंशन सीटीआर, मुम्बई, **आईएफएससी कोड** : HDFC0000542		
सम्पर्क व्यक्ति का नाम तथा नम्बर	अर्पित चौधरी, **arpit.choudhary@vastuhfc.com;**		

नियम एवं शर्तें :

1. यह नीलामी बिक्री वेबसाइट **https://auction.arcil.co.in** के माध्यम से ई-नीलामी के रूप में, तथा बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार, और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी ('एओ')/अर्सिल को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, बिजली विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
3. नीलामी के किसी भी चरण में, एओ बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है।
4. सफल क्रेता/बोलीदाता को किसी भी वैधानिक बकाया राशि, कर, देय शुल्क, खरीद पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा, जो लागू कानून के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति को उसके पक्ष में पहुंचाने/वितरित करने के लिए भुगतान करना आवश्यक है।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दायित्वों, प्रतिभूत संपत्ति के स्वामित्व और वैधानिक बकाया आदि सहित दावों/अधिकारों/बकाया के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ/उचित परिश्रम करना चाहिए। नीलामी विज्ञापन में अर्सिल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है और न ही होगा। अर्सिल का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समाचार पत्र में प्रकाशित नीलामी सूचना में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं; हालाँकि अधोहस्ताक्षरी किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
7. कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री नोटिस को उपरोक्त उल्लिखित नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में मानेंगे।
8. यदि ऊपर निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है, तो अर्सिल को नियमों और अधिनियम के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य **तरीके से प्रतिभूत संपत्ति बेचने का अधिकार है।**

हस्ता./-
स्थान: गौतम बुद्ध नगर — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 03.06.2026 — एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

MobiKwik

ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED

CIN: L64201HR2008PLC053766
Registered Office: Unit No. 102, 1st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122003, India
Tel: +91 (124) 490-3344, **Email ID:** cs@mobikwik.com; **Website:** www.mobikwik.com

POSTAL BALLOT NOTICE TO THE MEMBERS OF THE COMPANY

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Sections 110 and 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the **Act**"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the **Rules**"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI Listing Regulations**") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), read with the General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020, General Circular No. 33/2020 dated 28th September, 2020, General Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020, General Circular No. 10/2021 dated 23rd June, 2021, General Circular No. 20/2021 dated 8th December, 2021, General Circular No. 3/2022 dated 5th May, 2022, General Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023, General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024 and General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "**MCA Circulars**"), relevant Circulars issued by SEBI in this regard (hereinafter collectively referred to as "SEBI Circulars") and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("**SS-2**"), the consent of the Members of One Mobikwik Systems Limited ("**the Company**") is being sought by way of Postal Ballot through remote e-voting process only ("remote e-voting") on the resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated **June 02, 2026**. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website https://www.mobikwik.com/ir/meetings/postal-ballot/FY2026-27 and on the website of the stock exchange where the equity shares of the company are listed i.e. BSE Limited ("**BSE**") www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("**NSDL**") at www.evoting.nsdl.com. In compliance with the aforesaid provisions and MCA Circulars, electronic copy of the Postal Ballot Notice ("**the Notice**") along with the Explanatory Statement have been sent through e-mail to all members who have registered their email IDs with the Depositories/Depository Participant(s)/Company/Registrar & Share Transfer Agent as on **May 29, 2026** ("**Cut-off date**"). The following Special Businesses are proposed to be passed by the Members through postal ballot:

Sr. No.	Description of resolutions	Type of resolution
1	Approval for alteration in object clause of the Memorandum of Association of the Company	Special Resolution
2	Approval for sale and transfer of the Company's Lending Services Provider Busines ('LSP Business'') on slump sale basis to Mobikwik Distribution Services Private Limited (formerly known as Mobikwik Credit Private Limited) ("MDSPL"), a wholly owned subsidiary of the Company	Special Resolution
3	Variation in the objects / terms of utilisation of the Initial Public Offering ("IPO") proceeds and extension of time limit for utilisation of the IPO proceeds.	Special Resolution

All members are hereby informed that:

1. Date of completion of dispatch of Notice is **June 02, 2026.**
2. The Members should note that in terms of the General Circulars issued by MCA, no physical ballot form is being dispatched by the Company and the Members can cast their vote using remote e voting facility only.
3. Members holding equity shares as on the cut-off date are only entitled to cast their votes by remote e-voting facility, any person who if not a member as on the close of business hours of the cut-off date, should treat this notice for information purpose only. The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facility to its members.
4. The Members holding shares in physical form and whose email ids are not registered with the Company as on the cut-off date are requested to register their e-mail ids by following the steps mentioned in the Notice under the section "**process for those members whose email ids are not registered**".
5. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail ID with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat account(s).
6. The remote e-voting facility will be available, please refer the instruction mentioned in the Notice for the same.
7. Pursuant to Rule 22(5) of the Rules, the Board of Directors of the Company have appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht, Managing Partner and/ or Mr. Praveen Kumar, Partner of M/s. DPV & Associates LLP, Practicing Company Secretaries (Firm Registration No. L2021HR009500) as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot remote e-voting process in a fair and transparent manner.
8. The voting through Postal Ballot e-voting shall commence on **Wednesday, June 03, 2026 from 9.00 a.m. (IST)** and ends on **Thursday, July 02, 2026 at 5.00 p.m. (IST)**. The e-voting module shall be blocked thereafter and the voting shall not be allowed beyond **05.00 p.m. (IST)** on **Thursday, July 02, 2026**.
9. Once the vote is cast on the resolutions, the member will not be allowed to change it subsequently or cast vote again.
10. The results of the Postal Ballot/E-voting will be announced on or before **July 06, 2026** at the registered office of the Company and shall be communicated to BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com where the equity shares of the Company are listed and will also be displayed on the Company's website at https://www.mobikwik.com/ir/meetings/postal-ballot/FY2026-27and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
11. In case members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the 'Download' section of www.evoting.nsdl.com or call on no.: 022-4886 7000 or contact NSDL official, Ms. Pallavi Mhatre, AVP at their designated e-mail addresses: evoting@nsdl.com.

By Order of Board of Directors
For One Mobikwik Systems Limited
Sd/-
Ankita Sharma
Company Secretary

Place: Gurugram
Date: June 2, 2026

प्रपत्र जी
ओडिसिया डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
(अन्य गैर-स्टोर खुदरा बिक्री [नेटवर्क मार्केटिंग सहित] में कार्यरत),
के लिये अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम (1) के तहत)

क्र. सं.		संबंधित विवरण
1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम, पैन और सीआईएन/एलएलपी नंबर सहित	ओडिसिया डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पैन नंबर: AACC08394A सीआईएन नं.: U52599DL2018PTC343068
2	पंजीकृत कार्यालय का पता	45-ए, फ्लैट बी-2, प्रथम तल, बेगमपुर, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017, दिल्ली
3	वेबसाइट का यूआरएल	कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है
4	स्थान का विवरण, जहां अधिकांश स्थायी संपत्तियां स्थित हैं	लागू नहीं
5	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	लागू नहीं
6	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचीं गयी मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	सीडी वर्ष 2024 से परिचालन में नहीं है
7	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या	वर्तमान में कोई कर्मचारी नहीं है।
8	पिछले दो वर्षों के वित्तीय विवरण,(अनुसूची सहित), लेनदारों की सूची सहित अतिरिक्त विवरण यूआरएल पर उपलब्ध है:	वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अंतिम ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं। अन्य विवरण cirp.odicea@gmail.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
9	संहिता की धारा 25(2)(h) के अंतर्गत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यूआरएल पर उपलब्ध है:	इसे cirp.odicea@gmail.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
10	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	गुरुवार, 18 जून, 2026
11	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	मंगलवार, 23 जून, 2026
12	अनंतिम सूची पर आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि	रविवार, 28 जून, 2026
13	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	मंगलवार, 30 जून, 2026
14	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	बुधवार, 1 जुलाई, 2026
15	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026
16	अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करने हेतु प्रक्रिया ईमेल आईडी	cirp.odicea@gmail.com
17	कॉर्पोरेट देनदार की एमएसएमई के रूप में पंजीकरण स्थिति का विवरण	कॉर्पोरेट देनदार एमएसएमई के रूप में पंजीकृत है

दिनांक: 3 जून,2026
स्थान: मुंबई

कृते, ओडिसिया डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
केडीआरए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
समाधान पेशेवर
ओडिसिया डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPE-0059/IPA-1/2022-23/50037
समाधान पेशेवर का पत्राचार पता:
1601, यूनिकॉर्न, दत्ताजी साल्वी मार्ग, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-400053
पंजीकृत ईमेल - irp@kdraip.com
पत्राचार ईमेल - cirp.odicea@gmail.com

फॉर्म संख्या 14 [विनियम 33(2) देखें]
रजि.ए/डी, दस्ती द्वारा, ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा

कार्यालय-वसूली अधिकारी I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
पहली मंजिल एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17ए, चंडीगढ़
(तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

मांग नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस
आरसी/9/2026 — 19.05.2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मैसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज

सेवा में
(सीडी 1) मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज, मुकेश कुमार यादव, छतर सिंह यादव, प्लॉट नंबर 369, गली नंबर 5बी, भूदत्त कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा
(सीडी 2) श्री मुकेश कुमार यादव, पुत्र श्री छतर सिंह यादव, निवासी प्लॉट नंबर 508, ईस्ट चावला कॉलोनी, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा इसके अलावा: मकान नंबर 197/2, गली नंबर 4, अहिवारा, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा
(सीडी 3) श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री जयन्त्री प्रसाद मिस्त्रा, निवासी प्लॉट नंबर 508, ईस्ट चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, मकान नंबर 35, गली नंबर 2, रघुवीर कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा

यह सूचित किया जाता है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओए/1740/2021 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, रु. 2469200.96 (चौबीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ रुपये व छियानवे पैसे मात्र) की राशि, मुकदमे के लंबित रहने और 13.10.2021 से वसूली तक,भविष्य के ब्याज सहित, 8.55% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ,और 27005 रुपये (सत्ताईस हजार पांच रुपये मात्र) के खर्चे, आप पर (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित रूप से) देय हो गई है।

(2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसूली बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।

(3) आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप शपथ पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।

(4) आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए **14.08.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

(5) पूर्वोक्त राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।

(ख) इस नोटिस एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क एवं व्यय।

मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत, इस तिथि को दिया गया आदेश : 19.05.2026

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

खबर कोना

कैलिफोर्निया : बेसबाल मैच के पांचवीं पारी के दौरान रन लेने के लिए भागते कोलोरैडो राकी के स्टर्लिन थाम्पसन।

अभय सिंह और वीर चोटरानी ब्रिटिश ओपन से बाहर

बर्मिंघम, 2 जून (भाषा)।

भारत के अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष वर्ग के दूसरे दौर के मैचों में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल खिलाड़ियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करने में नाकाम रहे और यहां अपने-अपने मैच हारकर ब्रिटिश ओपन स्क्वाश से बाहर हो गए। विश्व में 24वें नंबर के खिलाड़ी अभय एक करीबी मुकाबले में मिस्र के विश्व में आठवें नंबर के खिलाड़ी मोहम्मद जकारिया से 9-11, 4-11, 11-7, 10-12 से हार गए। एक अन्य मैच में विश्व के 40वें नंबर के खिलाड़ी चोटरानी को वेल्श के विश्व में छठे नंबर के खिलाड़ी जोएल मैकिन ने 12-10, 11-9, 11-3 से हराया। अनाहत सिंह और रमित टंडन पिछले सप्ताह पहले दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।

ग्रेनो में बीसीएल आज से, पूर्व खिलाड़ियों की मिश्रित टीमें उतरेंगी मैदान में

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 2 जून।

न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रास टेलर ने कहा कि भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में कई खिलाड़ियों को उचित मंच नहीं मिल पाता। वह मंगलवार को ग्रेनो में मौजूद थे। ग्रेनो के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में तीन से 13 जून तक बिग क्रिकेट लीग (बीसीएल) का आयोजन हो रहा है। उन्होंने आइपीएल में राजस्थान रायल्स के लिए खेलने वाले प्रवीण तांबे का उदाहरण देते हुए कहा कि 41 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर यह साबित किया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। बीसीएल में छह टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। लीग के संस्थापक एवं अध्यक्ष आरपी सिंह ने बताया कि इस टूर्नामेंट में करीब 90 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

राष्ट्रीय रिकार्डधारी केएम दीक्षा डोप जांच में विफल

नई दिल्ली, 2 जून (भाषा)।

महिलाओं की 1500 मीटर की राष्ट्रीय रिकार्डधारी और राष्ट्रीय खेलों की रजत पदक विजेता के एम दीक्षा डोप जांच में विफल हो गई हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सत्ताईस साल की दीक्षा ने इस साल अप्रैल में सिर्फ एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वह एक प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पाजिटिव पाई गई हैं। यह पदार्थ किस तरह का था और उनकी जांच की और जानकारी का पता नहीं चला है। एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया, 'हां, यह पुष्टि हो गई है कि वह डोप जांच में विफल हो गई हैं।' लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। दीक्षा ने हाल ही में रांची में हुए फेडरेशन कप में हिस्सा नहीं लिया था जो ग्लास्गो में 2026 राष्ट्रमंडल खेल (23 जुलाई से दो अगस्त) के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य टूर्नामेंट था।

ग्यारह साल की अतीका ने ग्रीस में हासिल की ऐतिहासिक जीत

क्वालीफाइंग में 56.77 सेकंड का रिकार्ड समय निकालकर शीर्ष स्थान पर रहीं

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 2 जून।

जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय भारतीय रेसर (कार्ट रेसिंग ड्राइवर) अतीका मीर ने ग्रीस में पोल-टू-फ्लैग जीत हासिल करके अपने करिअर में एक और उपलब्धि हासिल कर ली। थेसालोनिकी में चैंपियंस आफ द फ्यूचर अकादमी प्रोग्राम में प्रतिस्पर्धा करते हुए, उन्होंने क्वालीफाइंग सत्र में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद, शुरुआत से अंत तक रेस में बढ़त बनाए रखा। अतीका की यह जीत भारतीय मोटरस्पोर्ट में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के सामने अपने संयम और कौशल का जिस तरह से प्रदर्शन किया, उससे भारत की स्थिति और मजबूत हो गई। अतीका क्वालीफाइंग में 56.77 सेकंड का रिकार्ड समय निकालकर शीर्ष स्थान पर रही।

फार्मूला-वन अकादमी का समर्थन पाने वाली अतीका ने ओके-एनजे (12-14 वर्ष आयु वर्ग) श्रेणी में बेहद प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में दबदबा कायम किया। उन्होंने इस वर्ग में अपने पहले ही सत्र में कई अनुभवी पुरुष ड्राइवरों को कड़ी चुनौती देते हुए असाधारण प्रदर्शन किया। पूरे सप्ताहांत अतीका का प्रदर्शन अन्य प्रतिभागियों से कहीं बेहतर रहा। क्वालीफाइंग से लेकर हीट रेस और दोनों फाइनल्स तक उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा। इस शानदार उपलब्धि के साथ वह श्रृंखला के इतिहास में क्वालीफाइंग, हीट्स और फाइनल्स में सूपड़ा साफ करने वाली केवल तीसरी ड्राइवर बन गईं। पोडियम पर राष्ट्रगान बजने के दौरान अतीका भावुक हो गईं। उनका लक्ष्य 1990 के दशक की शुरुआत के बाद फार्मूला वन में पहुंचने वाली पहली महिला ड्राइवर बनना है।

अतीका ने कहा, 'यह ट्रैक बेहद कठिन और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैं सभी रेस जीतने में सफल रही। जब राष्ट्रगान बजा तो मैं भावुक हो गई। मेरे लिए इससे बड़ा गर्व का क्षण कोई नहीं हो सकता।' हीट रेस-एक और हीट रेस- दो में भी शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद अतीका ने फाइनल के लिए ग्रिड पर पहला स्थान सुनिश्चित किया। पंद्रह लैप की चुनौतीपूर्ण फाइनल रेस में अतीका ने शुरुआत से ही नियंत्रण कायम कर लिया। उन्होंने शुरुआती आठ लैप में 3.9 सेकंड की बढ़त बनाने के बाद इसे कम नहीं होने दिया।

मोटरस्पोर्ट्स

थेसालोनिकी में चैंपियंस आफ द फ्यूचर अकादमी प्रोग्राम में प्रतिस्पर्धा करते हुए, उन्होंने क्वालीफाइंग सत्र में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद, शुरुआत से अंत तक रेस में बढ़त बनाए रखा। अतीका की यह जीत भारतीय मोटरस्पोर्ट में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उनका लक्ष्य 1990 के दशक की शुरुआत के बाद फार्मूला वन में पहुंचने वाली पहली महिला ड्राइवर बनना है।

भारतीय राइडर केविन क्विंटल की स्पेन में शानदार शुरुआत

जेरेज, 2 जून (भाषा)।

भारतीय मोटरसाइकिल चालक केविन क्विंटल ने शुरुआती दौर में दो पोडियम स्थान हासिल करके अपने 2026 'कोपा डे एस्पाना डे वेलोसिडैड' अभियान की शानदार शुरुआत की। चेन्नई के राइडर केविन बीएमडब्ल्यू ईजीरेस टीम के लिए मुकाबला कर रहे थे। रेस 1 में उन्होंने विजेता जुआन मारिया जार्जा से सिर्फ 0.605 सेकंड पीछे रहकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि रेस 2 में तीसरे स्थान पर रहकर उन्होंने एक और पोडियम स्थान पक्का किया।

केविन ने 2026 सीजन के लिए एडुआर्डो साल्वाडोर वेरा के नेतृत्व वाली ईजीरेस टीम के साथ पूरे सीजन के लिए अनुबंध किया है। केविन शनिवार को बीएमडब्ल्यू एम1000आआर पर पहली रेस में दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद उन्होंने रविवार को दूसरी रेस में भी सुपरबाइक 1000 सीसी वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। केविन ने 2024 में चेक गणराज्य में विश्व एसबीके रेस में सुपरस्पोर्ट 300 विश्व चैंपियनशिप में मुकाबला करने वाले पहले भारतीय के रूप में इतिहास रचा था।

इस सफलता के बाद केविन ने कहा, सीजन की शुरुआत से मैं बेहद खुश हूं। इस साल की शुरुआत में पूरे सीजन के लिए ईजीरेस टीम से जुड़ना मेरे करिअर का एक बड़ा कदम था, और टीम में सभी ने मुझे जल्दी से सहज महसूस कराने के लिए बहुत मेहनत की है। चैंपियनशिप लंबी और बेहद प्रतिस्पर्धी है, और मेरा ध्यान लगातार सीखने, सुधार करने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गर्व से प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार शीर्ष पर बने रहने पर है।

इंडोनेशिया ओपन : सिंधु दूसरे दौर में; श्रीकांत, सेन, मालविका बाहर

जकार्ता, 2 जून (भाषा)।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कुछ विषम पलों से गुजरने के बावजूद मंगलवार को सीधे गेम में जीत हासिल करके इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया, लेकिन किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पहले दौर की बाधा पार करने में नाकाम रहे। सिंधु ने इस सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के मैच में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को 51 मिनट में 25-23, 21-16 से पराजित किया।

पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्हें पहले गेम में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने शुरू से आखिर तक अपनी लय बरकरार रखी और सीधे गेम में जीत दर्ज की। गैर-वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी सिंधु का सामना दूसरे दौर में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर एक खिलाड़ी आन से-यंग से हो सकता है जिन्होंने उन्हें पिछले सप्ताह सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में हराया था। आन के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी का रिकार्ड अच्छा नहीं है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अभी तक जो नौ मैच खेले गए हैं उन सभी में सिंधु को हार का सामना करना पड़ा।

बैडमिंटन

सिंधु का सामना दूसरे दौर में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर एक खिलाड़ी आन से-यंग से हो सकता है।

ओसाका को हराकर सबालेंका क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

पेरिस, 2 जून (एपी)।

विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एरीना सबालेंका ने अपनी रंग बिरंगी पोशाक के कारण विशेष रूप से चर्चा में रही नाओमी ओसाका के विजय अभियान पर विराम लगाकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सबालेंका ने सोमवार को ओसाका को 7-5, 6-3 से हराकर यह क्ले-कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने के और करीब पहुंच गईं, जहां उन्हें पिछले साल कोको गाफ से फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।

रोलां गैरों में तीन साल में यह महिलाओं का यह पहला रात्रि मैच था। ओसाका इस मैच के लिए भी सुनहरे सेक्विन वाली पोशाक के ऊपर एक सुनहरी बांबर जैकेट पहनकर कोर्ट पर उतरीं। फैशन की मामले में भले ही ओसाका ने बाजी मारी हो लेकिन खेल के मामले में सबालेंका का कोई सानी नहीं था जिन्होंने अपनी इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपना करिअर रिआर्ड 3-1 कर दिया। ओसाका पहली बार इस टूर्नामेंट के चौथे दौर में खेल रही थीं। सबालेंका का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डायना श्नाइडर से होगा, जिन्होंने मैडिसन कीज को 6-3, 3-6, 6-0 से हराया। एक अन्य मैच में पोलैंड की 114वीं रैंकिंग की खिलाड़ी माजा चवालिंस्का ने फ्रांस की डायने पैरी को 6-3, 6-2 से पराजित किया।

फ्रेंच ओपन

पिछले साल इसी टूर्नामेंट में कोको गाफ ने फाइनल में सबालेंका को हराया था।

मुकाबला

एलबर्टा : अंतरराष्ट्रीय मैत्री फुटबाल मैच के दौरान शाट लगाते उज्बेकिस्तान के अब्बोस्बेक फैजुलेव।

प्रज्ञानानंद, गुकेश, दिव्या ने भारत की खिताब की उम्मीदें बरकरार रखीं

ओस्लो, 2 जून (भाषा)।

पिछले दौर में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने नार्वे शतरंज टूर्नामेंट के सातवें दौर में शानदार वापसी करके खिताब की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा। विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद ने ओपन वर्ग में महत्त्वपूर्ण जीत हासिल की जबकि दिव्या देशमुख ने महिला वर्ग में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराया। छठे दौर में चारों भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा था।

गुकेश ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो के खिलाफ मुकाबले में 1.5 अंक हासिल किए। उन्होंने क्लासिकल बाजी में मौका गंवाने के बाद आर्मागेडन टाई-ब्रेक में जीत हासिल करके अपना कुल स्कोर आठ अंक पर पहुंचाया। वह हालांकि छह खिलाड़ियों के डबल राउंड-राबिन तालिका में सबसे निचले स्थान पर हैं। प्रज्ञानानंद ने फ्रांसीसी ग्रैंडमास्टर अलीरजा फिरोजा को लगातार दूसरी बार क्लासिकल बाजी में हराकर पूरे तीन अंक हासिल किए। उनके अब नौ अंक हो गए हैं। प्रज्ञानानंद इसके बावजूद पांचवे जबकि गुकेश छठे स्थान पर बने हुए हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तीन दौर की बाजियां खेली जानी बाकी हैं और भारतीय खिलाड़ियों के पास वापसी करके शीर्ष पर पहुंचने का मौका है। वेस्ली सो 12.5 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि अलीरेज़ा 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

शतरंज

गुकेश ने वेस्ली सो के खिलाफ मुकाबले में 1.5 अंक हासिल किए। उन्होंने क्लासिकल बाजी में मौका गंवाने के बाद आर्मागेडन टाई-ब्रेक में जीत हासिल की।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 43, अंक 197
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरपी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।
कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–I, रिटेल
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015, फोन: 25419177, 25412977 ई–मेल: sbi.05169@sbi.co.in

कब्जा सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है)** को **निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था** जिसमें उल्लेखित **राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार(रों) उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

यह नोटिस बैंक के ऐसे अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जैसा कि वह कानून के किसी अन्य लागू प्रावधान के तहत आवश्यक समझता है।

क्र. सं.	खाते/कर्जदार /गारंटर का नाम एवं पता	बंधक/प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि
1	**उधारकर्ता– मैसर्स अनव (ANAV) एंटरप्रेन्योर**, एसडी–465, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201002। इसके अलावा: ई–50, बुलंदशहर रोड, औद्योगिक रोड, औद्योगिक क्षेत्र साइट–1, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009। **श्रीमती अरुषि सिवाच (मालिक)** ए–41, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001। **श्रीमती अरुषि सिवाच**, फ्लैट संख्या टी2–101, पहली मंजिल, राइज ऑर्गेनिक होम्स, प्लॉट संख्या जीएच–01, जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।	**प्रथम मंजिल पर फ्लैट संख्या टी–2/101, राइज ऑर्गेनिक होम्स, प्लॉट संख्या जीएच–01, जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल 99.78 वर्ग मीटर, सुश्री आरुषि सिवाच के नाम पर।** सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों, सुगमता, विशेषाधिकारों और उससे संबंधित सहायक वस्तुओं सहित, सभी फिटिंग, फिक्स्चर, कनेक्शन, उस पर खड़ी संरचना सहित, साथ ही सामान्य मार्ग क्षेत्रों, सीढ़ियों और अन्य सामान्य सुविधाओं में आनुपातिक अधिकारों सहित, यदि कोई हो।	12.02.2026 / 30.05.2026	रुपये 6,70,64,498.43 (छह करोड़ सत्तर लाख चौंसठ हजार चार सौ अट्ठानवे रुपये मात्र) दिनांक 12.02.2026 तक, उक्त राशि पर संविदा दरों के अनुसार भविष्य का ब्याज, सभी आकस्मिक व्यय, लागत शुल्क आदि सहित।

दिनांक : 30.05.2026 स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालय: 10वीं मंज़िल, ऑफिस नंबर 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मृतक सह–ऋणकर्ता, जिनका नाम **स्वर्गीय अनिल त्यागी** है, ने अन्य ऋणकर्ताओं **कनिका त्यागी, (कानूनी उत्तराधिकारी – ए) कनिका त्यागी पत्नी अनिल त्यागी, बी) ओम प्रकाश त्यागी पिता अनिल त्यागी)** ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("सुरक्षित ऋणदाता") से 24,27,661/– रुपये (केवल चौबीस लाख सताईस हजार छह सौ इकसठ रुपये) की वित्तीय सहायता एक अचल के बदले में ली गई थी, जिसका विवरण इस प्रकार है:

संपत्ति का विवरण: संपत्ति भूमि क्षेत्र का एक आवासीय भूखंड है जो 46.12 वर्ग गज अर्थात 38.56 वर्ग मीटर, खासरा नंबर 360 से बाहर, गांव घुकाना, लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201003 में स्थित है सीमाएँ: पूर्व: प्लॉट डिगर, पश्चिम: प्लॉट डिगर, उत्तर: प्लॉट डिगर, दक्षिण: सड़क 15 फीट। ("सुरक्षित संपत्ति")। इसके परिणामस्वरूप, पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, उक्त ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया है और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ सरफेसी कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस बीच, उक्त सह ऋणकर्ता स्वर्गीय अनिल त्यागी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सुरक्षित ऋणदाता के संज्ञान में आई है और सुरक्षित ऋणदाता के कई प्रयासों के बावजूद, वह उक्त मृतक ऋणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सका है।

इसलिए वर्तमान सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, मृतक सह–ऋणकर्ता अर्थात स्वर्गीय अनिल त्यागी के कानूनी वारिसों से अनुरोध है कि वे इस प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक और सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी पहचान के बारे में अधोहस्ताक्षरी को लिखित में सूचित करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि मृतक ऋणकर्ता का कोई कानूनी वारिस नहीं है, जिसके बाद सुरक्षित ऋणदाता कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के साथ–साथ सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 भी शामिल हैं और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ अपने सुरक्षा हित को लागू करेगा, जिसमें उक्त सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेना और उसके बाद अपने बकाया राशि की वसूली के लिए उसकी बिक्री को प्रभावी बनाना शामिल होगा। अधिकृत अधिकारी **राहुल सिंह और मोबाइल** +919999155682

तारीख : 03.06.2026 — ह/– अधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालय: 10वीं मंज़िल, ऑफिस नंबर 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मृतक सह–ऋणकर्ता, जिनका नाम **स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना** है, ने अन्य ऋणकर्ताओं **दीपिन खुराना, (कानूनी वारिस – दीपिन खुराना पुत्र स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना, राधिका खुराना पत्नी स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना)** ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("सुरक्षित ऋणदाता") से 19,75,000/– रुपये (केवल उन्नीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) की वित्तीय सहायता एक अचल के बदले में ली गई थी, जिसका विवरण इस प्रकार है:

संपत्ति का विवरण: घर संख्या ए–137, क्षेत्रफल लगभग 255 वर्ग फुट, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 के सभी अनिवार्य अंग ("सुरक्षित संपत्ति")। इसके परिणामस्वरूप, पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, उक्त ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया है और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ सरफेसी कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस बीच, उक्त सह ऋणकर्ता स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सुरक्षित ऋणदाता के संज्ञान में आई है और सुरक्षित ऋणदाता के कई प्रयासों के बावजूद, वह उक्त मृतक ऋणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सका है।

इसलिए वर्तमान सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, मृतक सह–ऋणकर्ता अर्थात स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना के कानूनी वारिसों से अनुरोध है कि वे इस प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक और सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी पहचान के बारे में अधोहस्ताक्षरी को लिखित में सूचित करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि मृतक ऋणकर्ता का कोई कानूनी वारिस नहीं है, जिसके बाद सुरक्षित ऋणदाता कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के साथ–साथ सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 भी शामिल हैं और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ अपने सुरक्षा हित को लागू करेगा, जिसमें उक्त सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेना और उसके बाद अपने बकाया राशि की वसूली के लिए उसकी बिक्री को प्रभावी बनाना शामिल होगा। अधिकृत अधिकारी **राहुल सिंह और मोबाइल** +919999155682

तारीख : 03.06.2026 — ह/– अधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — Indian Overseas Bank (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

क्षेत्रीय कार्यालय–कानपुर | केन्द्रीय कार्यालय–चेन्नई

ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी-अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सपठित नियम 8(6)/9(1) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्रावधानों के आधार पर अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत बैंक बंधक अचल सम्पत्ति की ई–नीलामी

यह सूचना आम तौर पर जनता के लिए और विशेष रूप से **ऋणी(ओं), बंधककर्ता(ओं), ज़मानतकर्ता(ओं), निदेशकों व कानूनी उत्तराधिकारियों** को दी जाती है, कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/भारित है, प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा सम्पत्ति का सांकेतिक कब्ज़ा लिया जा चुका है, के द्वारा **"जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है"** और **"जो कुछ भी है"**, के आधार पर उपरोक्त लिखित दिनांक को **ऋणी (ओं), बंधककर्ता(ओं), ज़मानतकर्ता(ओं), निदेशकों व कानूनी उत्तराधिकारियों** की सम्पत्ति की बिक्री कर उल्लिखित बकाया धनराशि व भविष्य के ब्याज एवं अन्य खर्चे जो कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (सुरक्षित लेनदार) को वसूल करना है। आरक्षित मूल्य व ईएमडी धनराशि निम्नलिखित है। ई–नीलामी वेब पोर्टल **https://baanknet.com** के प्लेटफार्म पर सम्पन्न होगी।

क्र. सं.	ऋणी/ज़मानतकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण/कब्जे का पकार	बकाया धनराशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी का दिनांक व समय	ई-नीलामी व सम्पत्ति के अधिक विवरण के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें
	शाखा–लाल बंगला (3233), 53 ए (बी), चंद्र नगर, लाल बंगला, कानपुर–208007, उत्तर प्रदेश फोन न. 8925953233, ईमेल–iob3232@iob.in						
1.	**1) श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री नरेंद्र कुमार,** प्लॉट संख्या 28, आराजी संख्या 95/1, ग्राम छतमरा, परगना, तहसील नरवल, जिला कानपुर नगर–208007 और 269/36, सदानंद नगर, आर.पी.एस. पैलेस के निकट, हरजिंदर नगर, कानपुर– 208007 (ऋणी/बंधककर्ता) **2) श्री नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री राम स्वरूप,** निवासी–269/36, सदानंद नगर, चकेरी, हरजिंदर नगर, कानपुर–208007 और प्लॉट संख्या 28, आराजी संख्या 95/1, ग्राम छतमरा, परगना, तहसील नरवल, जिला कानपुर नगर–208007(ज़मानतकर्ता)	भूमि एवं भवन स्थित निजी प्लॉट संख्या 28, आराजी संख्या 95/1, ग्राम छतमरा, परगना, तहसील–नरवल, जिला–कानपुर नगर–208007, **क्षेत्रफल 95.32 वर्ग मीटर, श्रीमती रेखा सिंह के नाम पर चौहद्दी–:उत्तर:** अन्य आराजी, **दक्षिण:** 25 फीट सड़क, **पूर्व:** प्लॉट संख्या 27, **पश्चिम:** प्लॉट संख्या 28–ए **(कब्ज़े का प्रकार–सांकेतिक)**	रू. 23,11,063.68 दिनांक 20.05.2026 + भविष्य की लागत ब्याज संविदात्मक दर पर एवं अन्य खर्चे	रू. 20,82,400/– / रू. 2,08,240/– / रू. 10,000/–	दिनांक 05.07.2026 दोपहर 02:00 बजे तक	दिनांक 06.07.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक, (बिक्री सम्पन्न होने तक प्रत्येक 10 मिनट का स्वतः विस्तार)	
	खाता विवरण–इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, खाता का नाम–Sarfaesi Sale Parking Account, खाता सं.: 32330113035001, IFSC Code: IOBA0003233						

*Bank's dues have priority over the Statutory dues.

नियम व शर्तों के अधिक जानकारी के लिए कृपया सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** अथवा बैंक की वेबसाइट **http://www.iob.in** का अवलोकन करें। उपरोक्त सम्पत्ति निरीक्षण अथवा सम्पत्ति मे भाग लेने के लिए अथवा रूचि लेने वाले खरीददार कृपया उल्लिखित सम्बंधित शाखा प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

दिनांक: 01.06.2026 — स्थान: कानपुर — प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Kanar Vysya Bank

परिसंपत्ति वसूली शाखा, नं. 6, तृतीय तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110 005
दूरभाष : 011&35008283, ईमेल : arbdelhi@kvbmail.com

ई-नीलामी सूचना : ई-नीलामी 25-06-2026 को

सरफ़ॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत तथा निम्नवर्णित ऋणकर्ताओं/गारंटरों की ओर से अधोवर्णित शाखाओं के अंतर्गत करूर वैश्य बैंक लिमिटेड को देय निम्नांकितानुसार प्रतिभूत ऋणों की वसूली हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिये गये निम्नलिखित ऋणकर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के अनुसरण में।

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अचल संपत्तियों की ई–नीलामी करने का निर्णय ले लिया है अतः **"जैसी हैं जहाँ हैं", "जैसी हैं जो हैं", "वहाँ जो कुछ भी हैं"** तथा **"बिना संसाधन"** आधार पर निम्नलिखित परिसंपत्तियों के क्रयार्थ ई–निविदा के माध्यम से प्रस्ताव निमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	ऋणकर्ता का नाम	ऋणप्रदायक शाखा	संपत्ति की अवस्थिति	संपत्ति की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (रू. में)	धराज राशि (रू. में)	संपर्क हेतु व्यक्ति/ दूरभाष संख्या/ ईमेल
1.	मैसर्स एमआरजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	करनाल	कमर्शियल दुकान नंबर 94, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड ग्रेन मार्केट, निसिंग, तहसील निसिंग, जिला करनाल–132001	कमर्शियल दुकान	21,50,000.00	2,15,000.00	श्री घनश्याम तायड़े 9921598488 tayadear@kvbmail.com
2.			बंबा कॉलोनी में घर, अनाज मंडी के पीछे, निसिंग तहसील, निसिंग, करनाल (खेवट संख्या 174, खतौनी संख्या 235, खसरा संख्या 185/10/2 (6–0) के भाग 5/240 यानी 2.5 मरला के अंतर्गत सम्मिलित भूमि)	आवासीय भूमि एवं भवन	17,50,000.00	1,75,000.00	श्री राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvbmail.com

'दोनों संपत्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं तथा एकल बोलीदाता द्वारा एकल इकाई के रूप में खरीदी जाएंगी।*

ऋणकर्ताओं का विवरण : क्रम संख्या 1: करनाल शाखा: ऋणकर्ताओं के नाम– मैसर्स एमआरजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: जैन पब्लिक स्कूल के पास, मुख्य फुशगढ़ रोड, करनाल– 132 001, इसके अतिरिक्त यहाँ भी हो सकता है : एससीओ 156, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 7, करनाल– 132001, जिसके प्रतिनिधि इसके निदेशक हैं : (1) श्री पवन गोयल पुत्र श्याम लाल गोयल, निवासी : मकान नंबर 637, पहली मंजिल, सेक्टर–7, करनाल– 132001 तथा (2) श्री श्याम लाल गोयल पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास, निवासी : मकान नंबर 637, पहली मंजिल, सेक्टर–7, करनाल– 132001, तथा गारंटर श्री शीश पाल पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास, मकान नंबर 3613, अनाज मंडी, निसिंग, जिला करनाल। कुल बकाया देयराशि : तिथि 31.05.2026 के अनुसार **रु. 54,55,006.94 (रुपये चौवन लाख पचपन हजार छह और चौरानवे पैसे मात्र)** है, जिस पर आगे का ब्याज, लागत, अन्य प्रभार तथा खर्च देय होंगे।

बंधक परिसंपत्तियां : क्रम संख्या 1 कमर्शियल दुकान नंबर 94, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड ग्रेन डंतामज, निसिंग, तहसील निसिंग, जिला करनाल– 132001 तथा चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर : दुकान नंबर 94 का हिस्सा, दक्षिण : श्री लच्छी राम की दुकान, **पूर्व :** शीश पाल की संपत्ति, **पश्चिम :** सड़क
आरक्षित मूल्य: रु. 21,50,000.00 **ईएमडी:** रु. 2,15,000.00

क्रम संख्या 2 अनाज मंडी के पीछे मकान, निसिंग, तहसील निसिंग और जिला करनाल (खेवट संख्या 174, खतौनी संख्या 235, खसरा संख्या 185/10/2 (6–0) के भाग 5/240 यानी 2.5 मरला के अंतर्गत सम्मिलित भूमि) तथा चौहद्दी इस प्रकार है :– उत्तर : अन्यों का मकान, दक्षिण : श्री लच्छी राम का मकान, पूर्व : सड़क, पश्चिम : दुकान
आरक्षित मूल्य : रु. 17,50,000.00 **ईएमडी :** रु. 1,75,000.00

परिसंपत्ति का निरीक्षण	03–06–2026 से 23–06–2026 तक 11.00 से 05.00 बजे के मध्य
ऑनलाइन निविदा एवं आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	**तिथि : 24–06–2026** **समय : 5 बजे तक**
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	ई–नीलामी, पोर्टल के माध्यम से, जब तक विक्रय संपन्न नहीं हो जाता तब तक, 25–06–2026 को 11.00 से 11.30 बजे के मध्य 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ होगी।
नोडल बैंक खाता नाम	दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, सेंट्रल ऑफिस इन फेवर ऑफ अबव अकाउंट्स **खाता संख्या:** 1101351000000973, **आईएफएससी कोड:** केवीबीएल0001101
संपर्क हेतु व्यक्ति तथा उनका दूरभाष नंबर	ऊपर वर्णित तथा अंकित अनुसार

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारे बैंक की/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **www.kvb.bank.in/Property** पर नीलामी के अंतर्गत तथा हमारी ई–नीलामी सेवा प्रदात्री मैसर्स 4क्लोजर के वेब पोर्टल **www.bankauctions.in** पर भी उपलब्ध कराये गये लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

पूर्व ऋणभार– शून्य (बैंक की जानकारी में लाया गया)

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) तथा नियम 6(2) के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक सूचना

ऋणकर्ता/ओं तथा गारंटर/रों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई–नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान कर दें। ऐसा करने में विफल रहने पर, अनुसूचीगत संपत्ति की नीलामी/विक्री कर दी जायेगी तथा शेष बकाया देयराशियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी।

दिनांक : 03–06–2026 — **कृते प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली — **दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, 75/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ (उ. प्र.) – 250004; फोन: 8477000776; ईमेल: sarmee@bankofbaroda.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार ऋणधारक/गारंटर/बंधककर्ता के लिये 15/30 दिन का सांविधिक विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना

"परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) और 9(1) के परंतुक देखें]"

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारक(कों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लिखित खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", और "वहां जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा ऋणधारक/बंधककर्ता/गारंटर/प्रतिभूत संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ऋणधारक/ गारंटर/बंधककर्ता का नाम और पता	अचल संपत्ति का विवरण	कुल बकाया	ई-नीलामी की तारीख/समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक)	संपत्ति के निरीक्षण की तारीख और समय
1	**मैसर्स एमटी कॉन्ट्रैक्टर:** निवासी: बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001; श्री तोहिद अहमद, पुत्र मोहम्मद रिजवान (प्रोप्राइटर), निवासी: बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001, श्री मुश्ताक अहमद, पुत्र मोहम्मद सद्दीक (गारंटर) निवासी: बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001, श्री रिजवान अहमद, पुत्र इस्लाम (गारंटर) निवासी: बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001	श्री मुश्ताक अहमद पुत्र मोहम्मद सद्दीक की आवासीय संपत्ति जो खसरा नं. 2713, मोहल्ला बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001, उत्तर प्रदेश में स्थित है, माप क्षेत्र 423.50 वर्ग गज। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: श्री दिलशेर का घर, उत्तर: 12' चौड़ी सड़क, पश्चिम: 15' चौड़ी सड़क, दक्षिण: मुकर्रम का घर। अधिभार यदि कोई हो- अज्ञात	रु. 42,84,218/- (बयालीस लाख चौरासी हजार दो सौ अठारह) 12.03.2024 तक और आगे का ब्याज, दंडात्मक ब्याज, कानूनी शुल्क और अन्य विविध खर्च दिनांक 01.01.2024 से प्रभावी	22.06.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	रु. 25,13,000/- / रु. 2,51,300/- / रु. 10,000/-	रचनात्मक कब्जा	10.06.2026 दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://bankofbaroda.bank.in/e-auction/ और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें/विजिट करें। साथ ही, संभावित बोलीदाता मोबाइल नंबर- 8477000776 पर अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 01.06.2026, स्थान: मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा – उत्तर दिल्ली, डीपी ब्लॉक, पहली मंजिल, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका रचनागत/भौतिक/सांकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) से बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिए, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि पर **"जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहां जो कुछ भी हैं"** आधार पर किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा, संबंधित संपत्तियों के समक्ष निम्न तालिका में अंकितानुसार होंगे।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों की अनुसूची

क्रं. सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणकर्ता/गारंटरों का नाम एवं पता, खाता	क) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / ख) मांग सूचना के अनुसार राशि / ग) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिग्रहण तिथि / घ) अधिग्रहण की प्रकृति (सांकेतिक/ भौतिक / रचनागत)	बंधककृत अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (संपत्ति(यों) के बंधककर्तागण)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभारों के विवरण
1.	**एआरएमबी -उत्तरी दिल्ली (829200)** **मैसर्स एस काग्रो सेल्स (मालिक-श्री सरज खान)** **श्रीमती शमा बानो (गारंटर)** 1. मकान संख्या 2093, पहली मंजिल, नरेला मंडी, दिल्ली–110040 2. मकान संख्या 22, खसरा संख्या 70, गांव कुरेनी, नरेला, दिल्ली–110040	ए) 02.11.2024 बी) 110.23 लाख रुपये + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक का अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। सी) 24.02.2025 डी) भौतिक कब्जा	कुरेनी गांव की पुरानी लाल डोरा आबादी (1908–09) उत्तरी दिल्ली जिले में स्थित खसरा संख्या 70 के 130 वर्ग गज के भूखंड पर स्थित भूमि और भवन, जो शमा बानो पत्नी सरज खान, निवासी गली संख्या 7बी, स्वतंत्र नगर, नरेला, दिल्ली–110040 की संपत्ति है, विक्रय पंजीकरण संख्या 3232, दिनांक 21.06.2013, क्षेत्रफल 130.00 वर्ग गज।	ए) रु.74.22 लाख बी) रु.7.43 लाख सी) रु.0.25 लाख	23.06.2026 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	शून्य ज्ञात नहीं
2.	**एआरएमबी-उत्तरी दिल्ली (829200)** 1. सुश्री प्रिया पत्नी मनीष कुमार पता–1. बी–131 गली नं–7, शिव मंदिर रोड, स्वरूप नगर, लिबासपुर, दिल्ली–42 2. संपत्ति नं–263, भूतल, पॉकेट–04, सेक्टर–22, रोहिणी–110086 3. संपत्ति नं. 147, प्रथम तल, पॉकेट–09, सेक्टर–22, रोहिणी–110086 4. मेसर्स ग्रेस इंडिया ट्रैवल (मालिक– सुश्री प्रिया पत्नी श्री मनीष कुमार) पता– बी–58/1, पुराना 58/1 भूतल, प्लॉट नं. बी–59, गली नं.–9, शिव मंदिर रोड, स्वरूप नगर, लिबासपुर, दिल्ली–110042	ए) 01.03.2025 बी) 20.49 लाख रुपये + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक का अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। सी) 07.05.2025 डी) भौतिक कब्जा	पॉकेट–4, सेक्टर–22 में स्थित मुक्त स्वामित्व वाली

SMFG Grihashakti

एस एम एफ जी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिस: 503 – 504, 5वीं फ्लोर, जी–ब्लॉक, इंस्पिरे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051.
रजिस्टर्ड ऑफिस: कॉमर्शल आईटी पार्क, टावर बी, प्रथम फ्लोर, नंबर 111, मार्उट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई – 600116, तमिलनाडू

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वाधिकृत) के साथ विधिवत पंजीकृत)] (इसमें आगे "एसएमएचएफसी" कही गई है) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एक मांग सूचना निम्नवर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें आप संबंधित कर्जदारों (नाम और पता नीचे वर्णित) से उक्त सूचना में वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। इसमें नीचे वर्णित कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार(रों) को और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उक्त कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार "एसएमएचएफसी" की यहां नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभारधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम/लेन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जे की तिथि
1.	लेन: 610640111261534 एवं 610639511462784 1. राहुल मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा 2. सोनी मिश्रा, पत्नी राजवीर लाला राम 3. पूजा मिश्रा, पुत्री अजय मिश्रा 4. रणजीत मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा	खाली सम्पत्ति प्लॉट–12ए, खसरा नंबर 1376 और 1373 का हिस्सा, प्लॉट क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट (यानी 139.405 वर्ग मी.) पारा वार्ड – आलम नगर, जिला लखनऊ उत्तर: अन्य का मकान, दक्षिण: रिंग रोड, पूर्व: अन्य का प्लॉट, पश्चिम: अन्य का प्लॉट	13.03.2026 रु. **89,22,516.87/-** (रुपये नवासी लाख बाईस हजार पाँच सौ सोलह और सत्तासी पैसे मात्र) दिनांक 11.03.2026 तक	**30.05.2026**

स्थान : लखनऊ, उत्तर प्रदेश
तिथि: 30.05.2026

हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी
एस एम एफ जी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कब्जा सूचना

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ('उक्त अधिनियम') के अंतर्गत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्जदारों, गारंटरों और बंधककर्ताओं से राशि चुकाने का आह्वान करते हुए एक मांग सूचना जारी की है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा उक्त राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा नीचे उल्लिखित तिथि को 'जहां है जैसा है और जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर ले लिया है।

कर्जदार और गारंटर का नाम तथा लैन	लैन नं./ट्रस्ट का नाम/बैंक का नाम	मांग सूचना	कब्जे की तिथि/ कब्जे का प्रकार
कर्जदार: श्री/श्रीमती दीपक कुमार भारद्वाज (कर्जदार) श्री/श्रीमती पुष्पा शर्मा (सह-कर्जदार)	14100005762/ अर्सिल-ट्रस्ट-2025-008/ पीरामल फाइनेंस	रु. 17,69,658.0/- (रुपये सत्रह लाख उनहत्तर हजार छह सौ अट्ठावन मात्र) दिनांक 30/09/2021 तक, साथ ही उक्त राशि पर दिनांक 01-10-2021 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, तथा साथ में आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस दिनांक:** 21/10/2021	28-05-2026/ सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग जिसका नंबर है: आवासीय मकान संपत्ति, मुख्य बाजार, वार्ड नंबर 6, माटा मेडिकल स्ट्रीट के पास, हाजी वाला कुआँ, माटा, सफीदों, जींद, हरियाणा -126112. उपरोक्त संपत्ति का स्वामित्व दीपक कुमार भारद्वाज के पास है। जिसे इसके बाद 'अचल संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।			
कर्जदार: श्री/श्रीमती परवीन कुमार (कर्जदार) श्री/श्रीमती महेंद्र सिंह (सह-कर्जदार) श्री/श्रीमती कुलदीप के (गारंटर)	14100005239/ अर्सिल-ट्रस्ट-2025-008/ पीरामल फाइनेंस	रु. 6,24,548.0/- (रुपये छह लाख चौबीस हजार पाँच सौ अड़तालीस मात्र) दिनांक 28/07/2019 तक, साथ ही उक्त राशि पर दिनांक 29-07-2019 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, तथा साथ में आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस दिनांक:** 30/07/2019	28-05-2026/ सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग जिसका नंबर है: असंध, जीवन कॉलेज के पास, वार्ड नंबर 1, खेवट नंबर 178, तहसील असंध, आवासीय मकान संपत्ति; करनाल, हरियाणा -132039. उपरोक्त संपत्ति का स्वामित्व परवीन कुमार के पास है। जिसे इसके बाद 'अचल संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।			
कर्जदार: श्री/श्रीमती अनिल कुमार (कर्जदार) श्री/श्रीमती कविता (सह-कर्जदार)	14100002391/ अर्सिल-ट्रस्ट-2025-008/ पीरामल फाइनेंस	रु. 6,73,015.0/- (रुपये छह लाख तिहत्तर हजार पंद्रह मात्र) दिनांक 15/12/2019 तक, साथ ही उक्त राशि पर दिनांक 16-12-2019 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, तथा साथ में आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस दिनांक:** 19/12/2019	28-05-2026/ सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग जिसका नंबर है: खेवट नंबर 2601, खतौनी नंबर 4092, खसरा नंबर 11281/1732, 11229/1731 (0-8) आदि, सीवरेज प्लांट के पीछे, करनाल, हरियाणा -132001. उपरोक्त संपत्ति का स्वामित्व अनिल कुमार के पास है। जिसे इसके बाद 'अचल संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।			
कर्जदार: श्री/श्रीमती मंजीत कुमार (कर्जदार) श्री/श्रीमती लजवंती देवी (सह-कर्जदार)	14100006461/ अर्सिल-ट्रस्ट-2025-008/ पीरामल फाइनेंस	रु. 11,81,489.0/- (रुपये ग्यारह लाख इक्यासी हजार चार सौ नवासी मात्र) दिनांक 31/01/2022 तक, साथ ही उक्त राशि पर दिनांक 01-02-2022 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, तथा साथ में आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस दिनांक:** 28/02/2022	28-05-2026/ सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग जिसका नंबर है: गोंदर, ओंगड़ रोड, खेवट नंबर 6, मुरब्बा, गाँव गोंदर, करनाल, हरियाणा -132024. उपरोक्त संपत्ति का स्वामित्व मंजीत कुमार के पास है। जिसे इसके बाद 'अचल संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।			
कर्जदार: श्री/श्रीमती प्रदीप सिंह (कर्जदार) श्री/श्रीमती हरविंदर सिंह (सह-कर्जदार)	14100002969/ अर्सिल-ट्रस्ट-2025-008/ पीरामल फाइनेंस	रु. 15,91,961.0/- (रुपये पंद्रह लाख इक्यानवे हजार नौ सौ इकसठ मात्र) दिनांक 31/03/2021 तक, साथ ही उक्त राशि पर दिनांक 01-04-2021 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, तथा साथ में आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस दिनांक:** 17/05/2021	28-05-2026/ सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग जिसका नंबर है: खेवट नंबर 145, जलवाना, गाँव- थरवा माजरा, करनाल, हरियाणा -132039. उपरोक्त संपत्ति का स्वामित्व प्रदीप सिंह के पास है। जिसे इसके बाद 'अचल संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।			
कर्जदार: श्री/श्रीमती सोहन लाल (कर्जदार) श्री/श्रीमती रजनी देवी (सह-कर्जदार)	14100004033/ अर्सिल-ट्रस्ट-2025-008/ पीरामल फाइनेंस	रु. 12,86,810.0/- (रुपये बारह लाख छियासी हजार आठ सौ दस मात्र) दिनांक 28/07/2019 तक, साथ ही उक्त राशि पर 29-07-2019 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, तथा इसके साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस दिनांक:** 30/07/2019	28-05-2026/ सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग जिसका नंबर है: मोहल्ला चाह जोड़ियां, जुंडला गेट के अंदर (पुराना शहर), जिला करनाल, वार्ड नंबर 10, करनाल -132001. उपरोक्त संपत्ति का स्वामित्व सोहन लाल के पास है। इसके बाद इसे 'अचल संपत्ति' कहा जाएगा।			
कर्जदार: श्री/श्रीमती अमृतपाल सिंह (कर्जदार) श्री/श्रीमती सुखविंदर कौर (सह-कर्जदार)	14100004937/ अर्सिल-ट्रस्ट-2025-008/ पीरामल फाइनेंस	रु. 17,21,313.0/- (रुपये सत्रह लाख इक्कीस हजार तीन सौ तेरह मात्र) दिनांक 31/01/2022 तक, साथ ही उक्त राशि पर 01-02-2022 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, तथा इसके साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस दिनांक:** 28/02/2022	28-05-2026/ सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग और हिस्सा जिसका क्रमांक वार्ड संख्या 01, वी पी ओ खेड़ा, इंद्री, गुरुद्वारा के निकट, करनाल, हरियाणा -132041 है। उपरोक्त संपत्ति का स्वामित्व अमृत पाल के पास है। इसके बाद इसे 'अचल संपत्ति' कहा जाएगा।			
कर्जदार: श्री/श्रीमती परवीन कुमार (कर्जदार) श्री/श्रीमती सुनीता देवी (सह-कर्जदार) श्री/श्रीमती नवीन कुमार (गारंटर)	14100004292/ अर्सिल-ट्रस्ट-2025-008/ पीरामल फाइनेंस	रु. 10,80,913.0/- (रुपये दस लाख अस्सी हजार नौ सौ तेरह मात्र) दिनांक 15/04/2019 तक, साथ ही उक्त राशि पर 16-04-2019 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, तथा इसके साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस दिनांक:** 23/04/2019	28-05-2026/ सांकेतिक कब्जा
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग और हिस्सा जिसका क्रमांक खेवट संख्या 45, खतौनी संख्या 68-78, अल्फा सिटी रोड, डेयरी बिल्डिंग, ग्राम टिकरी, अल्फा सिटी के निकट, करनाल -132001 है। उपरोक्त संपत्ति का स्वामित्व परवीन कुमार के पास है। इसके बाद इसे 'अचल संपत्ति' कहा जाएगा।			

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि आर्सिल के पास ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति का वैध कब्जा है और सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा लेनदेन/अलगाव के माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन ऊपर उल्लिखित राशि साथ ही उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ-साथ आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के लिए आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा।

उपर्युक्त अचल संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: हरियाणा
दिनांक: 03.06.2026

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil Premier ARC

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन: U65999MH2002PLC134884, **वेबसाइट:** www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028 **दूरभाष:** +91 2266581300
सम्पर्क पता: कार्यालय सं. 404, चौथा तल, अशोका एस्टेट, 24 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001, **दूरभाष** : 011-4177520

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: सं. 2री मंजिल, डी-59/103, डी-4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221010 ईमेल:auction@hindujahousingfinance.com
आरएलएम – ब्रजेश अवस्थी – 9873277495 * आरआरएम – गौरव दुबे – 9696658882 * सीएलएम –दुर्गेश सिंह – 8858455634

सांकेतिक कब्जा सूचना

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 3) के अंतर्गत हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर मांग सूचना जारी कर ऋणधारको (इसके बाद ऋणधारको और गारंटर को सामूहिक रूप से "ऋणधारको" कहा गया है) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की प्रत्येक खाते के सामने दर्शाई गई तिथियों को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा संविदात्मक दर पर ब्याज और आकस्मिक खर्चों, लागतों, शुल्कों, आदि के लिए **हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

क्रम सं.	एलएएन सं.,ऋणधारकों/ जमानतदारों के नाम और पता	मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि	बकाया राशि
1.	UP/GKP/GORA/AO00000804, श्री साहेब हुसैन,पुत्रः फत्ते अली, निवासीः अराजी नं./प्लॉट नं. 583 क, 582 क, 586 क, स्थितः मौजा मोहीउद्दीनपुर, टप्पा ऊन, परगना मघहर, तहसील खलीलाबाद, जिला संतकबीर नगर झ 272175; अन्य पताः अराजी नं. 455, मौजा जंगल नकहा नं. 2, टप्पा हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर कस्बा परगना।; श्रीमती सरिफुन निशा, पत्नीः साहेब हुसैन, श्री फत्ते अली, पुत्रः जाफर अली, सभी निवासीः अराजी नंबर/प्लॉट नं. 583 क, 582 क, 586 क, मौजा मोहीउद्दीनपुर,टप्पा ऊन, परगना मघहर, तहसील खलीलाबाद, जिला संतकबीर नगर – 272175 **संपत्ति का विवरण:** अराजी नं. / प्लॉट नं. 583 क, 582 क, 586 क, जो कि मौजा मोहीउद्दीनपुर, टप्पा ऊन, परगना मघहर, तहसील खलीलाबाद, जिला संतकबीर नगर - 272175 में स्थित है। एसआरओः खलीलाबाद, संतकबीरनगर।; कुल क्षेत्रफलः 97.58 वर्ग मी.; चौहद्दीः उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः रबिया खातून की भूमि, पूर्वः 12 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, पश्चिमः नैमुन निशा की भूमि	12/02/26 29-05-2026 (सांकेतिक)	रु. 10,36,808/- (रुपये दस लाख छत्तीस हजार आठ सौ आठ मात्र) 12-02-2026 तक, साथ आगे का ब्याज
	UP/GKP/GORA/A000000318: श्रीमती चंद्रकला पांडे, पत्नीः प्रवीण चंद्र पांडे, श्री प्रियंक पांडे, पुत्रः प्रवीण चंद्र पांडे, **श्री प्रवीण चंद्र पांडे,** पुत्रः नरेंद्र पांडे; पताः 317 ए, हड़हवा फाटक रोड, एल्युमिनियम फैक्ट्री के पास, श्याम नगर प्राइवेट कॉलोनी, वशारतपुर, गोरखपुर – 273004 संपत्ति का विवरण : अराजी नंबर 455, मौजा जंगल नकहा नंबर 2, टप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर। उप-निबंधक कार्यालय (Sub Registry) और जिलाः गोरखपुर, कुल क्षेत्रफलः 78.669 वर्ग मी.,चौहद्दीः पूर्वः संध्या श्रीवास्तव की भूमि, पश्चिमः 25 फीट का रास्ता, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि	12/02/26 28-05-2026 (सांकेतिक)	रु. 23,03,362/- (रुपये तेईस लाख तीन हजार तीन सौ बासठ मात्र) 12-02-2026 तक, साथ ही इस पर आगे का ब्याज

दिनांक: 01-06-2026
स्थान: वाराणसी

प्राधिकृत अधिकारी,
हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
Aditya Birla Capital Limited
पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266
कॉर्पोरेट ऑफिस: आर–टेक पार्क, 10वीं मंजिल, निलॉन कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के पास, गोरेगांव ईस्ट – मुंबई – 400063

तिथि: 03.06.2026

सेवा में,
अनुज यादव,
रोड नंबर 07, सिद्धार्थ नगर, इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश 243122
ई–मेल आईडी – anujyadav@48859gmail.com
कृपया ध्यान दें: अनुज यादव
विषय: आपके ऋण खाते को धोखाधड़ी पूर्ण घोषित/वर्गीकृत करने पर संबंधी अंतिम आदेश
संदर्भ: ऋण खाता नं. LXN-D06822-231964360
प्रिय महोदय
महोदय,

यह सूचना ऋण से संबंधित है, जिसका खाता संख्या LXN-D06822-231964360 जिसे आपने 05.01.2023 को आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड ("एबीएफएल"), जिसे अब आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड ("एबीसीएल") कहते है, से लिया था।

यह हमारे आंतरिक जोखिम मूल्यांकन के क्रम में है, जिसके आधार पर, आपको दो स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् इंडियन एक्सप्रेस + जनसत्ता (बरेली और अमेठी) पेपर में प्रकाशन के माध्यम से दिनांक 25.04.2026 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि एबीसीएल के साथ पंजीकृत आपके अंतिम ज्ञात पते पर यह उपलब्ध नहीं था। नोटिस आपको इस प्रकार विधिवत भेजा गया है कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 21 दिनों का पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में, कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित तथ्य निर्विवाद हैं और यह माना जाता है कि आपके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है।

हमारे द्वारा किए गए जोखिम मूल्यांकन के साथ–साथ संलग्न साक्ष्य(ओं) का गहन अवलोकन करने तथा कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में आपके द्वारा वैध स्पष्टीकरण देने में आपकी विफलता के आधार पर, हम आपके उक्त ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित/वर्गीकृत करने के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिसमें आपकी संलिप्तता भी साबित हो गई है। हमने गहन जांच और प्रासंगिक तथ्यों/परिस्थितियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आपने एबीसीएल से ऋण प्राप्त करते समय एक जाली पैन कार्ड संख्या **AAAPY3450C** प्रस्तुत किया था। उक्त पैन कार्ड पर लगी तस्वीर फर्जी है इसके अलावा, आपके द्वारा प्रस्तुत संपर्क विवरण, जन्मतिथि और निवास पता भी पैन कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी के पास उपलब्ध उक्त पैन कार्ड नंबर से जुड़े विवरण से मेल नहीं खाते हैं। यह स्पष्ट है कि आपने दुर्भावनापूर्ण इरादे से एबीसीएल से उक्त ऋण सुविधा का लाभ उठाते समय एक मनगढ़ंत पैन कार्ड जमा किया था, जो दस्तावेजों की जालसाजी, जानकारी की गलत बयानी और भ्रामक जानकारी जमा करने के बराबर है। आपकी ओर से पाई गई ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियाँ न केवल ऋण समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन हैं, बल्कि संभावित रूप से वित्तीय लेनदेन के संबंध में लागू कानूनों और विनियमों का भी उल्लंघन करती हैं।

इन गंभीर उल्लंघनों के मद्देनजर, हम आपके उल्लिखित ऋण खाते को तत्काल प्रभाव से धोखाधड़ीपूर्ण घोषित करने के लिए बाध्य हैं। यह निर्णय हमारे वित्तीय संस्थान को संभावित नुकसान से बचाने और हमारी ऋण देने की प्रथाओं की अखंडता बनाए रखने के लिए लिया गया है। इसके अलावा, हमारा यह निर्णय केवल ऐसी घोषणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कार्रवाइयों तक भी विस्तारित होगा, जिसमें नियामक और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (लीज) को रिपोर्ट करना और एबीसीएल द्वारा उचित और उचित समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई शामिल है।

आपके उक्त खाते के बंद होने के परिणामस्वरूप, आपसे अनुरोध है कि आप बकाया राशि का पूरा भुगतान, जिसमें अर्जित ब्याज, शुल्क और दंड शामिल हैं, पंद्रह दिनों के भीतर करें। इस पुनर्भुगतान मांग का पालन न करने पर आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें वसूली कार्यवाही शुरू करना, क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करना और संभावित आपराधिक आरोप लगाना शामिल हो सकता है। पूर्ण चुकौती प्राप्त होने के बाद, आपका ऋण खाता अंततः बंद कर दिया जाएगा, और आपको बंद होने की पुष्टि जारी कर दी जाएगी।

सादर
कृते आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सार्वजनिक सूचना

दिनांक : 01.06.2026

आम जनता और विशेष रूप से **श्री प्रदीप कुमार (ऋणकर्ता)** और **श्री ओरौनी कुमार (सह–ऋणकर्ता)** को सूचित किया जाता है कि उन्होंने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड) से **ऋण खाता संख्या HL0045/HKNH00001016 के अंतर्गत 5,13,000/– रुपये का आवास ऋण लिया था। यह ऋण कानपुर नगर के चंदारी स्थित अराजी संख्या 966 के एक भाग पर निर्मित परिसर संख्या 334, ओम पुरवा, कानपुर में स्थित 150.03 वर्ग मीटर** ("सुरक्षित संपत्ति") पर बंधक बनाकर लिया गया था।

ऋणकर्ता और सह–ऋणकर्ता ने ऋण के पुनर्भुगतान में लगातार चूक की,जिसके **परिणामस्वरूप 01.04.2018** को खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद, **29.09.2021** के एक असाइनमेंट समझौते के तहत, उक्त ऋण खाता, सभी अंतर्निहित प्रतिभूतियों, अधिकारों, स्वामित्व, हितों और उपायों सहित, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईआरसी) के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया गया, जो एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत वैध सुरक्षित लेनदार बन गया।

इसके बाद, ईआरसी ने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया और ऋणकर्ताओं द्वारा अपनी देनदारी का निर्वहन करने में विफल रहने पर, **07.08.2023** को धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया। इसके बाद, सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2025 और 02.04.2026 के आदेशों के माध्यम से सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत गिरवी रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के लिए कार्यवाही शुरू की गई और उसे मंजूरी दी गई।

कब्जे की कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि श्री हिरेंद्र बाजपेयी एक तीसरे पक्ष के माध्यम से गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा/हित का दावा कर रहे थे और उन्होंने बकाया राशि का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की थी। आज की तारीख में, **17,34,344.85 रुपये** की राशि, ब्याज, लागत और शुल्क सहित, बकाया है।

तदनुसार, यह सार्वजनिक सूचना उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता, उनके कानूनी वारिसों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर ऋण खाते का निपटान करने और बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम अवसर प्रदान करती है।

यदि ऐसा समझौता नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने सुरक्षित परिसंपत्ति में अपने सभी अधिकार, दावे और हित त्याग दिए हैं, और ईआरसी को तृतीय–पक्ष अधिकार सृजित करने, आवश्यक एनओसी/गैर–ग्रहणाधिकार प्रमाणपत्र जारी करने, सुरक्षित परिसंपत्ति का निपटान करने, हस्तांतरण करने, सौंपने, विनिवेश करने या किसी अन्य प्रकार से उससे संबंधित किसी भी तृतीय पक्ष के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। सुरक्षित परिसंपत्ति पर किसी भी अधिकार, स्वामित्व, हित या प्रभार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को उक्त अवधि के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ ऐसा दावा प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा ऐसे दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिकृत अधिकारी
एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईआरसी)
(एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित लेनदार)

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
Aditya Birla Capital Limited
पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266
कॉर्पोरेट ऑफिस: आर–टेक पार्क, 10वीं मंजिल, निलॉन कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के पास, गोरेगांव ईस्ट – मुंबई – 400063

तिथि: 03.06.2026

सेवा में,
शैलेश,
लालशाह अमेठी, भादर, अमेठी, उत्तर प्रदेश – 227406
ई–मेल आईडी – shaileshv11099@gmail.com
कृपया ध्यान दें: शैलेश
विषय: आपके ऋण खाते को धोखाधड़ी पूर्ण घोषित/वर्गीकृत करने पर संबंधी अंतिम आदेश
संदर्भ: ऋण खाता नं. LXW-M06822-232002935
प्रिय महोदय
महोदय,

यह सूचना ऋण से संबंधित है, जिसका खाता संख्या LXW-M06822-232002935 जिसे आपने 12.01.2023 को आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड ("एबीएफएल"), जिसे अब आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड ("एबीसीएल") कहते है, से लिया था।

यह हमारे आंतरिक जोखिम मूल्यांकन के क्रम में है, जिसके आधार पर, आपको दो स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् इंडियन एक्सप्रेस + जनसत्ता (बरेली और अमेठी) पेपर में प्रकाशन के माध्यम से दिनांक 25.04.2026 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि एबीसीएल के साथ पंजीकृत आपके अंतिम ज्ञात पते पर यह उपलब्ध नहीं था। नोटिस आपको इस प्रकार विधिवत भेजा गया है कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 21 दिनों का पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में, कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित तथ्य निर्विवा

INDIAN EXPRESS GROUP

THE LATEST TRENDS IN BUSINESS

THE LATEST TRENDS IN TRENDS

FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQURE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INTIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF BSE ("BSE SME") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED

Please scan this QR code to view the RHP.

UHM VACATION LIMITED

(Formerly known as UHM Vacation Private Limited)

Our Company was incorporated as "UHM Vacation Private Limited" as per the provision of Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 17, 2009 issued by the Deputy Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company was then converted into a public limited company, pursuant to a shareholder's resolution passed at the general meeting of our Company held on June 24, 2024, and consequently, the name of our Company was changed to 'UHM Vacation Limited', and a fresh certificate of incorporation dated July 31, 2024, was issued by the ROC, Central Processing Centre bearing CIN: U55101MH2009PLC190976. For details of incorporation, change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled "General Information" and "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 66 and 186 respectively of this Red Herring Prospectus.

Registered office: C 715, Dattani Plaza, Near E W Ind Est, Safed Pool, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai- 400072, Maharashtra, India
Tel: 022 46079484; **E-mail:** cs@uhmvacation.com ; **Website:** www.uhmvacation.com/ **Contact Person:** Sanchita Dad, Company Secretary and Compliance Officer, **Corporate Identification Number:** U55101MH2009PLC190976

PROMOTERS OF THE COMPANY: IZHAR AHMAD AND RUBEENA KHATOON I AHMED

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 21,69,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF UHM VACATION LIMITED ("COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 17,49,600 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 4,20,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (THE "OFFERED SHARES") COMPRISING UP TO 4,20,000 EQUITY SHARES BY IZHAR AHMAD AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (THE "SELLING SHAREHOLDER" AND SUCH OFFER, THE "OFFER FOR SALE") (THE "OFFER FOR SALE" AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER") OF WHICH [●] EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER, LESS MARKET MAKER RESERVATION, I.E. NET OFFER [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 32.65% AND 30.98% RESPECTIVELY OF THE FULLY-DILUTED POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH.

PRICE BAND: ₹ 157/- TO ₹ 166/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH.
THE FLOOR PRICE IS 15.7 TIMES THE FACE VALUE AND CAP PRICE IS 16.6 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL 2025.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 2 LOTS AND IN MULTIPLES OF 1600 EQUITY SHARES THEREAFTER.

BID/ ISSUE OPENS ON**	**THURSDAY, JUNE 04, 2026**
BID/ ISSUE CLOSES ON**	**MONDAY, JUNE 08, 2026**

** Our Company may, in consultation with the BRLM, consider participation by the Anchor Investor Bid/ issue period shall be one working day prior to the Bid/ issue opening date in accordance with SEBI ICDR Regulations, 2018.*

***UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/issue Closing Date.*

ATTENTION INVESTORS- CORRIGENDUM TO THE OFFER DOCUMENT

Attention of investors in furtherance to the disclosure made in the Red Herring Prospectus under the chapter **"ISSUE STRUCTURE"** it is clarified as under:

EARLIER DISCLOSED AS:

Particulars(2)	QIB's (1)	Non–Institutional Bidders	Individual Investors / Bidders	Market Maker
Number of Equity Shares*	Not more than 24,000 Equity Shares.	Not less than 10,08,000 Equity Shares.	Not less than 10,27,200 Equity Shares.	Up to 1,10,400 Equity Shares.
Percentage of Offer Size Available for allocation	Not more than 2.00% of the Net Issue size shall be available for allocation to QIBs. However, up to 5.00% of Net QIB Portion will be available for allocation proportionately to Mutual Fund only. The unsubscribed portion in the Mutual Fund Portion will be added to the QIB Portion.	Not less than 49.00% of the Net Issue subject to the following; (a) one- third of the portion available to Non- Institutional Bidders shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 2 lakhs and up to ₹ 10 lakhs; and (b) two-third of the portion available to Non-Institutional Bidders shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 10 lakhs provided that the unsubscribed portion in either of the sub categories specified above may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non Institutional Bidders	Not less than 49.00% of the Net Issue size.	5.09% of the Offer size.

REVISED AND TO BE READ AS:

Particulars(2)	QIB's (1)	Non–Institutional Bidders	Individual Investors / Bidders	Market Maker
Number of Equity Shares*	Not more than 19,200 Equity Shares.	Not less than 10,08,000 Equity Shares.	Not less than 10,32,000 Equity Shares.	Up to 1,10,400 Equity Shares.
Percentage of Offer Size Available for allocation	Not more than 0.93% of the Net Issue size shall be available for allocation to QIBs. However, up to 5.00% of Net QIB Portion will be available for allocation proportionately to Mutual Fund only. The unsubscribed portion in the Mutual Fund Portion will be added to the QIB Portion.	Not less than 48.95% of the Net Issue subject to the following; (a) one- third of the portion available to Non- Institutional Bidders shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 2 lakhs and up to ₹ 10 lakhs; and (b) two-third of the portion available to Non-Institutional Bidders shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 10 lakhs provided that the unsubscribed portion in either of the sub categories specified above may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non Institutional Bidders	Not less than 50.12% of the Net Issue size.	5.09% of the Offer size.

Furtherance to the disclosure made in the Red Herring Prospectus under the chapter ***"THE OFFER"*** it is clarified as under:

EARLIER DISCLOSED AS:

A. QIB Portion(3)(4)	Not more than 24,000 Equity Shares
Of which:	
i. Anchor Investor Portion	NIL
ii. Net QIB Portion (assuming the Anchor Investor Portion is fully subscribed)	NA
of which	
(a) Available for allocation to Mutual Funds only (5% of the Net QIB Portion)	Up to 1,200 Equity Shares having face value of ₹10 each at a price of ₹ [●] per Equity Share (including a share premium of ₹ [●] per Equity share) aggregating ₹ [●]
(b) Balance of QIB Portion for all QIBs including Mutual Funds	Up to 22,800 Equity Shares having face value of ₹10 each at a price of ₹ [●] per Equity Share (including a share premium of ₹ [●] per Equity share) aggregating ₹ [●]
B. Non-Institutional Portion	Not less than [●] Equity Shares of ₹ 10 each for cash at a price of ₹ [●] (including a Share premium of ₹[●] per Equity Share) per share aggregating to ₹ [●] Lakhs
of which	
(a) One-third of the portion available to NIBs shall be reserved for applicants with an application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹ 10 lakhs	Up to 10,08,000 Equity Shares having face value of ₹10 each at a price of ₹ [●] per Equity Share (including a share premium of ₹ [●] per Equity share) aggregating ₹ [●]
(b) Two-third of the portion available to NIBs shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 10 lakhs	Up to 10,27,000 Equity Shares having face value of ₹10 each at a price of ₹ [●] per Equity Share (including a share premium of ₹ [●] per Equity share) aggregating ₹ [●]
C. Individual Investor Portion	Not less than 10,27,200 Equity Shares of ₹ 10 each for cash at a price of ₹ [●] (including a Share premium of ₹ [●] per Equity Share) per share aggregating to ₹ [●] Lakhs

REVISED AND TO BE READ AS:

A. QIB Portion(3)(4)	Not more than 19,200 Equity Shares
Of which:	
i. Anchor Investor Portion	NIL
ii. Net QIB Portion (assuming the Anchor Investor Portion is fully subscribed)	NA
of which	
(a) Available for allocation to Mutual Funds only (5% of the Net QIB Portion)	Up to 800 Equity Shares having face value of ₹10 each at a price of ₹ [●] per Equity Share (including a share premium of ₹ [●] per Equity share) aggregating ₹ [●]
(b) Balance of QIB Portion for all QIBs including Mutual Funds	Up to 18,400 Equity Shares having face value of ₹10 each at a price of ₹ [●] per Equity Share (including a share premium of ₹ [●] per Equity share) aggregating ₹ [●]
B. Non-Institutional Portion	Not less than 10,08,000 Equity Shares of ₹ 10 each for cash at a price of ₹ [●] (including a Share premium of ₹[●] per Equity Share) per share aggregating to ₹ [●] Lakhs
of which	
(a) One-third of the portion available to NIBs shall be reserved for applicants with an application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹ 10 lakhs	Up to 3,36,000 Equity Shares having face value of ₹10 each at a price of ₹ [●] per Equity Share (including a share premium of ₹ [●] per Equity share) aggregating ₹ [●]
(b) Two-third of the portion available to NIBs shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 10 lakhs	Up to 6,72,000 Equity Shares having face value of ₹10 each at a price of ₹ [●] per Equity Share (including a share premium of ₹ [●] per Equity share) aggregating ₹ [●]
C. Individual Investor Portion	Not less than 10,32,000 Equity Shares of ₹ 10 each for cash at a price of ₹ [●] (including a Share premium of ₹ [●] per Equity Share) per share aggregating to ₹ [●] Lakhs

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
SOBHAGYA CAPITAL OPTIONS PVT. LTD.	MUFG	**Ms. Sanchita Dad** **Address:** C 715, Dattani Plaza, Near E W Ind Est, Safed Pool, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai- 400072, Maharashtra, India. **Tel. No.:** 022 46079484 **E-mail:** cs@uhmvacation.com; **Website:** www.uhmvacation.com/
SOBHAGYA CAPITAL OPTIONS PRIVATE LIMITED **Address:** C-7 & 7A, Gate No. 01, Hosiery Complex, Phase-II Extension NOIDA - 201 305 **Tel. No.:** +91 9920379029/ 7836066001 **Email:** cs@sobhagyacap.com **Investor Grievance Email:** delhi@sobhagyacap.com **Website:** www.sobhagyacapital.com **Contact Person:** Mrs. Menka Jha /Mr. Rishabh Singhvi **SEBI Registration No.:** MB/INM000008571	**MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** C-101, 247 Park, 1st Floor L.B.S Marg, Vikhroli West Mumbai-400083, Maharashtra, India Tel No.: +91 8108114949 Facsimile: +91 22 49186060 **Email:** uhmvacation.ipo@in.mpms.mufg.com **Investor grievance E-mail:** uhmvacation.ipo@in.mpms.mufg.com **Contact Person: Shanti Gopalkrishnan** **Website:** www.in.mpms.mufg.com **SEBI Registration Number:** INR000004058 **CIN:** U67190MH1999PTC118368	*Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Managers or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.*

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Managers to the Issue at www.sobhagyacapital.com, website of company at www.uhmvacation.com/ and website of stock exchange at https://www.bsesme.com.

AVAILABILITY OF ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the Abridged Prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and BSE at www.uhmvacation.com/, www.sobhagyacapital.com and https://www.bsesme.com.

SYNDICATE MEMBER: NA **SUB-SYNDICATE MEMBER:** N.A.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the **Company:** UHM Vacation Limited (Reg. office: C 715, Dattani Plaza, Near E W Ind Est, Safed Pool, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai- 400072, Maharashtra, India) (Mobile**:** +91 05224026070), **Book Running Lead Managers**: Sobhagya Capital Options Private Limited (Telephone**:** 022 46079484) Bid-cum-application Forms will also be available on the website of **BSE** (https://www.bsesme.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.
BANKER TO THE ISSUE, ESCROW COLLECTION BANK AND REFUND BANK: Kotak Mahindra Bank Limited
SPONSOR BANKER: Kotak Mahindra Bank Limited
UPI: UPI Bidders can also bid through UPI mechanism
Investor should read the Red Herring Prospectus carefully, including the "Risk Factors" beginning on page 24 of the Red Herring Prospectus before making any investment decision.
All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as prescribed to them in the Red Herring Prospectus.

For UHM VACATION LIMITED
On Behalf of the Board of Directors

Sd/-
Ms. Sanchita Dad
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place: Mumbai, Maharashtra
Date: June 02, 2026

UHM Vacation Limited, is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with Registrar of Companies, Mumbai on March 27, 2026, website of lead managers to the Issue at www.sobhagyacapital.com, website of company at www.uhmvacation.com/ and website of BSE i.e. https://www.bsesme.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 28 of the Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

शाखा: पिलखुवा, हापुड़
ई-मेल: cb18559@canarabank.com

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिए) नियम 13(4) के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक, पिलखुवा, हापुड़ शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.03.2026 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें शान एग्रीकल्चरल स्टोर, प्रो. सलीम सैफी, मोहल्ला सद्दीकपुरा कृष्णगंज, पिलखुवा देहात जिला हापुड़, उ.प्र. 245304, मोबाइल नं. 8077394450, सलीम सैफी, मोहल्ला सद्दीकपुरा कृष्णगंज, पिलखुवा देहात जिला हापुड़, उ.प्र. 245304, मोबाइल नं. 8077394450, जमानतकर्ता: श्रीमती यासमीन पत्नी जफरुद्दीन कृष्ण गंज, पिलखुवा, देहात जिला हापुड़, उ.प्र. 245304 को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर धनराशि रु.- 12,31,093.55 (रुपये बारह लाख इक्कतिस हजार तिरानवे और पचपन पैसा केवल), (खाता नं. 125004499257) तथा ब्याज व अन्य खर्चा आदि को अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी/गारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 02 जून 2026 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी/गारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी सौदा रूपये की राशि के लिए केनरा बैंक, पिलखुवा, हापुड़, शाखा के प्रभार धनराशि रु.- 12,71,330.55 (रूपये बारह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ तीस और पचपन पैसा केवल) दिनांक 02.06.2026 तक तथा ब्याज व अन्य खर्चा आदि को अदा करने को कहा गया था।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय मकान, जिसका क्षेत्रफल 71.38 वर्ग यार्डस (59.70 वर्ग मीटर), प्लॉट नं. 20 के हिस्से और खसरा नं. 65 के भाग पर स्थित है, मोहल्ला प्रहलाद नगर, नौशार रोड, पिलखुवा में स्थित है, जो अब नगरपालिका सीमा पिलखुवा के अंतर्गत, नगरपालिका नं. 1033/3, मोहल्ला कृष्ण गंज सद्दीक पुरा पिलखुवा परगना डासना तहसील धौलाना, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, मालिक श्रीमती यास्मीन पत्नी जफरुद्दीन, चौहद्दी: उत्तर: अनीसा का प्लॉट, दक्षिण: सड़क 14 फीट चौड़ी, पूर्व: प्लॉट नंबर 19 का भाग, पश्चिम: सड़क 20 फीट चौड़ी।

Cersai ID: 400074235301.

दिनांक: 02.06.2026 स्थान: पिलखुवा प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Bank of Baroda

तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा दिल्ली
चौथी मंजिल, राजेन्द्र भवन,
राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 मो .8126428006
ई-मेल: SAMDEL@bankofbaroda.com

सार्वजनिक नीलामी सूचना

चल संपत्तियों की नीलामी सूचना

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सार्फेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कब्जा ली गई संपत्ति:
प्लॉट नं. बी–69, ब्लॉक–बी, सेक्टर–57, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.
पर पाई गई चल संपत्तियों को सीलबंद निविदा द्वारा बेचा जाना प्रस्तावित है।

ऋण खाता :–
मैसर्स नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड
कॉर्पोरेट गारंटर: मैसर्स सुभाग वीडियो कॉर्पोरेशन (प्रोप्राइटर: श्री रुर मल इलम चंद)
बार–बार संपर्क करने और पहले समाचार पत्रों (स्थानीय भाषा सहित) में प्रकाशन के बावजूद, उक्त चल संपत्तियों पर दावा करने के लिए कोई भी वास्तविक दावेदार वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है। बैंक को स्थानांतरण, भंडारण और सुरक्षा पर काफी खर्च करना पड़ा है।
चल संपत्तियों (प्लांट एवं मशीनरी के अवशेष, डीजी सेट, सोलर सिस्टम प्रणाली, औद्योगिक उपकरण, रैक, कार्यालय फर्नीचर, औजार आदि) को "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है" और "जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर बेची जाएगी।
आरक्षित मूल्य: ₹10,00,000/–
ईएमडी: ₹1,00,000/– (बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में नई दिल्ली में देय विलेख)
मोड: सीलबंद कवर निविदा:
निविदा की अंतिम तिथि: 23 जून, 2026 सांय 5:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि: **24 जून, 2026**
संपत्ति निरीक्षण की तिथि: **17 जून, 2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक**
सामान कहाँ रखा है: ग्राम वेदपुरा, सदुल्लापुर रोड, कैनरा बैंक के पास, सेक्टर–12 गौतम बुद्ध नगर,
"चल संपत्तियों के लिए बोली – नोएडा" अंकित सीलबंद बोलियाँ निम्नलिखित पते पर जमा करनी होंगी:
तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा
बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथी मंजिल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
विस्तृत नियम एवं शर्तें उपर्युक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं।
बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा, एसएएमबी, नई दिल्ली

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी54 और सी55, सुपर बी–4 तिरु वि का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600032 त.न.

ई–नीलामी बिक्री नोटिस (बिक्री केवल ई–बिडिंग के माध्यम से)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत जारी अचल सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री सूचना

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कॉलम (ए) में इंगित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां कॉलम (सी) में वर्णित है जो सुरक्षित लेनदार को गिरवी /प्रभारित की गई है जिसका रचनात्मक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा कॉलम (डी) में वर्णित अनुसार लिया गया है, नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा: – इसके द्वारा संबंधित उधारकर्ता(ओं) /बंधककर्ता(ओं) /कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(ओं), उत्तराधिकारी(ओं) और समनुदेशिती(ओं) को नोटिस दिया जाता है। जैसा कि मामला सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1) के तहत कॉलम (ए) में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी https://www.cholamandalam.com और www.auctionfocus.in पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं.	[A] ऋण खाता सं. उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटरों के नाम	[B] वसूल की जाने वाली बकाया राशि (सुरक्षित ऋण)	[C] अचल/सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण	[D] कब्जे की स्थिति	[E & F] आरक्षित मूल्य(रु.) / जमा धरोहर राशि(रु.)	[G] नीलामी की तिथि एवं समय
1.	ऋण खाता. सं. : **HL09BLY000062698** 1. श्री/सुश्री हरदेश कुमार 2. श्री/सुश्री अंशू अंशू पता: पुत्र. रमेश पाल ए, 40, घिलौरा, मिलक माजरा, बलिया, बरेली, प्राइमरी स्कूल के पास, बरेली – 243402 और: मकान जोकि प्रगति नगर करगैना, बदायूँ रोड, जिला बरेली, संजय टिम्बर्स के पास, बरेली – 243004।	रु. **20,46,468/-** (रु. बीस लाख छियालीस हजार चार सौ अड़सठ मात्र) दिनांक 24.09.2025 तक	आवासीय मकान क्षेत्रफल 62.71 वर्ग मी. गाटा संख्या 829 का भाग करगैना, तहसील एवं जिला बरेली, उत्तर प्रदेश पूर्व: राजेंद्र कुमार का प्लॉट, पश्चिम: रास्ता, उसके बाद इंद्र मोहन सक्सेना का मकान, उत्तर: रोली पाठक का मकान, दक्षिण: सरिता मिश्रा का मकान	रचनात्मक कब्जा	रु. **24,60,000/-** (रु. चौबीस लाख साठ हजार मात्र) रु. **2,46,000/-** (रु. दो लाख छियालीस हजार मात्र)	**13.07.2026** अपा. 02.00 बजे से अपा. 04.00 बजे तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनट के स्वचालित विस्तार के साथ)
2.	ऋण खाता. सं. : **HL24BLY000159500** 1. श्री/सुश्री विजेन्द्र सिंह 2. श्री/सुश्री रेखा देवी पता: एलआईसी कॉलोनी, बीएल अकादमी पब्लिक स्कूल, मुंशी नगर, संभव अस्पताल के पास, बरेली – 243122 और: खसरा नंबर 313 मि गढ़ी हनुमान मंदिर संपत्ति मढ़ीनाथ रोड बेनीपुर चौधरी बरेली, बेनीपुर चौधरी, बरेली, बरेली, यूपी – 243003	रु. **21,48,261/-** (रु. इक्कीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ इकसठ मात्र) दिनांक 14.11.2025 तक	आवासीय मकान क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मी. खसरा संख्या 313मि का भाग ग्राम बेनीपुर चौधरी, तहसील एवं जिला बरेली, उत्तर प्रदेश पूर्व: शकुंतला देवी का मकान, पश्चिम: राम अवतार आदि का मकान, उत्तर: 12 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: उमराव सिंह का प्लॉट	रचनात्मक कब्जा	रु. **18,30,600/-** (रु. अट्ठारह लाख तीन हजार छह सौ मात्र) रु. **1,83,060/-** (रु. एक लाख तिरासी हजार साठ मात्र)	**13.07.2026** अपा. 02.00 बजे से अपा. 04.00 बजे तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में प्रत्येक 5 मिनट के स्वचालित विस्तार के साथ)
संपत्ति के निरीक्षण की तिथि: 10.07.2026 को पूर्वा. 11 बजे से अपा. 04 बजे तक				बोली वृद्धि राशि: रु. 10,000/–		
बोली /EMD/ भागीदारी हेतु अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 11.07.2026, सायं 05.00 बजे से पूर्व						

*ऋण समझौते के संदर्भ में लागू होने वाले ब्याज के साथ भुगतान और/या उसकी प्राप्ति की तारीख तक आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि

संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, या बोली दस्तावेज प्राप्त करने के लिए और किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारी श्री दया पाराशर संपर्क नं. 8218126004 और ईमेल: Dayaparashar@chola1.murugappa.com / श्री अमरदीप गौतम अपने मोबाइल नंबर +91 9258035557 और ईमेल उंत amardeepgautam@chola.murugappa.com पर सम्पर्क करें। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में कोई भार नहीं है

स्थान: बस्ती, यू.पी.
दिनांक: 02.06.2026

प्राधिकृत अधिकारी,
कृते चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, (वि0/यां0 विंग), यूनिट-द्वितीय, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

पत्रांक: 1021/कार्य-9/(26)/420
दिनांक 02.06.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

उ0 प्र0 जल निगम, की ओर से SITC of 200 MM dia D.I D/F Pipe line कार्यो हेतु निविदाओं की बिक्री दिनांक 03.06.2026 से 08.06.2026 तक कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/यॉ0, विंग), यूनिट-द्वितीय, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/ यॉ0, विंग), उत्तर प्रदेश जल निगम फ्लैट नं0-आर0-16 नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ से की जायेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1000.00 + 18% जी.एस.टी. (1000.00+180.00=1180.00) है। निविदा के कार्यो का विस्तृत विवरण जल निगम की वेवसाइट http://jn.upsdc.gov.in से अथवा सम्बधिंत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा सूचना:-
निविदा विक्रय की तिथि - 03.06.2026 से 08.06.2026 अपराह्न 01:00 बजे।
निविदा डालने की तिथि - 09.06.2026 अपराह्न 12:00 बजे।
निविदा खोलने की तिथि - 09.06.2026 अपराह्न 03:00 बजे।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, (वि0/यां0 विंग), यूनिट-द्वितीय, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

पत्रांक: 1020/कार्य-9/(26)/419
दिनांक 02.06.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

उ0 प्र0 जल निगम की ओर से Miscellaneous E/M Work for Cantonment board lucknow कार्यो हेतु निविदाओं की बिक्री दिनांक 03.06.2026 से 08.06.2026 तक कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/यॉ0, विंग), यूनिट-द्वितीय, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/यॉ0, विंग), उत्तर प्रदेश जल निगम फ्लैट नं0-आर0-16 नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ से की जायेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1000.00+18% जी.एस.टी. (1000.00+180.00=1180.00) है। निविदा के कार्यो का विस्तृत विवरण जल निगम की वेवसाइट http://jn.upsdc.gov.in से अथवा सम्बधिंत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा सूचना:-
निविदा विक्रय की तिथि - 03.06.2026 से 08.06.2026 अपराह्न 03:00 बजे।
निविदा डालने की तिथि - 09.06.2026 अपराह्न 01:00 बजे।
निविदा खोलने की तिथि - 09.06.2026 अपराह्न 03:00 बजे।

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS
FINANCIAL EXPRESS

HINDUJA HOUSING FINANCE

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015,
ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

परिशिष्ट IV-A (नियम 8 (6) का परंतुक देखें)

ब्रजेश अवस्थी - 9918301885, हरिश्चंद यादव - 7060411785, उमेश सिंह चौहान 9838202386

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को बंधक / प्रभारित है, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 27, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई – 600 032 और इसका एक शाखा कार्यालय दूसरी मंजिल, पदम बिजनेस पार्क, सेक्टर 12–ए, आवास विकास, आगरा, उत्तर प्रदेश – 282001 को उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तारीखों पर **"जैसा है जहां है", "जैसा है वह क्या है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

निरीक्षण की तिथि : 07.07.2026 - 14.00 बजे - 17.00 बजे । ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 08.07.2026 को 05.00 बजे
ई-नीलामी की तिथि/समय : 10.07.2026 - 11.00 बजे - 13.00 बजे । बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/-

	लेन/उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर	कुल बकाया तिथि तक 17.10.2025	आरक्षित मूल्य रु. 17,50,000/-
1	UP/LKN/AGRA/A000001811 1. श्री देवेन्द्र देवेन्द्र पुत्र श्री पप्पू 2. श्रीमती सकविंद्री सकविंद्री पत्नी श्री पप्पू निवासी नगला महसुख मार्ग खेरागढ़, नगला महासुख मार्ग खेरागढ़ आगरा, शहरी, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत – 283121	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि: 24-10-2025 और 4,85,189/-	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,75,000
		सांकेतिक कब्जे की तिथि: 20-01-2026	

संपत्ति का विवरण: एक प्लॉट खसरा नंबर 621 का हिस्से क्षेत्रफल 111.60 वर्ग मीटर रमेश वैभ कॉलोनी, कस्बा खेरागढ़, तहसील खेरागढ़ जिला, आगरा उप–रजिस्ट्री जिला – खेरागढ़, आगरा, उ.प्र. दिशा/सीमाएँ – उत्तर – विक्रेता की भूमि दक्षिण – रास्ता 20 फीट चौड़ा पूर्व – विक्रेता की भूमि पश्चिम – विक्रेता की भूमि

		कुल बकाया तिथि तक 17.10.2025	आरक्षित मूल्य रु. 25,78,000/-
2	UP/LKN/AGRA/A000001851. 1. श्री. लालता प्रसाद पुत्र– श्री मानिक चन्द 2. श्री रामकेश रामकेश पुत्र– श्री मानिक चन्द 3. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री माणिक चंद्र निवासी– 0 मोहम्मदपुर बायनेरिज पुर, टोटलपुर फिरोजाबाद चंदवार, सेमीअर्बन, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 283203	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि: 24-10-2025 और 12,43,185/-	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 2,57,800
		सांकेतिक कब्जे की तिथि: 19-01-2026	

संपत्ति का विवरण: एक प्लॉट खसरा नंबर 218 के हिस्से में है, जिसका क्षेत्रफल 1000 या 93.00 वर्ग मीटर मौजा मोहम्मदपुर बिहारीपुर, तहसील एवं जिला फिरोजाबाद, यूपी सब–रजिस्ट्रार जिला–सदर फिरोजाबाद, उ.प्र. दिशा/सीमाएँ उत्तर – त्रिभुवन की भूमि दक्षिण – पंचम सिंह की भूमि पूर्व – चकरोड 12 फीट चौड़ापश्चिम – मिश्रीलाल की भूमि

		कुल बकाया तिथि तक 05.11.2025	आरक्षित मूल्य रु. 22,26,000/-
3	UP/LKN/AGRA/A000001810. 1. श्री मोलू मोलू पुत्र श्री देवा राम 2. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री मोलू निवासी– नगला महासुख मार्ग खेरागढ़, नगला महासुख मार्ग खेरागढ़ आगरा, शहरी, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत – 283121	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि: 07-11-2025 और 9,45,650/-	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 2,22,600
		सांकेतिक कब्जे की तिथि: 20-01-2026	

संपत्ति का विवरण: एक प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 92.88 वर्ग मीटर सुंदर बस्ती, कस्बा खेरागढ़, तहसील खेरागढ़ जिला आगरा, यू.पी. दिशा/सीमाएँ पूर्व – विक्रेता का प्लॉट पश्चिम – रास्ता 15 फीट चौड़ा उत्तर – गुलाब अन्य की भूमि दक्षिण – विक्रेता की भूमि

		कुल बकाया तिथि तक 07.11.2025	आरक्षित मूल्य रु. 63,31,000/-
4	UP/LKN/AGRA/A000001234 1. ब्रजमोहन के राठौड़ पुत्र– श्री कालीचरण 2. श्रीमती राजकुमारी राठौड़ पत्नी– श्री कालीचरण निवासी– मकान नं. 5 करम भूमि एन्क्लेव मारुति सिटी रोड, शमसाबाद रोड आगरा उत्तर प्रदेश 282001	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि: 10-11-2025 और 27,26,183/-	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 6,33,100
		सांकेतिक कब्जे की तिथि: 20-01-2026	

संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 5 भाग, जिसका भूमि क्षेत्रफल 125 वर्ग गज अर्थात 104.51 वर्ग मीटर खसरा नंबर 24 का हिस्सा करम भूमि एन्क्लेव मौजा बरौली अहीर सदर तहसील और जिला आगरा दिशा/सीमाएँ : पूर्व – संपत्ति/प्लॉट संख्या 9 पश्चिम – सड़क (7.62 मीटर चौड़ी) उत्तर – संपत्ति/प्लॉट संख्या 4 दक्षिण – संपत्ति/प्लॉट संख्या 5

		कुल बकाया तिथि तक 05.09.2025	आरक्षित मूल्य रु. 27,23,000/-
5	UP/LKN/AGRA/A000001028 1. श्री सोनू पुत्र – श्री बालकिशन शर्मा 2. श्री गोपाल शर्मा पुत्र – श्री बालकिशन शर्मा 3. श्रीमती कमलेश देवी पत्नी – श्री बालकिशन शर्मा 4. श्री बालकिशन शर्मा पुत्र – श्री जगदीश प्रसाद निवासी – 2 पंडित की चक्की, सरस्वती नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश 283203	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि: 10-11-2025 और 8,32,197/-	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 2,72,300
		सांकेतिक कब्जे की तिथि: 19-01-2026	

संपत्ति का विवरण: आवासीय संपत्ति/मकान, जिसका क्षेत्रफल 766.10 वर्ग फुट (71.31 वर्ग मीटर) मौज सुकमालपुर निजामबाद, मोहल्ला सरस्वती नगर, गली संख्या 2, शहर एवं जिला फिरोजाबाद दिशा/सीमाएँ पूर्व – रास्ता (12 फुट चौड़ा) पश्चिम – श्री महेश चंद्र शर्मा का मकान उत्तर – श्री राजू का मकान दक्षिण – श्री राम सेवक शर्मा का मकान

		कुल बकाया तिथि तक 10.12.2025	आरक्षित मूल्य रु. 30,92,000/-
6	UP/LKN/AGRA/A000001771 1. श्री धर्मेंद्र सिंह पुत्र – श्री ऋषिपाल सिंह, 2. श्रीमती मुल्ला वती पुत्री – श्री वीरी सिंह, निवासी – 106 श्री जी पुरम कॉलोनी, तृतीय चरण, सुनरख बांगर, मथुरा (अर्ध–शहरी क्षेत्र), मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत – 281121	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि: 12-12-2025 और 11,63,837/-	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 3,09,200
		सांकेतिक कब्जे की तिथि: 20-02-2026	

संपत्ति का विवरण: आवासीय संपत्ति/प्लॉट, दो आवासीय प्लॉट संख्या 106, खसरा संख्या 1243एम का भाग, जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर श्री जी पुरम कॉलोनी, फेज III, मौज सुनरख, तहसील वृंदावन, जिला मथुरा, उ.प्र. दिशा/सीमाएँ पूर्व – प्लॉट नंबर 87 पश्चिम – रास्ता 15 फीट उत्तर – प्लॉट नंबर 105 दक्षिण – प्लॉट नंबर 107

		कुल बकाया तिथि तक 10.12.2025	आरक्षित मूल्य रु. 26,78,000/-
7	UP/LKN/AGRA/A000002408 1. श्री शिवराज शिवराज पुत्र श्री रामशरण 2. श्रीमती प्रभा प्रभा पत्नी– श्री शिवाजी निवासी: 3/600, रुई की मंडी, शाहगंज, शाहगंज, सेमीअर्बन, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत – 282010	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि: 12-12-2025 और 6,23,595/-	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 2,67,800
		सांकेतिक कब्जे की तिथि: 19-02-2026	

संपत्ति का विवरण: आवासीय संपत्ति/प्लॉट, एक मकान, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी. नगर निगम संख्या 3/600, मोहल्ला रुई की मंडी, शाहगंज तहसील और जिला आगरा, यू.पी. दिशा/सीमाएं पूर्व – दीगर का मकान, पश्चिम – 8 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर – अनिल के मकान का हिस्सा, दक्षिण – फुलद का मकान

		कुल बकाया तिथि तक 10.12.2025	आरक्षित मूल्य रु. 13,62,000/-
8	UP/LKN/AGRA/A000001766. 1. श्रीमती सुनीता देवी, पत्नी – श्री सुधीर सिंह 2. श्री सुधीर कुमार, पुत्र – श्री दीन दयाल निवासी – 58, गली नंबर 2, सरस्वती नगर, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, शहरी क्षेत्र, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत – 283203	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि: 12-12-2025 और 6,90,607/-	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,36,200
		सांकेतिक कब्जे की तिथि: 20-02-2026	

संपत्ति का विवरण: आवासीय संपत्ति/प्लॉट, एक प्लॉट, क्षेत्रफल 42.00 वर्ग मीटर मौज सुखमलपुर निजामबाद, तहसील और जिला फिरोजाबाद, यू.पी. उप–पंजीयन जिला – सदर जिला फिरोजाबाद, यू.पी. दिशा/सीमाएं: पूर्व – रामा शंकर की आराजी पश्चिम – 14 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर – अन्ना प्लॉट, दक्षिण – अंगूरी देवी का प्लॉट

भुगतान का तरीका– भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में गाजियाबाद में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।

विशेष निर्देश/सावधानी: अंतिम मिनट/सेकंड में बोली लगाने वालों को अपने हित में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक–अप बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी आवश्यक हो, ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: – 1. संपत्ति को **"जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी दायित्व रहित"** के आधार पर बेचा जा रहा है। इस तरह की बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति / परिसंपत्तियों का विवरण (अर्थात् ई–नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप को सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत–बयान या चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक मौजूदा और मापन अलग–अलग हो सकते हैं। 3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां जमा करने के लिएएक निमंत्रण है और इसे सुरक्षित लेनदार की ओर से कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक विलेखों की प्रतियों का उपयोग करें और बोलियां प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति / परिसंपत्तियों और दावों / देय राशियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति के बारे में स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ / उचित परिश्रम करें जो संपत्ति को प्रभावित करते हैं। 4. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट auction@hindujahousingfinance.com and https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" या सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से होगी, जो नीलामी की पूर्ण प्रक्रिया को ई–नीलामी मंच द्वारा व्यवस्थित और समन्वयित करेगा। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी खुद बोली लगाने वाले को सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षित लेनदार/सेवा प्रदाता को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया हेतु तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोली लगाने वाले संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., 605ए, पता: सी1 इंडिया प्रा. लि. तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 68 सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003, (सम्पर्क व्यक्ति : मिथलेश, फोन नं. **7080804466** ईमेल: **delhi@c1india.com,** सहायता मो. नं

JOIN OUR PAID SERVICE – 2026

Daily PDF Access | Editorial Bonus | Almost All Editions

ENGLISH NEWSPAPERS

The Hindu, Indian Express, Hindustan Times, Business Line, Business standard, The Live Mint, Times of India, Telegraph, New Indian Express, Asian Age, Statesman, Tribune, Pioneer, Financial Express, The Economic Times, Mid-Day, Deccan Chronicle, Employment News, Free Press Journal, Hans India, Deccan Herald, Lokmat Times, Mirror, Telangana Today

HINDI NEWSPAPERS

दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, राजस्थान पत्रिका, हरी भूमि, लोकसत्ता , पायनियर , दैनिक ट्रिब्यून , द हिन्दू, राष्ट्रीय सहारा , नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जनसत्ता, देशबंधू, प्रभात खबर, दैनिक नवज्योति, आईनेक्स्ट लाइव, लोकमत, नव भारत, नई दुनिया

Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

Full Package : All in One Plan

The Hindu Plan

(Starter)	1 Month = ~~199~~	₹99
(Popular)	6 Month = ~~599~~	₹349
(Best Value)	1 Year = ~~999~~	₹549

Special Offer

You will Get

- 20+ Hindi Newspapers
- 22+ English Newspapers
- THE Hindu, BL,IE,TOI,ET, etc..
- Dainik Jagran, NBT, DB, Etc..
- Editorial Complation (En & Hi)
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

The Hindu, BL, IE, NIE Plan

The Hindu Plan

(Starter)	1 Month = ~~149~~	₹69
(Popular)	6 Month = ~~499~~	₹269
(Best Value)	1 Year = ~~799~~	₹399

Special Offer

You will Get

- The Hindu (TH)
- Business Line (BL)
- Indian Express (IE)
- New Indian Express (NIE)
- Editorial Complation
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

LIMITED TIME OFFER

Telegram Access Available

→ CLICK HERE & JOIN NOW